BED II- CPS 4

हिन्दी का शिक्षणशास्त्र (भाग I)

Pedagogy of Hindi (Part I)

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

ISBN: 13-978-93-85740-71-8
BED II- CPS 4 (BAR CODE)

BED II- CPS 4

हिन्दी का शिक्षणशास्त्र (भाग I)

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड	विशेषज्ञ समिति
प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
प्रोफेसर मुहम्मद मियाँ (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया व पूर्व कुलपति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	**प्रोफेसर सी० बी० शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
प्रोफेसर एन० एन० पाण्डेय (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	**प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय व सामाजिक विज्ञान संकाय, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
प्रोफेसर के० बी० बुधोरी (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, एच० एन० बी० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखण्ड	**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
प्रोफेसर जे० के० जोशी (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
प्रोफेसर रम्भा जोशी (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
डॉ० दिनेश कुमार (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
डॉ० भावना पलड़िया (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
सुश्री ममता कुमारी (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	

दिशाबोध: प्रोफेसर जे० के० जोशी, पूर्व निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

कार्यक्रम समन्वयक:	कार्यक्रम सह-समन्वयक:	पाठ्यक्रम समन्वयक:	पाठ्यक्रम सह समन्वयक:
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**डॉ० गिरीश कुमार तिवारी** अतिथि व्याख्याता, शिक्षा विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्रधान सम्पादक	उप सम्पादक
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**डॉ० गिरीश कुमार तिवारी** अतिथि व्याख्याता, शिक्षा विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश

विषयवस्तु सम्पादक	भाषा सम्पादक	प्रारूप सम्पादक	प्रूफ़ संशोधक
डॉ० गिरीश कुमार तिवारी अतिथि व्याख्याता, शिक्षा विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	**डॉ० गिरीश कुमार तिवारी** अतिथि व्याख्याता, शिक्षा विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

सामग्री निर्माण

प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**प्रोफेसर आर० सी० मिश्र** निदेशक, एम० पी० डी० डी०, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

© उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, 2017

ISBN-13-978-93-85740-71-8

प्रथम संस्करण: 2017 (पाठ्यक्रम का नाम: हिन्दी का शिक्षणशास्त्र, पाठ्यक्रम कोड- BED II- CPS 4)

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी अंश को ज्ञान के किसी भी माध्यम में प्रयोग करने से पूर्व उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। इकाई लेखन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए पूर्णरूपेण लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का निपटारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में होगा।

निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक, एम० पी० डी० डी० के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए मुद्रित व प्रकाशित।

प्रकाशक: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय; **मुद्रक:** उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

कार्यक्रम का नाम: बी० एड०, कार्यक्रम कोड: BED- 17 पाठ्यक्रम का नाम: हिन्दी का शिक्षणशास्त्र, पाठ्यक्रम कोड- BED II- CPS 4		
इकाई लेखक	**खण्ड संख्या**	**इकाई संख्या**
प्रोफेसर निरंजन सहाय प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	**1**	1 व **5**
डॉ० रिंकल शर्मा सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, गलगोटिया विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश	**1**	**2**
डॉ० तारकेश्वर गुप्ता सहायक प्रोफेसर, बी० एड० विभाग, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई, उ०प्र०	**1**	**3**
सुश्री विजेता कुमारी सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर, झारखण्ड	**1**	**4**
श्री मोहित राज कमरा सं०- **13**, मकान सं०- **A/7,** फेज **5,** संडे मार्केट, आयानगर, नई दिल्ली	**2**	**1** व **3**
डॉ० गिरीश कुमार तिवारी अतिथि व्याख्याता, शिक्षा विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	**2**	**2, 4** व **5**

BED II- CPS 4
हिन्दी का शिक्षणशास्त्र (भाग I)

खण्ड 1		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	भाषा एवं विविध संबंधित पक्ष	2-14
2	हिंदी भाषा शिक्षण : एक परिचय	15-29
3	हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आयाम	30-44
4	भारत में हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा शिक्षण की प्रस्थिति	45-61
5	भारत हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ अनछुए पहलू	62-73

खण्ड 2		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियाँ	75-93
2	भाषा एवं साहित्य का संबंध तथा भाषा शिक्षण में हिंदी साहित्य की भूमिका	94-110
3	हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं का शिक्षण	111-133
4	हिंदी भाषा शिक्षणार्थ शिक्षण-अधिगमसामग्री एवं पाठ्यसहगामी क्रियाएँ	134-149
5	हिंदी भाषा शिक्षण में सूचना एवं तकनीकी का उपयोग	152-166

खण्ड 1

Block 1

इकाई 1- भाषा एवं विविध संबंधित पक्ष

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 भाषा का अर्थ : समप्रत्यय एवं प्रकार्य
1.4 भाषा एवं समाज
1.5 भाषा एवं जेंडर
1.6 भाषा एवं शांति
1.7 गृह-भाषा एवं विद्यालय की भाषा
1.8 भाषा का महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसका स्थान
1.9 अधिगम में भाषा की प्रधानता
1.10 एक विद्यालयी विषय के रुप में हिंदी भाषा एवं अधिगम तथा संप्रेषण के माध्यम के रुप में हिंदी भाषा के मध्य अंतर
1.11 सारांश
1.12 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1.1 प्रस्तावना

भाषा किसी समाज की वह निधि है , जिसके बल पर एक – दूसरे से सम्वाद किया जाता है। वह समाज की अनेक उपलब्धियों ,जय – पराजय . संघर्षों और लक्ष्यों को प्रकट करती है । इस अर्थ में वह सामाजिक , सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा की हमसफर है। शिक्षा की दुनिया में भाषा की मौजूदगी के विभिन्न सन्दर्भ हैं , जिनपर व्यापक अध्ययन हुए हैं। इस अध्ययन का फैलाव तकनीकी पहलू के साथ ही व्यावहारिक पहलू तक है। भाषा के अध्ययन की पुरानी तरकीबों में कुछ नए पहलुओं का शामिल होना , उसकी परिधि में उन सन्दर्भों को जोड़ा जो हमारी भाषाई संस्कृति का हिस्सा थे , पर जिनपर हमारी नज़र नहीं जाती थी। उदाहरण के लिए हम भाषा और जेंडर , भाषा और शान्ति के फलक को समझ सकते हैं। इस इकाई में हम भाषा और शिक्षा से जुड़ें कुछ ऐसे ही सन्दर्भों का अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

भाषा और शिक्षा के विविध सन्दर्भों पर आधारित इस इकाई में आप अनेक पहलुओं का अध्ययन करेंगे / करेंगी। इस इकाई के विस्तृत अध्ययन के बाद विद्यार्थी शिक्षक / शिक्षिका समझ पाएँगे / पाएँगी –

1. अलग-अलग सामाजिक सन्दर्भों में भाषाई प्रयोग के रूप भी विविध प्रकार के होते हैं। भाषाई अस्मिता की स्वीकृति लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति का अवसर मुहैया कराती है।
2. भाषा पद के सम्यक ज्ञान और प्रकार्य को जानकर उसके कारगर उपयोग की समझ बनाई जा सकती है।
3. भाषा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जेंडर सम्बन्धी असमानता का कारण भी बनती है एवं इसकी जानकारी ऐसी असमानताओं से हमें बचाती भी है।
4. शिक्षा का मकसद ज्ञान का प्रसार भर नहीं है। हम सभी स्थानीय , राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर अभूतपूर्व हिंसा के दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसे में शिक्षा को शांति स्थापना के लिए , सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना हमारे समय की ज़रूरत है। इसका सिरा भाषा आधारित विभिन्न कक्षाई और विद्यालयी परिस्थितियों से भी जुड़ता है। भाषा की इस समझ को जानना भी ज़रूरी है।
5. घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच एक गहरी खाई विद्यमान है। इसका खामियाजा अधिगम की प्रक्रिया को बाधित करता है। आवश्यकता इस बात की है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच सम्वाद उपस्थित हो , ताकि अधिगम की उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करना सम्भव हो।
6. विद्यालय में भाषा का उपयोग माध्यम एवं विषय के रूप में होता है। भाषा विभिन्न विषयों के केंद्र में है , अत: भाषा सीखने – सिखाने के अवसर सभी विषयों की कक्षाओं में सृजित करने होंगे।
7. विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर परिवेश में भाषा के अनेक रूप मिलते हैं , जिनका स्कूली प्रक्रियाओं में संसाधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

आइए इकाई का विस्तार से अध्ययन करें।

1.3 भाषा का अर्थ : समप्रत्यय एवं प्रकार्य

भाषा मनुष्य की वह प्राकृतिक क्षमता है , जिसके बल पर वह ध्वनि प्रतीकों की रचना करता है। इन्हीं प्रतीकों का उपयोग अभिव्यक्ति हेतु किया जाता है। भाषा के अस्तित्व में आने का पहला कदम ध्वनि प्रतीकों की रचना ही है। यह सही है कि भाषा सम्प्रेषण का माध्यम है। पर क्या भाषा का काम महज इतना ही है ? दरअसल भाषा के सरोकार कहीं अधिक विस्तृत हैं। भाषा पर आधारित , राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का आधार पत्र इस सम्बन्ध में बेहद मौजू टिप्पणी करता है ,

'अधिकांश लोग भाषा को सम्प्रेषण का माध्यम मानते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक , शिक्षकों के प्रशिक्षक , पाठ्यपुस्तक लेखक , पाठ्यचर्या अभिकल्पक (डिज़ाइनर) व शैक्षणिक योजनाकार तक की यही धारणा है। जबकि शिक्षा में भाषा की भूमिका को ठीक से सराहने के लिए हमें समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। हमें इसके संरचनागत , साहित्यिक , सामाजिक , सांस्कृतिक , मनोवैज्ञानिक एवं सौन्दर्यशास्त्रीय पक्षों को महत्त्व देते हुए इसे एक बहुआयामी स्थिति में रखकर इसकी पड़ताल करनी होगी। सामान्यत: भाषा को शब्द-कोश व कुछ निश्चित वाक्यगत नियमों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है – जहाँ यह ध्वनियों , शब्दों व वाक्यों के स्तर पर ख़ास ढंग से नियंत्रित होती है। यह सच है , इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह तसवीर का एक पहलू है- भले ही इसका स्वरूप सार्वभौमिक हो।'

(आधार पत्र, 2009:1, , भारतीय भाषाओं का शिक्षण , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली)

इस लम्बे उद्धरण को यहाँ शामिल करने का उद्देश्य यह है कि हम यह बखूबी समझ सकें कि शिक्षा की दुनिया में भाषा का सन्दर्भ साहित्य और भाषाविज्ञान से कहीं अधिक है। आइए भाषा की प्रकृति और स्वरूप की कतिपय विशेषताओं को समझने का प्रयास किया जाय। निम्नांकित वाक्यों को देखें –

- **भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है।**
- **भाषा नियम संचालित व्यवस्था है।**

इन दोनों वाक्यों की जब हम व्याख्या करेंगे ,तब भाषा की आधारभूत बातों की समझ बनेगी।

- **भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है**

भाषा मूलत: प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। लेकिन जब भी हम भाषा के बारे में बात करते हैं तब उसे मुख्यत: सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में समझते हैं। जब हम किसी को किसी वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं , उस समय हम भाषा का इस्तेमाल उसे उस वस्तु के बारे में बताने के लिए करते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। मान लीजिए हम अपने किसी मित्र को किसी पेड़ के बारे में बताना चाहें , तब कुछ सम्भावित वाक्य निम्न प्रकार के हो सकते हैं –

मैंने एक मजबूत पेड़ देखा।
वहाँ पर अनेक पेड़ हैं।
वह पेड़ खूबसूरत है।

आइए उल्लिखित वाक्यों में आए कुछ शब्दों के सहारे भाषा के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आगे बढ़ें। इन तीनों वाक्यों में आए पेड़ शब्द के विविध सन्दर्भ हैं। जब पेड़ का उच्चारण किया जाता है ,

तब बताने के पहले भाषा के स्तर पर मस्तिष्क में अनेक क्रियाएँ चलती हैं। पेड़ उच्चारण करने की स्थिति तक पहुँचने के लिए पेड़ नामक वस्तु के लिए किसी ध्वनि-प्रतीक की रचना करनी होती है। यदि ऐसा न हो पाए तो उस वस्तु (अर्थात पेड़) से दूर रहकर उसके बारे में बताना बेहद मुश्किल है। ठीक यही बात अन्य शब्दों पर भी लागू होती है। यदि ध्वनि प्रतीक न हों , तब भाषा अभिव्यक्ति का व्यावहारिक साधन नहीं रह पाएगी।

सभी भाषाओं में व्यवहारकर्ता अपने अनुभवों को प्रतीकों में रूपांतरित कर उनको सुरक्षित रखता / रखती है। प्रतीकीकरण की सामर्थ्य तथा उसके उपयोग के बिना भाषा का अस्तित्त्व संभव नहीं है। यही कारण है कि हम यह मानते हैं कि भाषा के विचार को सम्प्रेषण में कैद करना , प्रत्येक व्यक्ति की भाषाई सृजन क्षमता को नज़र अंदाज़ करना है , क्योंकि सम्प्रेषण तो रती – रटाई बातों का भी हो सकता है। कहना न होगा सम्प्रेषण से पहले भाषा , प्रतीकों का सृजन है। इस सन्दर्भ को और अधिक विस्तार से समझाने के लिए निम्नांकित अवतरण को देखें –

'एडवर्ड सापियर (1961) अमरीकी भाषाविद ने भाषा को सम्प्रेषण का साधन मानने के विचार का वैकल्पिक विचार पेश किया है। उनका विचार है कि - `यह स्वीकार कर लेना सबसे उचित होगा की प्राथमिक रूप से भाषा वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में देखने की प्रवृत्ति की वाचिका प्रस्तुति है।....वाचिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुति का अर्थ है अनुभव को जाने – पहचाने रूप में ढालकर , न कि प्रत्यक्ष रूप से सामना करके , वास्तविकता पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृत्ति।' ब्रिटेन द्वारा उद्धरित सापियर के इस विचार को छोटे-छोटे सवालों में विभाजित करने से इसे चेतना में उतारना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। वाणी का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य क्या है ? वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य वास्तविकता को प्रतीकों ढालना है। हम वास्तविकता को प्रतीकों में क्यों ढालते हैं ? ऐसा करने से वास्तविकता को सम्भालना सम्भव हो पाता है। सम्भाल पाने की स्थिति के बाद ही वास्तविकता पर क्रियाशील हुआ जा सकता है। क्या हम वास्तविकता का निरूपण इसे सम्भालने तथा इस पर क्रियाशील होने मात्र के लिए करते हैं ? मनुष्य द्वारा प्रतीक – निर्माण के विचार को इन गतिविधियों तक सीमित करना ग़लती होगी। वास्तव में यदि हम मनुष्य को अपने संसार का निरूपण करने वाले के रूप में देखते हैं , ताकि वह इस निरूपण पर क्रियाशील हो सके तो अन्य तरह की गतिविधियों का रास्ता भी उसके लिए खुला होता है। वह सीधे तौर पर स्वयं निरूपण के अनुसार क्रियाशील होता है। वह इस बात का चुनाव भी कर सकता है कि वह निरूपण पर क्रियाशील हो तथा संसार के अपने द्वारा किए गए निरूपण में सुधार करें। यह कार्य वह लगातार प्रतीकों को गढ़कर करता है। लेंगर ने इंसान को तेज़ी से प्रतीक गढ़ने वाले (Proliferater of symbols) की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि इंसान का मस्तिष्क प्रतीकों की अविरल धारा से निर्मित होता है।'

(रावत , बीरेंद्र सिंह 2005:9,भाषा की बुनियाद तथा अवबोधन , दिशाबोध , अंक 2 , सितम्बर –अक्टूबर , समांतर , जयपुर)

इस लम्बे उद्धरण से यहाँ इसलिए गुज़रा गया ताकि हम यह बखूबी समझ सकें कि भाषा के महत्त्व को सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में समझने के साथ उसे चुने गए ध्वनि – प्रतीकों के रूप में भी समझ सकें। भाषा का एक और गुण है – यादृच्छिकता का गुण। अर्थात , किसी वस्तु को नाम देने में मनमानेपन का भाव। अन्य शब्दों में प्रत्येक भाषा में शब्दों के चुनाव में मनमानेपन का तत्त्व मौजूद होता है। जैसे हम पेड़ को पेड़ ही कहते हैं या नदी को नदी ही कहते हैं कुछ और नहीं। इसके नामकरण में कोई तर्क नहीं मनमानेपन का भाव निहित होता है। अर्थात् भाषा में यादृच्छिकता का गुण होता है।

- **भाषा नियम संचालित व्यवस्था है**

विश्व की समस्त भाषाएँ नियमबद्ध होतीं हैं। यह संभव है कि विभिन्न भाषाओं को बरतनेवालों की संख्या असमान हो। नियमबद्धता की परिधि में प्राय: तीन मानक आधार बनाए जाते हैं –ध्वनि , शब्द और वाक्य। प्रत्येक भाषा की ध्वनि में कुछ स्वर तथा कुछ व्यंजन होते हैं। इन ध्वनियों (वर्णों) के आधार पर ही शब्दों की रचना होती है। हर भाषा के अपने विशिष्ट ध्वनि संसार होते हैं। जैसे भारतीय भाषाओं में महाप्राण, स्पर्श एवं मूर्धन्य धव्नियों (ख,घ,छ,ष,ऋ) का स्थान है , पर यूरोपीय भाषाओं में यी ध्वनियाँ नहीं मिलतीं। उसी तरह अंग्रेजी का तालव्य संघर्षी व्यंजन Z हिन्दी में नहीं है।

ध्वनि संयोजन की ही तरह शब्द संयोजन की भी अलग -अलग भाषाई विशिष्टताएँ हैं। संसार की विभिन्न भाषाएँ अपने-अपने तरीक़े से पदार्थों तथा क्रियाओं आदि का नामांकन करती हैं। जैसे –

भाषा -	शब्द
हिन्दी -	फूल
संस्कृत -	पुष्पम्
अंग्रेजी -	flower आदि।

इसके मूल में यादृच्छिकता की प्रवृत्ति है , जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

उसी तरह शब्द निर्माण की भी प्रक्रियाएँ अलग – अलग होतीं हैं। जैसे – एकवचन से बहुवचन बनाने के हिंदी और अंग्रेजी के नियम अलग-अलग हैं। जैसे – लड़की – लड़कियाँ (हिन्दी) , girl-girls (अंग्रेजी)। संज्ञा से विशेषण बनाने के भी हर भाषा के अलग-अलग नियम होते हैं। जैसे – सरकार – सरकारी (हिन्दी), rain-rainy (अंग्रेजी)।

प्रत्येक भाषा में सीमित शब्दों से असीमित वाक्य संरचनाओं का जन्म होता है । वाक्यों से ही संबंधित मसला संवाद संरचनाओं का भी है । हर भाषा में अलग – अलग अभिव्यक्तियों के लिए अलग- अलग तरह की वाक्य संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है ।

भाषा के प्रकार्य का मतलब

भाषा का प्रकार्यात्मक अध्ययन प्राग स्कूल की देन है। इस स्कूल की स्थापना 1926 ई. में हुई। इसके मूल संस्थापक विलेम मथेसिउस (Vilem Mathesius) हुए जो कैरोलाइन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे । प्राग स्कूल की सर्वप्रमुख विशेषता भाषा का प्रकार्य के आधार पर विश्लेषण करना था। प्रकार्यवादियों के अनुसार भाषा की संरचना प्रकार्य (सन्दर्भ) के अनुरूप बदल जाती है। इस प्रकार एक ही भाषा प्रकार्यानुसार भिन्न-भिन्न रूपों में प्रस्तुत होती है। निम्नांकित छह रूप भाषा के प्रकार्य के रूप में पहचाने गए

i. अभिव्यक्तिक प्रकार्य (Expressive Function)
ii. इच्छा परक प्रकार्य (Conative Function)
iii. अभिधापरक प्रकार्य (Donative Function)
iv. सम्पर्क परक प्रकार्य (Phatic Function)
v. आधिभाषिक प्रकार्य (Codifying Function)
vi. काव्यात्मक प्रकार्य (Poetic Function) ।

1.4 भाषा एवं समाज

किसी भी भाषा के व्याकरणिक सन्दर्भों के साथ ही अनेक अन्य सन्दर्भ भी होते हैं । भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे-बच्चियाँ जन्मजात भाषिक क्षमता के साथ जन्म लेते / लेतीं हैं । बावजूद इसके भाषाओं का सीखा जाना विशेष सामाजिक – सांस्कृतिक और राजनीतिक सन्दर्भ में होता है । भाषा और इन सन्दर्भों का रिश्ता उभयनिष्ठ है । उदाहरण के लिए कौन सी बात कब , कहाँ और कैसे कहना है यह सामाजिक , सांस्कृतिक और राजनीतिक सन्दर्भों द्वारा बखूबी सिखा दिए जाते हैं । संप्रेषण , विचार और ज्ञान के तंत्र भाषिक व्यवहार में कौन सी भूमिका अदा करते हैं , इसके बारे में भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर आधारित आधार पत्र की राय है –

“भाषा का अस्तित्त्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता । भाषा का विकास हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विकास की ज़रूरतों से ही उद्दीप्त होता है , लेकिन इसके विपरीत भी उतना ही सच है अर्थात् भाषा भी उद्दीपन करने वाले इन कारकों को उद्दीप्त करती है । मानव समाज भाषा के बिना नहीं चल सकता क्योंकि यह सम्प्रेषण का सबसे ज़्यादा शुद्ध और सार्वभौमिक ब्माध्यम है । यह विचारों के

निर्माण और अभिव्यक्ति को बनाने और संचारित करने में भी ज़रूरी भूमिका निभाती है।"

(आधार पत्र, 2009:4, , भारतीय भाषाओं का शिक्षण , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली)।

भाषाओं और समाज के सन्दर्भ में एक बात और बेहद महत्त्वपूर्ण है ।भाषा एक सतत परिवर्तनशील व्यवस्था है। यह इंगित करना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोग भाषाओं को स्थिर तत्त्वों के रूप में ग्रहण करते हैं और उनके बारे में रूढ़ धारणाएँ बना लेते हैं। भाषा और समाज से जुड़े अन्य अनेक पहलू भी हैं , जिनकी चर्चा अगले उपशीर्षकों में की जाएगी ।

1.5 भाषा एवं जेंडर

भाषा और समाज पर विचार करते समय इससे जुड़े एक अन्य अहम् मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान स्वाभाविक तौर पर चला जाता है , वह है भाषा और जेंडर का रिश्ता। इस मुद्दे की प्रधानता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस सन्दर्भ में आधार पत्र दर्ज करता है ,

'जेंडर का मुद्दा आधी नहीं बल्कि पूरी मानवता का मुद्दा है। समय करे साथ भाषा ने अपनी बुनावट में कई तत्त्वों को समाहित कर लिया है जो जेंडर के प्रति रूढ़ियों को लगातार पोषित करती आ रही है ।...न सिर्फ विद्वानों ने , बल्कि भाषाविदों ने भी भाषा को `तुच्छ' व् `मोतियों के हार' की उपमा तो दी है जिससे कोई महत्त्वपूर्ण बात सामने नहीं आती , किन्तु वाक्यगत व कोश के स्तर पर अभिव्यक्तियों में जेंडर-पूर्वाग्रह झलक जाते हैं। स्त्री – पुरुष के बीच की बातचीत के सूक्ष्म विश्लेषण से भी ज्ञात हुआ है कि कैसे पुरुष अपनी बात को लादने के लिए भाषिक खेल खेलते हैं।'

(आधार पत्र, 2009:6, , भारतीय भाषाओं का शिक्षण , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली)।

कहना न होगा भाषा और जेंडर संबंधी अध्ययन के अनेक पहलू हो सकते हैं। समाज के प्रचलित नामों में आसानी से शब्दों में पैठे भेदभाव की मौजूदगी नज़र आती है। जैसे – मनचूरनी (मन को चूर करने वाली), अणछाई बाई(न चाहते हुए भी पैदा होने वाली) , कामिनी , अन्तिमा जैसे नामों में यह बात नज़र आती है। ऐसे नाम पुरुषों के नहीं होते , यदि होते भी हैं तब उसके पीछे का भाव नकारात्मकता नहीं होता। जैसे – घूरा , हजारी आदि। इस तरह के नामों के पीछे अमंगल को दूर कर मंगल के भाव की कामना सक्रिय है। अनेक शब्दों के स्त्रीलिंग रूप हैं ही नहीं। जैसे – राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री (हिन्दी), उसी तरह नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों को देखा जा सकता है –

- श्रमशक्ति Manpower
- साहस Manfully
- मानवता Mankind
- श्रम के घंटे Manhour
- प्रबंध करना Manage

आदि। जाहिर है इन शब्दों के हिन्दी पर्याय नहीं हैं।

भाषा और जेंडर के सन्दर्भ में एक और महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वह है – पाठ्यपुस्तकों की संस्कृति में मौजूद जेंडर सन्दर्भ। पाठयपुस्तकों में सम्बोधन के स्तर पर लड़कियाँ ग़ायब हैं। अक्सर यह दलील दी जाती है कि `छात्र' सम्बोधन में छात्राएँ शामिल हैं। परम्परा ने इस दलील को वैध ठहराने के लिए एक व्याकरणिक नियम को गढ़ा है `एकशेष'। अर्थात एक में शेष शामिल है। पर सवाल है , वह एक स्त्रीलिंग क्यों नहीं है ? मान लीजिए यदि लड़कों / छात्रों की जगह लड़की / छात्रा सम्बोधन प्रयोग में लाया जाय तो क्या स्त्रीलिंग सम्बोधनों में पुल्लिंग सम्बोधन को शामिल मान लिया जाएगा ? यदि नहीं तो छात्र / लडके में छात्रा / लड़कियाँ शामिल मान लेने की गैर बराबरी की परम्परा को मिटा देना चाहिए। प्रश्न यह है कि इसका समाधान क्या है ? एक रास्ता यह हो सकता है , जिसे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनाया है। वे कहीं पुल्लिंग तो कहीं स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा रास्ता पाउले फ्रेरे का है। उन्होंने आदमी के स्थान पर मानव जाति एवं स्त्री और पुरुष प्रयोग करना शुरू किया। लोकतांत्रिक समाज को रचाने में भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ,लिहाजा उस विचार के पक्ष में सक्रिय होना अपरिहार्य है , जिसमें सभी के सम्वैधानिक हकों की जगह सुनिश्चित हो।

1.6 भाषा एवं शांति

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2005 ने मौजूदा दौर की ज़रूरतों के मद्देनज़र अध्ययन की दुनिया में जिस नयी अवधारणा को शामिल किया , वह है , `शान्ति के लिए शिक्षा'। भाषा और साहित्य से शान्ति के लिए शिक्षा की अवधारणा का क्या सम्बन्ध है , इसे समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि `शांति के लिए शिक्षा' की अवधारणा क्या है। राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्र की इस संदर्भ में की गई टिपण्णी ध्यान देने लायक है,

'ऐतिहासिक रूप से नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा शांति के लिए शिक्षा के पूर्वज हैं। इनमें काफ़ी कुछ एक-सा है।.....शान्ति के लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा भी समाहित है , लेकिन दोनों एक ही नहीं हैं शान्ति मूल्यों की संगति के लिए प्रासंगिक तौर पर उपयुक्त और लाभदायक शिक्षाशास्त्रीय बिंदु है। शांति मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है

और उनके आन्तरीकरण को प्रेरित करती है ।' (आधार पत्र, 2010:1, , शान्ति के लिए शिक्षा , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली)।

आधार पत्र शिक्षायी दुनिया की चिंताओं को दर्ज करते हुए इस शिक्षा की अहमियत को रोशन करता है , जिस पर एक नज़र डालना मुनासिब होगा ,

शिक्षा नियति के साथा राष्ट्र की भेंट है । हम देश का ऋण ऐसी शिक्षा देकर चुका सकते हैं जो भारत की सम्पूर्णता और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो । राष्ट्रीय एकता , विकास एवं तरक्की के लिए शान्ति पहली आवश्यकता है । टकराव हमारी सामूहिक ऊर्जा का अपव्यय कराते हैं और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद जीवन की गुणवत्ता के ताने-बाने को बिखेर देते हैं । शान्ति के लिए शिक्षा को कार्यरूप में लाना सिर्फ टकरावों के समाधान और उनकी रोकथाम के लिए उपयुक्त रणनीति नहीं है, अपितु यह `हमारे सपनों के भारत' को वास्तविकता में उतारने के लिए आगे बढ़कर किया जानेवाला निवेश भी है । हर दौर में हर समाज ने शान्ति को एक महान और आवश्यक आदर्श माना है ।..... यह व्यक्ति विशेष के लिए शांति पाने का कोई सन्दर्भ नहीं , बल्कि सारे लोगों के शान्ति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है । सभी की शन्ति की अनदेखी करनेवाले जो भी पहलू हैं, उन्हें पहचानाने, उनकी निंदा करने , उनका प्रतिरोध करने और उन्हे४ण जड़ से समाप्त करने का धैर्य भी इसमें शामिल है ।'

(आधार पत्र, 2010:4, , शान्ति के लिए शिक्षा , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली)।

सवाल है कि इसमें भाषा की क्या भूमिका है । दरअसल भाषा शिक्षक / शिक्षिका के लिए कक्षायी और विद्यालयी परिवेश में उन गतिविधियों के सृजन की सम्भावनाएँ अधिक हैं , जिनके बल पर शान्ति की शिक्षा के हक़ में प्रयास सम्भव हैं । कुछ संभावित अवसरों का ज़िक्र आधार पत्र करता है –

- कठपुतलियों का प्रयोग करते हुए उचित शब्दों एवं मुद्राओं की सहायता से यह प्रदर्शित करें कि द्वंद्वों के हल शांतिपूर्ण ढंग से कैसे होते हैं ।
- विरोधाभास को व्याख्यायित कीजिए : हर कोई शांतिपूर्ण संसार चाहता है , लेकिन संसार ऐसा नहीं है । क्यों ? उन कारकों/बाधाओं का उल्लेख कीजिए जो शान्ति की राह में आते हैं ।
- तस्वीर पर आधारित कहानी,कविता, विचार को चार्ट पर प्रदर्शित करना । वास्तविक होने के अलावा कहानी कोई सामाजिक या नैतिक संदेश देने वाली भी हो सकती है ।
- दूसरों के प्रति संवेदनशील , सहनशील होने पर भी कहानी लिखना । विभिन्न विषयों पर अखबारों की क्लिपिंग , पत्रिका , लेख इकट्ठे करना । दीवार पत्रिका बनाना ।

- ईमानदारी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्य दर्शाने वाली कविता या गीत का सृजन करना।

हिंसा के शिकार लोगों की दुर्दशा में अपने होने की कल्पना करना। उदाहरण : आप रिश्वत दे रहे हैं , आपको शर्मशार किया गया , किसी का जीवन खतरे में है , इस भय में जीना , लाल फीताशाही का शिकार होना इत्यादि। यह बताना कि पीड़ित होने का क्या अर्थ है ?

(आधार पत्र, 2010:12-13 , शान्ति के लिए शिक्षा , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली)।

कहना न होगा एक बेहतर अध्यापक/ अध्यापिका के कौशल का यह एक महत्त्वपूर्ण भाषायी पक्ष है , जिससे शान्ति के लिए शिक्षा के मूल्यों को हासिल करने में सहूलियत हो सकती है।

1.7 गृह-भाषा एवं विद्यालय की भाषा

भाषा के बारे में हमारी प्रचलित समझ यह है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। यह भी कि घरेलू भाषाओं से मानक भाषा की प्रवीणता पर बुरा असर पड़ता है घर की भाषा में व्याकरणिक नियमों की अवहेलना होती है। जाने – अनजाने घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। जबकि सच ठीक इसके उलट है। दरअसल बच्चे – बच्ची विद्यालय में आने के पहले जिस भाषा के बल पर विकास प्रक्रिया से संबद्ध होते हैं , उनका बेहतर कक्षायी उपयोग सम्भव है। बहुभाषिकता का संबंध ऐसी ही परिस्थितियों से है। घरेलू भाषा और विद्यालय की भाषा में आवाजाही की सहूलियत हो , तब विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने के बहुत सारे कारणों में एक कारण यह भी होता है कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा में उसे गहरी खाई नज़र आती है। घर की भाषा में अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी से उसकी झिझक खत्म होती है। घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संवाद का यह अर्थ कतई नहीं है कि व्याकरण के नियमों की अवहेलना की जाय। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि व्याकरण के समान तत्त्वों का रचनात्मक उपयोग किया जाय। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस सन्दर्भ में हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताती है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा का संवाद अनेक शैक्षिक उपलाब्धियों का कारक बन सकता है।

1.8 भाषा का महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसका स्थान

भाषा एक माध्यम है , जिसका उपयोग हम ज़िन्दगी को समझने , उससे जुड़ने और जीवन जगत को प्रकट करने के लिए करते हैं। पर सवाल यह है कि इनके लिए किन भाषाई योग्यताओं की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ की पहचान हम जांच – पड़ताल , तर्क , संप्रेषण जैसे कौशलों के रूप में कर सकते हैं। साथ ही बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता , सस्कृति का हिस्सा भी। आज हिंदी की जो

संस्कृति फली – फूली है , उसके पीछे अनेक भाषाओं की भूमिका रही है । लिहाजा यह ज़रूरी है कि हिंदी शिक्षण का दायरा इतना विस्तृत होना चाहिए कि भाषा के इन उपयोगों से उसका रिश्ता न टूटे । समाज में भाषा के अनेक रूप प्रचलित हैं । रेडियो , टेलीविजन , अखबार , पोस्टर , विज्ञापन , इंटरनेट की हिंदी के साथ ही साहित्यिक हिंदी भी भाषा के अनेक रूपों में शामिल है । उसी तरह भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था के आलोक में भी भाषा शिक्षण की परिधि को समझना ज़रूरी है । हिंदी के इन व्यापक और विविध रूपों की गहरी समझ का विकास भाषा शिक्षण के विविध पहलू हैं । इसी तरह भाषा की ताकत से परिचित होना भी इस स्तर के विद्यार्थी के लिए अपेक्षित है । सन्दर्भ और ज़रूरतों के मुताबिक़ औपचारिक / अनौपचारिक भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित होना , विभिन्न किस्म की भाषा शैलियों से परिचित होना , वे जो सोचते / सोचती हैं उन्हें सुन्दर , प्रभावशाली और व्यंजनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना भी भाषा शिक्षण के उल्लेखनीय पहलू हैं ।

निम्नांकित अवतरण भाषा के महत्व एवं पाठ्यक्रम में उसके स्थान को बखूबी प्रकट करता हैं-

विद्यार्थी का भाषा – बोध और साहित्यिक – बोध इस सीमा तक विकसित हो जाए कि उसमें किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास पैदा हो सके । वह पाठ्यपुस्तकों की परिधि के बाहर भी किसी रचना से जुड़कर उस पर भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रया कर सके। वह तरह – तरह के औपचारिक व अनौपचारिक विषयक्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूपों से परिचित हो और उसका प्रयोग कर सके । वह सन्दर्भ और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न किस्म की शैलियों से परिचित हो सके । विद्यार्थियों को भाषा की ताकत का अहसास हो । वह इस बात को समझे कि भाषा के माध्यम से हम केवल संप्रेषण ही नहीं करते हैं , उसे सुन्दर, प्रभावशाली , व्यंजनात्मक और पैने ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा एक सशक्त साधन है ।

- 9.2005 , पाठ्यक्रम - भाषा हिंदी , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्

इस प्रकार पाठ्यक्रमों का विकास अनेक भाषाई दक्षताओं को अपने भीतर समेटे हुए है ।

1.9 अधिगम में भाषा की प्रधानता

भाषा महज सम्प्रेषण का साधन नहीं है । दरअसल वह एक ऐसा माध्यम भी है , जिसके आधार पर हम जीवन – जगत की अधिकाँश जानकारी प्राप्त करते हैं । भाषा की पहचान हम एक ऐसी व्यवस्था के रूप में कर सकते हैं जो बहुत हद तक हमारे आस-पास की वास्तविकताओं और घटनाओं को हमारे दिमाग में व्यवस्थित करती है । इससे न केवल हमारी पहचान बनती है , यह समाज , सत्ता और ताक़त से हमारे रिश्ते के स्वरूप को भी प्रकट करती है । हम केवल दूसरों से बात करने के लिए ही नहीं , बल्कि खुद से बात करने के लिए भी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं । विभिन्न विषयों की समझ भाषा में ही बनती है ।

इस तरह अधिगम का केन्द्रीय तत्त्व भाषा ही है। सभी विषयों का अध्यापक भाषा का अध्यापक होता है। अवधारणाएँ , संकल्पनाएँ भाषा से मूर्त होती हैं। अधिगम में भाषा की महत्ता कितनी है , इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए निम्नांकित अवतरण को देखना मौजू होगा –

'प्रारम्भिक शिक्षा की पूरी पाठ्यचर्या में भाषा का परिप्रेक्ष्य विशेष महत्त्व रखता है। विभिन्न अर्थपूर्ण सन्दर्भों के जरिए ही भाषा सबसे अच्छे तरीक़े से सीखी जा सकती है , इसीलिए हर विषय का शिक्षण एक अर्थ में भाषा शिक्षण ही है। यह परिप्रेक्ष्य माध्यमिक शिक्षा के अमूर्त विचारों के सन्दर्भ में भाषा की केन्द्रीयता को रेखांकित करता है।जहाँ शुरुआती स्तर पर संदर्भगत अर्थ भाषा प्रयोग को बढ़ावा देते हैं वहीं बाद के स्तरों पर भाषा के जरिए अर्थ को पाया जा सकता है। भाषा शिक्षा के केंद्र में है और हर अध्यापक पहले भाषा का है फिर विषय का।'- 27:2010, समझ का माध्यम , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्।

सच तो यह है कि अधिगम के किसी भी पहलू के लिए भाषा अनिवार्य तत्त्व है।

1.10 एक विद्यालयी विषय के रुप में हिंदी भाषा एवं अधिगम तथा संप्रेषण के माध्यम के रुप में हिंदी भाषा के मध्य अंतर

भाषा पूरी पाठ्यचर्या में विद्यमान रहती है। शिक्षा की दुनिया में मुख्य रूप से भाषा के दो रूप मौजूद हैं। एक विषय के रूप में दूसरे अन्य विषयों के सम्प्रेषण माध्यम के रूप में। जब भाषा के रूप में हिन्दी की बात होती है , तब उसका अर्थ है हिन्दी के व्याकरणिक , सौन्दर्यात्मक और सृजनात्मक रूप को समझना। इसके अंतर्गत सुनना , बोलना , पढ़ना और लिखना जैसे विभिन्न भाषायी कौशलों के अर्जन के साथ ही , विभिन्न साहित्यिक विधाओं का अध्ययन – अध्यापन शामिल हो जाता है। जैसे ही हम अधिगम और सम्प्रेषण माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा कहते हैं तब उसकी भूमिका अवधारणाओं को स्पष्ट करने , संकल्पनाओं को मूर्त करने वाले माध्यम के रूप में स्पष्ट होती है। तकनीकी शब्द , वैज्ञानिक शब्द , पारिभाषिक शब्द आदि इसी दुनिया के हिस्से हैं।

1.11 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद भाषा की विस्तृत दुनिया से आपका परिचय हुआ। आपने समझा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है। यह रचनात्मकता को सम्भव करने का सबसे महत्त्वपूर्ण औजार है। इस इकाई के विस्तृत अध्ययन के बाद आपने बखूबी समझा –

- भाषा सृजन की जिस प्रक्रिया को जन्म देती है , उसमें ध्वनि-प्रतीकों को रचने की क्षमता होती है।
- भाषा अस्मिता निर्माण का माध्यम होती है।

- भाषा और जेंडर की समझ एक सहभागी अधिगम संसार को रचने में सहायक है।
- बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील नज़रिया शिक्षक / शिक्षका को विद्यार्थियों से संवाद में सहूलियत प्रदान करता है।
- भाषा में नियमबद्धता होती है।
- एक विषय के रूप में भाषा (हिंदी) और अन्य विषयों के माध्यम (हिंदी माध्यम) के रूप में भाषा के विविध सन्दर्भ हैं।

1.12 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय भाषाओं का शिक्षण , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली ,2009
2. भाषा की बुनियाद तथा अवबोधन , दिशाबोध , अंक 2 , सितम्बर –अक्टूबर , 2005 समांतर , जयपुर
3. आधार पत्र , भारतीय भाषाओं का शिक्षण , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली),2009
4. आधार पत्र, शान्ति के लिए शिक्षा , एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली) 2009
5. पाठ्यक्रम - भाषा हिंदी , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् 2005 6.समझ का माध्यम , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् 2010।

इकाई 2 - हिंदी भाषा शिक्षण : एक परिचय

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 हिंदी शिक्षण: एक परिचय
2.4 हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य
2.5 भाषा विज्ञान तथा हिंदी शिक्षण
2.5.1 ध्वनि विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण
2.5.2 रुप विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण
2.5.3 वाक्य विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण
2.5.4 अर्थ विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण
2.6 हिंदी शिक्षण की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ
2.7 सारांश
2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.9 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रंथ
2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

इस खंड के इकाई एक में आपने हिंदी भाषा एवं उसके विविध पक्षों का अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई हिंदी शिक्षण के सैद्धांतिक पक्षों से संबंधित है। ज्ञान की किसी भी शाखा के दो पक्ष होते हैं - सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक । ये दोनों पक्ष एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती । हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों को हिंदी शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान कराना आवश्यक है। हिंदी शिक्षण के सैद्धांतिक पक्षों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। एक अध्याय में समस्त पक्षों का वर्णन संभव नहीं है। प्रस्तुत इकाई की रचना का उद्देश्य प्रशिक्षु-शिक्षकों को हिंदी शिक्षण का संक्षिप्त परिचय देना, वर्तमान हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों से परिचित कराना, स्वयं के हिंदी शिक्षण कार्य के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करने के योग्य बनाना, भाषा विज्ञान के विभिन्न अगों यथा ध्वनि विज्ञान, रुप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि की हिंदी शिक्षण में भूमिका की जानाकारी प्रदान करना तथा हिंदी

शिक्षण की समस्याओं एवं चुनौतियों से अवगत कराना है। शेष तथ्यों को अन्य इकाइयों में प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई की रचना इसी उद्देश्य से की गई है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. हिंदी शिक्षण का परिचय दे सकेंगे।
2. हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा कर सकेंगे ।
3. भाषा विज्ञान तथा हिंदी शिक्षण के मध्य संबंधित कर सकेंगे ।
4. हिंदी शिक्षण की समस्याओं एवं चुनौतियों का वर्णन कर सकें ।गे।

2.3 हिंदी शिक्षण: एक परिचय

हिंदी भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा से आशय उस भाषा से होता है जो किसी राष्ट्र के एक बड़े भू-भाग में या जनसंख्या के एक बड़े भाग द्वारा बोली जाती है। भारतीय परिदृश्य में यह सम्मान हिंदी को प्राप्त है। भारत के लगभग सभी राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों में हिंदी कम य अधिक मात्रा में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ आदि को हिंदी भाषी क्षेत्र के रुप में जाना जाता है। निम्नलिखित मानचित्र का अवलोकन भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र को और स्पष्ट करता है। मानचित्र में जो हिस्सा लाल रंग से दिखाया गया है उस हिस्से में हिंदी भाषा या उसके विभिन्न रुप का प्रयोग किया जाता है।

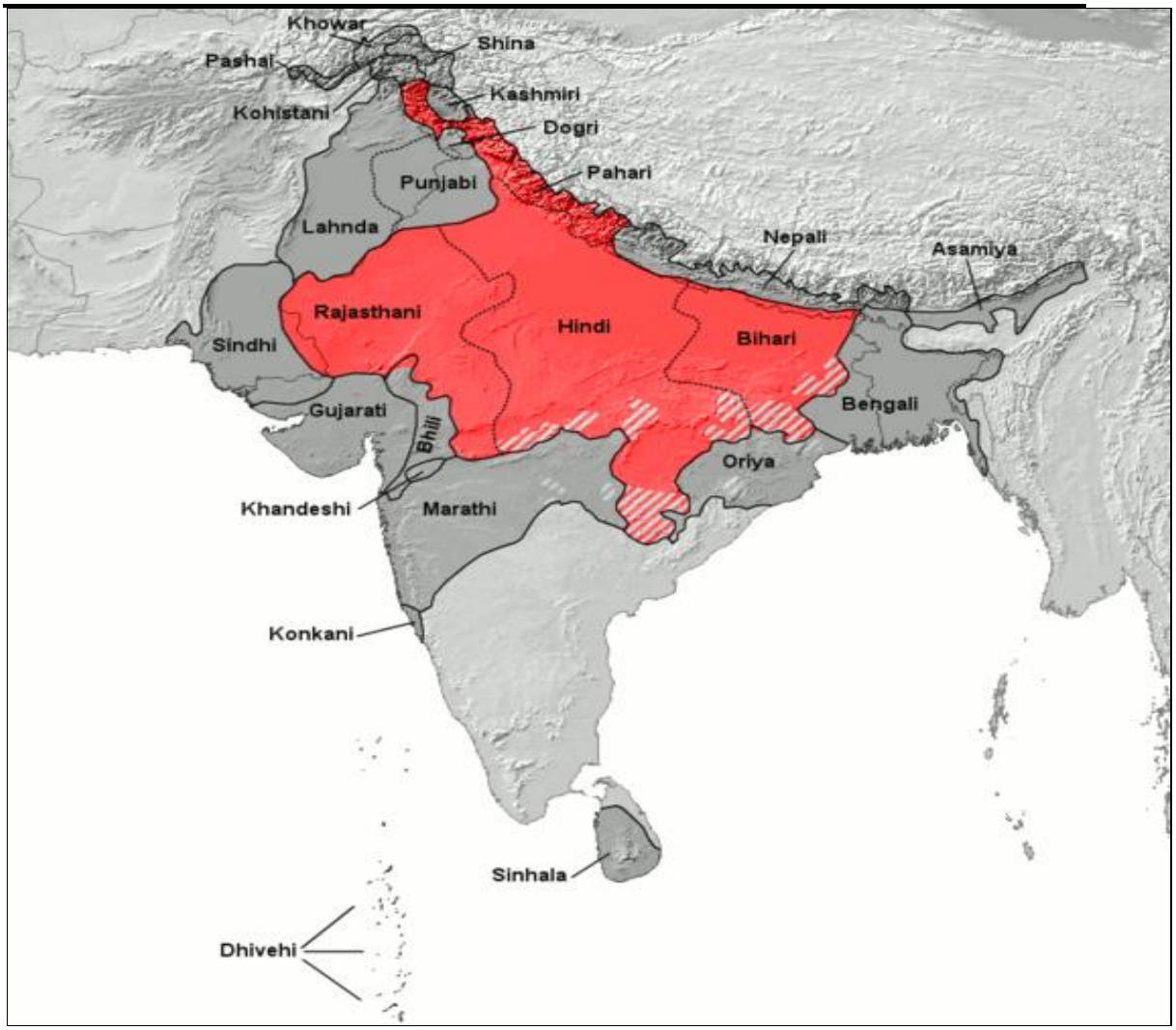

चित्र 1: भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र

(स्रोत: गूगल मानचित्र)

राजभाषा किसी राष्ट्र या राज्य के प्रशासनिक कार्यों की भाषा को कहते हैं। भारतीय संविधान के अनु० 343 'त' में हिंदी को भारत के राजभाषा के रुप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस प्रकार, भारत की राजभाषा एवं राष्ट्र भाषा दोनों ही हिंदी है।

वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देश एक-दूसरे के सम्पर्क में आए और साथ ही उन देशों की भाषाएँ भी एक-दूसरे के सम्पर्क में आयीं। परिणामस्वरुप विभिन्न भाषाओं के क्षेत्र में विस्तार हुआ। हिंदी भी भारत से बाहर निकली और विश्व के विभिन्न देशों में फैल गई। इस प्रकार हिंदी वर्तमान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भाषा है। जनमानस का इससे बड़ा ही गहरा लगाव है। अतः, इसका अध्ययन-अध्यापन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन काल से यहाँ आशय वैदिक काल से नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी से हिंदी भाषा

का अध्ययन-अध्यापन माना जा सकता है। आज भारत में हिंदी भाषा का शिक्षण मुख्यतः तीन रुपों में होता है -

- मुख्य भाषा के रुप में
- गैर हिंदी भाषी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में द्वित्तीय भाषा के रुप में; तथा
- विदेशियों के लिए विदेशी भाषा के रुप में।

हिंदी भाषा का शिक्षण तो अवश्य हो रहा है लेकिन उसे रुचिकर नहीं बनाया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन को लेकर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में दो तरह की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। प्रथम, 'हिंदी ही है' और दूसरी, 'हिंदी! क्या बकवास है यार'। अब इन दोनों प्रतिक्रियाओं पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो इनसे हिंदी भाषा के प्रति गंभीरता का अभाव एवं नीरसता तथा उपेक्षा परिलक्षित होती है। हाँ विदेशी भाषा के रुप में इसके शिक्षण-अधिगम कार्य में शामिल व्यक्तियों में रुचि अवश्य दिखती है।

किसी भी विषय के शिक्षण के तीन अंग होते हैं - शिक्षार्थी, शिक्षक एवं शिक्षण-सामग्री। अतः, हिंदी शिक्षण के भी उपरोक्त तीन अंग है। शिक्षण को रुचिकर बनाने में अन्य पक्षों के साथ इन तीनों अंगों की भी भूमिका होती है। शिक्षार्थी जो शिक्षण-प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं वो हिंदी भाषा को रोजगारोत्पादक नहीं मानते हैं और इस विषय के अधिगम में रुचि नहीं दिखाते हैं। उनकी इस अरुचि के और भी कारण है। यथा शिक्षकों की अरुचि, पारंपरिक शिक्षण विधियों एवं शिक्षण-सामग्रियों का प्रयोग आदि। शिक्षार्थियों में अरुचि शिक्षकों में अरुचि की मात्रा को और बढ़ा देता है। अतः, हिंदी भाषा शिक्षण भाषा की वर्तमान प्रस्थिति जो कि शैक्षणिक संस्थानों की समय सारिणी की शोभा बनकर रह गई है को नवीन शिक्षण विधियों तथा सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग द्वारा इसे पुनर्जीवित करना होगा ताकि इसकी प्रस्थिति को सशक्त किया जा सके।

अभ्यास प्रश्न

1. भारत की राजभाषा क्या है?
2. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा का वर्णन है?
3. भारत के हिंदी भाषी कहे जानेवाले राज्यों के नाम बताएँ।
4. भारत में हिंदी भाषा शिक्षण कितने रुपों में होता है?
5. किसी भी शिक्षण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं?

2.4 हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य

एक भाषा एक राष्ट्र के सर्वांगीण प्रगति, उसके अस्मिता का द्योतक होती है। यह सिर्फ ज्ञान की एक शाखा ही नहीं वरन राष्ट्र के मान-सम्मान का सूचक, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का वाहक एवं ज्ञान की अन्य शाखाओं के अर्जन का माध्यम है। अतः, भाषा शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण बहुत ही सावधानी के साथ होना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षण के साथ तो यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हिंदी भाषा अपने ही घर में संकट के दौर से गुजर रही है। अतः, जब भी हिन्दी शिक्षण के उद्देश्यों की बात की जाती है तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आते हैं:

- हिंदी शिक्षण के वर्तमान उद्देश्य क्या है?
- हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए?

आइए बारी-बारी से इन प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करें। पहले हिंदी शिक्षण के वर्तमान उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के विभिन्न ध्वनि रुपों के शुद्ध उच्चारण को समझने एवं उनका शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना;
ii. शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझने एवं उनका शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना;
iii. वर्ण एवं शब्द पढ़ने की क्षमता का विकास करना;
iv. वर्णों और शब्दों को लिखने की क्षमता का विकास करना ;
v. वाक्य पढ़ने एवं लिखने की क्षमता का विकास करना;
vi. विराम चिन्हों के सही प्रयोग को समझना एवं लेखन कार्य में उनका प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना;
vii. व्याकरण का समुचित ज्ञान प्रदान करना; तथा
viii. नैतिक मूल्यों का विकास करना।

इस प्रकार, हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य श्रवण, वाक, पठन एवं लेखन कौशलों का विकास है। इन उद्देश्यों को हम तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये तीन वर्ग निम्नलिखित है:

i. ग्रह्यात्मक उद्देश्य - बालक का भाषा विशेष के प्रति सम्यक समझ का विकास करना ग्रह्यात्मक उद्देश्य कहलाता है।
ii. अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य - भाषा को अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता के विकास को भाषा का अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य कहते हैं।
iii. सृजनात्मक उद्देश्य - हिंदी में रचनात्मक कार्य करने की दक्षता का विकास करना हिंदी शिक्षण का सृजनात्मक उद्देश्य माना जाता है।

हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को एक और प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण निम्नवत हैं:

- ज्ञानात्मक उद्देश्य - इस वर्ग में हिंदी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्यों को शामिल किया जाता है:
  i. बालक को हिंदी भाषा के विविध तत्वों का ज्ञान कराना;
  ii. उन तत्वों के ज्ञान से संबंधित विषयवस्तु की जानकारी प्रदान करना; तथा
  iii. उस भाषा में किए जा सकने वाले रचना कार्य के विभिन्न रुपों की जानकारी प्रदान करना
- अर्थग्रहण उद्देश्य - इस वर्ग में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल होते हैं:
  i. वर्णों. शब्दों एवं वाक्यों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना; तथा
  ii. विद्यार्थियों में पढ़कर किसी बात का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना;
- अभिव्यक्तिपरक उद्देश्य - इस वर्ग का मुखय उद्देश्य है विद्यार्थी को हिंदी भाषा में बोलकर एवं लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना
- रुचिपरक उद्देश्य - इस वर्ग में शामिल उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  i. बालकों में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त हिंदी भाषा के पत्र-पत्रिकाओं एवं संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना;
  ii. विद्यालयों में आयोजित किए जानेवाले विभिन्न प्रतियोगिताओं, यथा, वाद-विवाद प्रतियोगिता, उत्सवों, बाल सभा आदि के आयोजन में भाग लेने के लिए जागरुक करना
- सृजनात्मक उद्देश्य - इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं, यथा -कहानी, कविता, निबंध, पत्र, उपन्यास, डायरी, रिपोर्ताज आदि के लेखन के लिए प्रोत्साहित करना

हिंदी शिक्षण के वर्तमान उद्देश्यों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान परिदृश्य में हिंदी शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बालकों में भाषाई कौशलों का विकास करना है। इसके इतर विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं के अध्ययन-अध्यापन एवं लेखन के प्रति रुचि जागृत करना है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और इसलिए ये उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों को आकर्षित करने में असफल हैं:

अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा के माध्यम से करते हैं। अतः, विद्यार्थी वे ही विषय पढ़ना चाहते हैं जो रोजगार के अवसरों का सृजन करने में सहायक हों। हिंदी भाषा को साहित्य के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों द्वारा रोजगारोत्पादक नहीं माना जाता है। इसका एक कारण यह है कि हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों में रोजगारा के अवसरों के सृजन जो स्थान नहीं देते हैं।

वर्तमान परिवेश सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का है। तकनीकी का हर क्षेत्र में व्यापक प्रयोग हो रहा है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भी इनका प्रयोग हो रहा है। ऐसे में भाषा के शिक्षण-अधिगम में भी इसका व्यापक प्रयोग होना चाहिए। ताकि विद्यार्थियों का इस ओर रुझान हो सके। लेकिन हिंदी शिक्षण अधिगम में अभी भी उन्हीं पारंपरिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है फलस्वरुप शिक्षण प्रभावी नही है। यहाँ

तक कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों में भी इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। अतः, हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को वर्तमान परिद्श्य के संगत बनाने के लिए इसमें परिवर्तन आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य निम्नवत होने चाहिए:

i. बालक में भाषाई कौशल का विकास करना अर्थात बालक में शुद्ध-शुद्ध ध्वनियों, वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों का उच्चारण करने की योग्यता तथा बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना;
ii. बालकों में श्रवण कौशल का विकास करना अर्थात उनमें सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना;
iii. बालक में पठन कौशल का विकास करना अर्थात विद्यार्थी में पढ़कर उसे समझ सकने तथा उसका अर्थ ग्रहण कर सकने की योग्यता का विकास करना;
iv. बालकों में लेखन कौशल का विकास करना अर्थात लेखन कौशल से आशय वर्णों, शब्दों, वाक्यों को शुद्ध-शुद्ध लिखने की योग्यता का विकास करना;
v. हिंदी भाषा के रोजगारोत्पादक पक्ष से हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को अवगत कराना;
vi. शिक्षार्थी को इस तथ्य से परिचित कराना कि तकनीकी ज्ञान का अर्जन हिंदी भाषा के माध्यम से भी संभव है;
vii. हिंदी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की जानकारी प्रदान करना;
viii. विदेशों में हिंदी भाषा के अध्ययन-अध्यापन के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी देना;
ix. विदेशों में हिंदी विषय से संबंधित रोजगार के अवसरों से विद्यार्थियों को अवगत कराना;
x. बालक को बहुभाषिकता के महत्व को समझने के योग्य बनाना तथा उसे कम से कम दो भाषाओं के ज्ञान अर्जन करने के लिए अभिप्रेरित करना;
xi. रोजगारपरक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी का ज्ञान प्रदान करना; निम्नलिखित

अभ्यास प्रश्न

6. हिंदी शिक्षण के वर्तमान उद्देश्य क्यों विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के अध्ययन के प्रति आकर्षित नहीं कर पाते हैं?

2.5 भाषा विज्ञान तथा हिंदी शिक्षण

भाषा शिक्षण में आदिकाल से ही व्याकरण, निरुक्त आदि की उपयोगिता स्वीकृत है। गुरुकुलों में तो व्याकरण से ही शिक्षा का आरंभ होता था। गुरु पहले विद्यार्थियों को उच्चारण सिखाता है फिर उसके बाद

अन्य तथ्यों का। भाषा का वास्तविक ज्ञान व्याकरण से ही संभव है। व्याकरण को आधार बनाकर भाषा विज्ञान जैसे अनुशासन का विकास हुआ। समस्त भाषा विज्ञानी आज भी पाणिनी को समवेत स्वर में आदि भाषा विज्ञान की संज्ञा देते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भाषा विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाने लगा है और भाषा शिक्षण में इसकी भूमिका पर बल दिया जाने लगा है। सामान्य शब्दों में भाषा के विशेष एवं क्रमबद्ध अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भाषा का विशेष एवं क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमें भाषा की परिभाषा से प्राप्त होता है? मानव द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेत या संकेतों के समूह जिनके कुछ अर्थ होते हैं तथा जिनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है उसे भाषा कहते हैं। यह ध्वनि संकेत वर्ण शब्द या वाक्य के रूप में होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ भाषा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन्हीं का ज्ञान ही भाषा का विशेष एवं क्रमबद्ध ज्ञान है और भाषा विज्ञान में भाषा के इन्हीं अंगों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान के मुख्य चार अंग हैं:

i. ध्वनि विज्ञान;
ii. रूप विज्ञान;
iii. वाक्य विज्ञान; तथा
iv. अर्थ विज्ञान

हिंदी शिक्षण में इनकी भूमिका का हम बारी-बारी से विवेचन करेंगे।

2.5.1 ध्वनि विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण

ध्वनि विज्ञान में उच्चारण एवं उससे संबंधित समस्त बातों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें उच्चरित ध्वनि को सुनकर उनको समझने की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के उच्चारण, उनके उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण, अनुतान, स्वराघात, आदि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। हिंदी की प्रकृति ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मक से तात्पर्य है जैसा उच्चरित हो वैसा ही लिखा जाना। यदि शब्दों का सही उच्चारण नहीं होगा तो लेखन में त्रुटि होगी। अतः, हिंदी भाषा की प्रकृति को देखते हुए हिंदी शिक्षण में ध्वनि विज्ञान की भूमिका स्पष्ट हो जाती है।

2.5.2 रूप विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण

रूप विज्ञान मुख्यतः शब्द से संबंधित है। पदों का स्वरूप, पद रचना, वाक्य के निर्माण में पद का महत्व आदि का वर्णन किया जाता है। सिर्फ ध्वनियों का सही उच्चारण करना सीख लेने मात्र से ही हिंदी शिक्षण- अधिगम पूर्ण नहीं हो जाता है। विद्यार्थी को शब्द एवं पद की भी समझ होनी चाहिए। शब्द निर्माण की प्रक्रिया, उनकी उत्पत्ति, उनके अर्थ, पद एवं शब्द में अंतर आदि का ज्ञान होना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान रूप विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार रूप विज्ञान के बिना हिंदी शिक्षण अपूर्ण है।

2.5.3 वाक्य विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण

भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है विचारों का संप्रेषण और यह वाक्य के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार वाक्य भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः, वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य का गहन अध्ययन किया जाता है। वाक्य विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है वाक्य निर्माण, वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के पारस्परिक संबंध, वाक्य के घटक, वाक्य के भेद, आदि। अब यह बात तो स्पष्ट हो गई की वाक्य विज्ञान के अभाव में भाषा शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदी भाषा की प्रकृति पर यदि एक बार पुनर्विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर होगी कि हिंदी भाषा वियोगात्मक है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आदि का प्रयोग अलग से किया जाता है। यथा

राम घर जाता है (हिंदी)

रामः गृहम् गच्छति (संस्कृत)

यहाँ जाने की क्रिया के लिए 'जाता है' का प्रयोग किया गया है जिसमें जाता और है दोनों को अलग-अलग लिखा जाता है जबकि संस्कृत में गच्छति शब्द से काम हो जाता है।

वाक्य विज्ञान शिक्षण के अभाव में विद्यार्थी को इन सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान हो नहीं सकता है। इसके परिणाम्स्वरुप हिंदी शिक्षण अपूर्ण रह जाएगा।

2.5.4 अर्थ विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण

भाषा के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों में अर्थ को भी स्थान प्राप्त है एवं भाषा अपने कार्य संप्रेषण के द्वारा अर्थ का ही संप्रेषण करती है। अर्थ के अभाव में भाषा महत्वहीन हो जाती है। भाषा की परिभाषा में ही कहा गया है कि भाषा उच्चरित ध्वनि संकेतों का समूह है जिनके अपने अर्थ होते हैं। आवश्यक यह है कि भाषा के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले कार्य संप्रेषण में शामिल दोनों पक्षों वक्ता एवं श्रोता के मध्य अर्थ का समुचित संप्रेषण हो अर्थात वक्ता जो कहे श्रोता वहीं समझे। अर्थ विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय है शब्द और अर्थ में संबंध, एकार्थक और अनेकार्थक शब्द से अर्थ निर्माण, अर्थ का बोध क्यों होता है? अर्थबोध को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? अर्थ विस्तार, अर्थ आदेश, अर्थ संकोच आदि। इस प्रकार भाषा के महत्वपूर्ण कार्य संप्रेषण को सफल बनाने के लिए आवश्यक अर्थ तत्व के समस्त पक्षों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अतः, अर्थ विज्ञान के शिक्षण के बिना तो हिंदी-शिक्षण की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन से भाषा विज्ञान और हिंदी शिक्षण के संबंध स्पष्ट हो जाते हैं तथा हिंदी शिक्षण में भाषा की भूमिका भी स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यदि आपको प्रभावी हिंदी शिक्षण कार्य करना है तो आपको भाषा विज्ञान के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान करना ही होगा। ध्वनि विज्ञान, रुप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराना ही होगा। जब तक विद्यार्थी को इन तथ्यों का समुचित ज्ञान नहीं होगा वो हिंदी भाषा को समझ नहीं पाएँगे और ना ही हिंदी शिक्षण का कार्य कर पाएँगे। अतः, भाषा विज्ञान हिंदी शिक्षण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह कहा जाय कि भाषा विज्ञान के अभाव में हिंदी शिक्षण का कार्य संपादित नहीं हो सकता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अभ्यास प्रश्न

7. ध्वनि विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं?
8. रुप विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं?
9. वाक्य विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं?
10. अर्थ विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं?

2.6 हिंदी शिक्षण की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या हिंदी भाषा के प्रति जनसामान्य में व्याप्त अरुचि है। अरुचि की सीमा इतनी अधिक है कि विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए ही हिंदी भाषा पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की अरुचि के कारण शिक्षकों में भी रूचि उत्पन्न हो गई है। जब शिक्षार्थी में रुचि ही नहीं तो पढ़ाया किसको जाय। यह प्रश्न एक विचारणीय मुद्दा है। हिंदी भाषा के प्रति अरुचि के कारणों का यदि गंभीरतापूर्वक विवेचन किया जाए तो कई कारण सामने आते हैं। इनको हम हिंदी शिक्षण की समस्याओं के रूप में भी समझ सकते हैं। कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है:

1. **हिंदी भाषा का रोजगारोत्पादक न होना-** हिंदी भाषा का अध्ययन रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायक नहीं है। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण अंग्रेजी भाषा का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है की हर क्षेत्र में आंग्ल भाषा अग्रणी हो गई है। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में आंग्ल भाषी छात्रों को वरीयता दी जाती है जिससे विद्यार्थियों का रुझान अंग्रेजी की तरफ हो गया है और हिंदी अपने ही घर में हाशिए पर खड़ी है। जो थोड़े बहुत रोजगार के अवसर हैं वह शिक्षक एवं विद्यार्थियों की जानकारी में नहीं है। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कार्य करा रहे सरकारीएवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा उन अवसरोंके प्रति जागरुकता लाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उन अवसरों की जानकारी हो सके। विद्यार्थी आजकल वही विषय पढ़ना चाह रहे हैं जो रोजगारोत्पादक हैं तथा जो उन्हें जीविकोपार्जन में सक्षम बनाते हैं।
2. **पारंपरिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हिंदी शिक्षण-** भारतीय समाज का स्वरूप गतिशील है। इसकी आवश्यकताएँ एवं अपेक्षाएँ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। विद्यालय से भी इसकी कुछ अपेक्षाएँ होती हैं जो समाज के गतिशील स्वरुप के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। फलस्वरूप शिक्षण के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होना चाहिए लेकिन हिंदी शिक्षण आज भी, पारंपरिक शिक्षण उद्देश्यों यथा- छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करना अर्थात बोलने, लिखने, पढ़ने एवं सुनने आदि की योग्यता का विकास करना की प्राप्ति के लिए किया जाता है जो कि छात्रों की रुचि को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

3. **पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग-** शिक्षण विधियाँ भी किसी विषय को रुचिकर बनाने में पर्याप्त योगदान करती है। समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, आदि विधियाँ किसी भी विषय को रुचिकर बनाती है। हिंदी में वही पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग कर आज भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है। फलस्वरुप विद्यार्थी हिंदी भाषा की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं।
4. **पाठ्यक्रम का प्रासंगिक ना होना-** हिंदी विषय का पाठ्यक्रम वर्तमान समय के प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान परिवेश में सिर्फ भाषा एवं साहित्य पढ़ने से काम नहीं चलेगा बल्कि भाषा के रोजगारोत्पादक पक्ष को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना होगा। हिंदी भाषा के संदर्भ में भाषा के रोजगारोत्पादक पक्ष अनुवाद, संपादन कार्य संबंधी पाठ्यक्रम, हिंदी में सृजनात्मक लेखन, प्रयोजनमूलक हिंदी, आदि हैं। इनको पाठ्यक्रम में स्थान देकर विद्यार्थियों को हिंदी भाषा की ओर आकर्षित किया जा सकता है।
5. **सूचना एवं तकनीकी के साथ समन्वयन-** वर्तमान युग सूचना एवं संचार तकनीकी का है तथा युवाओं का इस ओर विशेष रुझान है। वह जीवन के प्रत्येक पक्ष में इसका समावेश चाहते हैं। तकनीकी शिक्षा का प्रारंभ आंग्ल भाषा में होने के कारण लोगों के मन में यह धारणा बैठ गई कि हिंदी भाषा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती है। हालाँकि विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों द्वारा इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया गया है लेकिन इस धारणा ने विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी। वर्तमान परिवेश में हिंदी शिक्षण के कार्य में भी सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यह हिंदी भाषी छात्रों में नीरसता को जन्म देती है। इस प्रकार, सूचना एवं संचार तकनीकी का हिंदी शिक्षण के साथ तालमेल ना होना एक बड़ी समस्या है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में हिंदी भाषा की सबसे बड़ी समस्या हिंदी के प्रति छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों में व्याप्त अरुचि है। शेष सभी समस्याएँ इसी से संबंधित हैं। अतः, हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इसे रुचिकर बनाना आवश्यक है।

हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ- हिंदी शिक्षण की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:

1. **हिंदी शिक्षण को रुचिकर बनाना-** विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति अरुचि की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि फिर से हिंदी भाषा को उनके लिए रुचिकर बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालाँकि शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत स्ततर पर इसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन ये प्रयास अभी अपर्याप्त है।
2. **तकनीकी शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा-** इन विषयों की शिक्षा के लिए हिंदी भाषा अभी भी उतनी प्रभावी नहीं है। विशेषतः परिभाषिक शब्दावली को लेकर समस्या आती है। हालाँकि इसके लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक पूर्णरूपेण सफलता नहीं मिली है।

3. **मातृभाषा के प्रभाव के कारण त्रुटिपूर्ण उच्चारण-** यह एक बड़ी चुनौती है। शिक्षक स्वयं त्रिटिपूर्ण उच्चारण करते हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि उनका उच्चारण त्रुटिपूर्ण है फिर वह **विद्यार्थियों को कैसे शुद्ध उच्चारण सिखा पाएँगे।**
4. **पारंपरिक पाठ्यक्रम-** हिंदी भाषा का पारंपरिक पाठ्यक्रम भी इसकी एक चुनौती है। पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग इस चुनौती को और दुरुह बना देता है।
5. **प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी-** प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी तो नहीं है। बहुत सारे प्रशिक्षित शिक्षक हैं लेकिन उनका प्रशिक्षण परंपरागत शिक्षक- प्रशिक्षण कार्यक्रम से हुआ है और वह हिंदी शिक्षण को आधुनिकता के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं।

उपरोक्त विवेचन से वर्तमान परिवेश में हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ स्पष्ट हो जाती है। हिंदी शिक्षण की इन चुनौतियों का जन्म वास्तव में उपरोक्त स्मस्याओं से ही हुआ है। आवश्यकता है तो इन समस्याओं के समाधान की। यदि इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाय तो चुनौतियाँ स्वतः समाप्त हो जाएँगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसे संस्थानों द्वारा इस दिशा में प्रयास शुरु भी किए जा चुके है। लेकिन इसका कुछ विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। औपचारिक शिक्षा के मुख्य संस्थानों यथा विद्यालय, महाविद्यालय विश्वविद्यालय, आदि के द्वारा जब तक अपने पाठ्यक्रम में सुधार नहीं लाया जाएगा तब तक इसका विशेष लाभ नहीं होगा। हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में सुधार लाने के साथ-साथ हिंदी शिक्षण प्रविधि के पाठ्यक्रम में भी पर्याप्त सुधार लाना होगा तब जाके कहीं वांछित परिणाम की प्राप्ति होगी।

अभ्यास प्रश्न

11. हिंदी शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
12. हिंदी शिक्षण की चुनौतियों को सूचीबद्ध करें।
13. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी से क्या आशय है?

2.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई वस्तुतः हिंदी शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। इकाई का आरंभ हिंदी शिक्षण के परिचय से किया गया है। छात्रों को भारतीय परिदृश्य में हिंदी भाषा से परिचित कराया गया है। इसके पश्चात हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा की गई है। हिंदी शिक्षण के वर्तमान में क्या उद्देश्य हैं? क्या यह उद्देश्य पर्याप्त हैं? और यदि नहीं तो हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए? आदि प्रश्नों की सुंदर व्याख्या की गई है। भाषा विज्ञान तथा हिंदी शिक्षण के संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही वर्तमान परिवेश में हिंदी शिक्षण की समस्याओं एवं चुनौतियों की भी चर्चा की गई है। इस प्रकार, यह इकाई विद्यार्थियों को हिंदी शिक्षण की वर्तमान प्रस्थिति से परिचित कराती है ताकि वह अपने शिक्षण कार्य में इस ज्ञान का प्रयोग कर हिंदी शिक्षण को प्रभावी बना सकें।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. हिंदी
2. 343 'त'
3. भारत के हिंदी भाषी राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़
4. भारत में हिंदी भाषा का शिक्षण मुख्यतः निम्नलिखित तीन रुपों में होता है -
   - मुख्य भाषा के रुप में
   - गैर हिंदी भाषी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में द्वित्तीय भारतीय भाषा के रुप में; तथा
   - विदेशियों के लिए विदेशी भाषा के रुप में।
5. किसी भी विषय के शिक्षण के निम्नलिखित तीन अंग होते हैं-
   - शिक्षार्थी;
   - शिक्षक; एवं
   - शिक्षण-सामग्री।
6. इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस इकाई का खंड 2.4 देखें।
7. ध्वनि विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय निम्नलिखित हैं-
   - ध्वनियों के उच्चारण
   - उनके उच्चारण स्थान
   - उच्चारण स्थान के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण
   - अनुतान
   - स्वराघात
8. रुप विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय निम्नलिखित हैं: -
   - पदों का स्वरूप
   - पद रचना
   - वाक्य के निर्माण में पद का महत्व
   - शब्द निर्माण की प्रक्रिया
   - शब्दों की उत्पत्ति
   - शब्द का अर्थ
   - पद एवं शब्द में अंतर

9. वाक्य विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय निम्नलिखित हैं: -
   - वाक्य निर्माण
   - वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के पारस्परिक संबंध
   - वाक्य के घटक
   - वाक्य के भेद
10. अर्थ विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय निम्नलिखित हैं-
   - शब्द और अर्थ में संबंध
   - एकार्थक और अनेकार्थक शब्द से अर्थ निर्माण
   - अर्थ का बोध क्यों होता है
   - अर्थबोध को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं
   - अर्थ विस्तार
   - अर्थ आदेश
   - अर्थ संकोच
11. वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या हिंदी भाषा के प्रति जनसामान्य में व्याप्त अरुचि है।
12. हिंदी शिक्षण की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:
   - हिंदी शिक्षण को रुचिकर बनाना
   - तकनीकी शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा
   - मातृभाषा के प्रभाव के कारण त्रुटिपूर्ण उच्चारण
   - पारंपरिक पाठ्यक्रम
   - प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी
13. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी से आशय वैसे शिक्षकों की कमी से है जिनके शिक्षक- प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिंदी शिक्षण के आधुनिक तत्वों यथा- सूचना एवं संचार तकनीकी के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों का समावेश किया गया हो। ऐसे शिक्षक बहुत कम है वरन यूँ कहें कि न के बराबर हैं।

2.9 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रंथ

1. शर्मा, देवेंद्रनाथ (1999). राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान, लोकभारती प्रकाशन: इलाहाबाद।

2. तिवारी, भोलानाथ (1999). भाषाविज्ञान. किताबमहल।
3. अग्रवाल, विजय(2002). हिंदी भाषा: अतीत से आज तक. वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली।
4. भाई योगेंद्रजीत (2008). हिंदी भाषा शिक्षण. अग्रवाल पब्लिकेशंस: आगरा।
5. पांडे, रामशकल(2008). हिंदी शिक्षण. अग्रवाल पब्लिकेशंस: आगरा।
6. शर्मा, राजमणि (2004). हिंदी भाषा इतिहास और स्वरूप. वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली।
7. झाल्टे, दंगल (2002). प्रयोजनमूलक हिन्दी सिद्धांत और प्रयोग, दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
8. श्रीवास्तव, रविन्द्रनाथ (1987). प्रयोजनमूलक हिन्दी. आगरा: केन्द्रीय हिन्दी संस्थान।
9. गोदर, विनोद (2001). प्रयोजनमूलक हिन्दी. दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
10. शर्मा, खेमराज व शर्मा, ब्रजराज (2011). हिन्दी शिक्षण. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
11. चोपड़ा, रविकांता व व्यास आनन्द प्रकाश (1998). मातृभाषा हिन्दी शिक्षण. दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद।
12. सिंह, सावित्री (2007). हिन्दी शिक्षण. मेरठ: इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।
13. लाल, रामन बिहारी (2017). हिन्दी शिक्षण [हिन्दी शिक्षण विज्ञान]. मेरठ: आर० लाल बुक डिपो।
14. तिवारी, भोलानाथ (2015). भाषा विज्ञान. इलाहाबाद: किताब महल।
15. रस्तोगी, गोपाल कृष्ण व अन्य (1998) मातृभाषा हिन्दी शिक्षण. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारत में हिंदी शिक्षण की वर्तमान प्रस्थिति पर एक लघु निबंध लिखें।
2. हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं?
3. हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए?
4. भाषा विज्ञान एवं हिंदी शिक्षण के मध्य संबंध स्थापित करें।
5. हिंदी शिक्षण की समस्याएँ एवं चुनौतियों का वर्णन करें।

इकाई 3 -हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण आयाम

3.1 प्रस्तवाना
3.2 उद्देश्य
3.3 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण
3.3.1 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य
3.3.2 द्वितीय भाषा- शिक्षण विधियाँ
3.4 प्रयोजनमूलक उद्दश्यों के लिए हिन्दी का शिक्षण
3.4.1 प्रयोजनमूलक हिन्दी का अर्थ
3.4.2 प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरुप
3.4.3 प्रयोजनमूलक हिन्दी का शिक्षण
3.5 स्वत्रन्त्र भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों में हिन्दी शिक्षण
3.5.1 विश्वविद्यालय आयोग में हिंदी शिक्षण
3.5.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग में हिन्दी शिक्षण
3.5.3 शिक्षा आयोग में हिन्दी शिक्षण
3.6 स्वत्रन्त्र भारत की विभिन्न शिक्षा नीतियों में हिंदी शिक्षण
3.6.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में हिंदी शिक्षण
3.6.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में हिंदी शिक्षण
3.6.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हिंदी शिक्षण
3.6.4 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में हिंदी शिक्षण
3.7 सारांश
3.8 शब्दावली
3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची
3.11 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

हिन्दी को सम्पूर्ण राष्ट्र की वाणी बनने का गौरव प्राप्त है। हिंदी हमारी राष्ट्रीयता का मानदंड है। अनेक वर्षों से हिंदी-प्रेम, स्वदेश-प्रेम का अभिन्न अंग माना जाता रहा है और राष्ट्रीयता के रचनात्मक कार्यों में हिंदी प्रचार को प्रमुख स्थान दिया गया। हिंदी की सेवा राष्ट्र की सेवा है तथा लोकतंत्र की भी सेवा है। छात्रों का हिंदी पर अधिकार हो सके और वे भाषाई कौशलों में दक्षता प्राप्त कर सकें, अध्यापक को इस बात का प्रयत्न करना है कि छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें, शुद्ध वर्तनी लिख सकें, धारा प्रवाह भाषण कर सकें, प्रभावी लेख लिख सकें, साहित्य की विविध विधाओं से परिचय प्राप्त कर सकें और हिंदी के प्रति अभीष्ट दृष्टिकोण का विकास कर सकें।

प्रस्तुत इकाई में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण, प्रयोजन मूलक उद्दश्यों के लिए हिंदी शिक्षण, स्वतंत्र भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों में हिंदी-शिक्षण तथा स्वतंत्र भारत के विभिन्न शिक्षा नीतियों में शिक्षण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. हिंदी-शिक्षण के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
2. हिंदी-शिक्षण की विधियों को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ बता सकेंगे।
4. प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. प्रयोजनमूलक हिंदी-शिक्षण के महत्व को समझ सकेंगे।
6. विश्वविद्यालय आयोग में हिंदी-शिक्षण को बता सकेंगे।
7. माध्यमिक शिक्षा आयोग में हिंदी-शिक्षण को स्पष्ट कर सकेंगे।
8. शिक्षा आयोग में हिंदी-शिक्षण के संदर्भ की व्याख्या कर सकेंगे।
9. विभिन्न शिक्षा नीतियों में हिंदी-शिक्षण की प्रासंगिकता को स्पष्ट कर सकेंगे।

3.3 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण

किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के लिए उनकी मातृभाषा को छोडकर अन्य सभी भाषाओं को मातृभाषा, द्वितीय भाषा अथवा भाषा कहा जाता है। इस दृष्टि से सभी अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा है। हिंदी उत्तर भारत के विशाल भूभाग की मातृभाषा है तथा दक्षिण भारत में व्यापार-वाणिज्य अथवा सांस्कृतिक-धार्मिक आदि अन्य कारणों से सम्पर्क-भाषा के रूप में हमेशा प्रचलित रही है।

भारत वस्तुतः बहुभाषायी देश है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों के लिए हिंदी मातृभाषा है तो पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्यों के लिए सम्पर्क-भाषा या द्वितीय भाषा है। स्पष्ट: मातृभाषा और द्वितीय भाषा के शिक्षण उद्देश्य एक समान नहीं हो सकते।

वर्तमान में हिंदी विश्व के लगभग 70 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इस दृष्टि से यह विश्व की तीसरे नम्बर की भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जिसमें संसार के किसी भी भाषा तत्सम अथवा तद्भव शब्दों को सरलता से लिखा जा सकता है। इसका ध्वनि तत्व भी बड़ा वैज्ञानिक है तथा शब्दकोश एवम साहित्य अन्य भारतीय भाषाओँ की अपेक्षा अधिक समृद्ध है और साथ ही हिंदी भाषा के साहित्य में भारतीय संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित भी है।

3.3.1 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य

हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को निम्न भागों में बाँट कर अध्ययन कर सकते हैं।

ज्ञानात्मक उद्देश्य

i. छात्रों को हिंदी की मूल ध्वनियों,शब्दों एवम वाक्य रचना का ज्ञान देना।
ii. छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, व्यावहारिक एवम जीवनगत अनुभूतियों, गाथाओं, तथ्यों, घटनाओं आदि का ज्ञान प्रदान करना।
iii. छात्रों को निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्यगीत, गद्यगीत आदि साहित्यिक विधाओं का ज्ञान देना।
iv. छात्रों को रचना कार्य के विविध रूपों यथा वार्तालाप, वाद-विवाद, साक्षात्कार, निबंध आदि का ज्ञान देना ।

कौशलात्मक उद्देश्य

i. छात्रों को बोध सहित सुनने की योग्यता प्रदान करना।
ii. छात्रों को प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्रदान करना।
iii. छात्रों को विचारों, भावों एवम तथ्यों को परस्पर समझने की योग्यता प्रदान करना।
iv. छात्रों को स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार-चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना।

सृजनात्मक उद्देश्य

i. छात्रों को भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्रदान करना।
ii. छात्रों को स्वानुभूत भावों तथा विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करना।
iii. छात्रों को विषय तथा प्रसंग के अनुकूल भाषा एवम शैली का उपयोग करने की योग्यता प्रदान करना।

अभिवृतयात्मक उद्देश्य

i. छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
ii. छात्रों में सद्वृतियों का विकास करना।
iii. छात्रों में संस्कृति एवं सौन्दर्य के प्रति मनोभाव का विकास करना।

3.3.2 द्वितीय भाषा-शिक्षण की विधियाँ

द्वितीय भाषा-शिक्षण हेतु निम्न विधियों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।

1. **परोक्ष विधि (Indirect Method)-** द्वितीय भाषा सीखने की यह प्राचीन विधि है। इस विधि से सीखने वालों को सर्वप्रथम मूल ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों तथा उसके व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। जिससे नई सीखी जाने वाली भाषा के शब्द व मुहावरों का भी सरलता से ज्ञान हो जाता है। लेकिन यह विधि प्रभावी नहीं है, क्योंकि अनुवाद द्वारा शिक्षा देने में विद्यार्थियों के समक्ष मातृभाषा ही रहती है तथा विद्यार्थी नई भाषा बोलने व लिखने में स्वयं को असमर्थ समझते हैं। केवल पठन पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा सीखने वालों को द्वितीय भाषा के व्याकरण का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। अप्रत्यक्ष विधि से सीखने वालों को सर्वप्रथम द्वितीय भाषा की मूल ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों तथा उसके व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम मातृभाषा के शब्द और वाक्य प्रस्तुत किये जाता हैं तत्पश्चात उनके लिए द्वितीय भाषा के शब्द और वाक्य बताये जाते हैं। इस विधि से दिवितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान भी मातृभाषा के व्याकरण के आधार पर ही कराया जाता है। इस प्रणाली में पढने-लिखने और अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता है और सब कुछ मातृभाषा में ही रहती है। इस लिए विद्यार्थी द्वितीय भाषा का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में दक्षता नहीं प्राप्त कर पता।
2. **प्रत्यक्ष विधि (Direct Method)-** इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी मातृभाषा सीखने के समान ही द्वितीय भाषा सीखता है। वह दिवतीय भाषा को शब्दों से नहीं वाक्यों से ग्रहण करता है। इस विधि में वार्तालाप की प्रधानता रहती है। सर्वप्रथम विद्यार्थी के सामने वस्तु अथवा क्रिया उपस्थित करते हैं, फिर उसके लिए द्वितीय भाषा के शब्द अथवा वाक्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जब विद्यर्थी नई भाषा बोलने लगता है तत्पश्चात उसे लिपि का ज्ञान कराया जाता है और वह पढने एवम लिखने की प्रक्रिया को सीखना आरम्भ कर देता है।
   इस विधि में विद्यर्थियों को द्वितीय भाषा का व्याकरण नहीं सीखाया जाता जिससे शुद्ध रूप से बोलना और लिखना कठिन हो जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है लेकिन इसे प्रयुक्त करने में कठिनाईया भी अधिक हैं। जैसे नवीन भाषा सीखने के लिए यह अवसर कुछ कक्षा-कक्ष घंटों में मिलते हैं। अत: कोई विद्यर्थी नवीन भाषा में शब्द ज्ञान से पहले बोलना सीख सकेगा, प्रायोगिक दृष्टि से यह कार्य आसान नहीं है।

3. **वेस्ट विधि (West's Method)-** इस विधि का प्रतिपादन डा0 माइकेल वेस्ट ने किया। इस विधि में सर्वप्रथम पठन की शिक्षा दी जाती है तथा मातृभाषा का प्रयोग भी वर्जित नहीं है। वेस्ट महोदय का तर्क है कि जब तक विद्यार्थी को द्वितीय भाषा के शब्दों एवम वाक्यों का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वे उसका लिखना व बोलना सीख ही नहीं सकते। उस विधि की एक विशेषता यह भी है कि इसमे पठन माला की पुस्तकों का अर्थ समझने के लिए सहायक पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है और रचना अभ्यास भी उन्हीं के आधार पर कराया जाता है। परन्तु भाषा की शिक्षा में पठन, लेखन और भाषण की शिक्षा अलग-अलग देने की बात युक्तिसंगत नहीं है।
4. **वाक्य संरचना विधि (Structural Method)-** इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा अंग्रेजी के समान रचना वाले वाक्यों का ज्ञान पहले कराया जाता है। विद्यार्थियों को कुछ चुने हुए शब्दों एवम ढाचों का अभ्यास करते-करते भाषा का ज्ञान तो हो जाता है, परन्तु बोलने का अवसर प्राप्त न होने के कारण उनके मौखिक संभाषण का अभ्यास नहीं हो पाता। अहिन्दी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें हिंदी के माध्यम से विचार-विनिमय करने योग्य बनाना होता है। अत: वार्तालाप पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है साथ ही अभ्यास की भी क्योंकि भाषा प्रयोग की वस्तु है।

   उपरोक्त वर्णित विधियों में से किसी एक विधि को राष्ट्रभाषा हिंदी (द्वितीय) के शिक्षण हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में स्थान, परिस्थिति तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर विधि-विशेष का प्रयोग करना चाहिए। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण के समय पढ़ना, लिखना और बोलने को साथ-साथ सीखाने की प्रक्रिया अपनाना श्रेष्ठ होगा।

अभ्यास के प्रश्न

1. प्राथमिक स्तर पर_____को प्रमुखता प्रदान की गयी।
2. हिन्दी भाषा की लिपि_____है।
3. हिन्दी शिक्षण के_____उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं।

3.4 प्रयोजनमूलक उद्देश्यों के लिए हिंदी का शिक्षण

प्रयोजनमूलक हिंदी शिक्षण का आज सर्वाधिक महत्व है। यह शब्दानुशासन का एक नया चरित्र है जिसके द्वारा हिंदी साहित्यिक भाषा मात्र न रहकर आधुनिक विविध विषयों के माध्यम की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। प्रयोजनमूलक भाषा समकालीन सरोकार से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से हिंदी को व्यावहारिक व सर्वग्राही बनाने की दिशा में कार्यालयों के उपयोगिता की दृष्टि से समृद्ध करने हेतु सन 1963 से प्रयोजनमूलक हिंदी शिक्षण पर बल दिया जाने लगा है। प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत प्राय:

परिसंवाद, पत्रलेखन, प्रतिवेदन लेखन, वार्तालाप, कार्यगोष्ठियाँ, सामूहिक वाद-विवाद, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर आदि का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.4.1 प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ

प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में 'प्रयोजन' शब्द के साथ 'मूलक' प्रत्यय लगने से प्रयोजनमूलक पद सृजित हुआ है। प्रयोजन का तात्पर्य उद्देश्य या प्रयुक्ति तथा मूलक से तात्पर्य आधारित है। अत: प्रयोजनमूलक भाषा का तात्पर्य किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी से आशय हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप या शैली से है जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। अत: साहित्येत्तर मानक भाषा को प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रयोजनमूलक हिंदी वह है जो लालित्य के बोझ से न दबकर खरी-खरी कहती है।

3.4.2 प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप

अंग्रेजी भाषा के शब्द (Functional) के पर्याय के रूप में प्रयोजनमूलक शब्द ग्रहण किया गया है इसलिए इसे प्रयोजनमूलक भाषा (Functional Language) तथा प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए (Functional Hindi) का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी को देखें तो जीविका के प्रत्येक क्षेत्र का अवलोकन करना पड़ेगा। वाणिज्य तथा व्यापार की हिंदी में मंडियों की भाषा, शेयर बाजार की भाषा, कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत प्रशासन और कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी ज्ञान और शिक्षा के विभिन्न शास्त्रों की हिंदी, इंजीनियरिंग के लिए तकनीकी हिंदी, कारखानों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी आदि के माध्यम से प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है।

अत: प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप बहुत विस्तृत है इसमें बाजार, मीडिया, प्रशासन, शिक्षा जगत, चिकित्सा, यातायात, उद्योग, वैज्ञानिक क्षेत्र, पर्यटन एवम तीर्थस्थान, गली-हाट तथा चौराहे सब सम्मलित हैं।

3.4.3 प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशेषताएँ

प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशेषताएँ निम्नवत हैं।

i. **वैज्ञानिकता-** प्रयोजनमूलक शब्द पारिभाषिक होते हैं। किसी वस्तु के कार्य-कारण सम्बन्ध के आधार पर उनका नामकरण होता है, जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ii. **अनुप्रयुक्तता-** उपसर्गों, प्रत्ययों और सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिन्दी की प्रयोजनमूलक शब्दावली स्वत: अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। इसलिए हिन्दी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है।

iii. **वाच्यार्थ प्रधानता-** हिन्दी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है। अत: ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नये शब्दों का निर्माण सम्भव है। इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है।

iv. **सरलता और स्पष्टता-** हिन्दी की प्रयोजनमूलक शब्दावली सरल और एकार्थक है, जो प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण है। प्रयोजनमूलक भाषा में अनेकार्थकता का दोष है। हिन्दी शब्दावली इस दोष से मुक्त है।

3.4.4 प्रयोजनमूलक हिन्दी का शिक्षण

प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी को वैशिविक प्रसार मिला है। हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरुप के विकास के कारण ही आज सम्पूर्ण भारत में हिंदी को समझने और बोलने वाले मिल जाते हैं। हिंदी का विकास राजकीय प्रयोजन से अलग माध्यमों के द्वारा हो रहा है, जिनमें चलचित्र, दूरदर्शन और उद्योग, व्यापार के विदेशी प्रतिष्ठानों का योगदान अधिक है। इसलिए आज हिन्दी के प्रयोजनमूलक संदर्भों से जो जुड़े हैं वे-

i. राजभाषा और उससे सम्बद्ध क्षेत्र (कामकाजी क्षेत्र)।
ii. पत्रकारिता
iii. श्रव्य माध्यम
iv. दूरदर्शन और चलचित्र
v. अनुवाद और उसके माध्यम के विज्ञान, तकनीक और व्यापार।

इन क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग का ज्ञान ही आज के उपभोक्तावादी सभ्यता में हिन्दी और हिन्दी भाषी को सम्मान दिला सकता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी में शिक्षण से आशय कामकाजी या व्यावहारिक हिन्दी के शिक्षण से है। यह भाषा जितनी सरल होगी उसकी बोधगम्यता उतनी ही बढ़ती जायेगी। कठिन तथा दुर्बोध शब्दों और वाक्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कर्मचारी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से प्रशिक्षित कर्मचारी बैंक, निगम, उपक्रम तथा सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तथा वे हिंदी की प्रयोजनशीलता को सिद्ध करने में लगे हैं। कई विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अनुवाद कौशल के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। अब अनुवाद कार्य आजीविका का साधन बन गया है। यदि कोई चाहे तो समर्पित भाव और एकाग्रता के साथ लक्ष्य का निर्धारण करके अनुवाद में अपना कैरियर बना सकता है, इन्टरनेट पर अनुवाद रोजगार प्रदान कर रहा है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी में अनुवाद शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद विश्व साहित्य का सेतु है। विभिन्न संस्कृतियों वाले वातावरण को समरस बनाने तथा एक दूसरे को नजदीक से समझने हेतु अनुवाद सशक्त माध्यम है। साहित्यिक अनुवाद तो सांस्कृतिक आवश्यकता है तथा हिन्दी भाषा का अनुवाद राष्ट्रीयता की पहचान है। इसके विविध कार्य क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों हेतु शिक्षण आवश्यक है। वाणिज्य

और व्यापार, कृषि शिक्षा, सेना, विज्ञान, सूचना एवम प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, विधि, प्रशासन, जनसंचार माध्यम, विज्ञापन एवम बैंकिंग आदि का शिक्षण कैसे किया जाय जिससे सभी क्षेत्रों में कार्य सुचारू रूप से चल सके तथा सभी क्षेत्रों जो जीवन के रोजमर्रा से जुड़े हैं की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके। प्रयोजनमूलक हिन्दी के लिए कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, यथा- व्याख्यान तथा विश्लेषण, संगोष्ठी तथा स्वाध्याय, दृश्य/ श्रव्य माध्यमों/ साधनों का प्रयोग, हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों की कामकाज सम्बन्धी जानकारी के लिए प्रत्यक्ष भेंट। इन शिक्षण विधियों के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि बदलते परिवेश के अनुसार उद्देश्य आधारित हिन्दी को विकृति से बचाया जाना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

4. प्रयोजन शब्द का तात्पर्य_____है।
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी का क्षेत्र_____है।
6. प्रयोजनमूलक हिन्दी लालित्य के बोझ से न दबकर_____कहती है।

3.5 स्वतंत्र भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों में हिंदी शिक्षण

भारतीय संविधान में राजभाषा नामक भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा सम्बन्धी प्रावधानों की चर्चा की गयी है। ये सभी अनुच्छेद मुख्यत: संघ और राज्यों की राजभाषा से सम्बंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता प्रदान की गयी है। स्वतंत्र भारत के सभी शिक्षा आयोगों ने शिक्षा के सभी स्तरों पर हिंदी भाषा को स्वकृति प्रदान की है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मातृभाषा एवम राष्ट्रभाषा के साथ ही विदेशी भाषा (अंग्रेजी) को स्थान प्रदान किया गया है, परन्तु आज भी अंग्रेगी प्रमुख भाषा बनी हुई है।

3.5.1 विश्वविद्यालय आयोग में हिंदी शिक्षण

स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग का गठन 4 नवम्बर सन 1948 को किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आयोग ने हिंदी शिक्षण के सम्बन्ध में कहा की उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर 3 भाषायें पढायी जाय जिनमें प्रादेशिक भाषा (Reginal Language) संघीय भाषा (FederalLanguage) तथा अंग्रेजी (English) को सम्मिलित किया जाय। साथ ही आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को बनाया जाय।

आयोग ने हिंदी भाषा को संघीय भाषा का दर्जा दिया साथ ही कहा कि राष्ट्रभाषा के लिए देवनागरी लिपि सर्वश्रेष्ठ है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है और राष्ट्रीय एकता को कायम करने में मददगार है।

आयोग ने यह सुझाव दिया था कि संघीय भाषा में अन्य स्रोतों से आये हुए शब्दों का समन्वय किया जाय और उसे समृद्ध बनाया जाय। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाय। राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कालेजों एवम विश्वविद्यालयों की सभी कक्षाओं में संघीय भाषा के शिक्षा की व्यवस्था करें।

3.5.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग में हिंदी शिक्षण

स्वतंत्र भारत का द्वितीय आयोग लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितम्बर 1952 ई0 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। आयोग का प्रमुख कार्यक्षेत्र भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं के स्थिति की जाँच करके उस पर प्रकाश डालना तथा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, विषय-वास्तु एवम शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन करना एवम सुझाव देना तथा माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित समस्याओं का पता लगाना था।

देश में हिंदी के स्थान पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए आयोग ने लिखा कि राज्यों में हिंदी के अध्ययन के लिए मुख्यत: चार प्रकार के प्रयास किये हैं।

i. कुछ राज्यों में हिंदी को अनिवार्य विषय बना दिया गया है और वह शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम है।
ii. कुछ राज्यों में हिंदी अध्ययन और परीक्षा के लिए अनिवार्य है किन्तु शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा है।
iii. कुछ राज्यों में हिंदी एक भाषा के रूप अनिवार्य विषय है और इसमे परीक्षा भी ली जाती है लेकिन परीक्षाफल को कक्षा-उन्नति का आधार नहीं बनाया गया है।
iv. कुछ राज्यों में हिंदी को पाठ्यक्रम में स्थान तो दिया गया है, परन्तु उसे ऐच्छिक विषय (Optional) विषय के रूप में रखा गया है।

आयोग ने हिंदी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करके इस बात पर बल दिया कि इसको विद्यालय स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाय। आयोग ने तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखा कि-

i. संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है।
ii. कुछ समय पश्चात हिंदी केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान की भाषा हो जायेगी।
iii. हिंदी अधिकांश लोगों विचारों के आदान-प्रदान की भाषा बन जायेगी।
iv. राजभाषा के रूप में हिन्दी राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता का विकास करेगी।
v. जो लोग हिंदी नहीं पढेंगे उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकेंगी और न तो वे हिंदी पढ़े-लिखे लोगों के विचारों को समझ सकेंगे।

आयोग ने माध्यमिक स्तर पर हिंदी को प्रमुख स्थान दिया साथ ही हिंदी की वैज्ञानिकता और सम्पन्नता का उल्लेख किया। यह राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने में सक्षम है तथा राष्ट्रीय विकास का आधार है। वर्तमान समय में यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने हेतु अग्रसर है।

3.5.3 शिक्षा आयोग में हिंदी शिक्षण

स्वतंत्र भारत में राधाकृष्णन आयोग एवम मुदालियर आयोग की नियुक्ति के पश्चात् उनके सुझावों पर पूर्णतया अमल भी नहीं हो पाया तथा परिणाम परिलक्षित नहीं हुए कि भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 ई0 को एक नए आयोग का गठन करके देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का साहस दिखाया। यह आयोग पिछले आयोगों से कई स्तरों पर भिन्न था तथा अपने अन्दर व्यापकता को समेटे हुए था। इसे शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच कर संतुलित एवम संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास कर राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण योग प्राप्त करने का दायित्व सौंपा गया। इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे।

आयोग ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मातृभाषा के पश्चात् महत्वपूर्ण स्थान दिया। आयोग का मानना था कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा में बौद्धिक आदान-प्रदान की भाषा हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता के लिए विचार-विनिमय की भाषा हिंदी ही हो सकती है। इसलिए भारत के सभी भागों में हिंदी का प्रसार किया जाना आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो सके।

हिंदी को समूह की सम्पर्क भाषा होनी चाहिए, सम्पूर्ण भारत के आंतरिक सम्प्रेषण का माध्यम होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए, किन्तु इसे किसी पर लादा नहीं जाना चाहिए। हिंदी को केंद्र और राज्य की कार्यालयी भाषा होनी चाहिए। आयोग का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे लड़के-लड़कियां हिंदी का गहनता से अध्ययन करेंगे और उन्हें प्रेरणा प्राप्त होगी। ज्ञान और संस्कृति के पोषण हेतु हिंदी का ज्ञान आवश्यक है।

अभ्यास के प्रश्न

7. विश्वविद्यालय आयोग का गठन _____हुआ।
8. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष_____थे।
9. _____के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे।
10. त्रिभाषा सूत्र को_____लागू करने की सिफारिश की।

3.6 स्वतंत्र भारत की विभिन्न शिक्षा नीतियों में हिंदी शिक्षण

किसी भी राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में उस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था एवम शैक्षिक गुणवत्ता का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में विकास शिक्षा के विकास पर ही निर्भर करता है। शिक्षा के प्रसार में आधिकाधिक वृद्धि करके तथा शिक्षा स्तर का यथासम्भव उन्नयन करके राष्ट्रीय विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात् (1964-66 ई0 में) गठित कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया था जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने सन 1968 ई0 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की घोषणा की। प्रथम

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के उपरान्त सन 1979 ई0 एवम 1986 ई0 में भी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति सामने आयी। सन 1992 ई0 में भी 1986 ई0 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में संशोधन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की घोषणा की। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 2016 प्रस्तावित है।

3.6.1 राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1968 ई0 में हिंदी शिक्षण

हिंदी का विकास करने के लिए हर सम्भव प्रयास होने चाहिए। हिंदी का सम्पर्क भाषा के रूप में विकास करते समय भारत के मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने में समर्थ हो सके इसका ध्यान रखना चाहिए। अहिन्दी भाषी राज्य में उच्च शिक्षा के साधन के रूप में ऐसे कालेजों एवम अन्य संस्थाओं की स्थापना पर जोर देना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जो माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने बात कही गयी है।

हिन्दी भाषी राज्यों में-

a. हिंदी
b. अंग्रेजी
c. किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमे किसी दक्षिणी भाषा को वरीयता प्रदान की जाय।

अहिन्दी भाषी राज्यों में-

a. क्षेत्रीय भाषा
b. अंग्रेजी
c. हिंदी

राज्य सरकारों को चाहिए कि वे माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को दृढ़ता पूर्वक क्रियान्वित करे। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन की आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है। अत: अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषओं के अध्ययन पर विशेष बल देने आवश्यकता है।

3.6.2 राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1979 ई0 में हिंदी शिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1979 की प्रस्तावना में कहा गया है की "शिक्षा की आदर्श प्रणाली को लोगों को यह जानने के लिए तत्पर बनाना चाहिए कि उनकी शारीरिक एवम बौद्धिक क्षमताएँ क्या हैं और इसका अधिकतम विकास किस प्रकार किया जा सकता है। आदर्श शिक्षा-प्रणाली लोगों में सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करके उनमें उत्तम चरित्र का विकास करती है और समाज के उत्तरदायी सदस्यों के रूप में उन्हें उत्तम जीवन व्यतीत करना सिखाती है।"

व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं का विकास उनके मातृभाषा में होती है। इस नीति के अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम हेतु क्षेत्रीय भाषओं का सुझाव दिया गया तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को

अपनाने पर बल दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की वकालत की गयी। नीति में कहा गया है कि अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की भी व्यवस्था रहेगी जिससे छात्र नवविकसित ज्ञान के सम्पर्क आ सकेंगे।

इस शिक्षा नीति में मातृभाषा के विकास के साथ ही क्षेत्रीय भाषा के विकास पर बल दिया गया। भारतीय प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रचार हेतु प्रयास करने एवम अन्य शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गयी है। हिंदी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास करने एवम उर्दू एवम सिन्धी का विकास करने की इच्छा जतायी गयी है।

3.6.3 राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 ई0 में हिंदी शिक्षण

स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, समान नागरिकता तथा संस्कृति की भावना एवम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना रहा है। इस नीति ने शिक्षा-प्रणाली के क्रांतिकारी नवनिर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है। सभी स्तरों पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार, विज्ञान तथा तकनीकी पर विशेष ध्यान, नैतिक मूल्यों के विकास तथा जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने पर बल दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हिंदी शिक्षण के स्थान का प्रश्न है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के सूत्र को स्वीकार कर लिया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को प्रमुखता दी गई है तथा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार करने का संकल्प दोहराया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार एक सामान्य पाठ्यक्रम की संरचना है, जिसमें सामान्य मूल विषयों के साथ-साथ अन्य विषय लचीले होंगे। सामान्य मूल विषयों में भारतीय स्वाधीनता का इतिहास, संवैधानिक प्रतिबन्ध तथा राष्ट्रीय एकता के अन्य तत्व होंगे। ये वो तत्व होंगे जिससे भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, जनतंत्र, धर्म-निरपेक्षता के मूल्यों का विकास लिंग भेद के बिना होगा। वातावरण की रक्षा, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, छोटे परिवार के मानकों का निर्माण तथा वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो। सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार बनाये जायेंगे जो धर्म-निरपेक्ष मूल्यों को पूरी निष्ठा के साथ विकसित कर सकें। किन्तु ये बातें या योजनाएँ तभी सफल होंगी जब भाषा की समझ हो। राष्ट्र भाषा हिंदी तथा विदेशी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाय इसे भी ध्यान में रखना होगा।

3.6.4 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में हिंदी शिक्षण

सन 1990 में केन्द्रीय सरकार ने 1986 की नीति का पुनरीक्षण करने के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति' (National Policy of Education Review Committee-NPERC) की नियुक्ति की। समिति ने 26 दिसम्बर 1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 9 जनवरी 1991 को संसद में इस रिपोर्ट को रखा गया तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central

Advisory Board of Education-CABE) ने अपनी बैठक में इसे अंगीकृत करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु मंडल के अध्यक्ष से एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की।

पुनरीक्षण समिति की चार बैठकें हुई। चौथी बैठक दिल्ली में 21-22 जनवरी 1992 को हुई। इन बैठकों में पुनरीक्षण समिति पर विचार-विमर्श किया गया और उसको लागू करने के उपायों पर विचार किया गया। भारत सरकार ने इसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किये।

पुनरीक्षण समिति ने हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकास करने पर बल देते हुए त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया। समिति ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा में हिन्दी को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही। समिति ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करें। तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

अभ्यास के प्रश्न

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में माध्यमिक स्तर पर_____सूत्र को क्रियान्वित करने पर बल दिया गया।
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में मात्रभाषा के साथ-साथ _____भाषा के विकास पर बल दिया गया।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर पर_____को प्रमुखता दी गयी है।
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष_____थे।

3.7 सारांश

भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं है, फिर भी हमारी उन परम्पराओं को देखते हुए कि जिन्होंने हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को महत्व दिया है उनका निर्वाह आवश्यक है। इसमें किसी तरह का शक नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे।

सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना; उस बुनियाद को जिसमे यह सुनिशिचित हो कि जो इस पिरामिड के शिखर पर हों, वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृति के मूल-स्रोतों ने भलीभांति सिंचित रखा, लेकिन विदेशी आधिपत्य एवम प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया। अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास पुन: शुरू होना चाहिए जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए।

विभिन्न स्तरों पर हिन्दी शिक्षण का अनुमोदन स्वतंत्र भारत के सभी शिक्षा आयोगों, शिक्षा समितियों और शिक्षा नीतियों द्वारा किया गया। परन्तु आज भी हिन्दी शिक्षण में गुणात्मक सुधार

परिलक्षित नहीं होता। त्रिभाषा सूत्र को सभी नीतियों द्वारा लगभग स्वीकार किया गया है, फिर भी हम आज हिन्दी को सम्पर्क भाषा के अतिरिक्त कुछ और मानने को तैयार नहीं हैं। यह तथ्य सही है कि जिस स्तर का मानसिक विकास मातृभाषा में होगा वह किसी अन्य भाषा में नहीं हो सकता। फिर भी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित करना है तो विदेशी भाषओं की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, किन्तु इस आधार पर कभी नहीं कि हिंदी को नया रंग देकर विदेशी प्राध्यापकों को नियुक्त करना पड़े।

हिंदी की प्रयोजनमूलकता को ध्यान में रखते हुए समकालीन नवाचारों में इसे स्थापित करना होगा। क्योंकि भाषा का प्रयोजन तो अभिव्यक्ति ही है। और यही अभिव्यक्ति लोकहित का उद्देश्य धारण कर देश और काल की सीमा से परे होकर साहित्य हो जाता है।

3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. मातृभाषा
2. देवनागरी
3. चार
4. उद्देश्य या प्रयुक्ति
5. विस्तृत
6. खरी-खरी
7. नवम्बर 1948
8. मुदालियर
9. शिक्षा आयोग
10. कोठारी आयोग
11. त्रिभाषा
12. क्षेत्रीय
13. मातृभाषा
14. आचार्य राममूर्ति

3.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. झाल्टे, दंगल (2002). प्रयोजनमूलक हिन्दी सिधांत और प्रयोग. दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
2. पांडेय, कैलाशनाथ (). प्रयोजनमूलक हिन्दी की भूमिका. दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
3. श्रीवास्तव, रविन्द्रनाथ (1987). प्रयोजनमूलक हिन्दी. आगरा: केन्द्रीय हिन्दी संस्थान।
4. गोदर, विनोद (2001). प्रयोजनमूलक हिन्दी. दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

5. Kochhar, S.K. (1984). Pivotal Issues in Indian Education. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
6. सिंह, कुमार वीरेन्द्र (2006). परीक्षा मंथन. इलाहाबाद: मंथन प्रकाशन।
7. शर्मा, खेमराज व शर्मा, ब्रजराज (2011). हिन्दी शिक्षण. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
8. चोपड़ा, रविकांता व व्यास आनन्द प्रकाश (1998). मातृभाषा हिन्दी शिक्षण. दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद।
9. पाण्डेय, रामशकल (2014). हिन्दी शिक्षण. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
10. सिंह, सावित्री (2007). हिन्दी शिक्षण. मेरठ: इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।
11. लाल, रामन बिहारी (2017). हिन्दी शिक्षण [हिन्दी शिक्षण विज्ञान]. मेरठ: आर0 लाल बुक डिपो।
12. त्यागी, गुरसरन दास (2011). भारत में शिक्षा का विकास. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
13. जौहरी, बी0 पी0, व पाठक, पी0 डी0 (2009). भारतीय शिक्षा का इतिहास. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
14. भटनागर, सुरेश (2005). कोठारी कमीशन और शैक्षिक परिवर्तन. मेरठ: आर0 लाल बुक डिपो।
15. तिवारी, भोलानाथ (2015). भाषा विज्ञान. इलाहाबाद: किताब महल।
16. गुप्ता, एस0पी0 (2008) आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन।
17. राय, अनिरूद्ध (संपादक) (1996) हिन्दी शिक्षण पाठ योजनाएँ नई दिल्ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
18. रस्तोगी, गोपाल कृष्ण व अन्य (1998) मातृभाषा हिन्दी शिक्षण नई दिल्ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

3.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. द्वितीय भाषा की कौन-कौन शिक्षण विधिया हैं?
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी किसे कहते हैं?
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी की विशेषताएँ बताइए?
4. त्रिभाषा सूत्र की प्रासंगिकता क्या है?
5. हिन्दी शिक्षण पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के विचारों को स्पष्ट कीजिए?

इकाई 4- भारत में हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा शिक्षण की प्रस्थिति

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी की स्थिति
4.4 हिंदी भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
4.5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975
4.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988
4.7 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2000
4.8 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005
4.9 सारांश
4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
4.12 सहायक सामग्री पाठ्य सामग्री
4.13 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

आप इस इकाई में हिंदी भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी के विकास की यात्रा भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना के विकास से जुड़ी हुई है। हिंदी भाषा ने भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान द्वारा इसे राजभाषा के रुप में स्थापित किया गया। शिक्षा के प्रचार-प्रसार पढ़ने वालों की संख्या की वृद्धि साहित्य, रेडियो, सिनेमा का प्रचार बड़े नगरों का विकास यातायात की सुविधा, सैन्य गतिविधि, सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण वह अधिक संस्थानों व विश्वविद्यालयों में हिंदी का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब यह राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इस इकाई में आपको हिंदी भाषा क्षेत्र, हिंदी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की जानकारी के साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975, 1988, 2000, 2005 का परिचय भी मिलेगा।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. आप हिंदी भाषा व उसका क्षेत्र जान सकेंगे।
2. स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा की स्थिति से अवगत हो सकेंगे।
3. राजभाषा भाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप में समझ सकेंगे।
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975, 1988, 2000 व 2005 की शिक्षा में क्या भूमिका है, यह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
5. राजभाषा, राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को समझ सकेंगे।
6. वर्तमान में हिंदी भाषा की स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे।

4.3 स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी की स्थिति

राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम 1857 तक भारत पर अंग्रेजी शासन पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ इंग्लैंड से भारत आने वाले अधिकारियों के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक कर दिया गया था। विदेशी सत्ताधारियों के अंतर्गत भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक परिस्थितियों में काफी उतार-चढ़ाव आया। इसी तरह नवजागरण काल के प्रादुर्भाव से लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, उनमें विदेशी शासकों के प्रति आक्रोश का भाव बढ़ने लगा, प्रेस की स्थापना, भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव, मैकाले की शिक्षा नीति, भारतेंदु, महावीर, प्रसाद ,द्विवेदी जैसे रचनाकारों के हिंदी भाषा को और मजबूत करने का प्रयास और तेज हो गया। भारतेंदु ने कहा है

"निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल"

उत्तरोत्तर काल में स्वाधीनता संग्राम और भी तीव्र होता चला गया। स्वदेशी की भावना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीयता की भावना की ज्योति लोगों के दिलों में जली। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु जैसे धार्मिक नेताओं सामाजिक व धार्मिक आंदोलन से जुड़े लोग यह समझने लगे कि भारत में एकता व अखंडता के लिए उसका एक सूत्र में बंधना बहुत ही आवश्यक है और यहां एक सूत्र में बांधने का काम हिंदी सही भाव से कर सकती है क्योंकि एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए भाव विचार समझना हिंदी के द्वारा ही संभव है।

यहां तिलक का यह कथन उल्लेखनीय है – "राष्ट्रीय संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके, हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है।" इसके अलावा बोस, अयंगर, मदन मोहन मालवीय, लोहिया आदि नेता भी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे। उन्होंने भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखने में हिंदी को सक्षम मानते हुए उसे राष्ट्रभाषा बनाने की अनिवार्यता पर बल दिया। 19वीं सदी में हिंदी

गध का उपयोग होने लगा, विभिन्न पुस्तक से जुड़ी सोसाइटी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ,वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी विद्यापीठ बॉम्बे आदि संस्थाएं और धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इसके प्रचार प्रसार में आगे थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि भी उल्लेखनीय है। 1918 में इंदौर के आठवें हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने कहा – "मेरा यह मत है की हिंदी को ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव का प्रदान करें, हिंदी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बना कर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए।" इसी तरह भारत के अलग-अलग भाग में हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम तेजी से बढ़ने लगा। यहां यह बता देना आवश्यक है कि सर्वप्रथम एडवर्ड टेरी ने *वॉइज टू द ईस्ट इंडीज* नामक अपने यात्रा विवरण में (1665 में प्रकाशित) हिंदुस्तानी को भारत की बोलचाल की भाषा कहा है। 1704 में तूरोनेसिसि ने *'लैक्सिकन लिंग्वा हिंदुस्तानीका'* नामक ग्रंथ दक्षिण भारत में व्यापार कर रहे डचो को हिंदुस्तानी सीखने के लिए लिखी । 1715 में जेजे कैटेलेयर ने डच भाषा में हिंदुस्तानी का प्रथम व्याकरण शिक्षण के लिए प्रस्तुत किया, लाएडेन 1743 में इसका लैटिन अनुवाद किया। 1727 में हैमिल्टन ने अपनी यात्रा विवरण में मुगल राज्य में हिंदुस्तानी भाषा के विषय में लिखा है। 1852 ईसवी में गार्सा द तासी ने भी अखिल भारतीय हिंदी स्वरूप को स्वीकार किया साथ ही ग्रियर्सन ने भी हिंदी की अखिल भारतीय सत्ता को स्वीकार किया।

उन्नीसवीं शताब्दी में द्विवेदी व छायावादी युग तक आते-आते यह पूरी तरह से परिष्कृत, भाव व अभिव्यक्ति में समर्थ, राष्ट्रभावना के ओज से ओतप्रोत पूर्ण परिपक्व भाषा के रुप में स्थापित हो गई।

वर्तमान में हिंदी भारत के सबसे बड़े भू भाग में बोली जाने वाली भाषा है। प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल,बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा ,हिमाचल प्रदेश व दिल्ली आते हैं। इसके अलावा यह भारत के लगभग सभी भागों में बोलियों का समूह है। केलाग के हिंदी भाषा की व्याकरण में हिंदी के रूप में जिनको सम्मिलित किया है, उनके नाम हैं- कन्नौजी, ब्रज ,मारवाड़ी, मेवाड़ी ,गढ़वाली ,कुमाऊनी, नेपाली, पुरानी बैसवारी, अवधी ,रिहाई, भोजपुरी, मैथिली।

डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के आधार पर हिंदी को दो भागों में बांटा है- पूर्व हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी। 1950 ईस्वी में डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने हिंदी की ग्रामीण बोलियों में लिखा है-" खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक रूप त्तर हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी।" इसको ही ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदुस्तानी नाम दिया है।

हिंदी व उनकी उपभाषाओं के बीच इतनी बोधगम्यता स्थापित है कि कभी-कभी यह पहचानना मुश्किल हो जाता है, वह दो अलग-अलग बोलियां हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रुप में स्थापित करने का लक्ष्य ही था कि ऐसी सरल सुगम भाषा जो सभी निवासी बोलते हो तथा वह संपूर्ण भारत को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवहार में प्रयुक्त की जा सके।

हिंदी को भारत में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा व सांस्कृतिक भाषा का दायित्व मिला है। संसार के सभी देश की अपनी अपनी मातृभाषा है, यह भाषा का पहला रूप है जो कि मां से ग्रहण की गई भाषा के रूप में जानी जाती है। भारत के संदर्भ में मातृभाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं भी है। भारत में बोलियां अनेक है, किंतु मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा 22 है। इन भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भाषा का दूसरा रूप राष्ट्रभाषा है जो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, और वहां के निवासी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारत के गणतंत्र की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में स्वीकार किया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात कुछ नेता गांधीजी द्वारा समर्पित हिंदुस्तानी को राजभाषा मान रहे थे, जबकि दूसरा पक्ष अहिंदी भाषा प्रदेश अंग्रेजी को राजभाषा बनाना चाहता था। राजभाषा की समस्या वह पूरे देश के लिए राष्ट्रभाषा चुनने के प्रश्न पर भारत के संविधान निर्मात्री सभा में जबरदस्त चर्चा चली, जिसमें लगभग कई संशोधन प्रस्तुत किए गए, अंत में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी- आयंगर फार्मूले को स्वीकार कर, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 तक है। संविधान के परिशिष्ट की अष्टम अनुसूची में भी मुंशी आयंगर फार्मूले के अंतर्गत रखी गई है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया इसलिए 14 सितंबर के दिन को हम *हिंदी दिवस* के रुप में मनाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का प्रावधान है , अनुच्छेदों को चार अध्याय में बांटा गया है- संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की भाषा एवं विशेष निर्देशन।

- **अनुच्छेद 343**

i. संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी
ii. संघ के राज्य के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाला अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
iii. खंड-1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राज्य के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी ।
iv. परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधी में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे ।
v. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, उक्त 15 साल की अवधि के पश्चात- अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेंगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो।

- **अनुच्छेद 351 -** अनुच्छेद 351 में हिंदी कई के विकास का प्रसार के विषय में विशेष निर्देश दिया गया है -"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्राकृतिक में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मगत करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उनके शब्द भंडार के लिए मुख्यता संस्कृत से और गोंडा अब है अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।"
- **अनुच्छेद 350 -** अनुच्छेद 350 किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

हिंदी भाषा से संबंधित अन्य अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 344 -** । इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी की प्रगति का लेखा-जोखा रखा जाएगा। राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तथा उसके बाद हर वर्ष 10 वर्ष में एक बार आयोग का गठन करेगा। यह आयोग हिंदी के प्रयोग के विषय में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।
- **अनुच्छेद 345 -** यह अनुच्छेद राज्य की भाषा से (प्रादेशिक भाषा) से संबंधित है। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य में 15 वर्ष के अंदर अपनी कोई भाषा अंगीकार कर लेता है, तो वह लागू हो जाएगी अन्यथा उसे हिंदी भाषा का प्रयोग करना होगा।
- **अनुच्छेद 344** की विभिन्न धारा अनुच्छेद 343 से 347 तक प्रादेशिक भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 348 से 349 में उच्चतम न्यायालय ले वह उच्च न्यायालय की भाषा का विधान है। अनुच्छेद 346 - यह अनुच्छेद इस बात से संबंधित है कि विभिन्न राज्यों में परस्पर किसी भाषा का प्रयोग होगा। उन्हें आपस में इस बात का निर्णय करना होगा, निर्णय ना होने की स्थिति में हिंदी को ही व्यवहार में लाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 347** - इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त लोग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दिए जाने की मांग करते हैं, तब राष्ट्रपति ऐसे अनुमति दे सकते हैं।
- **अनुच्छेद 348** - इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय की भाषा तब तक अंग्रेजी होगी, जब तक की हिंदी उसका पूर्ण स्थान नहीं ले लेती। किंतु उच्च न्यायालय की मांग पर राज्यपाल उच्च न्यायालय में उस राज्य की भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।
- **अनुच्छेद 349** - इसके अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए समय-समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से संसद राजभाषा के संबंध में अधिनियम बना सकती है।

- इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में संविधान में स्वीकृति भाषाओं में से किसी भी भाषा पर बहस हो सकती है। सदन के सदस्य किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। अनुच्छेद 210 के अनुसार विधानसभा में भी अपने राज्य की मान्यता प्राप्त भाषाओं में कार्य कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रथम संशोधन के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 350 के साथ 350 अ, 350 व जोड़े गए इसके द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान का यह संशोधन सन 1956 में पारित किया गया। दूसरे संशोधन के द्वारा संविधान की अष्टम अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में मान्यता प्राप्त राज्य भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है-

असमिया	बंगला	बोडो	डोंगरी	गुजराती	हिंदी
कन्नड़	कश्मीरी	कोंकणी	मैथिली	मलयालम	मणिपुरी
मराठी	नेपाली	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	संथाली
सिंधी	तमिल	तेलुगू	उर्दू		

स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1951- 53 का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। इस आयोग ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत सारी सिफारिशें पेश की प्रस्तुत की\ 1964 66 में कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों और आयामों को ध्यान में रखते हुए एक दस्तावेज तैयार किया जो कि भारत की शिक्षा प्रणाली में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी आयोग की अनेक सिफारिशों को शिक्षा नीति 1968 का आधार बनाया गया था। विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम लिए गए।

लोगों के शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर जोर देना व नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के विकास के प्रति जागरुकता लाना । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित 1992 में सामान्य शैक्षिक प्रणाली 10+2 +3 पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर किया गया गया। इसके अनुसार शिक्षा के हर स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर करने की बात की गई। इस दौरान ncert विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र एक अग्रणी संस्था के रूप में होगी, पाठ्यचर्या का विकास, पाठ्यक्रम रचना, पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन आदि की प्रक्रिया में यह अग्रणी भूमिका निभा रही है, साथ पाठ्य पुस्तक रचना से जुड़े तकनीक व शोध तकनीक व शोध राज्य शिक्षा संस्थान शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना में भी मुख्य भूमिका निभा रही है।

4.5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975

10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यचर्या :एक रूपरेखा 1975 के शिक्षा आयोगों पूर्व के शिक्षा आयोगों को ध्यान में रखते हुए 1972 में पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें 1973 में कुछ संशोधन किए गए थे इसी दौरान 1973 में ही शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने 10+2 प्रणाली का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए उप समितियां बनाई गई थी ।1976 में इस में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ncert को भी शामिल किया गया, अंततः अगस्त 1975 में पाठ्यक्रम प्रारूप प्रचार करने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें देशभर के लगभग 200 शिक्षाविदों को शामिल किया गया।शिक्षा आयोग 1964 66 में बेसिक शिक्षा की श्रेष्ठ तत्वों को शामिल करते हुए शिक्षा को राष्ट्र के जीवन आवश्यकता व आकांक्षाओं के साथ संबंध संबंध संबद्ध करने के लिए आंतरिक परिवर्तन पर बल दिया गया था ।देश में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना ,नई विधियों को समझना जानना ,विद्यालय में पाठ्यक्रम शिक्षण, सीखने की विधियों -सामग्रियों ,मूल्यांकन, प्रवेश नीति, समय-सारणी में लक्षित प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए, कक्षा प्रथम कक्षा से बारहवीं तक पाठ्यक्रम निर्माण की सबसे प्रमुख समस्या कार्य पर उसके पक्षों पर बल दिया जाए, ताकि शिक्षा में समाज की बदलती सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान व टेक्नोलॉजी का ध्यान के अंतर्गत एक समान पाठ्यक्रम का विकास अनिवार्य किया जा सके। पाठ्यक्रम में जनजीवन की जरूरतों का स्वरूप होना चाहिए। स्कूली शिक्षा में विज्ञान व गणित के स्तर को सुधारते हुए उनकी नवीनीकरण करने के विषय पर चर्चा की गई जिससे बच्चों की जिज्ञासा भी बढ़ाई जा सके। उन्हें एक खोज की वैज्ञानिक विधि बताई जा सके, स्कूल में कार्य केंद्रित शिक्षा जिससे हाथों के प्रयोग द्वारा सीखने उत्पादन करने के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के प्रति विचार विचार निर्माण के अवसर प्राप्त किए जा सके। भारत जैसे विभिन्न उप संस्कृतियों व धर्म के देश के अंतर्गत लिंग, जाति, धर्म, भाषा क्षेत्र पर आधारित भेदभाव को ना मानते हुए जनतांत्रिक मूल्यों का विकास सामाजिक न्याय व चेतना राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूला जिस में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो लागू किया जाना चाहिए, शारीरिक शिक्षा चरित्र निर्माण, मानव मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता, कलात्मक अभिव्यक्ति व अनुभव का विकास छात्रों की अभिरुचियों को अभिव्यक्ति की शैलियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाए। बच्चों में विकास के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक ,भावात्मक क्षेत्रों में व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से विकास करने के लिए सीखने व सिखाने की प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि वह समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करे,अपनी गति से आगे बढ़े। बच्चों पर किताबों का बोझ ना हो रटने की पद्धति की जगह खुद या स्वयं शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी पद्धतियों को व्यवहार में लाना चाहिए जिसके द्वारा बच्चे की रुचि में भी विस्तार हो और वह अपनी गति से सीखने व विकास करने की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सके ।स्कूलों में बहुस्तरीय प्रवेश ,विषय मे सत्रीय सेमेस्टर प्रणाली से मूल्यांकन का दबाव कम करना, पाठ्यक्रम की इकाइयों को लघु इकाइयों में विभाजित करने से शिक्षण प्रक्रिया सार्थक, तार्किक व उचित क्रम में स्थापित की जा सकती है। पिछड़े क्षेत्र से आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अलग

इकाइयों की स्थापना जिसमें वह गणित, विज्ञान, चित्रकला आदि में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। साथ कमजोर बच्चों को उपचार इकाइयों अथवा इकाइयों के माध्यम से विशिष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत पाठ्यक्रम व संसाधनों की उपलब्धता करवाई जा सके। मूल्यांकन प्रणाली रटंत प्रक्रिया से दूर की जा सके, प्रत्येक विषय की वार्षिक परीक्षा के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए उद्देश्यों का निश्चित किया जाना आवश्यक है। आवश्यक साधनों और विधियों का प्रयोग विद्यार्थी कार्य में वह शिक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन में भी किया जाना चाहिए। बच्चों को अ फेल किए जाने की बजाय उनकी कमियों को उपचार पाठ्य के द्वारा दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में एकरूपता व लक्ष्य का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए, समय-समय पर पाठ्यक्रम को संयोजित व सुसंबद्ध करने व योजनाबद्ध तरीके से उसके विकास के लिए अभी अनुसंधान व विकास के कार्यक्रम चलाए जाते रहने चाहिए, जिससे क्रमबद्ध रूप से उसका विकास होता रहे पाठ्यक्रम में के द्वारा स्कूली बच्चों को पाठ्य विषय समय विभाजन अधिगम अध्यापन अनुभव सहायक सामग्री विषय अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य विषयवस्तु अधिगम परिणामों का मूल्यांकन अध्यापकों का अभिभावकों का पश्च पोषण अवश्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975 के अंतर्गत यह क्या यह भी कहा गया इसके उद्देश्य शिक्षा जीवन के लिए तथा स्वयं सीखने के लिए तैयार कर सकें 1) साक्षरता 2) ज्ञान 3) राष्ट्रीय प्रतीक4) जनतांत्रिक पद्धति हाथ से काम करना अच्छा समझने का दृष्टिकोण 5)स्वच्छता व स्वच्छ जीवन स्वस्थ जीवन जीने के प्रति ललक आदत सहकारिता की भावना का विकास करना 6)सर्जनात्मक कार्यों के माध्यम से अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। प्रथम भाषा के क्षेत्र में बच्चों को प्रथम स्थान पर इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नमूनों को समझ सके सर्जनात्मक लेखन का प्रारंभ कर सके, द्वित्व भाषा का ज्ञान स्तर तक मिलना चाहिए कि वह स्वयं को भली-भांति अभिव्यक्ति कर सके व तृतीय भाषा का स्तर इस तरह होना चाहिए कि वह तथा छात्र स्वयं पाठ को पढ़कर समझ सकें और उसके अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा के प्रथम 10 वर्षों में सब विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए 9 वी व 10 वीं कक्षाओं में पाठ्यक्रमों के परिवर्तन में कोई की कोई योजना नहीं है अथवा अतः दसवीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिए गणित विषय अनिवार्य रहेगा सामान्य शिक्षा का स्तर इतना होना चाहिए ताकि अथवा छात्र आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक आधार का निर्माण भी कर सके और साथ ही दैनिक समस्याओं का सामना करने की योग्यता का विकास भी कर सकें। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया मे कुछ मूलभूत तत्व की तरफ ध्यान देना आवश्यक है जैसे -सुगम से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, संपूर्ण से खंडों की ओर, सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा इन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक स्थिति असंगत शब्द वह तर्कपूर्ण अनुभवों के मेल के द्वारा मनोवैज्ञानिक पद्धति से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जा सके। प्रशंसा वा मान्यता से बच्चा अधिक सीखने का प्रयास करता है इसलिए बच्चों के अर्जित ज्ञान को स्वीकार करते हुए उसकी अभिव्यक्ति ,विषय संबंधी ज्ञान को मान्यता प्रदान की जाए साथी उसके समक्ष ऐसी स्थितियां व समस्याएं रखी जाए जिसमें वह अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग करें और स्वयं उच्च शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें क्योंकि इससे इच्छा की के विकास का स्तर बढ़ जाता है और वह स्वयं भी अधिक ही ज्ञान अर्जन की क्षमता रखता है

4.6 प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

एक रूपरेखा 1988 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आलोक में यह लेख है कि नवीन नीति के विभिन्न मानदंडों के क्रियान्वयन की प्रगति और उससे समय-समय पर पड़ने वाली दृष्टि को सुनिश्चित करने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर अपलोड करना आवश्यक होगा ।इसी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1988 नामक दस्तावेज को तैयार किया गया इसमें भाषा शिक्षण और शिक्षा के माध्यम से जुड़े मुद्दे कॉमन स्कूल की संरचना की आवश्यकता सामाजिक समरसता से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय एकता को शैक्षिक प्रक्रिया से जोड़ने का काम किया गया सामान्य केंद्रीय तत्व, सतत और व्यापक मूल्यांकन स्वतंत्र लचीलेपन के तत्व व्यावसायिक शिक्षा की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अधिगम स्तर , मूल्य शिक्षा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी व्यवस्था के प्रबंधन आदि की जवाबदेही को भी जोड़ा गया। पर्यावरण शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन के लिए कला का संकेतन सभी धर्मों के शिक्षा सामाजिक विज्ञान में विषयवस्तु आधारित समय समझ पैदा करने वाले समय कितना काम दे ज्ञान प्रौद्योगिकी आदि का समावेश इस सर्विस की प्रमुख अंग है। भाषाई कौशल में मौखिक एवं मूल्यांकन प्रणाली व्यक्तिगत और समूह मूल्यांकन नवीन तत्वों को भी इसमें समेकित किया गया वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए देशभक्ति और राष्ट्रीयता की अनुभूति छात्रों को करवानी आवश्यक है। 1977 में ईश्वर भाई कमेटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975 का के ऊपर पुनर्विचार किया ,1988 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम में 1986 की शिक्षा नीति की झलक आसानी से दिख जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत यह बातें भी कही गई कि छोटे बच्चों को सामूहिक गतिविधियों का खेल के द्वारा शिक्षा का परिचय दिया जाएगा उन्हें भाषा व नंबर संबंधी ज्ञान देने के लिए क्रियात्मक खेलों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी इससे बच्चों में आनंदमई शिक्षा का प्रसार हो शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को ही सर्वोत्तम माना गया तथा प्रादेशिक भाषाओं को भी प्राथमिक शिक्षा के प्रथम 2 वर्षों में जगह दी गई स्कूलों का शिक्षण समय 200 दिन परीक्षा अवधि वह अन्य क्रिया कलापों के शामिल होने के साथ रखा गया। उच्च प्राथमिक वह माध्यमिक स्तर के स्कूलों का समय 6 घंटे जिसमें से 5 घंटे शिक्षा और शेष अन्य गतिविधियों के लिए रखे जाएंगे कक्षा का समय तकरीबन 40 मिनट का रखा जाएगा।

4.7 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2000

विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पाठ के पूर्व अंकों में आपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975 व 1988 में पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी जानकारियां प्राप्त की साथ ही (ncert) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए सार्थक प्रयास को पढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या: एक रूपरेखा तथा कार्य योजना

1992 में ज्ञान की उत्कर्ष व आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया और नवी पंचवर्षीय योजना सितंबर 1999 में परिषद ने एक पाठ्यचर्या समूह का संगठन किया जिसमें सभी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से परामर्श सिद्धांत एवं शोध पर आधारित सामग्री का अध्ययन करके विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा परिचर्चा दस्तावेज तैयार किया गया। जनवरी 2000 में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि, शिक्षक, विभागों विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों ,अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सुझाव और टिप्पणियों के लिए यह दस्तावेज उनके पास भेजा गया यहां तक की उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं से भी इस दस्तावेज पर टिप्पणियां एवं सुझाव सुझाव मांगे गए ।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988, जिन मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई थी। पुनः सन 2000 में भी उन पर बल दिया गया दिया गया । कॉमन कोर कंपोनेंट(सामान्य केंद्रिक तत्व) सतत और व्यापक मूल्यांकन, स्वतंत्रता और लचीलेपन के तत्व व्यावसायिक शिक्षा जैसे मुद्दे पहले के दस्तावेजों में मौजूद रहे हैं। इसके अलावा कुछ विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया जो न्यूनतम अधिगम स्तर (मिनिमम लेवल लर्निंग) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मूल्य शिक्षा, व्यवस्था के प्रबंधन आदि । राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2000 में पाठ्यचर्या पर चर्चा करते समय इस बात पर ध्यान दिया गया कि शिक्षण का जीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम बच्चों के समुचित विकास व व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करते हैं। इसलिए भावी पाठ्य चर्या व उसका विकास करते समय हमें न्यूनतम अधिगम स्तर शिक्षा के सामान्य उद्देश्य शिक्षार्थी अथवा छात्र के लिए अध्ययन योजना मूल्य शिक्षा शिक्षण नियुक्तियां, शिक्षण माध्यम, समय पर ध्यान देना होगा। साथ ही, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का समायोजन होना आवश्यक है ।मूल्यांकन की वर्तमान प्रणालियों उसके उपयोग विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन स्तर संपोषण की प्रक्रिया और भी सहज और सरल बनाने के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन को निर्देश दिया गया पाठ्यचर्या विकास के लिए अध्यापक शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक सहयोग, मार्गदर्शन व परामर्श व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन संस्था गत, संगठन में सुधार जैसे विषय भी शामिल किए गए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन इस प्रकार है भारतीय परंपरा व लोकाचार को वैश्विक विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास पूरे देश में विश्वविद्यालय, विद्यालय संरचना 10+2+ 3 में एकरूपता स्थापित करना ।संवैधानिक मूल्यों के प्रति निरंतरता व समावेश करना माध्यमिक स्तर तक छात्रों को ऐसी शिक्षा देना जो उनके बुनियादी जीवन, कौशल, उच्चस्तरीय बौद्धिक स्तर(आईक्यू)संवेगात्मक स्तर (एक्यू) आध्यात्मिक स्तर(s q) अर्जन में सहायक हो। छात्रों में मानव अधिकार विषय विशेषकर बालिकाओं के अधिकार पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर ज्ञान समाज और कौशल अर्जित करने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित करना जो समाज के ढांचे छात्र की योग्यता के अनुरूप हो प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के लिए कौशल पर जोर देते हुए विषय वस्तु सिखाने के तरीके ढूंढने जाएं और छात्रों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी शामिल करते हुए कैसे सीखा जाए पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जीवन कौशलों की जरूरत समस्या निवारण आलोचनात्मक सोच संप्रेषण आत्म चेतना तनाव से विचलित ना होना निर्णय लेना सृजनात्मक चित चिंतन विचार और विचार उत्पादक चिंतन अंतर्वैयक्तिक संबंध सहानुभूति या दूसरों की भावनाओं से जुड़ना है सफलतापूर्वक जीवन

जीने के लिए यह कौशल बहुत ही जरूरी है सभी स्तरों पर मौलिक कर्तव्य और पाठ्यचर्या को का समावेश करना। स्वतंत्रता के पश्चात मूल्य और गुणों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है जिससे समाज में मूल्यों के प्रति अनादर उत्पन्न हुआ है परंतु विद्यालय व उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिक व आध्यात्मिक विकास की ओर छात्रों को ले जाने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना आवश्यक होगा 1999 में भारतीय संसद में प्रस्तुत एस बी चौहान समिति की रिपोर्ट में अनुशंषा के अनुसार सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को मूल्य आधारित बनाने के लिए सत्य ,सदाचरण, शांति, प्रेम और अहिंसा ऐसे मुलभुत और सार्वभौम मूल्य हैं जो मानव व्यक्तित्व के पांच आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्यालय शिक्षा, विषय वस्तु व पाठ्यचर्या निर्माण के चयन, शिक्षण की प्रविधियों का उपयोग करते समय स्वतंत्रता लचीलापन प्रासंगिकता व पारदर्शिता को ध्यान में रखा जाए।छात्रों की प्रतिभा, गोष्टी, जनशक्ति व सृजन शक्ति का पोषण व निरंतरता बनाए रखने के लिए ज्ञान के विभिन्न आयामों का प्रयोग करना। छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्रयोग में लाने के समय सूचना आधारित पाठ्यचर्या व मित्रवत शिक्षा पर जोर दिया जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें।शिक्षा के प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए स्वदेशी परंपराओं में जुड़े अनुभव व नवाचार पर पाठ्यचर्या निर्माण की प्रणाली विकसित की जाए। शिक्षार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों का ज्ञान लोक गीत, नृत्य शैली, वेशभूषा, वाद यंत्र वाद्य यंत्र की जानकारी दी जानी चाहिए। विद्यालय शिक्षा में अधिगम स्तरों को गुणवत्ता से जोड़ने की जरूरत है जिस में सुविधा वंचित बच्चे ,कामकाजी बच्चे, लड़कियां सभी शामिल हैं, इसलिए इनकी विकासात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिगम के न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्धारण किया जाए। इसके अलावा अधिगम या सीखना ,गुणवत्ता दृष्टिकोण, न्यूनतम अधिगम स्तर में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक व संवेगात्मक तीनों का जुड़ाव रहेगा। गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक शिक्षण के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत व व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षा, कार्यात्मक शोध(एक्शन रिसर्च) सभी तत्वों को उपलब्ध करवाना आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर 5 वर्ष तक पहली व दूसरी कक्षा के लिए मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा गणित स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन कला के विषय में बच्चों को जानकारी दी जाए। बच्चों को केंद्र में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधित गतिविधि, खेलकूद, संगीत, नाटक, चित्रकला के कार्यों से बच्चों को जोड़ा जाए, मूल्यों के निर्माण के लिए कहानी का प्रयोग किया जाए जिससे बच्चों की जिज्ञासा, कल्पना और के अनुभव को समेकित करने का भाव उत्पन्न होगा। तीसरी से पांचवी कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा गणित पर्यावरण अध्ययन स्वस्थ व उतपादक जीवन कला का प्रयोग जिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर 3 वर्ष तक बच्चों को मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाजिक विज्ञान कार्य शिक्षा ,कला शिक्षा ,स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का प्रयोग किया जाए भाषा के स्तर पर आने वाली परेशानियों को देखते हुए पाठ्य पुस्तकों के अध्यापन के साथ विस्तृत वाचन पर जोर देना होगा। मार्गदर्शन और देखरेख मॉनिटरिंग की जरूरत, भाषा शिक्षण में मौखिक परीक्षा को मूल्यांकन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना होगा।भाषा शिक्षण के उद्देश्य स्वतंत्र और प्रभावशाली ढंग से मत देना स्वतंत्र चिंतन के साथ वर्तमान भूतकाल की घटनाओं का तार्किक विश्लेषण

करते हुए बच्चे अपनी बात को सही ढंग से कह सके। भाषा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है- कार्यस्थल और समाज में मौखिक और लिखित भाषा की योग्यता के विकास पर बल देना त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता अंतर राज्य व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचार व संवाद के लिए बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए कम से कम 180 दिवस कार्यदिवस सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए जिसमें मूल्यांकन गतिविधियां, विद्यालय कार्यक्रम और उत्सव आदि भी सम्मिलित होने चाहिए। प्रत्येक कक्षा का कालखंड अवधि एक कालखंड की अवधि लगभग 40 मिनट की होगी जिस के हिसाब से प्रतिदिन शिक्षण अवधि 6 घंटे की होगी जिसमें से 5 घंटे केवल अध्यापन के लिए निर्धारित होंगे और अन्य और शिष्य अन्य गतिविधियों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है और यह विद्यालय व्यवस्था के को अनुभव बनाने के जरूरत पर बल देगा माता पिता की शिक्षा और समुदाय की शिक्षा में भागीदारी । मुक्त विद्यालय की धारणा जिसमें एक मुक्त विद्यालय दिल्ली में स्थापित है इन का विस्तार करके उन्हें साधन-संपन्न बनाना ताकि यह बड़ी संख्या में उपलब्ध शिक्षार्थियों जोकि समाचार सामाजिक-आर्थिक भौगोलिक या अन्य किसी कारण से शिक्षा प्राप्त कर पाए हैं या उन्हें विद्यालय बीच में ही छोड़ना पड़ा हो वहां फिर से शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जा सके केंद्रीय स्तर व राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर भी मुक्त शिक्षा प्रणाली स्थापित हो चुकी है, इस प्रणाली में कंप्यूटर, रेडियो ,टेलीविजन के अन्य सूचना प्रौद्योगिकी के साथ चुनाव के प्रति छात्रों की परीक्षा योजना आदि उपयोग किया जाता है। शिक्षा छात्रों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने आत्मविश्वास व्यक्ति के रूप में एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करती है।

4.8 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005

जैसा कि आप जानते हैं पाठ्यचर्या प्रारूप 1975, 1988, 2000 के बाद ,सन 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का फैसला लिया गया । 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रोशनी में विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या प्रारंभ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2000 की समीक्षा पर जोर दिया गया। इन निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रोफ़ेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इस समिति में उच्च शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद परिषद के सदस्य, शिक्षक, गैर सरकारी संगठन को शामिल किया गया।

शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने व स्कूल जाने वाली पीढ़ी की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए संविधान में आरंभिक शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसका अर्थ है हम सभी बच्चों को जाति, धर्म, लिंग आदि चुनोतियों से हटकर उन्हें स्वास्थ्य, पोषण और समावेशी स्कूल की शिक्षा प्रदान करें, उन्हें हम सशक्त बनाए। इसके लिए पाठ्यचर्या निर्माण के पांच निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है-

i. ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना जोड़ना
ii. पढ़ाई को रटंत प्रक्रिया से मुक्ति दिलाना
iii. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किस तरह से किया जाए कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रहे
iv. परीक्षा की प्रक्रिया को लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जुड़ने का प्रयास करना
v. शिक्षा का विकास इस तरह से किया जाए जिसमें राज्य व्यवस्था की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया व राष्ट्रीय चिंताओं का समावेश हो

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सिफारिशों सिफारिशें की गई पाठ्यचर्या को बोझ कम करने के लिए शिक्षा बिना बोझ के के सूत्र पर आधारित किया गया । संविधान में शामिल सामाजिक न्याय, समता व धर्मनिरपेक्षता पर केंद्रीय किया गया। सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जाए ताकि ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण किया जा सके जो संवेदनशील हो और संवैधानिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहे। विद्यार्थियों के विकास व अधिगम में समावेशी वातावरण को तैयार करना, बच्चों की रचनात्मक व सृजन शक्ति का विकास करना। ज्ञान निर्माण में छात्रों की सहभागिता व सक्रिय शिक्षण आवश्यक रहेगा। बच्चों की सहभागिता में विभिन्न शिक्षण विधियों जैसे अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श, अवलोकन आदि महत्वपूर्ण रहेंगे। ज्ञान को बच्चों की सोच और जिज्ञासा के अनुरूप एक व्यापक ढांचा तैयार करना जिसमें बच्चों को सीमाओं में ना बांधा जाए।

स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक वर्ष काफी तीव्र वृद्धि से जुड़ा होता है इसलिए बच्चों की क्षमताओं, अभिरुचियों, दृष्टिकोण पर कुछ ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण विषय वस्तु का चुनाव करना चाहिए ।भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी को भी स्थान मिलना चाहिए त्रिभाषा फार्मूले को ध्यान में रखते हुए घरेलू भाषा मातृभाषा जिनमें आदिवासी भाषाएं अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में शिक्षण के माध्यम में मान्यता दी जाए। प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक लिखने बोलने सुनने व पढ़ने की क्षमताएं उन सभी विषयों से संबंधित अनुशासन के महत्व को समझते हुए बच्चों में उनका पूर्ण विकास करना। गणित शिक्षण में तार्किक ढंग से अमूर्त वह मूरत संकल्पनाओं को व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता व समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना मूल्य लक्ष्य होना चाहिए। इसी तरह इसी तरह विज्ञान में विषय वस्तु बच्चों की उम्र व ज्ञान सीमा के अनुकूल होनी चाहिए ताकि वह रचनात्मक तरीके से अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाए। विज्ञान शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो कि बच्चों के परिवेश के अनुरूप हो और उनमें ज्ञान व कौशल का विकास कर सके साथी पर्यावरण की चिंताओं को लेकर जागरूकता का विषय स्कूली शिक्षा में शामिल होना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय जागरुकता से संबंधित विषय मानव अधिकार, मानवीय दृष्टिकोण न्याय संवेदनशीलता जैसे मुद्दों पर उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर प्रदान किया जाए विषय की अवधारणा को समझाते हुए बच्चों को रटने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर स्वयं सोचने व अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। इतिहास में भारत के सांस्कृतिक,

राजनैतिक अतीत व नागरिकता व नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए, जिसमें नागरिकता के विषय से जुड़ी अवधारणाओं को बच्चों के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा सके। इसी तरह विभिन्न कलाओं जैसे- संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व शास्त्रीय रूप धरोहर, शिल्प आदि को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ।कला को स्कूल के हर स्तर पर शामिल करने पर बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा बालकों के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है इसलिए शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्कूल में नामांकन उपस्थिति आदि की समस्याओं से निपटने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शांति के लिए शिक्षा को एक घटक के रुप में शामिल किया जाए जिसमें स्कूली शिक्षा व सभी विषयों में शांति की मूल्य का संवर्धन किया जाए। बच्चों में उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए योजना को लचीला बनाना, ढांचागत सुधार, भौतिक सामग्री की उपलब्धता पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिसमें सभी बच्चे भाग ले सके और उनमें स्व-अनुशासज्ञान की प्रक्रिया- स्कूल व समुदाय की साझेदारी होनी आवश्यक है। साथ ही, संसाधनों के रूप में पुस्तक पाठ्यपुस्तक की अवधारणा, गतिविधि, समस्या, अभ्यास सहायक पुस्तकें, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएं, अभिनव चिंतन पर बल देने वाली होनी चाहिए। पठन पाठन के लिए प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों से अकादमिक योजना का विकास अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया अधिगम के संदर्भ- शिक्षक व छात्र की सक्रिय भागीदारी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परिपेक्ष्य शामिल करना आवश्यक है। परीक्षा प्रणाली लचीली हो, जिसमें लघु परीक्षाओं, प्रश्न पत्र के वर्तमान प्रारूप पर विशेष ध्यान दिया जाए। विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से गांव समुदाय ब्लॉक स्तर से लेकर अनुमंडल, जिला, नगर, महानगर तक किया जाए। शिक्षकों में शिक्षक शिक्षा के माध्यम से विविध आयाम व विधियों के समझ विकसित की जाए, ताकि बच्चों की आवश्यकता व रुचियों के अनुरूप वे अपने विषय को सकता है। कार्य केंद्रित शिक्षा को शिक्षा का आधार मांनते हुए व्यवसायिक शिक्षा की पुनर्रचना का प्रयास किया जाए, विभिन्न गैर सरकारी संस्था, शिक्षक संगठन, विश्वविद्यालय विशेषज्ञ ,विश्वविद्यालय विशेषज्ञ आदि , सहभागिता के साथ पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व संसाधनों का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल वह सहज ढंग से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. मातृभाषा की आवश्यकता है-
   a. शारीरिक विकास b. मानसिक विकास
   c. सामाजिक विकास d. उपरोक्त सभी
2. मातृभाषा का सिद्धांत है-
   a. क्रियाशीलता

b. अभ्यास
c. अनुकरण
d. उपरोक्त सभी

3. भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्वीकृति मिली है –
   a. 18 b. 20 c. 24 d. 22
4. हिंदी की कौन-कौन सी बोलियां हैं-
   a. अवधी
   b. भोजपुरी
   c. ब्रज
   d. उपर्युक्त तीनों
5. राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है-
   a. अंतर्राष्ट्रीय भाषा
   b. मातृभाषा
   c. राष्ट्रभाषा
   d. उपरोक्त कोई भी नहीं
6. भारतीय संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया-

   a. 3 सितंबर 1949 b. 13 सितंबर 1950

   c. 14 सितंबर 1949 d. 14 सितंबर 1950

a. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है-
   a. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
   b. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
   c. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   d. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

4.9 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं, हिंदी भारत की सर्वमान्य भाषा है, यह राष्ट्र को संगठित करती है, शासन व्यवस्था, व साहित्य शिक्षा बोलने वालों की संख्या के अनुसार भी यह देश के बड़े भूभाग में बोली और समझी जाती है। भाषा कि सामान्यता जितनी बढ़ती है, उतनी ही लोगों की वृद्धि, उसे जानने व समझने वालों के रुप में हो जाती है। इसके साथ ही पाठ्यचर्या से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए प्रयासों के फल स्वरुप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975, 1988, 2000, 2005 के निर्माण व विद्यालय शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने ,राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों का शिक्षा में समावेश विषय संबंधी समय सारणी, समय का निर्धारण व

विद्यालय समस्याओं का निराकरण करने में, विद्यालय शिक्षा के भविष्य को सुधारने के लिए बहुत ही अमूल्य प्रयास किए हैं।

4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. उपरोक्त सभी
2. अनुकरण
3. 22
4. उपर्युक्त तीनों
5. 5.राष्ट्रभाषा
6. 14 सितंबर 1949
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

4.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आचार्य शर्मा, देवेंद्र नाथ (1999) राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद
2. तिवारी, भोलानाथ (1999) भाषा विज्ञान, किताब महल
3. डॉक्टर अग्रवाल, विजय(2002) हिंदी भाषा अतीत से आज तक, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
4. भाई योगेंद्र जीत (2008) हिंदी भाषा शिक्षण, अग्रवाल पब्लिकेशंस आगरा
5. डॉक्टर पांडे, रामशकल(2008) हिंदी शिक्षण, अग्रवाल पब्लिकेशंस आगरा
6. डॉक्टर शर्मा, राजमणि (2004) हिंदी भाषा इतिहास और स्वरूप, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली

4.12 सहायक पाठ्य सामग्री

1. http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/ncf_hindi_2005/ncf2005.pdf

4.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के संबंध में किन बातों का उल्लेख किया गया है?

2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के आलोक में विद्यालय शिक्षा व पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों का सुझावों पर अपने विचा र लिखें।
3. 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1975 वह प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 का विश्लेषण कीजिए।
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा की गई मुख्य संस्तुतियों विवरण दें।

इकाई 5 - हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ अनछुए पहलू

5.1 भूमिका
5.2 उद्देश्य
5.3 हिंदी साहित्य की विधाओं के शिक्षण की प्रयोजनमूलकता
5.4 सूचना के युग में हिंदी का भविष्य
5.5 तकनीकी आधारित भाषा-शिक्षण संबंधी वर्तमान कार्यक्रम
5.6 राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की दृष्टि में हिंदी भाषा में परीक्षण एवं मूल्यांकन
5.7 सूचना एवं तकनीकी के उपयोग से हिंदी साहित्य शिक्षण को जीवंत बनाना
5.8 सारांश
5.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

5.1 भूमिका

हिन्दी भाषा शिक्षण के अनेक पहलू हैं। भाषिक कौशल यानी सुनना , बोलना , पढ़ना और लिखना ऐसी उपलब्धियाँ हैं , जिनसे किसी व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित होता है । उसी तरह हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं का अध्ययन भी एक शिक्षार्थी के जीवन को विभिन्न तरीकों से समृद्ध करता है। बदलते दौर की चुनौतियों का सामना करने के लिए हिन्दी शिक्षण में अनेक नए पहलू शामिल हुए। सूचना विस्फोट के दौर में बदलती हिन्दी , भाषा शिक्षण के तकनीकी पहलू , राष्ट्रीय परीक्षण सेवा के सरोकार , सूचना एवं तकनीक के इस्तेमाल से बदलता साहित्य संसार अनेक नए पहलू हैं , जिनसे हिन्दी शिक्षण संसार समृद्ध हुआ है।

5.2 उद्देश्य

हिन्दी भाषा शिक्षण के अनछुए पहलू पर आधारित इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अनेक पहलुओं से परिचित होंगे , जिनमें कुछ की पहचान निम्न रूप से सम्भव है –

1. आप यह समझ पाएँगे कि हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं के अध्ययन-अध्यापन से हिन्दी की प्रयोजनमूलकता की परिधि का विस्तार होता है।
2. मौजूदा दौर में विद्यार्थी की योग्यता और उनकी उम्मीदें बीते दौर से अलग हैं। साहित्य का संबंध अन्य समानधर्मा अभिव्यक्ति माध्यमों से बना है। सिनेमा , टेलीविजन , थियेटर , इंटरनेट आदि

अनेक माध्यमों से साहित्य के दोस्ताना रिश्ते का विस्तार हुआ है। ऐसे में साहित्य शिक्षण के नए रूप उभरे हैं।

3. एक महत्त्वपूर्ण पूरक के रूप में शिक्षण की परम्परागत पद्धति के साथ सूचना तकनीक का उपयोग शिक्षण में रूपनातारण ला सकता है।
4. सूचना के युग में हिन्दी के नए क्षेत्रों का जन्म हुआ है , जिनकी अनदेखी सम्भव नहीं।
5. राष्ट्रीय परीक्षण सेवा का गठन कर शैक्षणिक परीक्षण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में अनेक पद्धतियों , सन्दर्भ सामग्रियों और मानव संसाधनों का विकास किया जा रहा है।

5.3 हिंदी साहित्य की विधाओं के शिक्षण की प्रयोजनमूलकता

इस विषय पर बातचीत आगे बढाने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि हम प्रयोजनमूलकता शब्द पर विचार कर लें। प्रयोजन का तात्पर्य है – कारण या उद्देश्य। पुराने ज़माने की अपेक्षा आज के समय की परिस्थितियाँ जितनी जटिल हैं , उतनी ही विविधातामूलक भी। ऐसे में अध्यापन के तौर तरीकों में भी अनेक तरह के बदलावों की अपेक्षा है। उसी तरह उन आधारभूत बातों की समझ भी ज़रूरी है , जो विभिन्न विधाओं के अध्यापन के दरमियान बाराती जानी चाहिए। कविता अध्ययन – अध्यापन के लिए यह ज़रूरी है कि बिम्बों की समझ अध्यापन कौशल का हिस्सा हो। बिम्ब का अर्थ है – शब्द निर्मित चित्र। बिम्ब बार – बार प्रयोग के बाद प्रतीक में रूपांतरित हो जाते हैं। विभिन्न संचार माध्यमों के इस दौर में बिम्बों की व्याख्या के सहज उदाहरण मौजूद हैं। हर कवि के अपने प्रिय प्रतीक होते हैं , जैसे – तुलसी के लिए चातक , कबीर के लिए साधु या हंस , महादेवी वर्मा के लिए आँसू , मुक्तिबोध के लिए अन्धेरा आदि। कविता की वंशगत विशिष्टता लय को भी अध्यापन कौशल का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। आजकल छन्दमुक्त कविताओं का दौर है। प्राय: पुरानी कविताओं की तुलना में इनके कमतर होने का ज़िक्र किया जाता है। जबकि ऐसा है नहीं। ये कविताएँ गेयता से भले दूर हैं , पर अपनी समानधर्मा अभिव्यक्तियों के करीब। जैसे – नाटक के संवाद से आज की कविता का अपनापन बढ़ा है। इसे और बेहतर ढंग से समझें ,

`ऐसे कविता रसिक अध्यापकों की भी कमी नहीं , जो यह कहते नहीं अघाते कि दम तो पुरानी कविता (यानी छंद , अलंकार और तुकांत पदावली की कविता) में ही था , नयी यानी आधुनिक काल की छन्दमुक्त कविता में वह बात नहीं कि वह काव्यरसिकों को प्रभावित कर सके। लेकिन ऐसी बात कहने वाले यह नज़रंदाज़ कर जाते हैं कि कविता ज्ञान या कला के अन्य अनुशासनों की तरह अपने समय के विवेक , आकांक्षा और तनावों को प्रकट करती है। हाँ , उसकी आधारभूत विशेषता कला मानदंडों का निर्वाह होता है। सच तो यह है कि प्राचीन या मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता के पाठ की अलग-अलग कसौटियाँ हैं। उन कसौटियों और मानकों को समझे बिना न तो

कविता का पाठ सम्भव है न ही अध्यापन ।' – 2013:214,सहाय निरंजन , सूचना युग में हिन्दी शिक्षण एवं परीक्षण समस्याएँ एवं परिपेक्ष्य , राष्ट्रीय परीक्षण सेवा मैसूर ।

जाहिर है कविता की प्रयोजनमूलकता के लिए इस आधारभूत तत्त्व की समझा ज़रूरी है ।

अब साहित्य की अन्य विधाओं पर एक नज़र डालें । आधुनिक युग की बौद्धिकता ने काल की मुख्यचेतना के रूप में इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता को प्रतिष्ठित किया । अनेक नयी गद्यविधाओं का जन्म हुआ - आत्मकथा , जीवनी , संस्मरण , यात्रा विवरण , रेखाचित्र आदि । दरअसल स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर में अनेक नये सामाजिक - सांस्कृतिक उभारों ने अस्मिताओं की तलाश और स्वीकृति को भविष्य का लक्ष्य बनाया । अनेक गद्यविधाओं का आना इस युगीन सच्चाई का साक्ष्य है कि अभिव्यक्ति की दुनिया अनंतरूपा होती है ।बहुरूपा अभिव्यक्ति कौशलों का बनना और विकसना मानवीय समाज के अधिकाधिक जनतान्त्रिक लक्ष्य की ओर बढ़ना भी है ।

यह प्रश्न उठना एकदम स्वाभाविक है कि वे कौन से तत्त्व हैं जो किसी रचना को साहित्यिक गुणों से संपन्न कर देते हैं ? या अभिव्यक्ति के विविध रूपों को साहित्य संसार ने किन रूपों में पहचाना है ? एक बात यह भी कि यदि भाषा शिक्षण के नज़रिए से साहित्य की दुनिया में हम जाते हैं , तो हमें क्या हासिल होता है ? अन्य शब्दों में अभिव्यक्ति कौशलों में कौन से नए आयाम जुड़ते हैं ? दरअसलगद्य विधाओं के शिक्षण की बात तबतक अधूरी रहेगी जबतक हम यह समझ नहीं बना पाएँ कि गद्य विधाओं के अध्यापन से हम क्या हासिल करते हैं । आप यह भली – भाँती जान चुके हैं कि साहित्य के दो रूप मुख्यत: प्रचालन में हैं – गद्य और पद्य । गद्य में भाषा का जीवंत ,निखरा हुआ और मानक रूप प्रकट होता है । भाषा के शुद्ध और परिनिष्ठित रूप को सीखने के लिए गद्य साहित्य के पाठों से विद्यार्थियों को परिचित कराना ज़रूरी है । गद्य पठन में भाषिक तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करने – कराने का विशेष अवसर मिलता है । भाषिक तत्त्वों में भाषा के घटकों – ध्वनि , रूप , पदबंध , वाक्य आदि का समावेश होता है । इनके अतिरिक्त शब्द भंडार , वाक्य संरचना , अनुच्छेद रचना , मुहावरों – लोकोक्तोयों का शिक्षण भी गढ़ी शिक्षण का अभिन्न अंग है। गद्य पाठ विद्यार्थियों को सुनने , बोलने , पढ़ने तथा लिखने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं । गद्य साहित्य केअंतर्गत् कहानी , निबन्ध , उपन्यास , जीवनी , आत्मकथा , संस्मरण, रेखाचित्र , यात्रा वृतांत आदि विधाएँ आती हैं । प्रत्येक विधा की अपनी – अपनी शैली होती है । गद्य शिक्षण अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को गद्य की अनेक विधाओं और शैलियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है।

कुछ प्रमुख गद्य विधाओं के अध्यापन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर एक नज़र डालना मुनासिब होगा। सबसे पहले कहानी शिक्षण।

कहानी शिक्षण के विविध सन्दर्भ हैं । इसके माध्यम से भाषा शिक्षण तो होता ही है , अन्य विषयों के शिक्षण में भी कुशल शिक्षक कहानी माध्यम का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं ।मशहूर शिक्षाशास्त्री गिजुभाई ने विद्यालयी शिक्षण में कहानी की उपयोगिता पर एक बेहद महत्त्वपूर्ण पुस्तक की रचना की – कथा कहानी का शास्त्र । उनके अनुसार कहानियों का बच्चों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है । कथा पात्रों

और घटना क्रम से परिचित होते हुए एक एकात्म भाव विकसित होता है ।इस एकात्म भाव में माता-पिता और बालक , शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से प्रगाढ़ परिचय में आते हैं , उनके बीच उम्र और ज्ञान का अंतर मिट जाता है और वे एक दूसरे के बन जाते हैं । इससे उनके बीच विशवास , प्रेम और सहानुभूति अपने आप प्रकट होती है। इस मधुर संबंध से घर की , विद्यालय की या समाज की व्यवस्था के सवाल अपने आप हल हो जाते हैं । कहानियाँ सुनाने वाले माता-पिता तथा अध्यापकों का अनुभव है कि कहानियाँ सुनने में रुचि लेनेवाले रसिक विद्यार्थी व्यवस्था सम्बन्धी सभी नियमों को बहुत आदर देते हैं। कहानी कहना अपने आप में कौशल है , जिसमें प्रवीण होना शिक्षक के लिए आवश्यक है । अत:कहानी कहने या पढ़ाने से पहले कुछ आधारभूत बातों को जानना ज़रूरी है –

- कहानी शिक्षण के लिए शिक्षक का स्वयम् भी कहानी में रुचि लेना और कहने में कुशल होना ज़रूरी है ताकि विद्यार्थियों में भावानुभूति एवं रसानुभूति की भावना को विकसित कर सके।कक्षा में कहानी पठन या वाचन के साथ साथ कहानी कहन पर बल दिया जाना ज़रूरी है , क्योंकि कहने से कहानी में एक नवीनता आ जाती है । कहानी को आद्यन्त क्रमबद्ध और प्रवाह के साथ कहा जाना चाहिए । इससे कहानी की अंतर्वस्तु बची रहती है ।
- कहानी के माध्यम से नीति या आदर्श की बात बताते समय काफी सतर्कता बरतनी चाहिए । कहानी समाप्त होते ही शिक्षक द्वारा यह पूछना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली ठीक नहीं।

नाटक एक महत्त्वपूर्ण गद्य विधा तो है ही , यह अध्यापन कला का भी एक ज़रूरी तत्त्व है । शिक्षाशास्त्री गिजुभाई बधेका ने शिक्षण–काल में नाट्य प्रयोग को महत्त्वपूर्ण माना है । उनके मुताबिक़ ऐसी शिक्षा पद्धति में बाल स्वभाव और बाल रुचियों को अधिक से अधिक स्थान दिया जाता है ।

नाटक में संवाद होते हैं , हालाँकि संवाद अन्य विधाओं में भी हो सकते हैं । पर वहाँ इसकी अनिवार्यता नहीं होती। इसमें अभिनेयता की अनिवार्यता रहती है । इसीलिए जिस नाटक / एकांकी को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता , उसकी सफलता संदिग्ध ही होती है । पुराने ज़माने में नाटक को देखा सुना जाता था, इसलिए इसे दृश्य - श्रव्य विधा के रूप में भी जाना जाता है । हालाँकि आजकल इसका पठन भी किया जाता है । भरतमुनि के अनुसार, किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं । अत: छात्र-छात्राओं की अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को इससे पोषण मिलता है । नाटक / एकांकी एक रागात्मक रचना है । इसमें मानवीय भावों का प्रदर्शन बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से होता है । नाटक पढ़ने या देखने से भावों का उद्रेक बहुत तीव्र होता है ।

आइए एक अत्यंत लोकप्रिय गद्य विधा निबंध के अध्यापन के सिलसिले में भी कुछ बातें करें । पहले यह समझे कि निबंध कहते किसे हैं ? भारतीय परंपरा गद्य को कवियों की कसौटी कहती है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का विचार है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है । इस विधा में गद्य का निजी रूप दिखायी पड़ता है । निबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है । इतिहास , पुरातत्त्व , दर्शन , विज्ञान , आलोचना , जीवन - मीमांसा किसी भी विषय पर निबंध लेखन किया जा सकता है । प्रत्येक निबंध

लेखक की एक विशिष्ट शैली होती है ।हिन्दी निबंध लेखन पश्चिम के संपर्क में विशेष तौर पर विकसित हुआ। निबंध को परिभाषित करने के विविध प्रयास हुए। गुलाब राय ने अपनी बहुचर्चित रचना ' काव्य के रूप ' में कहा है - ' निबंध उस गद्य - रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन , स्वच्छंदता , सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो । तकरीबन सवा सौ वर्षों के इतिहास में निबंध ने अनेक बेहतरीन रचनाकारों से अपने अभिव्यक्ति संसार का विस्तार किया।

रिपोर्ताज और रेखाचित्र आधुनिक गद्य की चर्चित विधाएँ हैं। इन विधाओं को पढ़ाते समय सबसे पहले यह बताने की ज़रूरत है कि इन विधाओं का स्वरूप क्या है तथा अपनी किन विशेषताओं के कारण ये अन्य समरूप विधाओं से अलग है। उदाहरण के लिए यह जानना ज़रूरी है कि रिपोर्ताज रिपोर्ट से कैसे अलग है ? या रेखाचित्र और संस्मरण में किन बिन्दुओं के आधार पर फर्क किया जा सकता है। रचना की बुनियादी विशेषता होती है संवाद की ललक और कथन भंगिमा की निजता , लिहाजा यह बताना भी ज़रूरी होता है कि कैसे कोई रचना उसी विधा की अन्य रचनाओं से अलग है या उस रचनाकार की कथन भंगिमा की निजी विशिष्टताएँ क्या हैं। अब सवाल यह है कि रचना पाठ की भूमिका कैसे बने। वैसे तो हर अध्यापक की भूमिका निर्माण की अलग - अलग प्रक्रियाएँ होतीं हैं। लेकिन कुछ सामान्य बातें हैं , जिनका उल्लेख किया जा सकता है। मसलन - किसी निजी या परिचित सामाजिक घटना से रचना के रिश्ते के साथ पाठ की पूर्वपीठिका तैयार की जा सकती है। उसी तरह किसी अन्य विधा में रचित समान प्रसंगों से भी बात की शुरुआत की जा सकती है। जब रचना से परिचय बन जाय तब उसमें निहित किसी मार्मिक प्रसंग का उल्लेख किया जा सकता है।

उल्लिखित प्रसंगों के बाद का क्रम है विधागत विशिष्टताओं का विश्लेषण। पहले हम रिपोर्ताज की बात करें। सवाल यह है कि रिपोर्ताज क्या है ? आइए इसे समझें। किसी घटना को संवेदनशील सजीवता के साथ, इस तरह प्रस्तुत किया जाय कि वह अखबारी समाचार की निर्जीव तटस्थता से आगे बढ़कर मनुष्य की समग्र चिंताओं और उसके सौन्दर्यबोध को प्रकट करे , तब उसे रिपोर्ताज कहते हैं। हिन्दी साहित्य कोश , भाग - 2 के अनुसार , ' रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका गहरा संबंध है। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य साध्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्यत : समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ' रिपोर्ताज ' कहते हैं। ' अक्सर रिपोर्ताज की चर्चा करते समय अखबारी समाचार से उसके अंतर को स्पष्ट किया जाता है। रिपोर्ट या रपट में जहाँ सूचना संयोजन और तटस्थ अभिव्यक्ति का संकलन महत्त्वपूर्ण है , वहीं रिपोर्ताज में सूचना संयोजन से अधिक समग्र मनुष्य की तलाश महत्त्वपूर्ण है और तटस्थ अभिव्यक्ति की जगह संवेदनशीलता का पुट उसे आत्मीय पाठ की विशेषता प्रदान करता है। जीवनी में किसी सम्मानित व्यक्ति की उन विशेषताओं का उद्घाटन किया जाता है , जिनके चलते वह एक मशहूर शख्सियत में रूपान्तरित होता है। अब आइए इस विधा के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करें। हिन्दी साहित्य कोश भाग - 1 का वर्णन इस संदर्भ में उल्लेखनीय हो सकता है। उसके अनुसार , '

किसी व्यक्तिविशेष के जीवन वृतांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी पर्याय ' लाइफ ' अथवा 'बायोग्राफी ' है। हिन्दी में जीवनी को जीवन चरित अथवा जीवन - चरित्र भी कहा जाता है। इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं जान पड़ता। जीवन चरित कालांतर में आधुनिक और संक्षिप्त होकर जीवनी बन गया। 'रेखाचित्र ' भी गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। यानी रेखाचित्र का जन्म और विकास कहानियों , उपन्यासों के बाद हुआ। प्राय: रेखाचित्र की बात करते हुए लगभग समान गद्यविधा ' संस्मरण ' का भी नाम लिया जाता है। लिहाजा यह ज़रूरी है कि इन विधाओं की प्रकृति स्पष्ट करने के साथ ही इनके बीच मौजूद सूक्ष्म अंतरों पर भी एक नज़र डाली जाय। ' रेखाचित्र ' को अंग्रेजी के ' स्केच ' का पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। रेखाओं और रंगों की बहुलता को महत्त्व न देकर यदि कोई चित्रकार इनी - गिनी रेखाओं के माध्यम से एक सार्थक रूप गढ़ ले , तब उसे स्केच कहते हैं। उसी तरह रेखाचित्र लेखक कम से कम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति , वस्तु या दृष्य का अंकन कर देता है। संस्मरण में ' स्मृति ' की केन्द्रीय भूमिका होती है। यानी जहाँ रेखाचित्र ' देश ' को महत्त्व देता है , वहीं संस्मरण ' स्मृति ' को। यह समझना भी ज़रूरी है कि दोनों की विशेषताएँ एक - दूसरे में नज़र आ सकतीं हैं। पर हम पार्थक्य के लिए यह देखेंगे कि रचना में केन्द्रीयता किसे हासिल हुई है। अंतर करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रेखाचित्र किसी ऐसे पात्र पर आधारित होता है , जो इतिहास प्रसिद्ध नहीं होता , यानी रेखाचित्र में किसी पशु , पक्षी या साधारण मनुष्य का वर्णन होता है। जबकि संस्मरण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विषय पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा के गौरा गाय या घीसू परिचर पर लिखे रेखाचित्र और निराला , सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखे संस्मरण को हम याद कर सकते हैं।यह समझने का प्रयास करें कि साहित्य की दुनिया से गुज़रते हुए हम किन कौशलों को अर्जित करते हैं। कौशल के दो पक्ष हो सकते हैं।एक तो वह जिन्हें हम भाषाई कौशल कहते हैं , यानी – सुनना , बोलना , पढ़ना और लिखना। दूसरा वह जिनका सम्बन्ध हमारी अन्य वृत्तियों से जुड़ता है , इन्हें हम फिलहाल मनोसामाजिक सन्दर्भ कहेंगे। इसे और बेहतर और स्पष्ट ढंग से समझने का प्रयास करें असल में भाषा शिक्षण बहुस्तरीय प्रक्रिया है। साहित्यिक सामग्री जब पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनती है तब बिना रेखांकित किए ही विद्यार्थी अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता , परिकल्पना बनाने और अपरिचित शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने जैसे कौशलों का विकास कर लेते हैं। यदि हम विद्यार्थी को ख़ास साहित्यिक संसार और माहौल प्रदान करते हैं तो वह मनोसामाजिक सन्दर्भ से अपने आपको जोड़ सकता है।वह साहित्य के बहुविध प्रयोगों से विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करना सीखता है , तथा समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने की अपनी शक्ति और सम्भावना को महसूस करता है। इस सिलसिले में कुछ विद्वानों के कथन पर एक नज़र डालना मुनासिब होगा। सी.स्कॉट ने लिखा है ,` साहित्य राष्ट्र की सौन्दर्यपरक , नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के नियमों यानी संस्कृति का आईना है।' जब हम साहित्य के द्वारा भाषा सीखने की बात करते हैं , तब यह ध्यान भी रखना होता है , इस प्रक्रिया में संस्कृतिक सन्दर्भ के अंतर्गत वैयक्तिक विकास के मौके मिलने चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को समाज के सांस्कृतिक जीवन से परिचय कराया जाना चाहिए और उन्हें भागीदारी के अवसर मिलने चाहिए। इसी सन्दर्भ पश्चिमी विचाराक विड्डोसन के कथन कोभी उद्धृत किया जा सकता है। उनके मुताबिक़,`साहित्य का इस्तेमाल केवल

भाषा व्यवहार या सांस्कृतिक विषयवस्तु को समझने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि संवाद निर्माण के लिए भी होना चाहिए।' यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक सामग्री के विश्लेषण द्वारा वास्तविक जीवन की घटनाओं और अनुभवों से जुड़ी सामान्य सूचनाओं को प्राप्त करना और समझना सम्भव है। इससे वैयक्तिक और सामाजिक विकास को महसूस करने में हमें मदद मिलती है। साथ ही अपने संवेगात्मक लक्षणों के अनुसार यह सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से पाठकों को उन्नति का अवसर प्रदान करती है। इससे मातृभाषा के व्यवधान दूर होते हैं। विद्यार्थियों में विश्लेषण करने समीक्षा करने का कौशल विकसित होता है।

आइए कुछ और सन्दर्भों को भी समझने का प्रयास करें। अर्थात थोड़ी चर्चा इस पर भी जिनमें साहित्य और भाषा शिक्षण से हासिल होने वाले वे आयाम शामिल हैं जिनकी तरफ शिक्षणशास्त्र इंगित करता है। यानी सुनना, बोलना ,पढ़ना और लिखना कौशलों के अतिरिक्त वे दक्षताएँ जिनसे हमारा जीवन समृद्ध होता है। असल में साहित्य शिक्षण बहुस्तरीय प्रक्रिया है। कौशलात्मक विकास और सन्दर्भों से जुड़े व्याकरण के घटकों का ज्ञान इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं तो इसके साथ ही अनेक अन्य दक्षताएं भी इसे सार्थक बनाती हैं। परम्परागत शिक्षाशास्त्र में इन उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, अभिवृत्यात्मक, सृजनात्मक ,अलोचनात्मक आदि रूपों में वर्गीकृत किया गया है। इन कौशलों की जानकारी शिक्षक / शिक्षिका को होना ज़रूरी है ताकि वह साहित्य या भाषा की कक्षा को प्रभावी बना सके। आये इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करें।

i. **ज्ञानात्मक कौशल :-** ज्ञानात्मक कौशलों में भाषा की परंपरा , प्रकृति तथा उसके विविध घटकों की जानकारी और भाषा विज्ञान के ज्ञान को शामिल किया जा सकता है। साहित्य की विषयवस्तु के साथ जितना ज़रूरी है , उतना ही ज़रूरी है उससे सम्बन्धित अन्य विषयों का ज्ञान। इतिहास , भूगोल, गणित , विज्ञान आदि विषयों के साथ विषय से सम्बन्धित नवीन तथ्यों और प्रवृत्तियों का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि हम समय के साथ कदमताल मिला सकें।

ii. **अभिवृत्यात्मक:-** अभिवृत्यात्मक उद्देश्यों की बात करें तो भाषा शिक्षण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के मन में रचनात्मक साहित्य के प्रति रुचि जगाने में अहम् भूमिका निभा सकता है। आम तौर पर अधिकांश विद्यार्थी पाठयपुस्तकों में संकलित रचनाओं को पढ़कर ही साहित्य जगत में प्रवेश करते हैं। कक्षा में कहानियों , कविताओं और अन्य साहित्यिक रचनाओं को सरस तरीके से पढ़ाकर भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को सहृदय पाठाक बना देता है। ऐसे विद्यार्थी पाठयक्रम से इतर रचनात्मक साहित्य को पढ़ने के लिए तथा साहित्यिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए भी बेताब रहते हैं। अपने मन की बातों अर्थात स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति भी साहित्य शिक्षण से अर्जित होने वाले कौशलों में शामिल है।

iii. **सृजनात्मक कौशल :-** सर्जनात्मक कौशल भाषा शिक्षण का महत्त्वपूर्ण आयाम है। साहित्यिक अभिरुचि वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक / शिक्षिका का प्रोत्साहन खाद – पानी का काम करता है। काव्यशास्त्रीय शब्दावली का व्यवहार करें तो व्युत्पत्ति और अभ्यास में इस प्रोत्साहन

की भूमिका होती है। बाल-सभा , भित्ति-पत्रिका , विद्यालय–पत्रिका , साहित्यिक प्रतियोगिताओं से इस कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं।

iv. **आलोचनात्मक कौशल :-** पठित विषयवस्तु का विवेचन – विश्लेषण , अन्य रचना से तुलना करना , समीक्षा करना इसके विविध आयाम हैं। यह आलोचनात्मक दृष्टि एक पाठक के रूप उसकी पसंद को निर्धारित करती है। मसलन किसी को कविता पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को कहानी रचना विशेष के कथ्य अथवा शिल्प से प्रभावित होकर उसकी सराहना करना भी एक कौशल ही है जो साहित्य शिक्षण का हिस्सा है। काव्यशास्त्रीय शब्दावली में इसे भावयित्री प्रतिभा कहा गया है। इसे सहृदय की अवधारणा द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। जिसमें साहित्यिक विवेक हो उन्हें ही सहृदय कहा जाता था। दो अलग भाषाओं के बीच सम्वाद कायम करना भी सहित्य अध्ययन का उल्लेखनीय उद्देश्य है। उसी तरह सांस्कृतिक सम्वाद और समन्वय के लिए भी अनुवाद की बड़ी उपादेयता है। इस लिहाज से अनुवाद के कौशल को अर्जित करना भी साहित्य से अर्जित होने वाले कौशल के एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। पाठ्यपुस्तकों के रूप में शामिल साहित्य की किताबें विद्यार्थियों की अच्छी मित्र होती हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी भाषा के संसार से परिचित होता है। वह इनके माध्यम से उस कौशल को अर्जित करता है , जिसके बल पर वह विभिन्न विषयों पर अपने मंतव्य निर्मित करता है , विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी तुलना , समीक्षा , समेकन की सामर्थ्य अर्जित करता है। प्रकारांतर से इस कौशल को प्राप्त करने में भी साहित्य शिक्षण की महती भूमिका होती है।

5.4 सूचना के युग में हिंदी का भविष्य

मौजूदा दौर में सूचना तंत्र के साथ विश्वव्यापी बनने के लिए किसी भाषा के लिए यह ज़रूरी है कि वह नई प्रद्यौगिकी के साथ कदमताल मिलाकर चले। उसमें बदलते दौर के मुताबिक़ तकनीकी तथा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो। उसमें लचीलापन ऐसा हो , कि वह संरचनात्मक एवं अर्थों के दबावों को झेल सके। विश्व की बड़ी आबादी उसका प्रयोग कर सके। जो भाषा सूचना के युग में इन कसौटियों पर खरी उतरेगी उनका सार्वभौमिक प्रयोग होगा और उसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी। साथ ही ऐसी भाषाओं का भविष्य भी उज्ज्वल होगा।

हिंदी भाषा में उल्लिखित सभी गुण विद्यमान हैं। अब हिंदी सूचना तंत्र की भाषा बनकर विश्वभाषा के रूप में अपनी पहचान बना रही है। तकनीकी रूप से हिन्दी के सरोकार विस्तृत और तर्कसंगत हो यह समय की माँग है। हिन्दी का मानकीकरण , आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण का पक्ष तर्कसंगत और विराट जनसमूह के लिए स्वीकार्य हो , यह समय की ज़रूरत है। इस सिलसिले में विभिन्न संस्थाएँ सक्रिय भी हैं। सूचना युग में हिंदी का जो वैश्विक रूप उभरा है , उनके साक्ष्य पर यह कहा जा सकता है कि दुनिया की अधिकाँश भाषाओं का साहित्य अनूदित रूप में हिंदी में उपलब्ध है। 15 जनवरी 2001 को फ्लोरिडा से इंटरनेट पर हुए आरम्भ हुए शब्दकोश `विकीपीडिया' ने भी वर्ष 2003 से हिन्दी भाषा में समृद्ध अध्ययन सामग्री प्रस्तुत किया , इसमें प्रविष्टियों का दर्ज होना एक सतत प्रक्रिया के रूप में जारी है। हिंदी भाषा में

उपलब्ध दृश्य – श्रव्य माध्यमों की अपार लोकप्रियता और स्वीकृति को भी इस सिलसिले में याद किया जा सकता है। फेसबुक , गूगल , ट्वीटर आदि की हिंदी दुनिया बदलते दौर की परिचायक है। अनेक विश्वविद्यालय स्काइप के माध्यम से हिंदी में शोध साक्षात्कार सम्पन्न करवा रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में भी प्रभावी रूप से दृश्य – श्रव्य माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

5.6 तकनीकी आधारित भाषा-शिक्षण संबंधी वर्तमान कार्यक्रम

लम्बे अर्से से भाषा शिक्षण में सम्पूरक अभ्यास या दूरवर्ती अध्ययन – सम्वाद के लिए तकनीकों के विविध प्रयोग किए जा रहे हैं। इस दिशा में हो रहे कतिपय नवाचारों पर निगाह रखना मुनासिब होगा। वर्षों तक अभ्यास आधारित प्राथमिक अभ्यास प्रोग्रामों का भाषा शिक्षण में प्रभुत्व रहा है। शब्दावली और व्याकरण के अलग-अलग बिन्दुओं पर आधारित अनेक प्रोग्रामों की लोकप्रियता लगातार कायम रही है। विभिन्न संस्थाएं अनुरूपी प्रोग्राम (Simulation Programme) द्वारा व्याकरण के विभिन्न बिन्दुओं पर आधारित ऐसे नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं , जिनमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों के अभ्यास शामिल हैं। विश्वकोशों पर आधारित कार्यक्रमों से इच्छुक छात्र/छत्राएं विविध सूचनाओं और व्याख्याओं को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इससे भाषा शिक्षण के नए क्षितिजों के आयाम सम्भव हो रहे हैं। अनेक कम्प्यूटर खेल आधारित कार्यक्रम भी इस दिशा में सक्रिय हैं। प्रोग्रामों की रचना , साँचा बनाना , प्रचलित ढाँचे में ढाले कम्पूटर आधारित भाषा शिक्षण अध्यापकों/ अध्यापिकाओं को प्रग्राम संरचना में विशाल संरचना में विशाल लचीलेपन को उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह कम्पूटर प्रोग्रामों के साथ – साथ लोकल नेटवर्क क्रियाकलापों के माध्यम से कक्षाओं और प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ा जा सकता है।

इसी तरह सीडी द्वारा भंडारण में अपूर्व सहायता मिली। एक सीडी में हज़ारों किताबें संग्रहीत करना सम्भव हुआ। तकनीकी शिक्षण के सघन दौर की अभी शुरुआत हुई है , इसके विकास की अनंत सम्भावनाओं के द्वार अभी भी खुले हुए हैं।

5.7 राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की दृष्टि में हिंदी भाषा में परीक्षण एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा भारत द्वारा भाषा और साहित्य के क्षेत्र में परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए दार्शनिक , सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधारों को इंगित किया गया है। उतरोत्तर प्रयोग द्वारा इसकी गुणवत्ता बढाने के सतत प्रयास जारी हैं। इनमें शामिल कुछ अवधारणाएं हैं- इकाई की अवधारणा , मापन , समाकलन और मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण की अवधारणाएँ आदि। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा इन सभी क्षेत्रों में सामग्री निर्माण और योजना निर्माण तथा उनके कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय है। इसका उद्देश्य भाषा और साहित्य , विशेषकर हिन्दी के शिक्षण , परीक्षण और मूल्यांकन में संलग्न सभी पक्षों , उदाहरण के लिए – शिक्षक , अभिभावक , छात्र/छात्राएं , पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम निर्माता , शैक्षणिक प्रशासक ,

परीक्षणकर्ता,प्रश्नपत्र लेखक / लेखिका और पाठ्यपुस्तकें तैयार करनेवालों के बीच परीक्षण एवं मूल्यांकन की अंतर्वस्तु , उसकी पद्धतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस दिशा में एनटीएस (National Testing Service) द्वारा विकसित की गयी कतिपय शिक्षण एवं परीक्षण सामग्रियों की चर्चा की जा सकती है –भाषा सामग्री , साहित्य एवं व्यक्तित्त्व के विविध पहलू से सम्बन्धित सामग्री , गौण एवं उप अवयवों से युक्त सामान्य सन्दर्भ , संचार , परीक्षण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र की लहभग एक हज़ार अवधारणाओं का शब्दकोश , इन अवधारणाओं की परिभाषा एवं व्याख्या से सम्बन्धित सन्दर्भ पुस्तकों का निर्माण । इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक एवं स्नातक स्तरों पर स्थानीय , क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने की दिशा में रापसे (राष्ट्रीय परीक्षण सेवा) द्वारा किए जा रहे विविध प्रयासों का भी उल्लेख किया जा सकता है ।

यद्यपि हम सैद्धांतिक रूप से यह मानते हैं कि शिक्षण , अधिगम और मूल्यांकन ये तीनों परस्पर आश्रित कार्य हैं । साथ ही यह भी कि इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति बाक़ी दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । बावजूद इसके हमारी व्यवस्था आरम्भिक दो पक्षों यानी शिक्षण और अधिगम पर जितना ध्यान देती है उतना ध्यान अंतिम पक्ष यानी मूल्यांकन पर नहीं देती । जबकि यह सर्विदित तथ्य है कि मूल्यांकन किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की गुणवत्ता को तय करने वाला एक आधारभूत कारक है । यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था के इस पक्ष को गम्भीर आलोचना का दंश झेलना पड़ रहा है ।

रापसे का यह मानना है कि परीक्षण में मुख्यत: सोलह पक्षों को आधार बनाकर योजनाएं तैयार करना एक आदर्श स्थिति है । वे सोलह पक्ष हैं । मोटे तौर पर इन सोलहों पक्षों को तीन भागों के अंतर्गत रखा जा सकता है । पहले भाग को हम संज्ञानात्मक क्षेत्र (Cognitive Domin) कह सकते हैं , इसके अंतर्गत छ: पक्ष हैं –

1. ज्ञान (Knowledge)
2. बोध (Comprehension)
3. अनुप्रयोग (Application)
4. विश्लेषण (Anilysis)
5. संश्लेषण (Synthesis)
6. मूल्यांकन (Evalution)

दूसरे पक्ष भावात्मक क्षेत्र (Affective Domain) में पाँच पक्ष शामिल हैं –

1. ग्रहणशील (Receiving)
2. अनुक्रियात्मक (Responding)
3. मूल्यन (Valuing)
4. संगठन (Organization)
5. चरित्र – चित्रण या चरित्रांकन (Characterization)

इसी तरह तीसरे क्षेत्र (Psychomoter Domain) में भी पांच पक्ष शामिल हैं –

1. अनुकरण (Imatation)
2. परिचालन (Manipulation)
3. परिशुद्धता (Precision)
4. प्रयत्न समन्वय (Articulation)
5. सहजीकरण (Naturalization)

रापसे इन सोलहों पक्ष को आधार बनाकर अपने परीक्षण और मूल्यांकन अभियानों को आकार देता है।

5.8 सूचना एवं तकनीकी के उपयोग से हिंदी साहित्य शिक्षण को जीवंत बनाना

सूचना एवं तकनीकी के उपयोग से हिंदी साहित्य शिक्षण को जीवंत बनाने की विभिन्न प्रविधियों की समझ बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि उपयोगकर्ता इन सन्दर्भों से परिचित हों – डिज़िटल , वेब रिसोर्सेज, क्लिकर , इ कंटेंट , मल्टीमीडिया आदि । आवश्यकतानुसार इन सन्दर्भों को विस्तारित भी किया जा सकता है।

इंजीनियरिंग , मेडिकल , विज्ञान , प्रबंधन , अभिनय आदि विषयों के अध्ययन – अध्यापन में सूचना तकनीक के इस्तेमाल के विविध सन्दर्भों की प्राय: चर्चा होती है। समाज विज्ञान और साहित्य में सूचना तकनीक के इस्तेमाल की परम्परा अपेक्षाकृत नयी है । अब विभिन्न वेबसाईट साहित्य शिक्षण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह लैंग्वेज लैब द्वारा भाषा शिक्षण को ज़्यादा समृद्ध बनाने के प्रया किए जा रहे हैं। ई लर्निंग द्वरा कविता , कहानी , नाटक , उपन्यास आदि विधाओं के अध्ययन – अध्यापन में उन विद्यार्थियों तक पहुंच सुगम बन गया है , जिन क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा संस्थान सक्रिय नहीं हैं। विभिन्न विधाओं के श्रवण , नाट्य रूपान्तरण को दृश्य – श्रव्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत कर कारगर अध्ययन-अध्यापन की ज़मीन तैयार हो सकती है । केन्द्रीय प्रद्योगिकी शिक्षा संस्थान , राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान , इग्नू आदि इस दिशा में गम्भीर प्रयास कर रहे हैं।

5.9 सारांश

इस इकाई के विस्त्रुत अध्ययन के बाद आपने बखूबी समझ / समझीं कि हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं के अध्ययन-अध्यापन से हिन्दी की प्रयोजनमूलकता की परिधि का विस्तार होता है । आपने जाना कि मौजूदा दौर में विद्यार्थी की योग्यता और उनकी उम्मीदें बीते दौर से अलग हैं। साहित्य का संबंध अन्य समानधर्मा अभिव्यक्ति माध्यमों से बना है । सिनेमा , टेलीविजन , थियेटर , इंटरनेट आदि अनेक माध्यमों से साहित्य के दोस्ताना रिश्ते का विस्तार हुआ है। ऐसे में साहित्य शिक्षण के नए रूप उभरे हैं ।एक

महत्त्वपूर्ण पूरक के रूप में शिक्षण की परम्परागत पद्धति के साथ सूचना तकनीक का उपयोग शिक्षण में रूपांतरण ला सकता है ।सूचना के युग में हिन्दी के नए क्षेत्रों का जन्म हुआ है , जिनकी अनदेखी सम्भव नहीं । राष्ट्रीय परीक्षण सेवा का गठन कर शैक्षणिक परीक्षण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में अनेक पद्धतियों , सन्दर्भ सामग्रियों और मानव संसाधनों का विकास किया जा रहा है ।

5.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भूमंडलीकरण विश्व के बीच भारत और भारतीय भाषाएँ; इक्कीसवीं शताब्दी , औपनिवेशिक मानसिकता और भाषा , सम्पादक – हर्शबाला शर्मा , अंतिका प्रकाशन , ग़ाज़ियाबाद , 2011
2. भाषा का साम्राज्यवाद – न्गुगी वा थ्यांगो , समकलिन्न तीसरी दुनिया , जुलाई 2012
3. हिन्द स्वराज – महात्मा गांधी , सस्ता साहित्य मंडल , संस्करण 2005
4. टीचिंग लिटरेचर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन आर्ट्स एंड ह्यूमिनिटीज़ इन हायर एजुकेशन , वाल्यूम 6(2)नैटसिना ए , सेज पब्लिकेशन 2007
5. प्रयोजनमूलक हिंदी - विनोद गोदरे, वाणी प्रकाशन , नयी दिल्ली 1991
6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् , नयी दिल्ली 2005
7. आकलन स्रोत पुस्तिका , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् , नयी दिल्ली 2009
8. पाठ्यक्रम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाएं , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् , नयी दिल्ली 2006
9. सूचना युग में हिन्दी शिक्षण एवं परीक्षण : समस्याएँ एवं परिप्रेक्ष्य , राष्ट्रीय परीक्षण सेवा , भारतीय भाषा संस्थान , मैसूर 2013

खण्ड 2

Block 2

इकाई 1- हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियाँ

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 प्रत्यक्ष विधि
  1.3.1 प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं
  1.3.2 प्रत्यक्ष विधि की सीमाएं और न्युनताएँ
1.4 पारंपरिक विधि
  1.4.1 पारंपरिक विधि की विशेषताएँ
  1.4.2 पारंपरिक विधि की सीमाएं
1.5 पाठ्यपुस्तक विधि
  1.5.1 पाठ्य-पुस्तक विधि की सीमाएँ
1.6 सम्प्रेषणात्मक विधि
  1.6.1 विधि की प्रमुख विशेषताएँ
  1.6.2 सम्प्रेषणात्मक विधि की सीमाएं
1.7 आगमन और निगमन विधि
  1.7.1 आगमन-निगमन विधि की सीमाएँ
1.8 श्रव्य-भाषिक विधि
  1.8.1 श्रव्यभाषिक- विधि,संरचना विधि की विशेषताएँ
  1.8.2 संरचना विधि या श्रव्य भाषा भाषिक विधि की सीमाएं
1.9 सारांश
1.10 शब्दावली
1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
1.13 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षण विधि की सहायता ली जाती है। जीवन के अति सामान्य व्यवहार क्षेत्र में भी किसी कार्य को सुव्यवस्थित रुप से संपन्न करने के लिए

निश्चित कार्य प्रणाली अपनाई जाती है। शिक्षण योजना में विधिवत क्रम से शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित निर्दिष्ट एवं,विकासात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण विधि इसका प्रमुख साधन है अतः इसकी आवश्यकता स्वतः स्पष्ट है शिक्षण विधि के द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया को निर्दिष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है और शिक्षण कार्य में सुनिश्चितता होती है इतना ही नहीं शिक्षण की प्रभावितता भी निश्चित विधि पर ही आधारित है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत तथा विभिन्न प्रक्रियाएं शिक्षण विधियों के संदर्भ में ही सार्थक है।अपने आप को किसी विशेष विधि का समर्थक ना मानने वाले अध्यापक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से किसी न किसी विधि का अनुसरण करते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधि का प्रयोग अनिवार्य आवश्यकता है।

विभिन्न विषयों के शिक्षण की भांति भाषा के शिक्षण में भी विधियों की सहायता अपरिहार्य हो जाती है। भाषा शिक्षण मुख्यतः कौशल केंद्रित प्रक्रिया है अतः शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षण विधियां एक ओर भाषा विश्लेषण के सिद्धांतों से प्रभावित होती हैं दूसरी ओर वे शिक्षण की तकनीकों को भी प्रभावित करती हैं।शिक्षण के क्षेत्र में समानता की अवधारणा प्रचलित है कि शिक्षण विधियां ही शिक्षण एवं अधिगम की सफलता और असफलता का मुख्य कारण है। इसका एक कारण यह है कि शिक्षण में पहले क्या सिखाया जाए और कैसे सिखाया जाए इसका निर्धारण शिक्षण विधियों के आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण विधियों की महत्ता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों में इसके आधार पर सीमित अवधि में भाषा पर समुचित अधिकार कराया जाता है अतः एक विचारधारा यह है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मातृभाषा तथा अन्य भाषा अधिगम की प्रक्रिया में भिन्नता के कारण शिक्षण विधियों के प्रयोग में विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। अन्य भाषा के विभिन्न घटकों के शिक्षण में किस विधि अथवा विधियों का प्रयोग अधिक उपयोगी होगा, यह अध्यापक के सम्मुख एक विचारणीय प्रश्न है क्योंकि अन्य भाषा के शिक्षण में छात्र को परिचित परिवेश के लिए अपरिचित ध्वनियों, शब्दों के प्रयोग तथा वाक्य संरचनाओं का प्रयोग सिखाना

अनिवार्य हो जाता है। अतः इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि किस विधि अथवा विधियों के माध्यम से छात्रों में भाषाई कुशलता उत्पन्न की जाए और उंहें भाषा के प्रयोग का अभ्यास कराया जाए अन्य भाषा के शिक्षण में विभिन्न विधियों का आविर्भाव वस्तुतः इन समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयत्न है।इस प्रकार भाषा शिक्षण एवं संबंधित शिक्षण विधि, भाषा अध्ययन, भाषा अधिगम और सामाजिक संदर्भ एवं बाध्यताओं से प्रभावित परंतु समन्वित रूप में विकसित होती है।इन्हीं विविधताओं के फलस्वरुप शिक्षण-विधियों में भी विविधता दृष्टिगत होती है। नवीन प्रयोगों और अनुसंधानों के फलस्वरुप अन्य भाषा शिक्षण की संभावनाओं में वृद्धि होती जा रही है। इस इकाई में भाषा शिक्षण की मुख्य विधियां बताई गई हैं अन्य विधियां इन्हीं का आंशिक प्रतिफलन अथवा रूपांतरण है।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण-विधि का महत्त्व समझ पायेंगे।
2. प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण-दोष का विवेचन कर पायेंगे।
3. पारंपरिक व्याकरण-अनुवाद विधि की उपयोगिता का बोध विकसित कर सकेंगे।
4. पारंपरिक विधि के लाभ और सीमाओं का वर्णन कर पायेंगे।
5. पाठ्य-पुस्तक विधि की विशेषता एवं दोषों का अवबोध विकसित कर पायेंगे।
6. सम्प्रेषणात्मक विधि की विशेषता एवं सीमाओं से परिचित हो सकेंगे।

1.3 प्रत्यक्ष विधि

प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव व्याकरण अनुवाद विधि की प्रतिक्रिया में के रूप में हुआ। 19 वी शताब्दी के अंतिम चरण तथा 20 वी शताब्दी के पूर्वार्ध में भाषा वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरुप इस विधि का प्रचलन हुआ। इसके अनुसार अन्य भाषा का शिक्षण सार्थक संदर्भों में अन्य भाषा के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ही होना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि के समर्थकों का आग्रह है कि अन्य भाषा को प्रत्यक्ष रुप से उसी भाषा के द्वारा ही सिखाना चाहिए। इस विधि का मुख्य लक्ष्य है कि मातृभाषा का प्रयोग किए बिना अनुवाद की सहायता लिए बिना अध्येय भाषा के माध्यम से ही अध्येय भाषा को सीखाना उचित है।

इसकी मूल संकल्पना यह है कि मातृभाषा- उपार्जन की भांति अन्य भाषा अधिगम भी परिभाषा के प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित होनी चाहिए।मातृभाषा- उपार्जन के क्रम में बालक सहज भाषाई परिवेश में प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भाषा ही कुशलता को विकसित करता है। अन्य भाषा का अधिगम और शिक्षण में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण होना चाहिए। स्पष्ट है कि व्याकरण –अनुवाद- विधि की तुलना में इस विधि की कुछ अपनी विशेषताएं हैं।

1.3.1 प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं

1. अध्येय भाषा के शिक्षण में अध्येय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है मातृभाषा के अनुवाद की सहायता नहीं ली जाती प्रत्यक्ष विधि में शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ प्रत्यक्ष भाषाई संदर्भ पर आधारित होता है।अध्येय भाषा का श्रवण तथा उच्चारण द्वारा छात्र में अन्य भाषा की ही आदत विकसित होती है।
2. प्रत्यक्ष विधि की दूसरी विशेषता यह है कि यह व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने तथा अनुवाद पर बल नहीं देती। अन्य भाषा को सीखने में व्याकरणिक नियमों को रटने से सहायता नहीं मिलती। भाषा के प्रत्यक्ष संपर्क तथा व्यवहार से ही भाषा के प्रयोग की कुशलता उत्पन्न होती है प्रत्यक्ष विधि इस दिशा में सहायक है।
3. इस विधि में अन्य भाषा के वास्तविक प्रयोग पर बल दिया जाता है।इस संदर्भ से पृथक शब्दों को रटने पर बल नहीं दिया जाता है। इस प्रकार छात्र संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं और उनके अर्थ से परिचित होते हैं।शब्दों के संदर्भ में प्रयोग शब्द भंडार के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है।अन्य भाषा शिक्षण में शब्द भंडार का विशेष महत्व है। इस के

माध्यम से छात्र शब्दों का उचित संदर्भ में प्रयोग करते हैं इस दृष्टि से इस विधि की उपादेयता स्पष्ट है।

4. इस विधि में प्रत्यक्ष वस्तुओं, प्रतिरूपों ,चित्रों और रेखा चित्रों की सहायता से अर्थ की जानकारी कराई जाती है लेकिन आंगिक संकेतों, मुद्राओं तथा क्रिया- व्यापार का परिचय प्रदर्शन की युक्ति द्वारा दिया जाता है। आवश्यकतानुसार अभिनय तथा अनुकरण की भी सहायता ली जाती है। इस प्रकार अध्येय भाषा के माध्यम से विचारों तथा भाव को ग्रहण कराया जाता है ।
5. चूकिं प्रत्यक्ष विधि सहज-स्वाभाविक तथा और कृत्रिम परिवेश में भाषा की शिक्षण की योजना प्रस्तुत करती है अतः इसमें दिन-प्रतिदिन के जीवन में प्रयुक्त भाषा एवं वाक्य संरचनाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है केवल व्याकरणिक सिद्धांतों की प्रमाणिकता से संबंध वाक्य-साँचों का औपचारिक शिक्षण नहीं होता ।व्यवहार में आने वाले वाक्य -साँचों के प्रयोग का अभ्यास छात्रों को सरलता से हो जाता है। इस प्रकार भाषा सीखने में उन्हें विशेष सुविधा होती है ।इस क्रम में सीखी हुई भाषा पुस्तकीय भाषा नहीं होती बल्कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से संबंधित व्यवहारिक भाषा होती है। इससे छात्रों में अन्य भाषा के सही तथा व्याकरणिक प्रयोग की कुशलता विकसित होती है।
6. इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अन्य भाषा के शब्दों, वाक्यांशों,तथा वाक्यों के सहज प्रयोग का अभ्यास कराया जाता है। ध्वनियों का उच्चारण सिखाने के पश्चात विभिन्न वस्तुओं और कार्यों के संदर्भ में शब्दों तथा वाक्यांशों का प्रयोग सिखाया जाता है ।तत्पश्चात किसी परिस्थिति विज्ञान विशेष पर आधारित मौखिक वार्तालाप का अभ्यास कराया जाता है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का मौखिक रूप से व्यवहार करना सिखाने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं के चित्र तथा चित्र श्रृंखलाओं का भी प्रयोग किया जाता है ।इस प्रकार प्रारंभ में अध्यापक द्वारा प्रयुक्त वाक्यों का छात्र अनुकरण करता है आगे चलकर प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा प्रत्यक्ष संदर्भ की सहायता से भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है। इस क्रम में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता छात्रों को वास्तविक परिवेश में भी भाषा में ही सोचने और भाषा प्रयोग का अवसर दिया जाता है।
7. इस विधि में व्याकरण का ज्ञान व्याकरणिक नियमों को रटने के द्वारा नहीं कराया जाता बल्कि सहज रुप में भाषाई प्रयोगों को क्रम से विकसित किया जाता है ।प्रारंभिक वार्तालाप के आधार पर छात्रों को स्वयं भाषा में निहित नियमों को पहचानने तथा उनके सामान्य करण के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार छात्रों को व्याकरणिक नियमों की जानकारी भाषा के वास्तविक प्रयोग के आधार पर प्राप्त होती है। स्पष्ट है इस विधि के द्वारा व्याकरणिक तथ्यों का मौखिक रूप से सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग सिखाया जाता है। प्रत्यक्ष उदाहरण तथा वस्तु निर्देश की सहायता से व्याकरणिक बिन्दुओं का शिक्षण संभव है, जैसे क्रिया रूपों का प्रयोग लिंग वचन के अनुसार इस में परिवर्तन तथा अन्य व्याकरणिक तथ्यों के आधार पर भाषा प्रयोग के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

8. प्रत्यक्ष विधि की सहायता से प्रारंभ में मौखिक रूप से अन्य भाषा को सीखने के क्रम में छात्रों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है।
9. मौखिक अभिव्यक्ति में परिचित संदर्भों के आधार पर ही वाचन का अभ्यास कराया जाता है इस प्रकार शब्दों के उच्चारण तथा वार्तालाप की प्रारंभिक कुशलता के आधार पर छात्रों में सहज रुप से वाचन की कुशलता विकसित की जाती है ।परिचित सामग्री को शिक्षक छात्रों के सम्मुख सस्वर वाचन के माध्यम से प्रस्तुत करता है और तदनुसार अनुकरण वाचन द्वारा सस्वर वाचन का अभ्यास कराया जाता है ।नवीन शब्दों,वाक्यांशों का अर्थ प्रत्यक्ष वस्तुओं, वस्तु प्रतिरूपों तथा चित्रों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है ।इस प्रकार इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं इस विधि के द्वारा भाषा- पाठो को अधिक वस्तुनिस्ठ बनाया जाता है ।शब्दों में निहित अर्थों की जानकारी प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर दी जाती है ।अमूर्त एवं सूक्ष्म भावों का स्पष्टीकरण भी प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा समुचित संदर्भों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार भाषा की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों और उपकरणों का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। इस के आधार पर छात्र अन्य भाषा की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने में समर्थ होता है।
10. भाषा के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा छात्र भाषा में अंतर्निहित सांस्कृतिक विशेषताओं से अवगत हो जाता है। इस विधि में अनुवाद की सहायता से सांस्कृतिक अर्थों की जानकारी नहीं प्राप्त होती छात्र प्रत्यक्ष संदर्भ के आधार पर भाषा के सांस्कृतिक पक्ष से परिचित होते हैं।

1.3.2 प्रत्यक्ष विधि की सीमाएं और न्युनताएँ

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अन्य भाषा के शिक्षण में यह विधि व्याकरण अनुवाद -विधि की अपेक्षा अधिक सहायक सिद्ध हुई है ।इसका कारण यह है कि छात्र मातृभाषा के माध्यम से उन सभी वस्तुओं तथा संदर्भों से परिचित होता है ।जिनके लिए अन्य भाषा में नवीन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार छात्र भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा वाक्य संरचनाओं से सहज परिचित हो जाता है। परंतु अनेक विशेषताओं के होते हुए भी यह विधि अन्य भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अधिक समय तक प्रचलित ना रह सकी । द्वितीय विश्व युद्ध के समय भाषा के बोलचाल के प्रयोग की कुशलता वाचन की कुशलता से अधिक महत्वपूर्ण प्रभावित हुई। इसके फलस्वरुप इस विधि की अनेक न्यूनतायें सामने आई ।इनके कारण अन्य भाषा का शिक्षण अपेक्षाकृत पिछड़ा रहता है तथा उसमें तीव्र प्रगति नहीं हो पाती।ये सीमाएं निम्नलिखित है-

1. इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह इस मिथ्या धारणा को पोषित करती है कि अन्य भाषा अधिगम तथा मातृभाषा अधिगम मुख्यतः समान प्रक्रिया हैं ।जिस प्रकार मातृभाषा में छात्र वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सहज रुप से भाषा पर अधिकार पा लेता है वैसे ही अन्य भाषा में भी भाषा का प्रत्यक्ष संपर्क भाषाई अधिकार प्राप्त करने में सहायक होता है।यह मिथ्या धारण है ।चूँकि मातृभाषा अधिगम तथा अन्य भाषा अधिगम की प्रक्रिया में परिवेशगत भिन्नता है अतः उपयुक्त मान्यता केवल अंशतः सत्य हो सकती है। मातृभाषा में अधिगम की अनिवार्यता के फलस्वरुप छात्र भाषा पर सहज अधिकार पा लेता है ।अन्य भाषा अधिगम में इस

प्रकार की अनिवार्यता नहीं होती ।इसके अतिरिक्त मातृभाषा शैशवावस्था में सीखी जाती है और अन्य भाषा बाल्यावस्था किशोरावस्था या युवावस्था में शैशवावस्था में ।मातृभाषा की अनिवार्यता के फल स्वरुप उत्प्रेरण की मात्रा अधिक तीव्र होती है परंतु अन्य भाषा में यह तीव्रता नहीं होती इसके अतिरिक्त मातृभाषा को छात्र मातृभाषा के पर्यावरण में रहकर सीखता है । अन्य भाषा को सीखते समय अन्य भाषा का स्वाभाविक पर्यावरण नहीं हो पाता मुख्यता मातृभाषा का ही पर्यावरण होता है अतः अन्य भाषा को सीखने में कठिनाई होती है इतना ही नहीं मातृभाषा को सीखते समय छात्र का मष्तिष्क 'खाली स्लेट' होता है जिस प्रकार मातृभाषा के साँचे ही अंकित होते हैं। परंतु अन्य भाषा सीखते समय छात्र के मस्तिष्क में मातृभाषा के साँचे ही वर्तमान होते हैं ।इस प्रकार मातृभाषा की आदत अन्य भाषा को सीखने में व्याघात उत्पन्न करती है। छात्र अन्य भाषा को मातृभाषा की आदत के माध्यम से ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। स्पष्ट है कि मातृभाषा और अन्य भाषा अधिगम समरूपी प्रक्रियाएं नहीं है ।इसके लिए समान विधि का उपयोग नहीं हो सकता अतः केवल प्रत्यक्ष परिवेश विशेष रुप से सहायक नहीं होता ।

2. छात्र को केवल अन्य भाषा के माध्यम से भाषा सिखाने में तथा मातृभाषा के प्रयोग का पूर्ण रुप से निषेध करने के कारण अधिगम संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। प्रारंभ में छात्र अन्य भाषा को समझने में असमर्थ होता है। मातृभाषा का किंचित मात्र प्रयोग ना करने के कारण केवल भाषा ही कुशलता के विकास में विलंब का सूचक है बल्कि इसके द्वारा भाषा अधिगम में भी अधिक समय और शक्ति व्यय होती है ।
3. वार्तालाप में कई प्रकार की वाक्य संरचनाओं का प्रयोग होता है इस से वाक्य संरचनाओं की आवृत्ति को नियंत्रित करना संभव नहीं होता है ।फलस्वरूप छात्रों के वाक्य संरचनाओं का व्यवस्थित रुप से अभ्यास नहीं कराया जा सकता । नियंत्रित वाक्य संरचना का व्यवस्थित अभ्यास ना होने के कारण उसने भाषा के प्रयोग की कुशलता नहीं उत्पन्न होती ।भाषाई आदत को सुदृण करने के लिए साँचा अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। इस विधि में सांचा अभ्यास करना संभव नहीं है अतः उनमे भाषा ही आदत का विकास नहीं हो पाता है ।
4. इस विधि में छात्रों को स्वयं नियम- निर्धारण करना पड़ता है ।सामान्य योग्यता रखने वाले छात्र नियम निर्धारण में तथा सामान्यीकरण में असमर्थ रहते हैं केवल तीव्र बुद्धि के छात्र ही इस कार्य में सफल होते हैं ।अतः इस विधि के द्वारा अधिकतर छात्रों की भाषाई कुशलता का विकास नहीं होता। इस दृष्टि से इस विधि को अधिक उपयोगी नहीं माना जा सकता ।
5. प्रत्यक्ष विधि अधिक श्रमसाध्य है। वांछित परिवेश और वस्तु के अभाव में अध्यापक को अपनी सूझबूझ के आधार पर अध्यापन के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री की निर्मित करनी पड़ती है । वस्तु ,प्रतिरूपों, चित्र तथा रेखा चित्रों के निर्माण में अध्यापक की दक्षता विशेष रुप से सहायक है ।सभी अध्यापक वांछित कुशलता में समान रुप से दक्ष नहीं होते अतः विधि के प्रयोग में कठिनाई आती है ।

6. इस विधि के द्वारा भाषा के चारों कौशलों का समुचित विकास नहीं होता ।कारण स्पष्ट है ।श्रवण तथा उच्चारण पर अधिक बल देने से अन्य भाषाई कौशलों का विकास अवरुद्ध हो जाता है ।इससे वाचन तथा लेखन के विकास में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई उत्पन्न होती है ।
7. भाषा में निहित सांस्कृतिक तत्वों से छात्रों को अवगत कराने के लिए बहुधा मातृभाषा की आवश्यकता होती है मातृभाषा का प्रयोग को नियंत्रित कर देने से भाषा अधिक अधिगम की प्रगति मंद हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न

1. मातृभाषा अधिगम और अन्य भाषा अधिगम में क्या मूल अंतर है?
2. प्रत्यक्ष विधि रटने के बजाए किस पर बल देती है ?

1.4 पारंपरिक विधि

शिक्षण के क्षेत्र में यह विधि सबसे प्राचीन मानी जाती है । इसका विशेष प्रचलन उन्नीसवीं सदी में था, इस विधि को व्याकरण-अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह विधि दो तत्वों पर विशेष बल देती है- व्याकरण और अनुवाद ।

इस विधि का उद्देश्य छात्रों में अन्य भाषा के व्याकरण की विशेषताओं को याद करने की योग्यता का विकास करना है जिससे वो अध्येय भाषा को व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार शुद्ध एवं सही रूप से लिखने की कुशलता विकसित कर सके, इसके लिए अध्यापकों द्वारा बताये गये व्याकरणिक बिन्दुओं यथा-शब्द,शब्द-भेद,धातु-रूप,काल,वचन,कारक आदि को याद करने पर विशेष बल दिया जाता है । भाषा सीखने के लिए यह भी आवश्यक समझा जाता है कि छात्र अनुवाद की कुशलता विकसित करें ।

इसका समर्थन इसलिए भी किया जाता है कि व्याकरणिक नियमों को याद करने के आधार पर अन्य भाषा को पढ़ने और पढ़कर समझने की योग्यता का विकास संभव है । इसकी मूलभूत संकल्पना यह है कि भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरणिक तथ्यों को याद कर लेना ही पर्याप्त है । अतः भाषा के लेखन और वाचन दोनों में ही व्याकरणिक नियमों से सहायता मिलती है ।

अन्य भाषा के शिक्षण में इस विधि का प्रचलन इस आधार पर स्वीकृत रहा कि अन्य भाषा के साहित्य का अध्ययन तथा उसके मूल्यांकन की कुशलता व्याकरण की जानकारी पर आधारित है । व्याकरण की जानकारी न केवल भाषा को समझने में सहायक है बल्कि उसके द्वारा साहित्यिक अभिव्यक्तियों को भी समझा जा सकता है । इस विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराने के साथ-साथ अन्य भाषा का मातृभाषा में अनुवाद कराया जाता है, धारणा यह रही कि अनुवाद के माध्यम से अन्य भाषा में अभिव्यक्त विचारों को सरलता से समझा जा सकता है।

1.4.1 पारंपरिक विधि की विशेषताएँ

i. पारंपरिक विधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत व्याकरणिक नियम से पाठ प्रारंभ होताहै। व्याकरण का शिक्षण एक स्वतंत्र विधि के रूप में होता है। इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों का संपूर्ण ध्यान व्याकरणिक सिद्धांतों पर केंद्रित रहता है।

ii. व्याकरण के निश्चित सिद्धांतों को समझने के लिए उनके स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। उन उदाहरणों की सहायता से छात्रों का निर्देश नियमों को समझने में सहायता मिलती है।

iii. उदाहरणों को प्रस्तुत करने के पश्चात नियमों के ध्रुवीकरण के लिए अभ्यास करवाया जाता है।पाठ में प्रतिपादित नियमों को छात्र भली-भांति रट लेता है और विभिन्न लिखित अभ्यासों की सहायता से उन्हें अपने मस्तिष्क में सुदृढ़ करने का प्रयत्न करता है।

iv. व्याकरणिक नियमों के ध्रुवीकरण के लिए छात्रों से अनुवाद करवाया जाता है। पहले अन्य भाषा से मातृभाषा में तत्पश्चात मातृभाषा से अन्य भाषा में अनुवाद के द्वारा यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि छात्र ने व्याकरणिक नियमों पर पर्याप्त अधिकार पा लिया है अथवा नहीं।

v. पाठ्य सामग्री को मातृभाषा में अनुवाद की पद्धति द्वारा स्पष्ट किया जाता है।इस प्रकार इस विधि में शिक्षण का माध्यम मुख्यता अनुवाद है।

vi. अनुवाद कार्य में सहायता देने के लिए अन्य भाषा में प्रयोग कर नवीन शब्दों के अर्थ की सूची दी जाती है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह एक शब्द सूचियों का अच्छी तरह से याद कर ले यहां भी अन्य भाषा से मातृभाषा में अनुवाद का महत्व दिया जाता है।

उपयुक्त कारणों से अन्य भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का प्रबल समर्थन किया जाता था।यहां तक की 19वीं शताब्दी के अंत तक अन्य भाषा अधिगम के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने तथा द्विभाषी कोष के अत्यधिक प्रयोग का पर्याय बन गया था।छात्रों को विभिन्न व्याकरणिक उपांगो की परिभाषा रटाई जाती थी तथा अन्य व्याकरणिक नियमों पर पर्याप्त अधिकार कराया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि सीखे गए व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए छात्रों से अनुवाद कराया जाता था। अनुवाद कार्य में सहायता के लिए भी द्विभाषी कोष तथा शब्द सूची का प्रयोग किया जाता था।परंतु अन्य भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में स्वाभाविक परिवर्तन के फल स्वरुप इस विधि का महत्व घटने लगा अन्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य विचारों का आदान-प्रदान माना गया है। इस दृष्टि से यह विधि अनुपयुक्त प्रमाणित हुई है क्योंकि इसमें भाषा के व्यवहारिक प्रयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। वर्षो तक भाषा का अभ्यास करने पर भी छात्र वास्तविक परिस्थितियों में उनका उपयोग करने में असमर्थ रहता था।अन्य भाषा शिक्षण के क्षेत्र में व्याकरण अनुवाद विधि की निस्सारता स्पष्ट रुप से प्रमाणित हुई। भाषा वैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों का ध्यान इस विधि की न्यूनताओं की ओर गया और इस विधि के कटु आलोचना की गई।

1.4.2 पारंपरिक विधि की सीमाएं

व्याकरण अनुवाद विधि का यद्यपि विशेष प्रचलन रहा है किंतु कुछ सीमाएं हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक है -

1. इस विधि में मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी कुशलता के विकास के लिए कोई स्थान नहीं है ।अतः भाषा के उच्चरित पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता फलस्वरूप उच्चारण के शुद्धता, अनुतान, विवृति आदि के अभ्यास की कल्पना भी नहीं की जाती थी। इस प्रकार भाषण कौशल पूर्णतया उपेक्षित रहता है । छात्र बोलकर वार्तालाप के आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति में असमर्थ होते हैं ।
2. इस विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराने पर विशेष बल दिया जाता है ।नियमों के स्पष्टीकरण और दृढ़ीकरण के लिए जिन उदाहरणों को जिन अभ्यासों को लिया जाता है वे जीवित भाषा के प्रतीक नहीं होते। व्याकरण के नियमों को हटाने और सीमित अभ्यासों के आधार पर उनके दृढ़ीकरण के प्रयत्न से भाषाई कुशलता का विकास नहीं होता । अन्य भाषा के कौशल पर अधिकार अन्य भाषा के सतत व्यवहार, भाषाई विविधता आदि के प्रयोग के द्वारा ही संभव है । भाषा का लिखित परंपरागत मानक रूप सीमित और एक पक्षीय होता है ।
3. भाषा शिक्षण तथा भाषा अधिगम परस्पर सम्बद्ध प्रक्रिया है। अतः भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में भाषा अधिगम के सिद्धांतों का समावेश आवश्यक है ।बालक अपनी मातृभाषा को उपार्जित करते समय व्याकरण के नियमों को नहीं कंठस्थ करता बल्कि जीवन के विविध व्यवहारिक संदर्भों में भाषा सीखता है। यह विधि व्याकरणिक नियमों को हटाने पर बल देती है ।
4. इस विधि में शब्द भंडार को विकसित करने के लिए शब्द-सूचियां याद करवाई जाती है । शब्द -सूचियों को रटकर याद करना अत्यंत कठिन कार्य है । इसमें कुछ तीव्र बुद्धि के छात्रों को ही सफलता प्राप्त होती है । सामान्य छात्र इससे लाभान्वित नहीं होते इसके तरीके शब्द भंडार का विकास केवल शब्दों के रखने के आधार पर नहीं होता ।जीवन के व्यवहारिक संदर्भों में भाषा प्रयोग से शब्द भंडार स्वतः विकसित होता है ।
5. इस विधि द्वारा कक्षा में अन्य भाषा का प्रयोग नहीं सिखाया जाता है ।छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से व्याकरणिक नियमों की जानकारी दी जाती है और आवश्यक सूचनाओं निर्देशों में भी मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। इससे छात्र को अन्य भाषा सुनने और बोलने का अवसर नहीं प्राप्त होता ।कक्षा में सामान्य तथा चयनात्मक श्रवण की कुशलता भी नहीं विकसित होती थी। शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग मातृभाषा की आदतों को ही सुदृढ़ करता है ।इससे अन्य भाषा के प्रयोग की कुशलता का विकास नहीं होता। स्पष्ट है कि इस विधि से अन्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होता ।
6. पारंपरिक विधि अथवा व्याकरण अनुवाद विधि में लेखन पर विशेष बल दिया जाता है। वाचन का केवल सामान्य अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार छात्रों में पुस्तकीय भाषा का हीं

तथाकथित अभ्यास कराया जाता है। पुस्तकों में उपलब्ध भाषा का साहित्यक रूप भाषा की व्यवहारिक अथवा बोलचाल के रूप से भिन्न होता है यह साहित्यिक भाषा भी साहित्य के भली भांति परिचित वर्ग विशेष की भाषा होती है। इससे छात्र बोलचाल की भाषा से अपरिचित रहता है। इतना ही, भाषा का साहित्यक रूप भाषा की सांस्कृतिक विशेषताओं का सीमित ज्ञान प्रदान करता है। इससे अन्य भाषा भाषी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का संपूर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता।

7. व्याकरण अनुवाद विधि अथवा पारंपरिक विधि की दुर्बलता इस बात से भी प्रकट है कि इसमें अनुवाद और व्याकरण को भाषाई समझ, भाषण, वाचन तथा लेखन का पर्याय माना जाता है। विभिन्न कौशलों की विशेषता पर छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है।श्रवण, वाचन, भाषण तथा लेखन भाषा संबंधी विशिष्ट कुशलताएं हैं। इनको विकसित करने की प्रक्रिया भी विशिष्ट है।केवल अनुवाद तथा व्याकरणिक नियमों की सहायता से इन कुशलताओं को विकसित करना असंभव है।
8. इस विधि द्वारा भाषा शिक्षण में छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में व्याकरणिक नियमों की व्याख्या सुनते रहते हैं। पाठ के विकास में उनका कोई सक्रिय योगदान नहीं होता। परंपरागत शिक्षण प्रक्रिया के नियमों को कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है।उनके संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा प्रदर्शित करने का अवसर नहीं दिया जाता है। छात्र का कार्य निर्धारित नियमों को कंठस्थ करने तक ही सीमित होता है। सक्रिय सहयोग के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होती और छात्रों की भाषाई कुशलता का विकास नहीं होता। स्पष्ट है कि व्याकरण अनुवाद-विधि के द्वारा अन्य भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं होती तथा अन्य भाषा शिक्षण के क्षेत्र में इसकी अनुपयुक्तता स्पष्ट है।

अभ्यास प्रश्न

3. पारंपरिक विधि का दूसरा नाम क्या है और क्यों ?
4. पारंपरिक विधि की मूल अवधारणा क्या है ?

1.5 पाठ्यपुस्तक विधि

पाठ्यपुस्तक विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में बहुधा होता है ,यह निगमन प्रणाली से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अतः इसमें भी नियमों पर बहुत बल दिया जाता है, क्योंकि सूत्र प्रणाली संस्कृत से हिंदी में आई है तथा पाठ्य-पुस्तक प्रणाली अंग्रेजी से हिंदी में आई है। इस प्रणाली में व्याकरण शिक्षण का आधार एक पुस्तक होती है जिसमें व्याकरण के विभिन्न पक्षों पर सामान्य और संक्षिप्त वर्णन होता है

तथा उन पक्षों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं को आधार मानकर अध्यापक कक्षा में बालकों को व्याकरण ज्ञान कराता है।

1.5.1 पाठ्य-पुस्तक विधि की सीमाएँ

यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है जो व्याकरण के अध्यापन को नीरस,शुष्क और अनाकर्षक बनाती है। इसमें भी बालकों को रटने की प्रमुखता दी जाती है। केवल रटने मात्र से छात्र नियमों का सही और शुद्ध प्रयोग में लाना नहीं सीख पाते।

1.6 सम्प्रेषणात्मक विधि

सम्प्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि को सम्प्रेषणात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है, यह उपागम बातचीत (सम्प्रेषणात्मक अन्तर्क्रिया) को साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों मानती है। आलोचनाओं के बावजूद अपनी संरचनात्मक प्रवृत्ति के कारण यह विधि लोकप्रिय है। हालांकि 'कम्यूनिकेटिव भाषा शिक्षण' एक स्वतंत्र विधि नहीं वरन एक दृष्टिकोण है।

हाल के वर्षों में, कार्य-आधारित भाषा अधिगम (Task-based language learn|ng -TBLL) या कार्य-आधारित भाषा शिक्षण (Task-based language teach|ng TBLT) या कार्य आधारित अनुदेशन (Task-based |nstruct|on TB|) के रूप में पहचाने जाने वाली इस विधि के लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है। विधि भाषा-अधिगम में शिक्षार्थी की सम्प्रेषण क्षमता और भाषा व्यवहार में अर्थसिद्धि पर अधिक बल देती है। संप्रेषण व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रयोजनों की चर्चा भाषा शिक्षण के केंद्र में रही-I. अंतर्वैयक्तिक (इंटरपर्सनल) पक्ष: इसके द्वारा छात्र दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापन के लिए भाषा प्रयोग करता है:II. साधन (इंस्ट्रुमेंटल) पक्ष: इसके द्वारा छात्र किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भाषा प्रयोग करता है III. नियामक(रेगुलेटरी) कक्ष: इसके द्वारा छात्र अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है या उससे नियंत्रित होता है, IV. वैयक्तिक (पर्सनल) पक्ष: इसके द्वारा छात्र अपने व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करता है V. अन्वेषणात्मक (ह्यूरिस्टिक) पक्ष: इसके द्वारा छात्र जीवन और जगत से संबंधित ज्ञान को सीखता है VI. कल्पनात्मक(इमेजीनेटिव) पक्ष: इसके द्वारा छात्र अपनी कल्पना के सहारे नई नई दुनिया की सृष्टि करता है तथा VII. संकेतार्थ (रिप्रेजेंटेशनल) पक्ष: इसके द्वारा छात्र सूचना को संप्रेषित करता है। ब्रिटिश स्कूल के अनेक विद्वानों को इस विधि के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। इनमें कुछ प्रमुख नाम है – क्रिस्टोफर कैंडलिन, हेनरी विडोसन,डी.ए. विल्फिन्स और कीथ जोनसन।

यह ध्यान देने की बात है कि सम्प्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की विधि वस्तुतः कोई एक विधि नहीं है बल्कि उन समस्त विधियों के समुच्चय का समेकित नाम है जो ऊपर दिए भाषा सिद्धांत के उद्देश्य,अध्ययन-विश्लेषण की प्रवृत्ति , भाषा शिक्षण के सन्दर्भ और उसकी प्रविधि से संचालित है। अन्यथा भाषा शिक्षण के अन्य उपादानों पर विभिन्न ढंग से बल देने के कारण उनके भीतर भी इस विधि के उप-सम्प्रदाय की

बात की जा सकती है। उदाहरणस्वरुप एलन की 'उपकरणात्मक' विधि संरचना और प्रयोजन के साथ-साथ उसके उपकरण (इंस्ट्रुमेंटल) पक्ष को भी अपने भीतर समेटना चाहती है, विल किंस्की अभीप्राय परक (नोशनल) दृष्टि वस्तुस्थिति एवं पात्रों की संकल्पना के आधार पर संप्रेषण व्यापार को साधने के पक्ष में है, केडलिन की शिक्षार्थी प्रजनक विधि शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर संप्रेषण व्यापार के लिए संरचना और उसके प्रकार्य को साधने का समर्थक है; और विडोशन की अंतः क्रियात्मक (इंटरएक्शनल) विधि संप्रेषण में प्रयुक्त अंतर्वैयक्तिक संबंधों को केंद्र में रखकर संरचना और उसके प्रकार के अंतर्संबंधों की दक्षता उत्पन्न करने के पक्ष में है।

1.6.1 विधि की प्रमुख विशेषताएँ

i. भाषा विज्ञान के संरचनात्मक सिद्धांत और रूपांतरणपरक प्रजनक सिद्धांत में व्यक्ति की भाषिक क्षमता पर बल दिया जाता रहा है, और यह आग्रह किया जाता रहा है कि भाषा सीखने का तात्पर्य यह है भाषिक नियमों और व्याकरणिक नियमों में क्षमता प्राप्त करना। डेल हाइम्स,हैलिडे आदि विद्वानों ने इधर इस बात पर बल दिया कि भाषा-विज्ञान का दायरा मात्र व्याकरणिक क्षमता तक सीमित नहीं होता ,बल्कि उचित संदर्भों में उचित व्याकरणिक नियमों के प्रयोग ज्ञान तक फैला होता है। मात्र व्याकरणिक रचना विधान सम्प्रेषण के उन पक्षों को अपने भीतर नहीं समेट पाता जिनका सम्बन्ध सामाजिक अर्थ, प्रतिपाद्य विषयवस्तु की प्रकृति , वक्ता की मनःस्थिति आदि से जुड़ा होता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में भाषिक क्षमता के साथ-साथ बोलने वालों में भाषा-प्रयोग सम्बन्धी सम्प्रेषण क्षमता भी हो। उदाहरण के लिए लक्ष्य भाषा के रूप में हिंदी वाच्य विधान पढ़ाते समय केवल हिंदी के कर्ता वाच्य,कर्मवाच्य और भाववाच्य सम्बन्धी व्याकरणिक व्यवस्था का ज्ञान छात्रों को दे देना ही काफी नहीं, बल्कि किस सन्दर्भ में छात्र में बोलना है-'मैंने गोली नहीं चलाई', 'मुझसे गोली नहीं चलाई' अथवा 'गोली नहीं चलाई गयी' प्रयोग सम्बन्धी यह ज्ञान भी भाषा-विज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ii. इस विधि के सभी विद्वानों ने भाषा के प्रयोजनपरक पक्ष,सम्प्रेषण में निहित अर्थव्यापार और वक्ता-श्रोता के अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर बल देते हुए भाषा-शिक्षण के प्रभावी बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया तथा उन भाषाई कौशलों की दक्षता पर बल दिया जो कक्षा के बाहर भी छात्रों के लिए उपयोगी हो।

iii. अगर इस सम्प्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की तुलना इसके पूर्ववर्ती मौखिक वार्तालाप शिक्षण-विधि के साथ करें तो इसे भाषा चिंतन, भाषा की विश्लेषण पद्धति तथा भाषा शिक्षण के अभिविन्यास एवं प्रणालीगत साधनों की दृष्टि से एक अभूतपूर्व क्रांति के रूप में देखा जा सकता है।

iv. संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के सभी उपसंप्रदाय भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था का अतिक्रमण करते हुए उसके प्रयोजन पक्ष पर बल देते हैं। उनके अनुसार प्रयोजन, संरचना को नियंत्रित करता है। इस वर्ग के विद्वानों ने निम्नलिखित कुछ प्रयोजनों का ध्यान देते हुए भाषा व्यवहार को ठोस बनाने का प्रयत्न किया है। भाषा शिक्षण की यह संप्रेषणपरक पद्धति शिक्षार्थी में भाषा के प्रयोग जन्य दक्षता का विस्तार करती है और दूसरी तरफ प्रयोग के सहारे भाषा सीखने के लक्ष्य को साधती है।

1.6.2 सम्प्रेषणात्मक विधि की सीमाएं

सम्प्रेषणात्मक विधि बदलते समय की माँग पूरी करने के लिए एक नवीन शिक्षण विधि है ,जो अंतर-व्यैक्तिक सम्बन्ध कौशल को बढ़ाने,अधिगम के प्रति छात्रों की रूचि जाग्रत करने की दृष्टि से पारंपरिक विधि से उत्तम है , यह सम्पूर्ण भाषा को औपचारिक पारंपरिक विधि से तेजी से सिखाती है किन्तु इस विधि की भी अपनी सीमाएँ हैं।

व्याकरण शिक्षण हेतु सम्प्रेषणात्मक विधि के उपयोग से एक सीमा तक व्याकरण का व्यवस्थित शिक्षण प्रभावित होता है और विद्यार्थी व्याकरण के नियमों पर अधिकार नहीं कर पाते।

मनो-भाषाविज्ञान के कुछ प्रयोगों से निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि एक भाषा का अधिगम द्वितीय भाषा-अधिगम को अपनी संरचनागत अंतर के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सम्प्रेषणात्मक उपागम इस बाधा का ध्यान नहीं रखता।

अभ्यास प्रश्न

5. सम्प्रेष्णात्मक विधि को प्रचलित करने वाले विद्वानों के नाम बताएं ?
6. यह विधि सिद्धांत तुलना में _____ पर बल देती है।

1.7 आगमन और निगमन विधि

आगमन और निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे प्रचलित प्राचीन विधि मानी जाती है तथा आज भी इसका प्रयोग होता है,आगमन और निगमन विधि को अलग-अलग और संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है।

आगमन विधि में जहाँ पहले प्रयोग बताकर फिर नियम की खोज अर्थात इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों को प्रत्यक्ष न बताकर उदाहरण द्वारा बालकों से उन नियमों की खोज करायी जाती है। व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक बनाया जा सकता है।

वहीं निगमन विधि में व्याकरण के नियम-उपनियमों को सूत्रबद्ध कर बालकों से रटवाया जाता है अर्थात इसमें बालकों को पहले व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है तत्पश्चात उन्हें इन नियमों का प्रयोग,अभ्यास कराया जाता है।

आगमन और निगमन विधि को साथ-साथ प्रयोग करने पर आगमन विधि द्वारा नियमों की खोज करते हैं तथा निगमन द्वारा उस नियम का प्रयोग करते हैं ,इसमें नियम-उपनियम देकर ऐसे पर्याप्त प्रयोग लिए जाते है जिसमें अभीष्ट नियम परिलक्षित हो फिर उन नियमों की उदाहरण द्वारा पुष्टि की जाती है,जैसे संधि पढ़ाने के

लिए पहले उपयुक्त विधि से नियम की खोज होगी और उसके बाद अभ्यास के लिए बालकों को कुछ शब्द देकर संधि के भेद पहचानने को दिया जाएगा।

1.7.1 आगमन-निगमन विधि की सीमाएँ

निगमन विधि को पृथक उपयोग करने पर यह विधि अमनोवैज्ञानिक हो जाती है क्योंकि इसमें बालकों को नियम और सूत्रों को रटना पड़ता है जो अधिगम को अरुचिकर शुष्क और नीरस बनाता है। आगमन-निगमन विधि का संयुक्त उपयोग इसे व्याकरण शिक्षण की महत्त्वपूर्ण विधि बनाती है। इसमें आगमन प्रणाली के सभी गुण आ जाता है किन्तु निगमन विधि का कोई दोष नहीं आने पाता।

1.8 श्रव्य-भाषिक विधि

श्रव्य-भाषिक विधि को संरचना विधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को अन्य भाषा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति सिखाने के प्रयत्न के रूप में संरचना-विधि का आविर्भाव हुआ। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर 40 के दशक तक भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीन प्रगति हुई उसके फलस्वरूप यह विधि अस्तित्व में आई। प्रत्यक्ष विधि में वार्तालाप की प्रारंभिक योग्यता और वाचन-कुशलता भाषा के सुनिश्चित प्रयोग की कुशलता के विकास में असमर्थ रहे। इस विधि के द्वारा भाषाई संरचना के सुनिश्चित अभ्यास पर बल दिया गया और इसे भाषा सीखने का मूल आधार माना गया। इस विधि के समर्थक भाषा-शास्त्रियों ने सिद्धांत रूप में निम्नलिखित मान्यताओं को स्वीकार किया-

क) भाषा मौखिक अभिव्यक्ति है।भाषा का लिखित रूप भाषा का वास्तविक परिचय नहीं है। मौखिक भाषा ही पूर्ण भाषा है अतः भाषाई कुशलता के विकास में इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

ख) भाषा आदतों का समूह है। अन्य आदतों की भांति यह भी अभ्यासजनित है। भाषा-शिक्षण में विविध अभ्यासों की सहायता से छात्र में भाषाई आदतें सुदृढ़ की जाती हैं। जिससे वह सहज रूप से भाषा का प्रयोग कर सके।

ग) भाषा सिखाने का अर्थ भाषा की विभिन्न व्यवस्थाओं पर अधिकार प्रदान करना है,भाषा के सम्बन्ध में जानकारी देना नहीं। भाषा सिखाना और भाषा के बारे में चर्चा करना दो भिन्न दृष्टिकोण है।

घ) भाषा का वास्तविक रूप उस भाषा-भाषी जनता की बोलचाल की भाषा में निहित है ,साहित्य की पुस्तकों में नहीं।

ङ) प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न होती है। किन्हीं दो भाषाओँ में पूर्णतया समानता नहीं होती। मातृभाषा और अन्य भाषा में तो यह भिन्नता अधिक स्पष्ट होती है। भाषा के शिक्षण में इन भिन्नताओं पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

1.8.1 श्रव्य-भाषिक विधि,संरचना विधि की विशेषताएँ

संरचना विधि में-सिद्धान्तों को व्यवहार में परिणत करने के लिए कुछ प्रमुख तकनीकों को अपनाया गया। कुछ परिवर्तन के साथ श्रवण और भाषण की प्रमुखता को स्वीकार करते हुए तथा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष विधि की मान्यताओं का समावेश करते हुए इस विधि का परिवर्द्धन रूप श्रव्यभाषिक विधि के नाम से - अभिहित किया गया। इस विधि की विशेषताएँ निम्नांकित हैं –

i. इस विधि में वार्तालाप के आधारभूत साँचों के अनुकरण तथा स्मरण पर विशेष बल दिया जाता है ,अतः वार्तालाप में प्रयुक्त वाक्य-साँचों का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है जिससे छात्र वार्तालाप में उनका सहज प्रयोग कर सकें ।इस विधि में भाषा का उच्चरित रूप अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, अभ्यास और प्रयोग से छात्रों में प्रयोग की कुशलता उत्पन्न होती है।

ii. भाषा का मौखिक अभ्यास कराने में पुस्तकीय भाषा के शब्दों के स्थान पर दिन-प्रतिदिन की बोलचाल में प्रयुक्त भाषा के शब्दों का अभ्यास कराना अधिक समीचीन माना जाता है। इस से छात्रों के भाषा के व्यवहारिक रूपों के प्रयोग का अभ्यास हो जाता है

iii. इस विधि में भाषाई कौशल के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मातृभाषा उपार्जन के स्वाभाविक कर्म के अनुरूप इस विधि में भी श्रवण भाषण वाचन और लेखन के क्रम में भाषाई कौशलों को विकसित किया जाता है।

iv. विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त वाक्य –साँचों एवं शब्दावली की आवृत्ति गणना के आधार पर इंहें अनुस्तरित किया जाता है।वाक्य-संरचनाओं का अभ्यास कराते समय इन अनुस्तरित वाक्य-साँचों तथा शब्दावली का ही प्रयोग सिखाया जाता है इस से अन्य भाषा को सीखने में ना केवल मनोवैज्ञानिकता का समावेश होता है बल्कि भाषा के प्रयोग में सहज क्रमबद्धता के फल स्वरुप भाषा ही अंतर्दृष्टि का भी विकास होता है इस प्रकार भाषा अधिगम वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक क्रम पर आधारित होती है।

v. वाक्य का पूरा पाठ का आरंभ वाक्य संरचना से होता है शब्दावली तथा ध्वनियों का अलग से अभ्यास नहीं कराया जाता बल्कि वाक्य संरचनाओं के संदर्भ में ही उनका अभ्यास कराया जाता है। अन्य भाषा को सीखने उसे भली भांति समझने और उसके व्यवहार करने का एकमात्र उपाय यह है कि छात्रों से भाषा को सुनें, उस का अभ्यास करें। इस विधि का मूल आधार सांचा-अभ्यास है सांचा-अभ्यास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है भाषाई साँचों के ध्रुवीकरण का एकमात्र साधन है। साँचा-अभ्यास द्वारा जिस संरचना का अभ्यास करवाया जाता है उसकी उपयोगिता वार्तालाप विशेष में प्रयुक्त संरचना की तुलना में अधिक होती है ।साँचा-अभ्यास के द्वारा विभिन्न संरचनाओं पर मौखिक रूप से अधिकार प्राप्त कराने के पश्चात छात्र का ध्यान व्यवस्थित रुप से लिखित सामग्री पर केंद्रित कराया जाता है। यहां भी छात्रों का ध्यान भाषा के सही उच्चरित रूप पर केंद्रित करना आवश्यक है।

vi. इस विधि के द्वारा वाचन के शिक्षण में सर्वप्रथम वही सामग्री छात्र के सामने प्रस्तुत की जाती है जिसे उसने मौखिक रूप से सीख लिया है। इस सामग्री के आधार पर उसका ध्यान लिपि चिह्न

और ध्वनियों के परस्पर संबंध पर केंद्रित किया जाता है ।लिपि चिन्ह और ध्वनियों के बीच जितना ही सहज संबंध स्थापित होता है वाचन कुशलता उसी अनुपात में विकसित होती है ।

vii. इस विधि में वाचन प्रारंभ करने के बाद भी नवीन सामग्री सदैव मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाती है कारण स्पष्ट है इस विधि के अनुसार भाषा का मौखिक अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ।भाषा की ध्वनि व्यवस्था पर अधिकार पाने के बाद ही विभिन्न कौशल में दक्षता प्राप्त की जाती है ।अतः प्रत्येक नवीन सामग्री का कक्षा में सस्वर वाचन कराया जाता है ।सर्वप्रथम अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं तत्पश्चात छात्र लिपि चिह्न प्रतीक पर ध्यान देते हुए सस्वर वाचन करता है ।

viii. इस विधि में अन्य भाषाई कौशलों के विकास के पश्चात लेखन सिखाया जाता है प्रारंभ में अनुकरण लेखन यानी अंकन या और अनुलेखन ही करवाया जाता है फिर उन्हें लेखन अभ्यास के विभिन्न अभ्यासों की जानकारी दी जाती है क्योंकि छात्र विभिन्न प्रकार के वाक्य संरचनाओं से परिचित होते हैं अतः उंहें नियंत्रित रचना के विविध अभ्यास यथा वाक्य-संशोधन वाक्य-रचना अनुच्छेद- रचना और स्वतंत्र रचना का अभ्यास कराया जाता है ।इस प्रकार लेखन कुशलता विकसित हो जाती है।

ix. इस विधि में अन्य भाषा की व्याकरणिक तथ्यों की जानकारी सिद्धांत के रूप में नहीं दी जाती बल्कि वाक्य-संरचनाओं का मौखिक रूप से प्रयोग करते- करते छात्र उनमें निहित व्याकरणिक तथ्यों को आत्मसात कर लेता है।

x. इस विधि की प्रमुख विशेषता यह है कि कक्षा के बाहर अध्यापक की प्रत्यक्ष सहायता के बिना भी छात्र भाषा के प्रयोग की कुशलता अर्जित कर लेता है अतः यह विधि छात्रों में भाषा के संदार्भोचित प्रयोग की कुशलता विकसित करता है ।

xi. इस विधि की एक विशिष्टता यह भी है यह भाषा के व्यवहार का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। विभिन्न भाषाई कौशल के अधिकार प्राप्त करने के पश्चात छात्र विभिन्न संदर्भों में उसका सफलता से प्रयोग करते हैं। यद्यपि यह विधि दो महत्वपूर्ण विधियों की संबंधित विशेषता पर आधारित है परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं है। अतः इनका प्रयोग करते समय इसकी सीमाओं की जानकारी आवश्यक हो जाती है।

1.8.2 संरचना विधि या श्रव्य भाषा भाषिक विधि की सीमाएं

i. इस विधि पर सबसे बड़ा दोषारोपण किया किया जाता है कि यह विधि यांत्रिक है । वाक्य साँचों का निरंतर अभ्यास अपने आप में नीरस और अरुचिकर कार्य है, इसके अतिरिक्त सांचा विशेष का अभ्यास करते समय अध्यापक और छात्रों के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्णतया यांत्रिक हो जाती है छात्र के कौशल जिज्ञासा अथवा आकस्मिक प्रश्नों तथा रुचि के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता है ।

ii. इस विधि के सफल प्रयोग के लिए अध्यापक में विशेष योग्यता,कार्य के प्रति निष्ठा और परिश्रम करने की मानसिक तत्परता आवश्यक है। इसके अभाव में इस विधि की सफलता संदेहास्पद है ।

iii. इस विधि की सफलता मुख्यता सांचा निर्माण पर आधारित है शिक्षण बिंदुओं का चयन उनका अनुस्तरीकरण तथा समुचित अभ्यास सामग्री के आधार पर ही वाक्य संरचना का अभ्यास कराया जा सकता है ।इसके निर्माण के लिए समुचित कुशलता अपेक्षित है। उचित सामग्री के अभाव में विधि की सफलता संदिग्ध हैं सभी अध्यापक सामग्री निर्माण की तकनीक से न तो परिचित होते हैं ना अभ्यस्त ।

iv. इस विधि में भाषाई नियमों का कोई उल्लेख नहीं होता साँचा अभ्यासों के आधार पर स्वयं छात्रों को ही अंतर्भूत नियमों को सुनिश्चित करना पड़ता है ।सामान्य योग्यता रखने वाला छात्र नियमों के निर्धारण में असमर्थ होता है। इस कारण भ्रम की नियमों के गलत प्रयोग की संभावना अधिक होती है ।

v. यह भी समय-सापेक्ष है ।छात्रों को श्रवण और भाषण का अभ्यास कराने के लिए पर्याप्त समय की अपेक्षा होती है। छात्र कक्षा के सीमित समय में अभ्यास संभव नहीं हो पाता।

vi. इस विधि में छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है। परंतु छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण व्यक्तिगत रुप से ध्यान देना संभव नहीं हो पाता इसे श्रवण- भाषण कुशलता का समुचित विकास नहीं हो पाता है।

अभ्यास प्रश्न

7. श्रव्य-भाषिक विधि की शिक्षकों से एक अपेक्षा बताएं ?

1.9 सारांश

इस इकाई में अपने भाषा शिक्षण के कुछ महत्त्वपूर्ण विधियों का अध्ययन किया । भाषा शिक्षण के क्षेत्र – में प्रचलित शिक्षण विधियों में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। इस भिन्नता के अनेक कारण है । भाषा-अधिगम -विषयक विभिन्न विवरणों के अनुरूप तथा भाषा-विषयक भिन्न सिद्धान्तों के अनुसार ,भाषा विधियो-णसम्बन्धी विविध विचारों के फलस्वरूप शिक्षं में अंतर होना स्वाभाविक है । शिक्षण विधियों का समन्वयन करते समय प्रभावितता की दृष्टि से कुछ प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है जैसे शैक्षिक प्रक्रिया के विविध घटकों तथा अध्येताशैक्षिक उद्देश्य,शैक्षिक सामग्री तथा मूल्याङ्कन में , शिक्षण समन्वय,बालक में प्रक्रिया के उपरांत वांछित विकासात्मक परिवर्तनभाषण के उपरांत -श्रवण, वाचन एवं लेखन के अनुक्रम का अनुसरण।

सारांशतः किसी एक विधि के द्वारा अन्य भाषा के अध्येता में समग्र भाषाई कुशलता का विकासभाषाई , संस्कृति का परिचय संभव नहीं है। अतः परिस्थिति र्भ,आवसन्द,श्यकतास्तर तथा कुशलता आदि को , दृष्टि में रखते हुए विभिन्न विधियों की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताओं का चयन किया जा सकता है ।

1.10 शब्दावली

1. **अध्येय-** जिसका अध्ययन किया जाना हो, पाठ्य-सामग्री
2. **व्याघात-** बाधा,अवरोध
3. **प्रयोजनपरकता-** उपयोगपरकता, उपयोगवादी दृष्टिकोण
4. **सम्प्रेषण-** संचार, सन्देश का आदान-प्रदान
5. **अंतर्व्यैक्तिक -** व्यक्तियों के बीच, इंटरपर्सनल
6. **साँचा-अभ्यास-** टेम्पलेट-प्रैक्टिस, वाक्य-संरचना के ढाँचे सम्बन्धी अभ्यास
7. **अध्येता-** अधिगमकर्ता, विद्यार्थी

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. मातृभाषा में अधिगम की अनिवार्यता के फलस्वरुप छात्र भाषा पर सहज अधिकार पा लेता है ।अन्य भाषा अधिगम में इस प्रकार की अनिवार्यता नहीं होती । मातृभाषा शैशवावस्था में सीखी जाती है जबकि अन्य भाषा बाल्यावस्था किशोरावस्था या युवावस्था में शैशवावस्था में
2. प्रत्यक्ष संपर्क और व्यवहार
3. पारंपरिक विधि का दूसरा नाम व्याकरण-अनुवाद विधि है क्योंकि यह विधि व्याकरणिक नियमों और अनुवाद के माध्यम से भाषा अधिगम पर बल देती है ।
4. इसकी मूलभूत संकल्पना यह है कि भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरणिक तथ्यों को याद कर लेना ही पर्याप्त है ।
5. ब्रिटिश स्कूल के अनेक विद्वानों को इस विधि के अनुयायी के रूप में जाना जाता है– क्रिस्टोफर कैंडलिन, हेनरी विडोसन,डी.ए. विल्फिन्स और कीथ जोनसन
6. यह विधि सिद्धांत तुलना में प्रयोजन और अर्थसिद्धि पर बल देती है ।
7. श्रव्य-भाषिक सामग्री निर्माण के लिए समुचित कुशलता, सांचा निर्माण की योग्यता, शिक्षण बिंदुओं का चयन उनका अनुस्तरीकरण तथा समुचित अभ्यास सामग्री की तैयारी

1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्त, मनोरमा ,भाषा- शिक्षण सिद्धांत और प्रविधि ,आगरा,केन्द्रीय हिंदी संस्थान (2010)
2. चौहान,रीता,हिंदी शिक्षण ,आगरा,अग्रवाल पब्लिकेशन ,2016-17
3. श्रीवास्तव डॉ.रविन्द्रनाथ, भाषा-शिक्षण, ,नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन,2005

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रत्यक्ष विधि के गुण-दोष की विवेचना कीजिए।
2. व्याकरण-अनुवाद विधि की विशेषताएँ बताएं ।
3. आगमन-निगमन विधि किस प्रकार व्याकरण शिक्षण की उत्तम विधि है, अपने उदाहरण सहित व्याख्या करें।
4. सम्प्रेषणात्मक विधि के मूल संकल्पनाओं का वर्णन करें।
5. श्रव्य-भाषिक विधि का उद्भव कैसे हुआ एवं इसकी मूल मान्यताएँ क्या हैं ?

इकाई 2 - भाषा एवं साहित्य का संबंध तथा भाषा शिक्षण में हिंदी साहित्य की भूमिका

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 साहित्य का अर्थ
2.4 भाषा एवं साहित्य का संबंध
2.5 भाषा एवं साहित्य में अंतर
2.6 भाषा शिक्षण में साहित्य
2.6.1 साहित्य के माध्यम से भाषा के शिक्षण की आवश्यकता
2.6.2 साहित्य एवं भाषाई कौशलों का शिक्षण
2.6.3 साहित्यिक विधाओं के अध्ययन-अध्यापन से भाषा ज्ञान में होनेवाले लाभ
2.7 भाषा शिक्षण एवं जनसंचार
2.7.1 जनसंचार के विविध रुप
2.7.2 जनसंचार माध्यमों की भाषा
2.7.3 विद्यार्थी की भाषा पर जनसंचार माध्यमों की भाषा का प्रभाव
2.7.4 हिंदी भाषा के शिक्षण में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका
2.8 सारांश
2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.10 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रं
2.11 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

भाषा किसी भी सभ्यता एवं समाज की प्राणवायु है। यह कहना कि समाज के निर्माण की आधारशिला भाषा ही है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाज का निर्माण तब होता है जब मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर रहना शुरु करते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति तो भाषा के माध्यम से ही होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति उनके अभिव्यक्ति के बाद ही संभव है। इनकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी भाषा है। अर्थात भाषा और समाज का गहरा संबंध है। मनुष्य

के विचारों की अभिव्यक्ति विविध रुपों यथा- संवाद, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, आख्यान आदि में होते हैं। अभिव्यक्ति के ये विविध रुप ही साहित्य कहे जाते हैं। इस प्रकार भाषा और साहित्य का संबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है। साहित्य सिर्फ भाषा से ही नहीं संबंधित होता है वरन समाज से भी इसका गहरा संबंध होता है। साहित्य के अध्ययन से समाज का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। साहित्य के अध्ययन से भाषा के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। प्रस्तुत इकाई में भाषा एवं साहित्य के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डालने का भी प्रयास किया गया है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. साहित्य के अर्थ की व्यख्या कर सकेंगे।
2. भाषा एवं साहित्य के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।
4. जनसंचार के विविध रुपों को परिभाषित कर सकेंगे।
5. जनसंचार के विविध रुपों का उदाहरण दे सकेंगे।
6. जनसंचार माध्यमों की भाषा पर विचार-विमर्श कर सकेंगे।
7. हिंदी भाषा के शिक्षण में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।

2.3 साहित्य का अर्थ

साहित्य शब्द की उत्पत्ति 'सहित' शब्द में 'यत' प्रत्यय के योग से संभव हुई है। सहित का शाब्दिक अर्थ है साथ एवं यत प्रत्यय का योग होने से अर्थ 'साथ होने' का हो जाता है। इस प्रकार साहित्य का शाब्दिक अर्थ है 'शब्द और अर्थ का साथ होना या शब्द और अर्थ का सहभाव'। साहित्य के इस अर्थ को और स्पष्ट ढंग से समझने के लिए हम भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई साहित्य के विभिन्न परिभाषाओं को देखते हैं।

भारतीय साहित्य की शुरुआत काव्य से मानी जाती है। अतः, काव्य की परिभाषा को साहित्य की परिभाषा के रुप में देखा जा सकता है। पंडित विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 'वाक्यं रसात्मकम इति काव्यं'। अर्थात जिस वाक्य का सराह-सराह कर रसास्वादन किया जा सके वही काव्य है।

- **आचार्य दंडी के अनुसार** "इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काव्य शरीर है"।
- **राजशेखर के अनुसार** "शब्दार्थ योनि साहस भावेन विद्या साहित्य विद्या' अर्थात शब्द और अर्थ के साथ समुचित सहयोग वाली विद्या साहित्य विद्या है"।

- **आचार्य कुंतक के अनुसार** "शब्द एवं अर्थ के बीच सुंदरता के लिए स्पर्धा या होड़ के कारण साहित्य के सृष्टि होती है। कुंतक ने आगे इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए कहा कि शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतनी संतुलित हो कि ना तो कोई न्यून हो और न कोई अधिक हो"।
- **कविंद्र रविंद्र के अनुसार** "सहित शब्दों से साहित्य की उत्पत्ति है। अतः, धातु का अर्थ करने पर साहित्य शब्द से मिलन का एक भाव दृष्टिगोचर होता है। वह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ, ग्रंथ का ग्रंथ के साथ मिलन है। यही नहीं वह यह बताता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यंत अतरंग योग संबंध साहित्य के इतर और किसी के द्वार पर संभव नहीं है। जिस देश में साहित्य का अभाव है उस देश के लोग सजीव बंधन से बंधे नहीं विछिन्न होते हैं"।
- गणपति चंद्र गुपत ने अपनी रचना 'साहित्यिक निबंध' में साहित्य विज्ञान में दी गई न में साहित्य की परिभाषा को उद्धृत किया है । यह परिभाषा इस प्रकार है- 'साहित्य भाषा के माध्यम से रचित सौंदर्य या आकर्षण से युक्त रचना है जिसके अर्थबोध से सामान्य पाठक को आनंद की अनुभूति होती है'।
- मैनेजर पांडे ने अपनी पुस्तक 'साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका' में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दी गई परिभाषा को उद्धृत किया है। द्विवेदी जी के अनुसार 'ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है'।
- धर्मध्वज त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक "प्रेमचंद कथा साहित्य : समीक्षा और मूल्यांकन" में नंददुलारे वाजपेयी द्वारा दी गई परिभाषा का उल्लेख किया है। वाजपेयी जी के अनुसार, 'साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने का सामर्थ्य रखती हैं'।
- पाश्चात्य साहित्य भी काव्य से ही शुरु होता है। अतः, पाश्चात्य परंपरा में भी प्रारंभ में काव्य की परिभाषा को ही साहित्य की परिभाषा के रूप में समझा गया।
- गणपतिचन्द्र गुप्त ने अपनी रचना "साहित्यिक निबंध" अरस्तु एवं शैली के द्वारा दी गई पाश्चात्य काव्य की परिभाषाओं को उद्धृत किया है। अरस्तु के अनुसार, 'शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत अनुकृति को काव्य कहते हैं'।
- आंग्ल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि शैली के अनुसार 'काव्य सर्वाधिक सुखी एवं श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा जोखा है'।
- मैनेजर पांडे ने अपनी पुस्तक 'साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका' में हेनरी हडसन के द्वारा दी गई पाश्चात्य साहित्य की परिभाषा का जिक्र किया है। हेनरी हडसन के अनुसार, 'साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है'।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रारंभ में प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों परंपराओं में काव्य को ही साहित्य माना जाता था और उसमें शब्द एवं अर्थ के योग को प्रधानता दी जाती थी। कालांतर में साहित्य में सिर्फ शब्द और अर्थ ही प्रधान नहीं रहे बल्कि समाज को भी प्रमुख स्थान दिया गया। इस प्रकार वर्तमान परिदृश्य में साहित्य को सिर्फ शब्द एवं अर्थ के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं परिभाषित किया जाता है। आज साहित्य लोकमंगल की साधना और सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु किया जाने वाला भाषिक प्रयास है।

2.4 भाषा एवं साहित्य का संबंध

साहित्य एवं भाषा परस्पर संबंधित हैं। भाषा के बिना साहित्य कल्पना से परे है। साहित्य की रचना भाषा के माध्यम से ही होती है। अतः, भाषा को साहित्य का आधार भी कहा जा सकता है। भाषा एवं साहित्य के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालते हुए राजमल बोरा ने लिखा है कि साहित्य एक अर्थ में भाषा की संपत्ति है। भाषा ने अपने ऐतिहासिक काल में जो भी अर्जित किया है वह सब उस भाषा के साहित्य में सुरक्षित है। यूँ कहिए कि साहित्य किसी भाषा की धरोहर है जो अपने आप पर भाषा की समृद्धि का बोध देता है।

रचनाकार की अनुभूति को साहित्य की विभिन्न विधाओं में निबद्ध करके पाठक या श्रोता तक पहुँचाने का माध्यम भाषा ही है। इसलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन 'अज्ञेय' ने भाषा को काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण मानते हुए कहा कि काव्य के जो भी गुण बताए जाते हैं, जा सकते हैं, अंततोगत्वा भाषा ही के गुण हैं।

उपरोक्त दोनों विद्वानों के मतों से भिन्न विचार रखते हुए प्रख्यात भाषाविद अशोक रा० केलकर ने कहा कि साहित्य को भाषा की संपत्ति कहना या साहित्य के गुणों को भाषा के गुण कहने का तात्पर्य साहित्य को भाषा कहना है, जो सर्वथा अनुचित है। उन्होंने भाषा एवं साहित्य के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि "भाषा साहित्य की कला सामग्री है। स्मरण रहे हमने कला सामग्री कहा है कला माध्यम नहीं। जिस प्रकार शिल्प कला का माध्यम धनाकार बुनावट रहता है बल्कि भाषा सामग्री रूप है। जिस प्रकार शिल्प कला में पत्थर की खुदाई होती है, धातु डाली जाती है, मिट्टी की बनावट होती है उसी प्रकार भाषा से साहित्यिक मूर्तियां बनती है"।

साहित्यकार विभिन्न भाव एवं अनुभूतियों को संप्रेषित करने के लिए भाषा का सृजन करता है। वह नवीन शब्दों का निर्माण करता है तथा प्राचीन शब्दों को नया अर्थ देता है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि -"अभिधेयार्थ युक्त शब्द तो वह कच्चा माल है जिससे वह रचना करता है; ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके, उसमें जीवन डाल सके"।

उपरोक्त विवेचन से भाषा एवं साहित्य के पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो जाता है। इस संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से और स्पष्ट किया जा सकता है:

i. **साहित्य भाषा का दर्पण है -** भाषा के दर्शन साहित्य से ही होते हैं। साहित्य के माध्यम से ही हम विभिन्न काल की भाषा का दर्शन कर पाते हैं। चाहे जीवित भाषा हो या मृत भाषा उसकी जानकारी हमें उस भाषा विशेष के साहित्य से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भाषा बिना साहित्य के समझी नहीं जा सकती है। अतः, दोनों परस्पर संबंधित हैं।

ii. **भाषा और साहित्य दोनों समाज से संबंधित है-** भाषा का जन्म समाज में होता है, समाज में ही उसका पालन पोषण होता है और समाज में ही वह समृद्ध होता है। साहित्य की व्युत्पत्ति भी समाज से ही होती है। भाषा एवं साहित्य दोनों का कार्य क्षेत्र एक है। कार्य क्षेत्र एक होने के कारण ये दोनों एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं।

iii. **भाषा पर स्वामित्व की प्राप्ति साहित्य के अध्ययन से ही संभव है -** साहित्य के अध्ययन से भाषा के विभिन्न शैलियों का ज्ञान होता है। मुहावरों, लोकोक्तियों तथा शक्तियों का ज्ञान हमें साहित्य के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। अतः, भाषा एवं साहित्य एक-दूसरे से संबंधित हैं। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि चुकी भाषा एवं साहित्य दोनों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली समाज ही है अतः, ये दोनों परस्पर संबंधित हैं।

कवि अजीत कुमार की ये पंक्तियाँ भाषा एवं साहित्य के संबंध को अत्यंत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट करती हैं

"लेकिन भाषा के साथ
कवि का एक और विस्तार संभव है
जैसे कुम्हार का अपने चाक के साथ
शांत और स्थिर गति से
मनचाहे आकार गढ़ने वाला"

2.5 भाषा एवं साहित्य में अंतर

भाषा एवं साहित्य दोनों एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं। इनमें स्पष्ट विभाजन कर पाना अत्यंत ही मुश्किल कार्य है। फिर भी, निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से भाषा एवं साहित्य के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है।

i. भाषा शब्दों का एक समूह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है जबकि साहित्य वह विचार पुंज है जो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है।

ii. भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक तरीका है जिसका निष्पादन ध्वनियों के उच्चारण के कारण संभव होता है जबकि साहित्य का निर्माण किसी भाषा में कुछ कार्य संपादित करके किया जाता है।

iii. भाषा में ध्वनि, शब्द एवं वाक्य का समावेश होता है जबकि साहित्य में मानव विचारों का समावेश होता है जिसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है।

iv. भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है जबकि साहित्य उन अभिव्यक्त विचारों का कथा, कविता, नाटक, निबंध, उपन्यास आदि विविध रूपों में संग्रह है।

v. भाषा मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक होती है जबकि साहित्य सामान्यतः लिखित होता है।

vi. भाषा साहित्य की मौलिक इकाई है या यूँ कहे कि भाषा साहित्य का निर्माण करता है जबकि साहित्य भाषा को समृद्ध करता है।

उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से भाषा एवं साहित्य के मध्य अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न

1. आचार्य कुंतक के अनुसार साहित्य की परिभाषा लिखिए ।
2. अरस्तु के अनुसार काव्य को परिभाषित कीजिए।
3. साहित्य एवं भाषा के संबंध को स्पष्ट करने वाली कवि अजीत कुमार की पक्तियों को लिखिए।
4. इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही _____ शरीर है।
5. शब्दार्थ योनि साहस भावेन विद्या _____ विद्या।
6. _____ के अनुसार, शब्द कच्चा माल है।
7. "भाषा साहित्य की कला सामग्री है।" यह कथन_____ है।
8. 'साहित्य दर्पण' के रचनाकार _____ हैं।

2. 6 भाषा शिक्षण में साहित्य

साहित्य के बिना भाषा शिक्षण अधूरा है। हमारे पूर्वजों की भाषा समृद्ध थी क्योंकि वह कालिदास, बाणभट्ट, भास, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, आदि जैसे महान विभूतियों के साहित्य का अध्ययन करती थी। वर्तमान पीढ़ी साहित्य से कोसों दूर है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनके भाषाई ज्ञान पर पड़ा है। इसे सिर्फ उनका भाषाई विकास ही बाधित नहीं हुआ है बल्कि बौद्धिक एवं भावात्मक विकास भी बाधित हुआ है। अतः, भाषा शिक्षण में साहित्य की महती भूमिका है। इसलिए पिछले दो-तीन दशकों से भाषाविद एवं शिक्षाविद साहित्य के माध्यम से भाषा शिक्षण की वकालत कर रहे हैं।

2.6.1 साहित्य के माध्यम से भाषा के शिक्षण की आवश्यकता

साहित्य के माध्यम से भाषा के शिक्षण की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है:

i. **सांस्कृतिक समृद्धि-** संस्कृति के आदर्शों एवं विचारधाराओं को समझकर विद्यार्थियों को सांस्कृतिक रुप से समृद्ध एवं जागरुक बनाने में सहायता करता है।
ii. **मानसिक प्रशिक्षण-** यह मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है एवं संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करता है।
iii. **स्मरण क्षमता-** साहित्य के माध्यम से भाषा शिक्षण करने पर विद्यार्थी के लिए शब्द वाक्य आदि के भाषा विज्ञान संबंधी प्रयोगों को याद रखना आसान होता है ।
iv. **लयबद्ध स्रोत-** भाषा की गतिशीलता एवं लयबद्धता को समझने में तथा अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करता है।
v. **सुविधाजनक स्रोत-** यह भाषा शिक्षण का सुविधाजनक स्रोत है।
vi. **विवेचना के लिए मुक्त-** यह विवेचना करने की योग्यता को विकसित करता है एवं अंतःक्रिया की क्षमता को प्रोत्साहित करता है।
vii. **भाषा विज्ञान संबंधी प्रतिमान-** साहित्य में प्रयुक्त भाषा के प्रयोग एवं लेखन शैली को समझने के लिए साहित्य प्रत्यक्ष स्रोत है। यह विद्यार्थियों के लिए भाषा विज्ञान संबंधी प्रतिमान है जिसके आधार पर वे अपनी भाषाविज्ञान संबंधी कौशलों को निखारता है।
viii. **भाषा विज्ञान संबंधी दक्षता का विस्तार-** विद्यार्थी की भाषा विज्ञान संबंधी दक्षता का विस्तार होता है एवंउसमें तीक्ष्णता आती है।
ix. **प्रमाणिकता-** साहित्य भाषाई ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत होते हैं।

2.6.2 साहित्य एवं भाषाई कौशलों का शिक्षण

साहित्य प्रमुख चार भाषाई कौशलों- पठन, लेखन, श्रवण एवं वाचन के शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य के माध्यम से भाषा शिक्षण का कार्य करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न भाषाई कौशलों को पृथक-पृथक नहीं पढ़ाया जाना चाहिए बल्कि उन्हें समेकित करके पढ़ाया जाना चाहिए। आइए विभिन्न भाषाई कौशलों के शिक्षण में साहित्य की भूमिका पर चर्चा करते हैं।

i. **साहित्य एवं पठन कौशल-** एक साहित्यिक रचना का अध्यापन करते समय शिक्षक को एक गतिशील एवं विद्यार्थी केंद्रित उपागम अपनाना चाहिए। साहित्यिक रचना को पढ़ते समय विद्यार्थी पठन कौशल को सीखता है। पढ़ते समय विद्यार्थी के पठन कौशल यथा, यति तथा गति अर्थात ठहराव एवं प्रवाह, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, आदि कौशलों में प्रखरता आती है। शब्दों के अर्थ एवं उनके प्रासंगिक प्रयोग की समझ बढ़ती है।
ii. **साहित्य एवं लेखन कौशल-** साहित्य के द्वारा विद्यार्थी का लेखन कौशल भी समृद्ध होता है। कथा, कहानी, नाटक, आदि का सारांश लिखने, भावार्थ लिखने, व्याख्या करने, आदि से उनके लेखन क्षमता में वृद्धि होती है। किसी पुस्तक की समीक्षा लिखने एवं आलोचना लिखने से भी विद्यार्थी का लेखन कौशल समृद्ध होता है। वाक्य विन्यास एवं व्याकरणिक संरचना की समझ

विकसित होती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं की व्याकरणिक संरचना भी भिन्न होती है। इन व्याकरणिक संरचनाओं की समझ विभिन्न साहित्यिक विधाओं से संबंधित रचनाओं का शिक्षक द्वारा अध्यापन करते समय या विद्यार्थी द्वारा स्वअध्ययन करते समय स्पष्ट होती है। परिणामस्वरुप छात्रों के लेखन कौशल में निखार आता है।

iii. **साहित्य एवं श्रवण कौशल-** वाचन करते समय विद्यार्थी का उच्चारण शुद्ध हो जाता है। इसलिए साहित्य के माध्यम से उच्चारण की शुद्धता में निखार आता है। वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग उच्चारण की शुद्धता है।

iv. **साहित्य एवं श्रवण कौशल-** श्रवण एक प्रमुख भाषाई कौशल है। साहित्य द्वारा भाषा का शिक्षण करते समय हम साहित्यिक रचना के मौखिक वचन जिसमें की प्रायः दो प्रकार के मौखिक वाचन, आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन, सम्मिलित होते हैं, पर बहुत बल दिया जाता है। वाचन संबंधी इन कक्षाओं में विद्यार्थी सुनकर साहित्यक रचना को समझने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरुप उनके श्रवण कौशल में निखार आता है।

2.6.3 साहित्यिक विधाओं के अध्ययन-अध्यापन से भाषा ज्ञान में होने वाले लाभ

साहित्य की विधाओं के अनेक रुप होने के कारण यहाँ दो प्रमुख विधाओं के अध्ययन-अध्यापन से होनेवाले लाभ की चर्चा की गई है।

कविता के अध्ययन अध्यापन से भाषा ज्ञान में होने वाले लाभ

ने कविता के अध्ययन से भाषाई कौशलों में होने वाले लाभ को निम्नलिखित शब्दों में निबद्ध किया जा सकता है:

a. व्याकरण, वाक्य-विचार एवं शब्दों के ज्ञात प्रयोग एवं नियमों से परे जाकर पाठकों में भाषा के प्रति एक विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करता है।
b. पाठकों में भाषा संबंधी नवीन तथ्यों को ढूँढने की क्षमता तथा साहित्य की विवेचना करने की उनकी योग्यता को विकसित करता है।
c. साहित्य के अध्ययन के कारण शब्दों में छुपे हुए विविध रूप यथा- सादृश्यता, उपमा, रूपक, व्यंग्य, आदि उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हो जाते हैं।पाठक वर्ग इन तथ्यों से परिचित हो जाता है। कालांतर में पाठक वर्ग शब्दों का इन विविध रूपों में प्रयोग करने में सक्षम होता है और उसके भाषाई कौशल में वृद्धि होती है।
d. कविता का सस्वर वाचन करने के परिणामस्वरुप विद्यार्थी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों यथा- स्ट्रेस, तारत्व व अनुतान आदि से भी परिचित हो जाता है। फलस्वरुप उनका भाषाई कौशल और निखर जाता है।

लघु कहानी के अध्ययन-अध्यापन से भाषा ज्ञान में होने वाले लाभ

लघु कहानी अन्य साहित्यिक विधाओं की तुलना में सरल होता है। इससे विद्यार्थियों का पठन संबंधी कार्य आसान एवं रुचिकर हो जाता है। परिणामस्वरुप विद्यार्थी पठन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उनके भाषाई कौशल में निखार आता है ।लघु कहानी का भाषा शिक्षण में प्रयोग करने के लाभ को निम्नलिखित बिंन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है:

लघु कहानी का प्रयोग कर भाषा शिक्षण का एक उदाहरण- प्रस्तुत उदाहरण वस्तुतः लघु कहानी का प्रयोग कर भाषा शिक्षण की एक पाठ्ययोजना है। यह योजना निम्नलिखित भागों में विभाजित है:

1. **भाषा के किन पक्षों का शिक्षण किया जा सकता है?**
   - व्याकरण शिक्षण
   - उच्चारण शिक्षण
   - कथन शिक्षण
   - वर्णन करने की योग्यता का शिक्षण
   - विराम चिन्हों का शिक्षण
   - शब्दावली शिक्षण
   - शब्दों के प्रासंगिक अर्थ का शिक्षण
   - पूर्वानुमान करने की कला का शिक्षण
   - शब्द में निहित विभिन्न अर्थों को समझ कर उनका वाक्य में प्रयोग करने की कला का शिक्षण
   - दिए गए शब्दों या वाक्यों के आधार पर कहानी लेख
2. **लघु कथा का वाचन**

   निम्नलिखित लघु कथा का वाचन कीजिए।

सिंहल द्वीप में एक राजा राज करता था। उसके चार पुत्र थें। वे चारों आपस में खूब लड़ते थे। राजा उनकी इस आदत से बहुत परेशान था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक-एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। राजा ने फिर उन्हें तोड़ने के लिए कहा। चारों पुत्रों ने बारी-बारी से अपनी लकड़ियाँ तोड़ दी। अब राजा ने अपने बड़े पुत्र से लकड़ी के सारे टुकड़ों को एकत्र कर एक गट्ठर बनाने के लिए कहा। पुत्र ने लकड़ी के टुकड़ों को एकत्र किया और उसका एक गट्ठर बना दिया। फिर राजा ने उसे तोड़ने के लिए कहा। बड़ा पुत्र उसे तोड़ नहीं पाया। राजा ने बारी-बारी से अपने सारे पुत्रों से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा लेकिन कोई भी पुत्र उसे तोड़ नहीं पाया। तब राजा ने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया तथा उन्हें समझाया। जिस तरह से लकड़ियों को एक साथ कर देने पर उनको तुम में से कोई भी नहीं तोड़ पाया उसी प्रकार से यदि तुम भी एक साथ रहोगे तो शत्रु तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि तुम लोग आपस में लड़ोगे तो शत्रु तुम्हें अकेली लकड़ियों की तरह तोड़ डालेंगे। यह बात राजा के पुत्रों को समझ में आ गई और वह एक साथ मिलकर रहने लगे।

3. **क्रिया-कलाप-** इस खंड में विद्यार्थियों द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न क्रिया-कलापों को सम्मिलित किया गया है
   a. **क्रिया-कलाप 1-** कहानी के रेखांकित शब्दों में से जितने शब्द आपको याद है उन्हें एक अलग कागज पर लिखिए।
   b. **क्रिया-कलाप 2 -** शब्द के विभिन्न रूपों का शिक्षण
   निम्नलिखित तालिका को शब्द के विभिन्न रूपों से पूरा कीजिए। स्मरण रहे कि प्रत्येक शब्द के सभी रूप नहीं होते हैं।

तालिका 2.1: शब्द के विभिन्न रुप

क्रिया	क्रियाविशेषण	संज्ञा	विशेषण
बोलना		वक्ता	बोलने योग्य
सोचना			
		लिखावट	
	तेज		
समझना			
		रंग	

   c. **क्रिया-कलाप 3 -**यह क्रिया-कलाप मुख्यतः विद्यार्थी के वाचन कौशल से संबंधित है। विद्यार्थी कहानी में आए विभिन्न पात्रों की भूमिका का निर्वाह कर कहानी का नाट्य मंचन कीजिए।
   d. **क्रिया-कलाप 4-** यह क्रिया-कलाप श्रवण कौशल पर आधारित है। कहानी का कक्षा में सस्वर पाठ किया जाए तत्पश्चात विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएँ।
      - कहानी का मुख्य पात्र कौन है?
      - कहानी में कुल कितने पात्र हैं?
      - कहानी किस स्थान की है?

भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका पर आधारित उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्य वास्तविक जीवन में भाषा के प्रयोग का एक प्रामाणिक प्रतिमान है। अतः, भाषा शिक्षण के लिए यह एक प्रभावी संसाधन है। यह सिर्फ भाषा का शिक्षण ही नहीं करता है बल्कि नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत विकास को भी प्रोत्साहित करता है। साहित्य साध्य नहीं है वरन

सृजनात्मक योग्यता के विकास का साधन है जो विद्यार्थी को अपने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ से जुड़ने में सहायता करता है।

अभ्यास प्रश्न

9. लघु कहानी का प्रयोग कर भाषा के जिन पक्षों का शिक्षण किया जा सकता है , उन्हें सूची बद्ध कीजिए।
10. भाषा के चार प्रमुख कौशल कौन-कौन से हैं।
11. कविता के अध्ययन-अध्यापन में भाषा ज्ञान में होने वाले लाभ का उल्लेख कीजिए ।

2. 7 भाषा शिक्षण एवं जनसंचार

जनसंचार से आशय उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ विशाल जनसंख्या के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जनसंचार शब्द आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जैसा की डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा ने अपनी पुस्तक प्रयोजनमूलक हिंदी के आधुनिक आयाम में लिखा है "इक्कीसवीं सदी का जनसंचार(Mass Media) हमारे जीवन तथा राष्ट्रीय विकास और उसके दिशा निर्धारण का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रातः होते ही अधिकतर लोग समाचार पत्र पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं, तो सुदूर गाँवों के कुछ लोग रेडियो खोल लेते हैं। कुछ अन्य लोग दूरदर्शन पर आँख–कान लगाए बैठ जाते हैं। इन विविध माध्यमों से हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेलकूद आदि से सम्बन्धित गतिविधियों के समाचारों के अतिरिक्त विविध प्रकार के मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। इन माध्यमों से प्रसारित विभिन्न विज्ञापन हमें उपभोक्ता संस्कृति से अनायास ही जोड़े रखते हैं। सच तो यह है कि जनसंचार के इन विभिन्न माध्यमों ने व्यक्ति से लेकर जन–समूह तक तथा एक देश से लेकर विश्व के विभिन्न देशों को एक सूत्र में बाँध दिया है। इस बंधन के परिणामस्वरूप जनसंचार माध्यम राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर चिंतन, विचार, राजनीति, अर्थ, संस्कृति आदि के क्षेत्र में सम्मिलित प्रभाव डालने लगे हैं और उन में विश्व का मानचित्र बदलने की क्षमता विकसित हो चुकी है। जनसंचार का उद्देश्य है विविध प्रकार के भावों, विचारों तथा जानकारियों को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाना।" जहाँ तक शिक्षण का प्रश्न है जनसंचार अपने उद्भव काल से ही लोकशिक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसे लोकशिक्षक की भी संज्ञा दी गई है। भाषा शिक्षण में इसकी भूमिका पर चर्चा करने से पहले हम इसके विविध रूपों की चर्चा करेंगे।

2.7.1 जनसंचार के विविध रुप

जनसंचार माध्यमों को अब तक तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जाता है। ये तीन वर्ग एवं इन में सम्मिलित होने वाले जन संचार के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं।

a. **श्रव्य-** इस माध्यम में रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप-रिकॉर्डर, टेलीफोन, मोबाइल आदि सम्मिलित होते हैं।
b. **दृश्य-** इस माध्यम में समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पोस्टर, टेंपलेट, होर्डिंग, आदि को शामिल किया जाता है।
c. **श्रव्य- दृश्य माध्यम-** इसमें सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो कैसेट प्लेयर, आदि को सम्मिलित किया जाता है।

वर्तमान में सिर्फ ये तीन वर्ग ही जनसंचार माध्यम के रूप में प्रचलित नहीं है। नित्य नवीन माध्यमों का विकास हो रहा है। इंटरनेट, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, डीटीएच, विदेशी सेवा प्रभाव, सोशल नेटवर्किंग, आदि जनसंचार के नए माध्यम के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग ने जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और जनसंचार माध्यमों को अब किसी वर्ग में वर्गीकृत करना दुष्कर कार्य हो गया है।

2.7.2 जनसंचार माध्यमों की भाषा

जब जनसंचार माध्यमों की भाषा की बातचीत की जाती है तब उसका आशय हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, आदि भाषाओं से नहीं होता है क्योंकि यह बात तो स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यम द्वारा संचार करने के लिए विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं का उस भाषा भाषी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। यहाँ जनसंचार माध्यम की भाषा से हमारा आशय भाषा के स्तर से है। चाहे वह हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी या फिर अन्य कोई भाषा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों की भाषा से आशय भाषा के साहित्यिक होने या सामान्य व्यवहार/बोलचाल की भाषा होने से है। पाठ्यक्रम हिंदी शिक्षण विधि का होने के कारण हम यहाँ हिंदी भाषा के जनसंचार माध्यमों की भाषा के स्तर पर चर्चा कीजिए गे।

तकनीकी के विकास के साथ-साथ भाषा का विकास अवश्यंभावी है। लगभग 1000 वर्षों के सार्थक प्रयास के बाद आज हमें हिंदी का यह स्वरूप देखने को प्राप्त होता है। लेकिन अभी भी हम या कहने में अक्षम हैं कि यह हिंदी भाषा का स्थिर स्वरुप है और अब इसमें परिवर्तन नहीं होगा। भाषा स्वभाव से ही गतिशील है।

भारत में पत्रकारिता का आरंभ 1776 ईसवीं में ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी विलियम ब्लॉट्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अखबार के साथ मानी जाती है।

हिंदी में पहला अखबार 'उदंत मार्तंड' के नाम से सन 1826 ईसवीं स्वी में प्रकाशित होना शुरू हुआ लेकिन अर्थाभाव के कारण 1827 में बंद हो गया। यहीं से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। धीरे-धीरे हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ और समाचार पत्रों की संख्या बढ़ी। इस समय तक अधिकतर समाचार पत्रों में बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी का प्रयोग होता था। राजा शिवप्रसाद सिंह ने 1846 में बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू किया। इसी समय राजा लक्ष्मण सिंह ने भी एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। राजा शिवप्रसाद सिंह जहां हिंदुस्तानी के समर्थक थे वही लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी के। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दो भाषाओं हिंदुस्तानी एवं शुद्ध हिंदी का प्रयोग देखने को मिलने लगा।

अब तक भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्भव हो चुका था और उन्होंने अपनी रचनाओं में समृद्ध एवं सरल हिंदी का प्रयोग किया और आधुनिक हिंदी की नींव डाली। 1854 ईसवीं में उन्होंने हिंदी का पहला दैनिक समाचार-पत्र 'समाचार सुधावर्षण' तथा 1868 ईसवी में साहित्यिक पत्रिका 'कविवचन सुधा' का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकार आधुनिक हिंदी का सूत्रपात हुआ तथा हिंदी पत्रकारिता में भाषा के स्वरूप एवं को लेकर तीन भिन्न-भिन्न विचारधाराएं देखने को मिलने लगी। कालांतर में आधुनिक हिंदी का प्रचलन बढ़ा लेकिन इसमें भी परिवर्तन होता रहा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का स्वरूप एवं स्तर पत्रकारिता में प्रारंभ से ही बदलता रहा है। जनसंचार पत्रकारिता का ही व्यापक रुप है। अतः, जनसंचार माध्यमों की भाषा में भी परिवर्तन होता रहा है। पहले खड़ी बोली, फिर हिंदुस्तानी, फिर हिंदी और अब हिंदी एवं हिंग्लिश। वर्तमान में हिंदी भाषा के जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त होनेवाली भाषा में हिंग्लिश एवं इंग्लिश का बहुत अधिक समावेश हो गया है और प्रयुक्त हिंदी भाषा का स्तर भी गिर चुका है। आज जनसंचार माध्यमों की भाषा में जुगाड़ीफिकेशन जैसे हिंग्लिश शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों की भाषा साहित्यिक न रहकर सामान्य बोलचाल की भाषा में बदलती जा रही है। कथ्य के अनुकूल भाषा का प्रचलन भी कम होता जा रहा है। विज्ञापनों की भाषा में प्रायः व्याकरणिक संरचना का अभाव दिखता है। इस प्रकार हिंदी का स्वरुप वर्तमान में सरल तो हुआ लेकिन विरूपित भी हो गया है।

2.7.3 विद्यार्थी की भाषा पर जनसंचार माध्यमों की भाषा का प्रभाव

जनसंचार माध्यम भाषा सीखने के सशक्त उपकरण होते हैं। विद्यार्थी समाचार-पत्र पढ़कर, रेडियो सुनकर, फिल्म संगीत सुनकर, भाषा सीखने का प्रयास करता है। जिस स्तर की भाषा वह सुनता है या पढ़ता है उसका भाषा विकास उसी स्तर का होता है। अर्थात जनसंचार माध्यमों की भाषा का विद्यार्थी की भाषा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आजकल के विद्यार्थियों में इंग्लिश स्टाइल की हिंदी या फिल्मी हिंदी का प्रयोग जनसंचार माध्यमों के कारण ही बढ़ा है। इससे विद्यार्थियों की भाषा विरूपित होती जा रही है और वे मानक हिंदी की जानकारी से वंचित होते जा रहे हैं।

2.7.4 हिंदी भाषा के शिक्षण में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका

जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का शिक्षण-अधिगम में प्रयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। जनसंचार के माध्यम शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। भाषा शिक्षण में इनका प्रयोग या इनके माध्यम से भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना देता है। हिंदी भाषा के शिक्षण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से और स्पष्ट किया जा सकता है:

- समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, फिल्म, इंटरनेट, आदि का प्रयोग करके विद्यार्थी को भाषा का व्यावहारिक अभ्यास करने तथा वाचन, पठन, लेखन तथा श्रवण संबंधी कौशलों के विकास का अवसर प्रदान करता है।

- जनसंचार के विभिन्न माध्यम विद्यार्थियों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं विविध प्रकार के भाषाई क्रिया-कलापों के द्वारा तथा श्रवण, पठन, वाचन एवं लेखन कौशल को समेकित करने में सहायता करते हैं।
- पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण का प्रयोग करके विद्यार्थी अधिक स्वतंत्र ढंग से और विचारों को अधिक अच्छे ढंग से नियोजित करके संप्रेषित करता है। परिणामस्वरुप उसके भाषाई कौशल में निखार आता है।
- इंटरनेट आधारित ऐसे कई सॉफ्टवेयर है जो भाषा सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी अपनी गति एवं समय के अनुसार सीखता है।
- रेडियो पर समाचार सुनकर विद्यार्थी सही उच्चारण सीखता है। समाचार पत्रों का हिंदी भाषा की कक्षा में प्रयोग करके एक समय पर लिखित भाषा के विविध प्रारूप को प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि भाषा के विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसका प्रयोग भाषा शिक्षण की सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
- समाचार पत्रों में प्रस्तुत विविध प्रकार के विषयों पर आलेख विद्यार्थियों की रुचि एवं उत्सुकता को बढ़ाता है। अतः, समाचार-पत्र आधारित कार्य-कलाप भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं विद्यार्थियों के लिए आनंददायक बनाते हैं।
- भाषा की कक्षा में फिल्म या टीवी कार्यक्रमों का प्रयोग कर विद्यार्थियों के लेखन कौशल में वृद्धि की जा सकती है। विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा फिल्म या टीवी कार्यक्रमों के विषय में लिखने के लिए कहा जा सकता है जिससे उनकी लेखन क्षमता में प्रखरता आएगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर भाषा शिक्षण में जनसंचार माध्यम की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। जनसंचार माध्यमों को लोकशिक्षक की संज्ञा इसलिए दी गई है कि वह अनौपचारिक ढंग से लोगों को विविध विषयों यथा राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य भाषा, आदि की शिक्षा देता है। भाषा शिक्षण के लिए तो यह और भी उपयोगी है क्योंकि किसी भी विषय के ज्ञान के लिए भाषा एक आवश्यक तत्व है। बिना पढ़े-लिखे तो किसी भी विषय का ज्ञान हो ही नहीं सकता है और पढ़ना एवं लिखना भाषा के दो प्रमुख कौशल हैं, जिनका विकास व्यक्ति के जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ाव के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से स्वतः होता रहता है।

अभ्यास प्रश्न

12. जनसंचार शब्द से क्या आशय है?
13. 'प्रयोजनमूलक हिंदी के आधुनिक आयाम' किसकी रचना है?
14. जनसंचार माध्यमों को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है?
15. भारत में पत्रकारिता का आरंभ _____ ईसवीं से माना जाता है।

16. हिंदी का प्रथम समाचार-पत्र का नाम_____था।
17. भारत में पहला समाचार-पत्र _____ भाषा का था।
18. बनारस अखबार का प्रकाशन_____ ने आरंभ किया था।
19. भारत में हिंदी भाषा के प्रथम दैनिक समाचार-पत्र का प्रकाशन _____नाम से शुरु किया गया।
20. मिलान कीजिए

स्तंभ अ	स्तंभ ब
(अ) बनारस अखबार	(1) 1868
(ब) समाचार सुधावर्षण	(2) 1846
(स) कविवचन सुधा	(3) 1854

2.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई में हिंदी भाषा एवं साहित्य के पारस्परिक संबंध अत्यंत ही सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसके इतर दोनों के मध्य अंतर स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। भाषा एवं साहित्य के मध्य संबंध एवं अंतर को स्पष्ट करने के उपरांत हिंदी भाषा के शिक्षण में साहित्य को कैसे माध्यम बनाया जा सकता है या साहित्य के अध्यन-अध्यापन से भाषाई ज्ञान का किस प्रकार विकास किया जा सकता है की चर्चा की गई है। साहित्य की विभिन्न विधाओं के अध्ययन-अध्यापन से भाषा ज्ञान में होनेवाले लाभ का भी उल्लेख किया गया है। लघु कथा के माध्यम से किन-किन भाषाई कौशलों का शिक्षण किया जाता है, इसका भी वर्णन किया गया है। इस तथ्य को और स्पष्ट करने के लिए लघु कथा के माध्यम से हिंदी शिक्षण की एक पाठ्ययोजना भी प्रस्तुत की गई है। इकाई के अंतिम खंड में भाषा शिक्षण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन भी प्रासंगिक है। इस प्रकार, यह इकाई, अपने समग्र रुप में, हिंदी भाषा शिक्षण के कार्य में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. इस प्रश्न के उत्तर के लिए खंड 2.3 देखें।
2. इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी खंड 2.3 देखें।
3. इस प्रश्न के उत्तर के लिए खंड 2.4 देखें।
4. काव्य
5. साहित्य
6. अज्ञेय
7. अशोक रा० केललर

8. विश्वनाथ
9. इस प्रश्न के उत्तर के लिए खंड 2.6.3 देखें।
10. पठन कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल तथा श्रवण कौशल।
11. इस प्रश्न के उत्तर के लिए खंड 2.6.3 देखें।
12. जनसंचार से आशय उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ विशाल जनसंख्या के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
13. डॉ० महेंद्र सिंह राणा
14. तीन
15. 1776
16. उदंत मार्तण्ड
17. अंग्रेजी
18. राजा शिव प्रसाद सिंह
19. समाचार सुधा
20. (अ) (2)
    (ब) (1)
    (स) (3)

2.10 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रंथ

1. त्रिपाठी, धर्मध्वज. प्रेमचंद कथा साहित्य : समीक्षा और मूल्यांकन, पृष्ठ-55.
2. पांडे, मैनेजर. साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, पृष्ठ – 58.
3. गुप्त, गणपतिचन्द्र. साहित्यिक निबंध', पृष्ठ -5.
4. राणा, महेंद्रसिंह. प्रयोजनमूलक हिंदी के आधुनिक आयाम, पृष्ठ–235-236.
5. साहित्य की परिभाषा, http://vle.du.ac.in/dandi/mod/book/print.Php?id=12741&chapterid=27064 retrieved from www.google.com on 15/02/17.
6. साहित्य की परिभाषा, http://vle.du.ac.in/kuntak/mod/book/print.Php?id=12745&chapterid=27063 retrieved from www. google. com on 15/02/17.
7. साहित्य की परिभाषा, http://vle.du.ac.in/vishvanatha/mod/book/print.php?id=12749&chapterid=27034 retrieved from www. google. com on 15/02/17.
8. साहित्य की परिभाषा http://vle.du.ac.in/rakshekhara/mod/book/ print.php? id =12541&chapterid=26064 retrieved from www.google.com on 15/02/17.

9. साहित्य की परिभाषा , कवींद्र रविंद्र, http:// gadyakosh. org/ gk/ साहित्य/भाषा की परिभाषा/"हरिऔध".

2.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. साहित्य को परिभाषित करते हुए भाषा एवं साहित्य के संबंध पर एक निबंध लिखिए।
2. भाषा एवं साहित्य के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए।
3. भाषा शिक्षण में हिंदी साहित्य की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए।
4. कविता के माध्यम से भाषा के किन-किन पक्षों का शिक्षण किया जा सकता है?
5. कविता के माध्यम से भाषा शिक्षण की एक पाठ्य योजना प्रस्तुत कीजिए।
6. जनसंचार माध्यमों को परिभाषित करते हुए भाषा शिक्षण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए।
7. भाषा कक्षाकक्ष में समाचार-पत्र की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

इकाई 3 - हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं का शिक्षण

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 पद्य शिक्षण
3.3.1 स्वरूप,विषय एवं इन्द्रियों की ग्राह्यता के आधार पर काव्य के भेद
3.3.2 कविताओं के चयन के लिए कुछ संकेत
3.3.3 कविता शिक्षण के उद्देश्य
3.3.4 कविता शिक्षण की विधियाँ
3.4 गद्य शिक्षण
3.4.1 गद्य पाठ के रूप
3.4.2 गद्य शिक्षण के उद्देश्य
3.4.3 गद्य की शिक्षण विधि
3.5 व्याकरण शिक्षण
3.5.1 व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य
3.5.2 व्याकरण शिक्षण की विधियाँ
3.6 रचना शिक्षण
3.6.1 रचना शिक्षण के उद्देश्य
3.6.2 उद्देश्य एवं स्वरूप की दृष्टि से रचना के भेद
3.6.3 रचना शिक्षण विधाएँ एवं शिक्षण विधि
3.6.4 रचना का संशोधन
3.7 सारांश
3.8 शब्दावली
3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
3.11 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

वास्तव में शिक्षा का एक भाग भाषा शिक्षण भी है। शिक्षण शब्द का अर्थ है शिक्षा देना यानी ज्ञान प्रदान करना अर्थात कुशलता उत्पन्न करना। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षार्थी को भाषा व्यवहार में कुशल बनाना, प्रवीण करना भाषा व्यवहार की यही कुशलता या प्रवीणता भाषा के विभिन्न कौशलों यथा श्रवण, भाषण, पठन, वाचन तथा लिखना के सामूहिक विकास पर निर्भर है ।भाषा पर अधिकार का अर्थ है जीवन के विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में उस भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकना। शिक्षक को विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास के अनुसार भाषा शिक्षण का कार्यक्रम रखना चाहिए। भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बालक के अंदर भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अतः उसे भाषा स्वभाविक विधि से ही सिखाई जानी चाहिए। बालक 6 माह की अवस्था से बोलना प्रारंभ कर देता है। व्यस्कों को बोलते देखकर तथा उनके संपर्क में आने के कारण और अनुकरण के कारण बालक भाषा बोलना सीख जाता है। संपर्क और अनुकरण के पश्चात बार-बार अभ्यास करने से उन्हीं शब्दों की आवृत्ति मात्र से बोलना सीखता है। यदि हम बालक के मानसिक विकास का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो विदित होता है की भाषा सीखने का भी क्रम होता है। मानसिक विकास के साथ-साथ भाषा सीखने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। मानसिक विकास के साथ स्तर अनुकूल भाषा ज्ञान के स्तर के क्रम का भी ध्यान में रखना चाहिए। भाषा शिक्षण के दो मनोविज्ञान है एक भौतिक और दूसरा मानसिक ।

भाषा कौशल एक या दो क्षमताओं तक ही सीमित नहीं है वरन इसने चारों क्षमताओं को सम्मिलित करते हैं। यह श्रवण कौशल, शिक्षण श्रवण कौशल, शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति, कौशल शिक्षण, पठन या वाचन कौशल, शिक्षण अलिखित कौशल शिक्षण चारों क्षमताओं का प्रवीणता स्तर बढ़ता जाएगा तो विद्यार्थी भाषा पर पूर्ण अधिकार या पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। भाषा कौशल के विकास क्रम में जब बालक साहित्य का अध्ययन करने लगता है तो साहित्य की किस विधा के प्राप्य उद्देश्य,लक्ष्य में अंतर के कारण शिक्षण विधि,प्रश्न निर्माण,मूल्यांकन आदि समस्त प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। साहित्य की सभी विधाओं को मुख्यतः चार भागों - गद्य,पद्य,व्याकरण और रचना में बाँटा गया है।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप -

1. वे पद्य शिक्षण की आवश्यकता एवं काव्य के भिन्न रूपों का वर्णन कर पायेंगे।
2. वे उच्च माध्यमिक स्तर पर काव्य चयन के आधार बता पायेंगे।
3. उनमें पद्य,गद्य,व्याकरण एवं रचना शिक्षण की महत्ता के वर्णन की क्षमता विकसित होगी।
4. वे पद्य,गद्य,व्याकरण एवं रचना शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण कर पायेंगे।
5. उनमें विभिन्न विधाओं के शिक्षण-विधियों,प्रणालियों,उपागमों का बोध विकसित होगा।

3.3 पद्य शिक्षण

साहित्य का ही एक अंग कविता है जो मानवीय भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करता है, अथवा सुख-दुख की भावावेशमयी अवस्था के स्वर साधना का उपयुक्त पदों में प्रकाशन ही कविता है। कविता में भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व तीनों का सम्मिश्रण होता है। काव्य मनुष्य को उस धरातल पर ले जाता है जहां वह 'स्व' पर 'पर' की भावना से रहित होकर अपने को केवल मनुष्य अनुभव करता है ।हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है वही कविता है ।साहित्य के आचार्यों ने रसात्मक वाक्य को ही कविता कहा है । 'काव्य प्रकाश' के रचयिता आचार्य मम्मट के अनुसार विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव द्वारा व्यक्त स्थाई भाव रस कहलाता है। भाव ही रस का आधार है। मन के विकार भाव कहलाते हैं, भाव का आश्रय हृदय होता है। यह स्थाई भाव के रूप में वासना के रूप में मानव हृदय में सदा विद्यमान होते हैं। भाव के दो रूप हैं 1. स्थाई भाव और 2. संचारी भाव।

संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के भेद पर भी विचार किया है उन्होंने काव्य का विभाजन छंद के आधार पर किया है। छंद के आधार पर काव्य दो प्रकार का है 1.गद्य 2. पद्य

यदि गद्य में रमणीयता रचनात्मकता और ध्वन्यात्मकता है तो वह भी काव्य के समान आनंदमयी है। कादंबरी में यत्र-तत्र काव्य के गुण विद्यमान है। यद्यपि यह गद्य का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। हिंदी में काव्य की परंपरा से सभी परिचित हैं।

3.3.1 स्वरूप,विषय एवं इन्द्रियों की ग्राह्यता के आधार पर काव्य के भेद

स्वरूप के आधार पर काव्य के निम्नलिखित भेद है।

a. महाकाव्य
b. रूपक
c. आख्यायिका
d. कथा
e. मुक्तक

विषय के आधार पर काव्य के चार भेद किये गये हैं –

a. ख्यातवृत्त
b. कल्पित
c. कलाश्रित
d. शास्त्राश्रित

इन्द्रियों की ग्राह्यता के आधार पर काव्य के दो भेद किये गये है –

a. दृश्य काव्य
b. श्रव्य काव्य

हिंदी में काव्य का यह विभाजन सामान्य रूप से ही समझना चाहिए। हिंदी काव्य की परम्परा में इस विभाजन को सदैव आधार नहीं माना गया है।

3.3.2 कविताओं के चयन के लिए कुछ संकेत

उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाई जाने वाली कविताओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए

1. संकलित कविताओं के रस और सौंदर्य का आस्वादन छात्र सहज रुप से कर सकें इसमें अध्यापक की थोड़ी ही सहायता की आवश्यकता हो।
2. हिंदी के प्रमुख प्राचीन और नवीन कवियों और काव्य धाराओं का परिचय दे सकें।
3. संकलित कवियों की यथासंभव प्रतिनिधि रचनाएं हों।
4. खड़ी बोली के अतिरिक्त हिंदी की अन्य साहित्यिक बोलियों का भी प्रतिनिधित्व करें।
5. छात्रों के चरित्र को उदार बनाने वाली हो।
6. विभिन्न रसों अलंकारों छंदों और काव्य शैलियों का परिचय दे सकें।
7. छात्रों की जीवन दृष्टि को विशाल और उनकी अनुभूति और संवेदनशीलता को विस्तृत और गहरा बना सकें।
8. उनमें सृजनशीलता का विकास करने वाली हो तथा कुछ अपवादों को छोड़कर आकार में इस प्रकार की हो कि उन्हें एक दो कालांश में पढ़ाया जा सके।
9. कविताओं के कुछ प्रमुख विषय निम्नलिखित हो सकते हैं नीति, भक्ति, देश- प्रेम, जीवन- दर्शन, प्रकृति, सौंदर्य, वीरता, हास्य-विनोद, प्रेरणा, नर-नारी समानता, छोटे परिवार का प्रतिमान, रहस्यवाद, हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, पर्यावरण संरक्षण

3.3.3 कविता शिक्षण के उद्देश्य

कविता कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या करती है। उसकी वृत्ति रागात्मक होती है ।वह मानव, प्रकृति या जड़ तीनों से भाव ग्रहण कर मार्मिक हृदयगामी रुप से सत्य और आनंद की व्याख्या का प्रयत्न करती है। अतः कविता का लक्ष्य काल्पनिक और भाव जगत में विचरण करने का साधन प्रस्तुत करता है। कविता उपभोग की वस्तु है ज्ञानवर्धन की नहीं। अतः कविता पढ़ाते समय अत्यधिक व्याख्या, शब्दार्थ, व्याकरण आदि का स्पष्टीकरण की विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे रसानुभूति में व्याघात उत्पन्न होता है। लेकिन कहीं-कहीं कविता के अर्थ को समझना एवं रसानुभूति के लिए अर्थ का बताना आवश्यक हो जाता है। परंतु केवल उन्हीं शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए जिसके द्वारा रसानुभूति एवं आनंद उपलब्धि में बाधा उत्पन्न होती है। कवि के अनुसार कविता को बिना अच्छी तरह समझे हुए भी उसका आनंद लिया जा सकता है।

कविता हृदय की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति है। उसमें हृदय का श्रोत फूटकर बाहर निकलना चाहता है। अतः उसे निर्वाध गति से ही पढ़ना चाहिए अन्यथा समस्त सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। कविता हृदय की वस्तु

है, अनुभूति की अभिव्यक्ति है।अतएव कविता का उद्देश्य मानव- हृदय की रागात्मक प्रवृतियों का संशोधन संस्कार और उसकी सदवृतियों का उद्बोधन है। उसके उद्देश्य हैं -कवि भावनाओं और अनुभूतियों का छात्रों को यथार्थ रूप में अनुभव कराना तथा आस्वादन कराना ।प्रारंभिक कक्षा तक अध्यापक को सदैव इसी उद्देश्य पर दृष्टि रखनी चाहिए अस्तु कविता शिक्षण के समय ऐसा वातावरण उपस्थित करना आवश्यक है जिससे छात्र का हृदय तन्मय होकर कवि के भाव का अनुगमन एवं अनुभव कर सके।

कविता हमारे प्राणों का संगीत है। अतः कविता का पाठ इस प्रकार मधुर सस्वर प्रभावपूर्ण हो जिससे छात्र कविता का संगीत, माधुर्य उसकी काल्पनिक उड़ान, उसके और साधारण संवेगात्मक वातावरण का अनुभव कर सके । कवि और कक्षा में तादात्म्य स्थापित कर देना ही सफल अध्यापक की विशेषता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कविता शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य पर ध्यान देना अध्यापक के लिए आवश्यक है-

a. लय,ताल और भाव के अनुसार कविता पाठ करना।
b. कविता में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना।
c. सहानुभूति क्षेत्र के विस्तार तथा उदात्त भावों के उत्पादन एवं संवर्धन द्वारा उन्हें संतुलित एवं लोक कल्याणकारी चरित्र के निर्माण की प्रेरणा देना।
d. कवि के भाव एवं विचारों के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करा कर अलौकिक आनंद की अनुभूति कराना।
e. छात्रों में कवि के भावों, कल्पनाओं तथा अभिव्यक्तियों के सौंदर्य की परख की योग्यता उत्पन्न करना।
f. भाव- भंगिमाओं तथा स्वर के उतार-चढ़ाव के साथ कविता पाठ का अभ्यास कराना।
g. विविध कविता शैलियों का परिचय करा कर उन्हें अपने योग्य शैली के विकास में सहायता देना।
h. साहित्य के साथ परिचय कराते हुए उसमें बालकों की ऐसी स्थाई रुचि का विकास करना जिससे उनमें स्वाध्यायशीलता उत्पन्न हो ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए कविता शिक्षण होना चाहिए। कविता का निर्वाचन छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो वह उसके अनुभव से परे की बात ना हो। उनकी व्यक्त अनुभूतियां ऐसी हो जिन्हें बालक ने अपने जीवन में अनुभव किया हो ।

3.3.4 कविता शिक्षण की विधियां

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कविता शिक्षण की अनेक विधियां प्रचलित हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

1. गीत और अभिनय प्रणाली 2. अर्थबोध प्रणाली 3. व्याख्या प्रणाली 4. खंड अन्वय प्रणाली
5. व्यास प्रणाली 6. तुलना प्रणाली 7. समीक्षा प्रणाली

1. **गीत और अभिनय प्रणाली-** यह प्रणाली प्रारंभिक कक्षा में बाल गीत के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कुछ गीतों के अर्थ का कोई महत्व नहीं होता। केवल बालकों को सस्वर बनाना , ताल में लाना और संगीत से परिचय कराना ही इन का उद्देश्य है।
   अभिनय प्रधान पदों में बालक उचित अंग-संचालन के द्वारा भाव व्यक्त करना भी सीख जाता है। बालक को पद्य के आधार पर ही सामूहिक अभिनय सिखाना चाहिए। इस प्रकार के अभिनय द्वारा बालकों की कविताओं में रुचि उत्पन्न होगी, फुर्ती आएगी, कविताएं भी कंठस्थ हो जाएंगी और खेल-खेल में ही उचित अंग संचालन द्वारा भाव व्यक्त करने की भी विधि आ जाएगी।
2. **अर्थबोध प्रणाली-** इस प्रणाली में शिक्षक स्वयम कविता का अर्थ बताता रहता है। बालक की रुचि तथा रसानुभूति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता अतः यह प्रणाली दूषित और त्याज्य है।
3. **व्याख्या प्रणाली-** इस प्रणाली में अध्यापक एक- एक पद लेकर उसका अर्थ करता हुआ कवि का दार्शनिक मत प्रवृत्ति ,उसकी रचना शैली ,परिस्थिति ,कविता की भाषा, अलंकार, भाव ,रस आदि की व्याख्या करते हुए पद्य का अर्थ स्पष्ट करता चलता है। यदि उसमें कोई अंतर्कथा होती है तो उसका भी ज्ञान करा देता है। इस प्रणाली का उपयोग माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में ही उचित है।
4. **खंड - अन्वय प्रणाली-** इसको प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली उन पदों को पढ़ाने के काम आती है, जिनमें विशेषणों की भरमार हो, भाव की भीड़ हो, घटनाओं की घटा हो और एक बात का अर्थ स्पष्ट किए बिना स्पष्टता न आती हो। इस प्रणाली का प्रयोग केवल वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक पद्यों को पढ़ाने में किया जाता है।
5. **व्यास प्रणाली-** यह मुख्यतः उच्च श्रेणी की भाव प्रधान कविताओं को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में पद की भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से परखा जाता है। भाव के स्पष्टीकरण के लिए अनेक उदाहरणों दृष्टांतों सूक्तियों तथा कथाओं का प्रयोग कर अध्यापक व्याख्या करता है। भाषा की दृष्टि से विचार करते समय अध्यापक एक एक शब्द उसकी उपादेयता, शब्द बल, दोष तथा वाक्य विन्यास का स्पष्टीकरण करता चलता है। अतः इस प्रणाली में अध्यापक को विषय का गहनज्ञान अपेक्षित है। बालकों की रुचि उत्साह तथा उल्लास को बनाए रखने के लिए अध्यापक को कुशल अभिनेता भी होना चाहिए। भावात्मक कविताओं में इसी प्रणाली का प्रयोग उत्तम माना जाता है।
6. **तुलनात्मक प्रणाली-** इस प्रणाली में सम भाषा कवि, भिन्न भाषा कवि की तुलना तथा भाव तुलना द्वारा साम्य और असाम्य दोनों का ही विवेचन किया जाता है। साथ ही एक ही कवि अपने बनाए हुए विभिन्न काव्यों में एक ही बात कई भाव या उद्देश्य से कहता है। ऐसे भाव या वर्णनों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में विवेचन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है, ज्ञान का विस्तार होता है। कवि के उद्देश्य, कविता के विभिन्न स्वरूपों तथा कभी शैली का भी परिज्ञान हो जाता है।

7. **समीक्षा प्रणाली-** इस प्रणाली द्वारा अध्यापक ' प्रश्नोत्तर विधि' का आश्रय लेकर कवि की समीक्षा करता है। तथा विद्यार्थियों को आलोचना के सिद्धांत बताकर सहायक पुस्तकों की सहायता से समष्टि रूप में एक कवि की रचनाओं अथवा कविताओं की समीक्षा करने को कहता है। अतः यह प्रणाली उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न

1. स्वरूप के आधार पर काव्य-भेदों के नाम बतायें।
2. कविता शिक्षण की कुछ प्रचलित विधियों के नाम बतायें।

3.4 गद्य शिक्षण

गद्य और पद्य में से पहले किसका प्रादुर्भाव हुआ ,यह कहना कठिन है। पंडित करुणापति त्रिपाठी के कथन इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य है। वे कहते है, "इस भांति नर-समाज ने पहले गद्य-साहित्य का आविष्कार किया होगा,परन्तु गद्य-साहित्य से उसकी पूर्ण पुष्टि न हो सकी। अतः प्रभावोत्पादकता और रमणीयता की अभिवृद्धि करने के विचार से मनुष्य ने अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति में संगीत तत्व का सम्मिश्रण कर उसे 'कविता' नाम दिया। संगीत तत्व से अनुप्राणित साहित्य का यह रूप इतना लोकप्रिय हो गया कि इसके सामने गद्यात्मक आख्यायिका आदि का साहित्य गौण हो गया। फलतः आज हम संसार के सभी प्राचीन साहित्य में पद्य की ही प्रचुरता पाते हैं।"

कहने का तात्पर्य यह है की प्रतीक पाठ का मुख्य विशिष्ट उद्देश्य गद्य पाठ में हीं निहित होता है।

3.4.1 गद्य पाठ के रूप

गद्य पाठ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उनके निम्न प्रकारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है-

a. सूचनात्मक
b. वर्णनात्मक
c. विचारात्मक
d. भावात्मक

i. **सूचनात्मक गद्य पाठ-** इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं रहती है जो दैनिक जीवन में हमारे लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। यह सूचना है अनेक प्रकार की होती हैं। सभ्यता संस्कृति, बीमारी, यात्रा, पर्व, तीर्थ स्थान, वैज्ञानिक अन्वेषण आदि से संबंधित सूचनाओं के आधार पर हम अपने आचरण को सरल व समाज उपयोगी बना सकते हैं।

ii. **वर्णनात्मक गद्य पाठ-** वर्णनात्मक गद्य पाठों में यात्रा, प्राकृतिक दृश्य, युद्ध आदि का वर्णन होता है। जिनके आधार पर हम वर्णन करने की कला का विकास करते हैं।

iii. **विचारात्मक गद्य पाठ-** सूर, तुलसी, कालिदास,' सभ्यता व संस्कृति',' मानव और समाज' आदि विषयों पर आलोचनात्मक निबंध हमारे मानसिक विकास में सहायक होते हैं।

iv. **भावात्मक गद्य पाठ-** रामलीला, दीनों पर प्रेम आदि पाठ छात्रों के हृदय को छूते हैं। ' ताज',' फतेहपुर सीकरी' जैसे गद्यकाव्य भावात्मक पाठ ही है। इनके शिक्षण से छात्रों को भावात्मक निबंध लिखने की शैली से परिचित कराना सरल होता है।

3.4.2 गद्य शिक्षण के उद्देश्य

भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों की विचारशक्ति में वृद्धि हो और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें तथा विभिन्न साहित्यकारों द्वारा व्यक्त विचारों को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गद्य शिक्षण प्रभावी साधन है।

गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

1. छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना।
2. उनके विचारों तथा शब्दों,रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियां, सूक्तियों एवं कथाओं के कोष का क्रमशः विकास करना।
3. चिंतन में क्रमशः स्पष्टता, संगतता एवं क्रमबद्धता उत्पन्न करना।
4. वाक्य में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता समझने की स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना।
5. छात्रों को सुंदर गद्यात्मक उद्धरणों के संकलन की प्रेरणा देना।
6. छात्रों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति गंभीर सावधानी का भाव उत्पन्न करना।
7. ज्ञान क्षेत्र एवं विवेक के विकास द्वारा चरित्र चित्रण करना।
8. विभिन्न लेखन शैलियों का परिचय कराके लेखन शैली के विकास में उनकी सहायता करना।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं की गद्य शिक्षण के माध्यम से छात्रों के शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, उचित आरोह-अवरोह के साथ वाचन की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों की विचार शक्ति में वृद्धि करना एवं विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना गद्य शिक्षण के उल्लेखनीय सामान्य उद्देश्य है।

सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। विद्यालय में जो गद्य पाठ पढ़ाए जाते हैं, उनमें कुछ पाठ विचारात्मक होते हैं तो कुछ सूचनात्मक, कुछ वर्णनात्मक, कुछ भावात्मक, कुछ कथात्मक तथा कुछ चरित्र निर्माणात्मक होते हैं। कुछ पाठ व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होते हैं। कुछ अन्य पाठ वैज्ञानिक, भौगोलिक अथवा ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होते हैं। इन पाठों के अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं।

3.4.3 गद्य की शिक्षण विधि

भामह ने काव्यालंकार में गद्य को " प्रकृति अनाकुल श्रव्य शब्दार्थ पद्वृत्ति" कहा है। कुछ विचारक गद्य और पद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं मानते, किंतु दोनों में कुछ अंतर अवश्य है। पद्य साधारणतः छंदोबद्ध रचना होती है। कुछ विचारकों की दृष्टि में गद्य और पद्य का भेदक तत्व छंद है। नई कविता छंद से मुक्त है, किंतु वहां भी लय, गति , प्रवाह, स्वराघात, संगीत, अर्थ की लय, अनुभूति आदि तो विद्यमान रहते ही हैं।

प्रसिद्ध समालोचक डी.डब्ल्यु.रेनी का कहना है कि कविता बौद्धिक सृजन करती है,गद्य बौद्धिक निर्माण करता है। हरबर्ट रीड के अनुसार भी कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति (क्रिएटिव एक्सप्रेशन) है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति (कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन)। सृजन नूतनता की उदभावना है और निर्माण पहले प्राप्त वस्तुओं मैं व्यवस्था लाना है। भवन का नक्शा तैयार करना सृजन है , ईट, चूना, गारा आदि को व्यवस्थित करना निर्माण।

साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ' गद्यं कवीनाम् निकषं वदन्ति' उक्ति के अनुसार गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। काव्य में अलंकार, पिंगल आदि के रूपों में कवियों के समक्ष कुछ मार्गदर्शक तत्व होते हैं किंतु गति में इनका होना आवश्यक नहीं है। गद्य रचना में लेखक स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र होने के नाते उसे बहुत सावधान भी रहना पड़ता है। काव्य में भाषण संबंधी भूल को यह मानकर स्वीकार कर लिया जाता है की लय एवं भाव की दृष्टि से व्याकरण पर कवि का ध्यान नहीं गया, किंतु गद्य में लेखक को व्याकरणिक त्रुटि के लिए क्षमा नहीं किया जाता और उसका दोष घोषित कर दिया जाता है।

आज ज्ञान की प्रत्येक शाखा में विषय का विस्तार होता जा रहा है। बीसवीं शताब्दी में ज्ञान का विकास बड़ी द्रुत गति से हो रहा है। साहित्य के क्षेत्र में भी कहानी, उपन्यास, निबंध,लेख आदि प्रचुर मात्रा में रचे जा रहे हैं। इन विषयों का माध्यम काव्य नहीं हो सकता। इतिहास, भूगोल नागरिक शास्त्र, विज्ञान आदि का माध्यम गद्य ही होता है। कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख आदि भी गद्य में ही रचे जा रहे हैं। गद्य के माध्यम से ही हम अपने दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से गद्य का शिक्षण भाषा शिक्षण का अनिवार्य अंग बन जाता है।

गद्य के अंतर्गत कुछ पाठ द्रुत पाठ के रूप में अध्यापन हेतु होते हैं। यह पाठ प्रायः कहानी के रूप में होते हैं और इन पाठों की शिक्षण विधि पर यहां विचार नहीं किया जा रहा है। कुछ अन्य पाठ संवाद की शैली में लिखे होते हैं और उनका शिक्षण भी अन्य विधि से होना चाहिए। यहां पर उन पाठों के विषय में विचार कर रहे हैं जो गंभीर अध्यापन के निमित्त लेख या निबंध के रूप में लिखे होते हैं और जो प्रायः सूचनात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और चरित्र निर्माणात्मक होते हैं अथवा वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होते हैं।

प्रस्तावना- गद्य शिक्षण का प्रारंभ करने का प्रथम सोपान हमारे समक्ष प्रस्तावना का होता है। प्रस्तावना के लिए हम प्राथमिक कक्षाओं में वार्तालाप से प्रारंभ कर सकते हैं। कोई कहानी भी संक्षेप में सुनाई जा सकती है। निम्न माध्यमिक कक्षाओं में भी वार्तालाप या कहानी के माध्यम से प्रस्तावना हो सकती है।

इस स्तर पर संबंधित विषय पर प्रश्न भी किए जा सकते हैं। प्रश्नों के अतिरिक्त लेखक के परिचय से भी प्रस्तावना हो सकती है। प्रस्तावना के पश्चात पाठ के उद्देश्य से छात्रों को परिचित करा देना चाहिए।

वाचन- प्रस्तावना एवं उद्देश्य कथन के पश्चात अध्यापक द्वारा उचित आरोह-अवरोह का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण सहित विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से आदर्श वाचन किया जाता है।

आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन करवाना चाहिए। कुछ छात्र सस्वर वाचन करें और अध्यापक के आदर्श वाचन के समान शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। जिस समय अध्यापक आदर्श वाचन करें अथवा कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करें, शेष अपनी पुस्तक को देखते हुए मौन रूप से वाचन करते रहें।

समस्त छात्र मौन रूप से वाचन उस समय करें, जब कठिन शब्दों की व्याख्या हो जाए।

प्राथमिक कक्षाओं में भी कभी-कभी अनुवाचन की आवश्यकता पड़ सकती है। जब किसी कठिन गद्य खंड के वाचन में छात्र कठिनाई का अनुभव कर रहे हो तो अध्यापक एक पंक्ति का पुनः आदर्श वाचन करें और समस्त छात्र उस पंक्ति का एकसाथ वाचन करें। इससे कमजोर छात्र भी वाचन करने के लिए उत्साहित होंगे। बाद में व्यक्तिगत रूप से अनुकरण वाचन कराया जाए।

आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन के पश्चात कभी-कभी बोध परीक्षा के लिए प्रश्न किए जा सकते हैं। वाचन के पश्चात गद्य खंड के भाव को छात्र कुछ समझ सके या नहीं, इसके लिए दो - एक प्रश्न कर लिए जाते हैं, ताकि आगे काठिन्य निवारण के लिए अध्यापक को यह पता हो जाए की छात्र ने कितना समझा और उसकी कठिनाई के मुख्य स्थल कौन-कौन से हैं। बोध- परीक्षा के प्रश्न कुछ अध्यापक नहीं करते। यदि अध्यापक कक्षा के स्तर से पूर्णरूपेण परिचित है और छात्रों की कठिनाई का सफलतापूर्वक पूर्वानुमान लगा सकता है तो बोध परीक्षा आवश्यक नहीं है।

काठिन्य निवारण- वाचन के पश्चात गद्य शिक्षण का मुख्य भाग काठिन्य निवारण आता है। प्रत्येक गद्य पाठ में कुछ कठिन प्रश्न होते हैं। इन कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण कई प्रकार से किया जाता है। कुछ प्रमुख प्रविधियां आगे दी जा रही है, जिनके माध्यम से प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं में कठिन शब्दों का अर्थ बताया जा सकता है -

i. चित्र दिखाकर- जैसे शर, चाप, पंकज शब्दों का अर्थ वाण, धनुष कमल के फूल का चित्र दिखाकर समझाया जा सकता है।
ii. प्रतिमूर्ति दिखाकर- मीनाक्षी, अजंता, एलोरा आदि का मॉडल दिखाया जा सकता है।
iii. रेखा चित्र द्वारा- यदि अध्यापक का श्यामपट कार्य अच्छा है तो वह भाजन, गज, बक आदि शब्दों का अर्थ बताने के लिए श्यामपट्ट पर रेखा चित्र बना सकता है।
iv. मानचित्र द्वारा- कोसल, मगध, प्रायद्वीप आदि शब्दों का अर्थ समझाते हुए मानचित्र का आश्रय लिया जा सकता है।

v. प्रत्यक्ष पदार्थ द्वारा- बीज, लिली, गुलदाउदी शब्दों का अर्थ बताने के लिए प्रत्यक्ष रुप से पदार्थ दिखाया जा सकता है। यहां पर ध्यान रहे की पालतू पशुओं को नहीं ले जाना चाहिए या किसी ऐसे पदार्थ को नहीं ले जाना चाहिए, जिससे कक्षा में तमाशा होने लगे।

vi. संकेत द्वारा-शीश, हस्त आदि शब्दों का अर्थ इनकी ओर कक्षा में संकेत करके बताया जा सकता है। यहां पर ध्यान रहे की गुप्तांगों की ओर संकेत वर्जित है।

vii. अभिनय द्वारा- पधारना , निष्कासन आदि शब्द तदनूकूल क्रिया द्वारा समझाये जा सकते हैं।

viii. पर्याय कथन- जैसे कर, वसुंधरा, सूर्य हाथी का पर्याय दिया जा सकता है। अनेक शब्द देखने में पर्याय से लगते हैं किंतु उनमें से प्रत्येक का अपना विशेष अर्थ होता है। बहुत और अधिक पर्याय है किंतु भावात्मक वाक्य में ‘ अधिक’ और संख्यावाचक वाक्य में प्रायः ‘ बहुत’ का प्रयोग होता है। भीगा और गीला पर्याय है, किंतु भीगा का प्रयोग सजीव के लिए और दोनों का प्रयोग निर्जीव के लिए हो सकता है। ठीक और सही पर्याय हैं पर सही का प्रयोग गलत के विलोम के अर्थ में और ठीक का प्रयोग उचित के अर्थ में होता है।

ix. संधि विच्छेद- जैसे अत्यधिक, इत्यादि आदि शब्दों को समझाने के लिए।

x. समास विग्रह- जैसे दशानन, राजपुरुष आदि शब्दों को समझाने के लिए।

xi. अर्थ कथन- कभी कभी किसी युक्ति का आश्रय ना लेकर सीधे अर्थ बता दिया जाता है जैसे- प्रयत्न = कोशिश।

xii. वाक्य प्रयोग- जैसे वृतांत, मूर्छित आदि शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके समझाया जा सकता है।

xiii. व्याख्या- न्याय, पीड़ित, समाज आदि शब्दों की व्याख्या करके समझाया जा सकता है।

xiv. अंतर्कथा द्वारा- भगीरथ प्रयत्न, ध्रुव निश्चय जैसे शब्दों को अंतर्कथा के स्पष्टीकरण द्वारा समझाना चाहिए।

इस प्रकार, शब्दों का स्पष्टीकरण करने के लिए उपर्युक्त विधि का आश्रय लिया जाता है। कभी-कभी कुछ मुहावरे या लोकोक्तियां आ जाती हैं। उनका भी है स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। यदि कोई वाक्य जटिल प्रतीत हो रहा है तो उसे भी इसी सोपान में समझा देना चाहिए।

काठिन्य निवारण के पश्चात प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक पुनः आदर्श वाचन कर सकता है और कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन कराया जा सकता है। माध्यमिक कक्षाओं में इस स्तर पर मौन वाचन ही होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में भी विकल्प से मौन वाचन कराया जा सकता है।

विश्लेषण- इसके पश्चात प्रमुख विचारों का विश्लेषण होना चाहिए। यह कार्य प्रश्न उत्तर के माध्यम से होना चाहिए। प्रश्न छोटे और उचित भाषा में हो तथा छात्रों से पूर्ण वाक्य में ही उत्तर लिए जाएं। सभी प्रमुख पाठ्य बिंदुओं पर प्रश्न होने चाहिए। इस प्रकार प्रश्न उत्तर के माध्यम से विचारों का विश्लेषण हो जाना चाहिए।

विचार विश्लेषण के पश्चात पुनः अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और छात्रों द्वारा सस्वर वाचन हो। यदि दो अन्वितियाँ हो तो दोनों के लिए अलग से आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण, मौन

वाचन तथा विचार विश्लेषण हो। पुनः वाचन करने के पश्चात दोनों अन्वितियों का मौन वाचन करा दिया जाए और अंत में दोनों अन्वितियों पर आधारित कुछ पुनरावृति प्रश्न पूछे जाएं।

अभ्यास प्रश्न

3. काठिन्य-निवारण की कुछ युक्तियों के नाम बतायें।
4. गद्य और पद्य में मूल अंतर का आधार बतायें।

3.5 व्याकरण शिक्षण

हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का विशेष महत्त्व है।व्याकरण के ज्ञान से ही भाषा में बोलने लिखने की शुद्धता आ सकती है।भाषा की अशुद्धिय व्याकरण के द्वारा ही दूर की जा सकती है।व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा के प्रयोग में उच्छ्रखलता,निरंकुशता , अव्यवस्था और अशुद्धि आ जाती है।व्याकरण भाषा के प्रचेत रूप और प्रवृत्तियो का ज्ञान देती है।इसमे भाषा के प्रयोग और अर्थ बोध में सुविधा रहती है।अतः भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण महत्वपूर्ण है । आचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है कि "व्याकरण की शिक्षा,भाषा की शिक्षा का एक आवश्यक एवं अपरिहार्य अंग है।भाषा को शुद्ध बनाये रखने का काम सिर्फ व्याकरण का ही है"।

आदि काल में मानव ने अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम बनाया वो आज भी प्रचलित है। इसी का नाम भाषा है आदिकाल में भाषा का स्वरूप सांकेतिक रहा होगा परन्तु सभ्यता के विकास के साथ ही इसके स्वरुप में भी परिवर्तन आया। वर्त्तमान समय में भाषा मौलिक व लिखित रूप में प्रचलित है और इसके भी कई रूप है। भाषा के उन रूपों में नियमितता एवं स्थिरता लाने के लिए नियम बनाये गये है इन्ही नियमों को व्याकरण कहते है।डा.बद्रीनाथ कपूर के अनुसार –'किसी भाषा की बोलने व लिखने के नियमो की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है'।

3.5.1 व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य

1. व्याकरण शिक्षण की सहायता से बालको को हिंदी भाषा की विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना।
2. व्याकरण शिक्षण द्वारा बालकों में रचना तथा सृजनात्मक पद्धति व प्रवृत्ति का विकास करना।
3. भाषायी कौशल पढ़ना , लिखना ,बोलना तथा सुनना का विकास व्याकरण से ही सम्भव है।
4. बालको को शुद्ध भाषा के प्रयोग को सीखना साथ ही उनमे ऐसी योग्यता विकसित करना जिसमे वे भाषा की अशुद्धता को समझ सकें।
5. बालको को भषा से सम्बंधित नियमों का ज्ञान कराना।
6. बालकों में भाषा की शुद्धता के प्रति आस्था विक्सित करना।

7. बालको में वैज्ञानिक दृष्टिकोण , चिन्तन व मनन –शक्ति का विकास करना।
8. बालको में व्याकरण शिक्षण द्वारा मानसिक अनुशासन स्थापित करना।
9. बालको को भाषा के गुण-दोषों की परख करने योग्य बनाना।
10. भाषा के व्याकरण संगत रूप को सुरक्षित रखना।
11. बालको को वर्णों शब्दों और वाक्यों के शुद्ध और सही रूप की शिक्षा देना ताकि भाषा को विकृति से बचाया जा सके।
12. व्याकरण शिक्षण से भाषा में नियमितता और स्थायित्व लाकर उनके सर्वमान्य रूप को सुरक्षित रखना।
13. व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा अधिक बल देना , जिससे व्याकरण शिक्षण नीरस न बन पाए।

    अंग्रेज विद्वान पोकाक तथा भारतीय विद्वान लज्जा शंकर के विचार के अनुसार "व्याकरण की शिक्षा का उद्देश्य बालक की भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में प्रवीण बनाना होना चाहिए।"

3.5.2 व्याकरण शिक्षण की विधियाँ

व्याकरण का विषय प्रायः बालको को शुष्क व नीरस लगता है ।बालको का सान्निध्य व्याकरण की ऐसी अमनोवैज्ञानिक विधियों से कराया जाता है जो उनके लिए अरुचिकर होती है ।व्याकरण शिक्षण में आनंद का भाव लाने हेतु उनकी शिक्षण विधियों में उपयुक्त परिवर्तन लाना होगा जिससे व्याकरण की शिक्षा में सजीवता आ सके तथा भाषा-संसर्ग के साथ उसे रुचिपूर्ण सिखाया जा सके।

व्यावहारिक रूप से व्याकरण शिक्षण को तीन रूप में बाँटा गया है –

1. बालकों को व्याकरण के नियम बता दिए जाये और वे उन नियमों का स्मरण करें व प्रयोग करें।
2. बालकों को अधिक-से-अधिक प्रयोग कराये जाएँ और वे उन नियमों की खोज स्वयं करें।
3. तीसरा रूप बालकों को व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर भाषा के साथ ही दे दी जाये। इसे भाषा-संसर्ग या समवाय विधि कहते है।

हम निम्न महत्वपूर्ण प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे –

a. **निगमन प्रणाली या सूत्र प्रणाली-** यह प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित प्राचीन प्रणाली है आज भी इसका प्रयोग किया जाता है ।इसमे व्याकरण नियमों-उपनियमों को सूत्रबद्ध कर बालकों से रटवाया जाता है ।इसमें बालको को व्याकरण के नियम पहले बता दिए जाते है और उन उदाहरणों द्वारा नियमों को प्रयोग करना सिखाया जाता है ।जैसे हमे संधि का ज्ञान देना है तो सर्वप्रथम संधि की परिभाषा बतायेंगे जैसे –"संधि दो स्वर एवं व्यंजनों के समीप आने पर उनसे बनने वाला तृतीय वर्ण या शब्द में जो परिवर्तन होता है वह संधि है।"उसके बाद कुछ वाक्य या शब्द बोलकर या लिखकर बालकों द्वारा उनमे से संधि शब्दों को छटवाया जाता है। इसी प्रकार

संज्ञा के लिए परिभाषा "किसी व्यक्ति,वास्तु,या स्थान के नाम को संज्ञा कहते है ।" नियम बताने के बाद वाक्य की सहायता से संज्ञा को छंटवायेगे ।

दोष - यह विधि अमनोवैज्ञानिक है । इस विधि में बालको को नियम व सूत्रों को रटाना पड़ता है। जिसके फलस्वरूप सूत्र व नियम को रटना अरुचिकर,शुष्क व नीरस लगता है । इसमें भाषा के प्रयोग का ज्ञान तथा अभ्यास नही हो पता ।इसमें समय व श्रम दोनों का दुरूपयोग होता है ।

b. **पाठ्यपुस्तक प्रणाली-** यह विधि भी निगमन प्रणाली की तरह ही है ।अतः इसमें भी नियमों पर विशेष बल दिया जाता है क्योकि सूत्र प्रणाली संस्कृत से ही हिंदी में आई है तथा पाठ्य पुस्तक प्रणाली अंग्रेजी से हिंदी में आई है ।i प्रणाली में व्याकरण शिक्षण का आधार एक पुस्तक होती है जिसमे व्याकरण के विभिन्न पक्षों पर सामान्य व संक्षिप्त वर्णन होता है तथा उन पक्षों को उदहारण सहित प्रस्तुत किया जाता है ।इन्ही को आधार मानकर अध्यापक कक्षा में व्याकरण का ज्ञान कराता है ।

दोष- यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है जो व्याकरण के अध्यापन को नीरस ,शुष्क व अनाकर्षित बनाती है इसमें भी रटने को प्रमुखता दी जाती है।अतः रटने से बालक नियमों का शुद्ध व सही प्रयोग नही सीख पाते।

c. **आगमन प्रणाली-** आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली के बिल्कुल विपरीत प्रणाली है । निगमन प्रणाली में पहले नियम बताकर फिर उसके प्रयोग बताये जाते है,जबकि आगमन प्रणाली में पहले प्रयोग बताकर फिर नियम की खोज अर्थात इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों को प्रत्यक्ष न बताकर उदाहरण द्वारा बालकों से उन नियम की खोज करायी जाती है । व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत ही रोचक तथा सरल बनाया जा सकता है । इसमें पहले कुछ उदाहरण बालकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं । बालक इन उदाहरणों के आधार पर नियम खोजते हैं, फिर इन नियमों का परीक्षण किया जाता है । इस प्रकार से इस विधि में बालकों की सक्रियता बढ़ जाती है और चिंतन से उनका मानसिक संभव होता है । इसी कारण इस प्रणाली को प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं ।

d. **विश्लेषणात्मक पद्धति-** विश्लेषणात्मक पद्धति को कोई नई पद्धति नहीं बल्कि आगमन-निगमन प्रणाली का सम्मिलित रूप है । इसमें आगमन पद्धति द्वारा नियमों की खोज करते हैं तथा निगमन पद्धति द्वारा उस नियम का प्रयोग करते है अर्थात इसमें नियम-उपनियम देकर ऐसे पर्याप्त प्रयोग लिए जाते हैं जिनमें अभीष्ट नियम परिलक्षित हों फिर उन नियमों की उदाहरणों के द्वारा पुष्टि की जाती है ; जैसे संज्ञा पढाने के लिए पहले उपयुक्त विधि से नियम की खोज की जाएगी उसके बाद अभ्यास के लिए बालकों को कुछ वाक्य लिखकर संज्ञा शब्द अलग करवाए जाएँगे ।

e. **भाषा-संसर्ग प्रणाली-** यह प्रणाली व्याकरण शिक्षा के विरोधी प्रणाली है । उनके लिए यह प्रणाली सर्वोत्तम है जो व्याकरण शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष के स्थान पर व्यावहारिक पक्ष पर बल देते हैं । इसमें बालकों को रचनाएँ पढने को दी जाती है तथा बालक स्वयं इस बात का निर्णय

करता है कि भाषा का सही स्वरूप कौन-सा हैं। इस प्रकार से उनका भाषा पर अधिकार हो सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है,लेकिन यह सर्वथा अपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न

5. व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों के नाम बतायें।

3.6 रचना शिक्षण

लेखन कौशल के संदर्भ में रचना से तात्पर्य विचारों की क्रमबद्ध लिखित अभिव्यक्ति से है। वाक्य-संरचना, शब्द- भंडार ,लिपि- रचना तथा वर्तनी का पर्याप्त ज्ञान होने पर छात्रों से अन्य भाषा में लिखित रचना करवाई जाती है। रचना से तात्पर्य विचारों तथा भावों की लिखित अथवा मौलिक मौखिक क्रमबद्ध अभिव्यक्ति से है। भाषण- कौशल के अंतर्गत छात्र मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास करते समय मौखिक रचना की कुशलता विकसित करता है। लेखन कौशल में छात्र इस कुशलता का लेखन में उपयोग करता है। अतः छात्र की रचना कुशलता विकसित करते समय निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान देना आवश्यक है।

3.6.1 रचना शिक्षण के उद्देश्य

रचना शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं।

1. छात्र से या अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य भाषा के शब्दों तथा वाक्य संरचनाओं का समुचित प्रयोग कर सके।
2. उनमें क्रमबद्ध चिंतन शक्ति की कुशलता विकसित हो।
3. वे तथा विचारों को प्रभावशाली ढंग से लिखित रुप में प्रस्तुत कर सकें।
4. लेखन के माध्यम से वह आत्माभिव्यक्ति में समर्थ हो सके।
5. अन्य भाषा की संस्कृति से वैचारिक संबंध रखते हुए लेखन- कुशलता को विकसित कर सके।
6. भाषा के प्रयोजनमूलक तथा सौंदर्यपरक लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता को संपुष्ट कर सके।

3.6. 2 उद्देश्य एवं स्वरूप की दृष्टि से रचना के भेद

रचना शिक्षण के उद्देश्य एवं स्वरूप की दृष्टि से रचना के मुख्यता दो प्रकार माने जाते हैं नियंत्रित रचना तथा स्वतंत्र रचना। नियंत्रित रचना निर्दिष्ट भाषाई कुशलता के विकास का आधार है। विशिष्ट वाक्य संरचना, शब्द प्रयोग तथा लिखित अभिव्यक्ति का शिक्षण ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अध्यापक द्वारा निश्चित की गई रूपरेखा एवं अपेक्षाओं के अनुरूप ही छात्र भाषा का लिखित प्रयोग करता है ।

इसके विपरीत स्वतंत्र रचना में वह विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति में अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। भाषा के प्रयोग में भी शब्द भंडार वाक्य संरचना आदि के चयन में स्वतंत्र होता है।

नियंत्रित रचना शिक्षण -नियंत्रित रचना में विचारों की लिखित अभिव्यक्ति को कुछ अंशों में नियंत्रित किया जाता है और उसी के अनुरूप छात्रों से विशिष्ट प्रकार के उत्तर की अपेक्षा की जाती है। नियंत्रित रचना रचना-शिक्षण का वह रूप है जिसे अध्यापक सतर्कता से इस प्रकार तैयार करता है कि छात्र विशिष्ट व्याकरणिक तथा वाक्य रचना संबंधि तत्वों का ही प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों की विशिष्ट प्रकार की संरचना तथा विशिष्ट शिक्षण -बिंदुओं का अभ्यास कराता है। इसके द्वारा छात्र का भाषा पर वाक्य- संरचनाओं तथा शब्द भंडार पर पर्याप्त अधिकार कराया जाता है। आगे चलकर विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में यह सहायक होते हैं।

3.6.3 रचना शिक्षण विधाएँ एवं शिक्षण विधि

1. **वाक्य संशोधन अभ्यास -** प्रारंभ में छात्रों को सही रूप से वाक्यों को लिखने का अभ्यास नहीं होता अतः नियंत्रित रूप से वाक्य लेखन का अभ्यास करना आवश्यक समझा जाता है। इस के लिए प्रारंभ में कुछ वाक्य संरचनाएं दी जाती है तथा छात्रों से एक अथवा एकाधिक स्थानों पर उचित शब्दों के माध्यम से वाक्य संशोधन करवाया जाता है इस प्रकार के अभ्यास में छात्रों के सम्मुख एक बार में एक ही समस्या रखी जाती है और वह उसके समाधान का प्रयत्न करते हैं। वाक्य -संशोधन अभ्यास निम्नलिखित अभ्यासों की सहायता से कराया जाता है-
    a. **बहुविकल्प अभ्यास-** इस अभ्यास में छात्रों के सम्मुख कई वाक्य रखे रखे जाते हैं। प्रत्येक वाक्य के साथ दो तीन अथवा अधिक विकल्प दिए जाते हैं। छात्र इन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनता है और वाक्य के साथ संयोजित करता है। प्रारंभ में एक ही स्थान पर सही विकल्प का संयोजन कराया जाता है। क्रमशः इस अभ्यास को जटिल बनाने के लिए दो स्थानों पर विकल्पों के साथ संयोजन का अभ्यास कराया जा सकता है। इनमें केवल एक ही विकल्प सही होता है।
    b. **क्रमानुसार लेखन अभ्यास-** इस प्रकार के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वाक्य संरचना का अभ्यास कराना है। इसके द्वारा वाक्य संरचना में व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुत शब्दों को क्रम से लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास में छात्रों को वाक्य संरचना की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए ,तभी वह वाक्यों के साथ शब्दों को सही क्रम से नियोजित कर सकते हैं ।
    c. **अनुरूपण अभ्यास-** इस अभ्यास में छात्र बाकी के प्रथम खंड से दूसरे खंड का सही मिलान करना सीखता है। इस प्रकार के अभ्यास में वाक्यों को दो खंड में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे खंड के बाद वाक्यों का क्रम पहले खंड के वाक्यों की क्रम से भिन्न होता है। छात्रों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्रथम खंड के बाकी को दूसरे खंड

के संबंधित वाक्य का मिलान करें। इस से छात्र की भाषाई अंतर्दृष्टि का भी पता चलता है और वाक्य लेखन का भी अभ्यास होता है।

d. **रूपांतरण अभ्यास -** इस प्रकार के अभ्यास में दिए गए वाक्य का निर्देश के अनुसार रूप परिवर्तित किया करवाया जाता है। इस अभ्यास से भाषाई साँचों की अंतरिक आंतरिक संरचना को समझने की अंतर्दृष्टि विकसित होती है और छात्र विभिन्न रूपों में वाक्यों का प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। इसका सबसे सरल रूप है कि दी गई वाक्य संरचना में आंशिक परिवर्तन करने का अभ्यास कराया जाता है अर्थात साधारण कथन को प्रश्न सूचक अथवा नकारात्मक कथन में परिवर्तित करने का अभ्यास करवाया जाता है।

e. **वाक्य पूर्ति अभ्यास -** इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा वाक्य में रिक्त स्थान स्थानों की पूर्ति करने का अभ्यास कराया जाता है ।यह पूर्ति दो प्रकार से कराई जा सकती है नियंत्रित तथा स्वतंत्र। नियंत्रित पूर्ति- अभ्यास में शब्द दिए जाते हैं परंतु उनका क्रम अव्यवस्थित होता है ।छात्र वाक्यों के अनुरूप सही शब्द का चयन कर के रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। स्वतंत्र अभ्यास में छात्रों को स्वयं शब्द सोचने और लिखने का निर्देश दिया जाता है। इससे छात्रों में भाषाई कुशलता का समुचित विकास होता है। इसी अभ्यास का अपेक्षाकृत जटिल रूप धातु -रूपों के प्रयोग में दृष्टिगत होता है।

2. **वाक्य रचना-** वाक्य-संशोधन के विभिन्न अभ्यासों के फल स्वरुप छात्र वाक्य संरचना संबंधी पर्याप्त कुशलता विकसित कर लेता है। अतः स्वतंत्रता की रचना के लिए तैयार होता है। वाक्य-संशोधन और वाक्यों की स्वतंत्र रचना में अंतर है। वाक्य- संशोधन का उद्देश्य दिए गए वाक्यों में आवश्यक परिवर्द्धन और परिवर्तन का अभ्यास कराना है परंतु वाक्य- रचना में छात्र स्वतंत्र रुप से वाक्यों की रचना करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को विविध प्रकार की रचना का अभ्यास कराना है। वाक्य- रचना की कुशलता मुख्यतः निम्नलिखित अभ्यासों की सहायता से विकसित की जाती है –

a. **मुख्य विचार पल्लवन अभ्यास-** इस अभ्यास के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। छात्र प्रत्येक चित्र में निहित मुख्य भाव को समझने के लिए वाक्यों की रचना करता है। वह चित्र से नीचे अथवा अपनी उत्तर पुस्तिका में चित्र से संबंधित वाक्य लिखता है। चित्र का उपयोग इसलिए भी करना उचित समझा जाता है कि प्रारंभ में रचना में सहायता मिल सके।

b. **सारणी के आधार पर वाक्य रचना-** इस अभ्यास में छात्रों को सारणी के आधार पर वाक्यों के लेखन का अभ्यास कराया जाता है। मौखिक अभ्यास में सिखाई गई सारणी को लेखन- अभ्यास में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और वे उस के आधार पर अनेक वाक्यों की रचना करते हैं।

c. **वाक्य अनुवाद अभ्यास-** इस प्रकार के अभ्यास में वाक्य अनुवाद के माध्यम से छात्रों को वाक्य रचना का अभ्यास कराया जाता है। मातृभाषा के वाक्यों का अनुवाद अन्य भाषा में कराया जाता है। अनुवाद करते समय छात्र शब्दों के चयन तथा वाक्य संरचना का अभ्यास करता है। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है अतः इस के लिए वाक्यों का अभ्यास करना आवश्यक है जिससे मातृभाषा और अन्य भाषा का अंतर एवं व्यतिरेक स्पष्ट होता है।

3. **अनुच्छेद लेखन-** अनुच्छेद लेखन से तात्पर्य छात्रों को विचार-विशेष से संबंध वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से लिखना सिखाना है। वाक्य- रचना का अभ्यास करवाने के पश्चात इस अभ्यास को सहज रुप में विकसित किया जा सकता है। छात्र परस्पर संबंध वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं। क्रमशः सम्बद्ध वाक्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है और छात्र किसी विशेष से संबंधित विचारों को अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद रचना विशेष से सम्बंधित विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति है। वाक्य की संरचना सिखाने के बाद ही उनकी क्रमबद्ध लेखन का अभ्यास कराया जाता है। अनुच्छेद रचना को क्रमिक रूप में सिखाना ही उचित है। प्रारंभ में छात्रों से दैनंदिन क्रियाओं का अपने परिवार का और प्रतिदिन के सुपरिचित घटनाओं का वर्णन कर पाया जाता है, जिससे उसका ध्यान भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति पर केंद्रित हो सके। सीखे गए वाक्यों के माध्यम से विचारों की क्रम पद्य व्यक्ति तथा वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना सीखाना आवश्यक है। अनुच्छेद रचना में निम्नलिखित अभ्यासों की सहायता ली जा सकती है –

a. **भाव कथन एवं संक्षेपण अभ्यास-** इस अभ्यास में गद्यांश अथवा निर्धारित अवतरण का अपने शब्दों में भाव कथन करवाया जाता है। छात्रों को यह निर्देश दिया जाता है कि अवतरण में व्याप्त विचारों को अपने शब्दों में इस क्रम से प्रस्तुत करें अभिव्यक्ति की एक श्रृंखला बन जाए। इसके लिए गद्यांश का वाचन और उनमें निहित मुख्य भाव को, विचारों को रेखांकित करवाने के पश्चात अपने शब्दों में क्रमबद्ध रूप से लिखना सिखाया जाता है।

b. **कथन अभ्यास -** इस अभ्यास में छात्र अपनी दिनचर्या के संबंध में, अपने संबंध में, अपने परिवार, पालतू पशु -पक्षी अपने मित्रों आदि के बारे में कुछ वर्णन करता है। प्रारंभ में इसके लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है। चित्र के आधार पर अथवा प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर छात्र कथन को लिपिबद्ध करता है। प्रारंभ में सीखी गई वाक्य-संरचनाओं के आधार पर वह अपनी दिनचर्या अथवा दिए गए चित्र अथवा अन्य किसी विषय पर लेखन के माध्यम से तथ्य निरूपण करता है। उदाहरणार्थ यदि उसे कहा जाए कि वह अपना परिचय 10 वाक्य में दें तो वह अपने संबंधित तथ्यों को लिखित रुप में प्रस्तुत करता है।

c. **वर्णन अभ्यास -** वर्णन में छात्र किसी घटना, किसी दृश्य, किसी स्थान आदि का विस्तार से वर्णन करता है। कथन में तो वह अतिपरिचित विषयों का यथातथ्य विवेचन करता है परंतु वर्णन में वह कल्पना, तथ्य, अनुमान का भी उपयोग करता है। इस प्रकार वर्णन में रोचकता का समावेश हो जाता है। कथन की शुष्कता तथा यथातत्व विवेचन शैली के क्रम में छात्र भाषा पर पर्याप्त अधिकार पा लेता है तथा अभिव्यक्ति शैली में नवीनता तथा विलक्षणता आ जाती है। वर्णन के क्रम में छात्र चित्र के आधार पर घटना-विशेष, दृश्य-विशेष और अन्य विषयों के संबंध में रोचकता से वर्णन करता है।

d. **विवेचन तथा उद्घाटन अभ्यास-** छात्रों से परिचित क्रिया-विशेष का विवेचन करवाया जाता है। उनसे यह कहा जाता है कि दैनिक जीवन में प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाओं का अथवा क्रिया विशेष का समुचित विवेचन प्रस्तुत करें। इस अभ्यास के द्वारा उन्हें क्रिया-विशेष का क्रम से सूक्ष्म विवेचन करना सिखाया जाता है- जैसे वह वशिष्ट खेल किस प्रकार खेलता है ? साइकिल कैसे चलाता है ? टेलीफोन कैसे करता है?

e. **पुनर्गठन अभ्यास -** इस अभ्यास का उद्देश्य वाचन में दी गई सामग्री का लेखन के माध्यम से पुनर्गठन करवाना है। जिसमें छात्र से एक अथवा दो अनुच्छेदों का वाचन करवाया जाता है। वाचन के पश्चात इस सामग्री को बिना देखे हुए लिखने का निर्देश दिया जाता है। यह अभ्यास भाव कथन- अभ्यास से भिन्न है। इसमें केवल मुख्य भावों को ही अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास नहीं कराया जाता बल्कि पढ़ी हुई सामग्री को यथावत लिखने का निर्देश दिया जाता है।

f. **प्रतिपादन अभ्यास-** इस अभ्यास के द्वारा छात्रों का अपने विचारों को प्रतिपादित करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। छात्रों से एक अथवा दो अवतरणों का भाषण करवाया जाता है तथा उन्हें ऐसे विचारों को चुनने का निर्देश दिया जाता है जिनसे वह सहमत अथवा असहमत हो। सहमति और असहमति का कारण भी लिखने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार छात्र पढ़ी हुई सामग्री से संबंधित विचारों को इस क्रम में व्यक्त करता है कि क्रमबद्ध रूप से कुछ बातों का समर्थन एवं खंडन हो सके। इस अभ्यास के द्वारा नियंत्रित रूप में विचारों की क्रमबद्ध लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास कराया जाता है। आगे चलकर किसी के आधार पर विचारों के स्वतंत्र प्रतिपादन का अभ्यास संभव है।

4. **अनुच्छेद अनुवाद -** यह अभ्यास अनुच्छेद रचना का जटिलतम अभ्यास है। इसमें केवल एकाध वाक्यों का नहीं बल्कि संपूर्ण अनुच्छेद का अनुवाद कराया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनुवाद के क्रम में अन्य भाषा की संरचनागत विशेषताओं को सुरक्षित रखा जाए। इसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उस भाषा की संरचना एवं शब्द भंडार से पूर्णतः परिचित हो तथा उन्हें शब्दों के विभिन्न अर्थ और संदर्भों की पूरी जानकारी हो। इसके लिए अन्य भाषा के सांस्कृतिक संदर्भों की ,अर्थों तथा उनकी विशिष्टताओं का पूरा ज्ञान होना

चाहिए ।स्वतंत्र रचना -क्रमबद्ध रूप से विचारों के नियंत्रित लिखित अभिव्यक्ति सिखाने के बाद स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना आवश्यक है। अतः लेखन विकास के कौशल स्वतंत्र रचना की कुशलता को विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। छात्रों में लेखन संबंधी इतनी कुशलता आप उत्पन्न करना आवश्यक है कि वह स्वतंत्र रुप से भावों की लिखित अभिव्यक्ति कर सकें और अपने विचारों को धारा प्रवाह रूप में अभिव्यक्त कर सकें। स्वतंत्र रचना में छात्र ना केवल विचारों की दृष्टि से स्वतंत्र होता है बल्कि वह भाषाई अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी स्वतंत्र होता है। अतः रचना में शब्द-चयन, संरचना और शैलीगत विविधता स्पष्ट रुप से दृष्टिगत होती है।

स्वतंत्र रचना सिखाने के लिए निबंध कहानी तथा पत्र लेखन का शिक्षण आवश्यक समझा जाता है। छात्र अनुभव- क्षेत्र से संबंधित निबंध' परिचित कहानी और विविध प्रकार के पत्र लेखन के आधार पर विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना सीखते हैं।

5. **निबंध लेखन-** छात्रों को स्वतंत्र रुप से निबंध लिखना सिखाना विशिष्ट कुशलता है जिसके लिए रचना शिक्षण से संबंधित विविध अभ्यास दिए जाने चाहिए। छात्रों को प्रारंभ में सरल रचना सिखाई जानी चाहिए फिर क्रमशः जटिल विषयों पर रचना करवाई जा सकती है। रचना शिक्षण के प्रारंभ में निबंध का मौखिक प्रतिपादन करना उचित है। अध्यापक क्रमबद्ध रूप से निबंध का विकास करता है और इस क्रम में छोटे-छोटे प्रश्न पूछ कर छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। रचना का मौखिक रूप से विकास करते समय उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है और छात्रों से उसके आधार पर निबंध लिख पाया जाता है। छोटी कक्षाओं में छात्रों से चित्र के आधार पर रचना करवाई जा सकती है। रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र विचारों की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति में भाषा का स्वतंत्र प्रयोग कर सकें। उच्च स्तर पर रचना सिखाते समय शैलीगत विशेषताओं पर छात्र का ध्यान केंद्रित करना आवश्यक नहीं है।
6. **पत्र लेखन-** निबंध लेखन की कुशलता विकसित करने के अतिरिक्त स्वतंत्र रचना सीखाने का दूसरा तरीका पत्र रचना है। पत्र रचना निबंध रचना से भिन्न न एक विशिष्ट प्रकार की कुशलता है। इसके लिए छात्रों का अभ्यास करना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के पत्रों की विभिन्न लेखन-शैली होती है। परिवार के विभिन्न सदस्यों एवं संबंधियों तथा आत्मीय जन के लिए लिखे गए निजी पत्रों की एक विशिष्ट शैली होती है। व्यवसायिक उद्देश्य से लिखे गए पत्र की अलग कोटि होती है। विशेष उत्सव, शादी-विवाह आदि के लिए दिए जाने वाले सूचनाओं की अलग शैली होती है। छात्रों को इसके लेखन में निहित विशिष्टताओं को समझाते हुए इनके अभ्यास करना आवश्यक है।

   छात्रों को यह स्पष्ट रुप से बता देना चाहिए कि पत्र में बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार सीखे गये शब्द भंडार तथा व्याकरणिक संरचना की सहायता से छात्रों को पत्र रचना का अभ्यास करवाया जाता है। अन्य भाषा -भाषी किशोरों के साथ पत्र व्यवहार करना पत्र लेखन सिखाने का उपयोग उपयोगी अभ्यास है। इससे ना केवल अन्य भाषा पर स्वाभाविक

अधिकार होता है और भाषा का जीवन और प्रयोजनमूलक संदर्भ में प्रयोग कराना होता है बल्कि छात्र अन्य भाषा की संस्कृति से भी परिचित होते हैं। वहां के युवा वर्ग से, किशोरों से मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं । चूँकि अन्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य अपनी भाषा की संस्कृति के पर्याप्त जानकारी कराना है अतः पत्र लेखन के माध्यम से यह कार्य सहज रुप में संपन्न होता है

7. **कहानी लेखन -** स्वतंत्र रचना के अंतर्गत कहानी रचना का भी अभ्यास कराया जाता है । प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को कहानी की रूपरेखा दी जाती है और कक्षा में मौखिक रूप से उसका विकास करा जाता है । तत्पश्चात छात्रों को घर की रुपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर लाने का निर्देश दिया जाता है । कहानी के आधार पर रचना करवाने का एक दूसरा तरीका यह है कि कहानी का पूर्वांश अथवा उत्तरांश दिया जाए और छात्रों को कहानी पूरी करने का निर्देश दिया जाए । इस प्रकार के अभ्यास में पहले मौखिक चर्चा की जाए, आवश्यक शब्द दिए जाएं और उसके बाद उनका लेखन में प्रयोग कराया जाए । चित्र संख्या के आधार पर कहानी रचना का अभ्यास कराया जा सकता है
8. **सर्जनात्मक लेखन -** सर्जनात्मक लेखन लेखन कौशल के विकास का उत्कृष्टतम रूप है । सभी छात्रों में सहज रुप से इस कुशलता का विकास नहीं किया जा सकता । मातृभाषा में भी यह कौशल सर्वसाधारण में समान रुप से विकसित नहीं होता । परंतु अन्य भाषा सीखने वाले छात्रों में साहित्य के वाचन के प्रति अभिरुचि जागृत करने के साथ-साथ छोटी कहानियां कविताएं और अन्य रचनाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है । किशोरावस्था में छात्रों में यह फिर उचित मातृभाषा में सहज रुप में अभिव्यक्त होती है अन्य भाषा में लेखन पर अधिकार करने और रचना के विभिन्न रूपों का विकास करने के फल स्वरुप छात्रों को कहानी, कविता एवं विचारात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहित करना उचित है ।

3.6.4 रचना का संशोधन

लेखन कौशल के विकास में रचना का संशोधन महत्वपूर्ण कार्य है । विभिन्न प्रकार की रचना अभ्यासों का पर्याप्त ज्ञान और अभ्यास ही रचना के विकास में सहायक नहीं होता । यदि छात्र रचना में की गई त्रुटियों के निरंतर आवृत्ति करता है ,उसका ध्यान त्रुटियों की ओर नहीं जाता और वह उनके संशोधन का प्रयत्नपूर्वक अभ्यास नहीं करता तो लेखन कौशल का समुचित विकास नहीं होता । इस दृष्टि से छात्र द्वारा किए गए लेखन कार्य का सुधार और संशोधन आवश्यक है । यह संशोधन इस रीति से किया जाए कि केवल त्रुटि करने वाला विशिष्ट छात्र नहीं नहीं कक्षा के सभी छात्र समान रुप से लाभान्वित हो सकें ।

3.7 सारांश

साहित्य की विविध विधाओं के स्वरुप एवं रचना-प्रक्रिया में भिन्नता के कारण उनके उद्देश्य,शिक्षण विधि,मूल्याङ्कन प्रणाली आदि में परिवर्तन आ जाता है । किसी एक विधि,उद्देश्य के द्वारा अध्येता में समग्र भाषाई कुशलता का विकास,भाषाई संस्कृति का परिचय संभव नहीं है । अतः

परिस्थिति,सन्दर्भ,आवश्यकता,स्तर तथा कुशलता को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न विधाओं के अनुरूप इकाई में वर्णित सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया का शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। शिक्षण-विधि के स्वरूप निर्धारण का दायित्व कुशल अध्यापक का है। वहीं छात्रों को अधिकतम अधिगम के लिए उत्प्रेरित कर सकता है तथा आवश्यक सामग्री का संकलन एवं चयन कर सकता है।

3.8 शब्दावली

1. **साँचा अभ्यास-** भाषा की संरचना के नियंत्रित नमूनों का अभ्यास

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. स्वरूप के आधार पर काव्य के निम्नलिखित भेद है।
    i. महाकाव्य
    ii. रूपक
    iii. आख्यायिका
    iv. कथा
    v. मुक्तक
2. कविता शिक्षण की अनेक विधियां प्रचलित हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
    i. गीत और अभिनय प्रणाली
    ii. अर्थबोध प्रणाली
    iii. व्याख्या प्रणाली
    iv. खंड - अन्वय प्रणाली
    v. व्यास प्रणाली
    vi. तुलना प्रणाली
    vii. समीक्षा प्रणाली
3. काठिन्य निवारण की कुछ युक्तियाँ-
    i. चित्र दिखाकर
    ii. प्रतिमूर्ति दिखाकर
    iii. रेखा चित्र द्वारा
    iv. मानचित्र द्वारा
    v. प्रत्यक्ष पदार्थ द्वारा
    vi. संकेत द्वारा
    vii. अभिनय द्वारा

viii. पर्याय कथन
ix. संधि विच्छेद
x. समास विग्रह
xi. अर्थ कथन
xii. वाक्य प्रयोग
xiii. व्याख्या
xiv. अंतर्कथा द्वारा

4. पद्य में छंद, लय, गति, प्रवाह एवं संगीत तत्व रहता है।
5. निगमन या सूत्र,पाठ्य-पुस्तक प्रणाली,आगमन,सूत्र,विश्लेषण,भाषा-संसर्ग प्रणाली

3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्त, मनोरमा ,भाषा- शिक्षण सिद्धांत और प्रविधि ,आगरा,केन्द्रीय हिंदी संस्थान (2010)
2. चौहान,रीता,हिंदी शिक्षण ,आगरा,अग्रवाल पब्लिकेशन ,2016-17
3. श्रीवास्तव डॉ.रविन्द्रनाथ, भाषा-शिक्षण, ,नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन,2005

3.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. गद्य, पद्य,व्याकरण और रचना शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए उनमें मूल अंतर स्पष्ट कीजिए।
2. गद्य और पद्य शिक्षण में शब्दार्थ की शिक्षण युक्तियों का वर्णन कीजिए।
3. गद्य शिक्षण की पाठ-योजना के चरणों को क्रमबद्ध वर्णन कीजिए।
4. रचना की विभिन्न विधाएँ बताते हुए उसके शिक्षण की युक्तियों का वर्णन कीजिए।

इकाई 4- हिंदी भाषा शिक्षणार्थ शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं पाठ्यसहगामी क्रियाएँ

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं उनके विविध रूप
4.4 दृश्य सामग्री
4.4.1 मुद्रित सामग्री
4.4.2 गैर मुद्रित सामग्री
4.5 श्रव्य सामग्री
4.6 श्रव्य-दृश्य सामग्री
4.7 पाठ्यसहगामी क्रियाएँ
4.8 सारांश
4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.10 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी पुस्तकें
4.11 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

शिक्षा चाहे किसी भी विषय का हो बिना शिक्षण-अधिगम सामग्री के संपन्न नहीं हो सकता है। भाषा शिक्षण में तो इसकी और भी आवश्यकता हो जाती है क्योंकि इसके माध्यम से भाषा के विविध पक्षों को एक साथ सिखाया जा सकता है। शिक्षण प्रभावी तभी माना जाता है जब कि विद्यार्थी को अधिगम हो जाए। विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम सामग्री के माध्यम से अपेक्षाकृत तीव्र गति से सीखता है। अतः, शिक्षण-अधिगम सामग्री भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए आशीष प्रकाशन द्वारा बी.एड्. पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित एक पुस्तक "सम्पूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा" में मेकॉन रॉबर्टस के कथन को उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है - "शिक्षक इन उपकरणों के उपयोग द्वारा बालक की एक से अधिक इंद्रियों को प्रयोग में ला कर पाठ्यपुस्तक को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा स्थाई बनाता है। इन सामग्रियों की सहायता से कितने ही ऐसे विषयों, जो पाठ्यपुस्तकों में नहीं होते हैं, उन पर प्रकाश डाला जाता है"।

रॉबर्टस महोदय के इस कथन से यह स्पष्ट है की शिक्षण-अधिगम सामग्री के विविध रूप होते हैं। यहाँ तक की पाठ्यपुस्तक को भी शिक्षण-अधिगम सामग्री में शामिल किया जाता है। शिक्षण-अधिगम सामग्री के अतिरिक्त पाठ्यसहगामी क्रियाएँ भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाषा शिक्षण के लिए तो वाद-विवाद, कविता का सस्वर वाचन, नाट्य मंचन, भाषाण प्रतियोगिता, आदि जैसे अनेक पाठ्य- सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जा सकता है। इन पाठ्यसहगामी क्रियाओं के आयोजन से कक्षा को रुचिकर एवं आनंददायक बनाया जा सकता है। प्रस्तुत इकाई हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त किए जाने योग्य शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विस्तृत विवेचना करने का प्रयास करता है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी इस योग्य हो जायेंगे कि-

1. शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं उनके विविध रुपों का परिचय दे सकेंगे।
2. दृश्य सामग्री को परिभाषित कर सकेंगे।
3. दृश्य सामग्री को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकेंगे।
4. हिंदी शिक्षण में मुद्रित सामग्री के उपयोग की चर्चा कर सकेंगे।
5. हिंदी शिक्षण में गैरमुद्रित सामग्री के उपयोग का वर्णन कर सकेंगे।
6. श्रव्य सामग्री के उपयोग एवं सावधानियों की व्याख्या कर सकेंगे।
7. श्रव्य-दृश्य सामग्री में शामिल होने वाले वाली विभिन्न सामग्रियों का उल्लेख कर सकेंगे।
8. हिंदी शिक्षण में उनका उपयोग कर सकेंगे।
9. पाठ्यसहगामी क्रियाएँ को परिभाषित कर सकेंगे।
10. हिंदी शिक्षण के लिए आयोजित की जा सकने वाली विविध पाठ्यसहगामी क्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे।

4.3 शिक्षण अधिगम सामग्री एवं उनके विविध रूप

सामान्य अर्थों में, शिक्षण-अधिगम सामग्री से आशय पाठ योजना में निश्चित किए गए सामान्य एवं विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षाकक्ष में प्रयुक्त किए जानेवाली शैक्षिक सामग्री से होता है। यह वीडियो, ऑडियो, पाठ्यपुस्तक, कोई खेल, आदि हो सकता है। विशिष्ट अर्थ में, शिक्षक द्वारा कक्षाकक्ष में शिक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री को शिक्षण-सामग्री तथा विद्यार्थी द्वारा अधिगम के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री को अधिगम-सामग्री कहते हैं। प्रारंभ में, शिक्षण-अधिगम सामग्री से आशय सिर्फ पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, आदि से होता था लेकिन तकनिकी के विकास के साथ-साथ शिक्षण-अधिगम सामग्री के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ और पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर आदि के साथ-साथ अनेक मशीनों यथा टेप- रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन आदि को भी स्थान दिया जाने लगा है। वर्तमान समय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज जीवन के हर क्षेत्र में समाहित है। फिर शिक्षण-अधिगम का क्षेत्र इससे कैसे बचा रह सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों, जिनमें की सर्वाधिक प्रमुख कंप्यूटर एवं इंटरनेट हैं, का भी शिक्षण-अधिगम सामग्री के रुप में बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षण-अधिगम सामग्री के कई रुप हैं जिनको मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ये तीन प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है:

1. दृश्य सामग्री
2. श्रव्य सामग्री
3. दृश्य-श्रव्य सामग्री

आइए अब बारी-बारी से शिक्षण-अधिगम सामग्री के इन विविध वर्गों की चर्चा कीजिए।

4.4 दृश्य सामग्री

दृश्य सामग्री शब्द को सुनने से ही प्रतीत होता है कि वह सामग्री जो दिखाई दे। शिक्षण अधिगम के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निष्पादन में प्रयोग की जा सकने वाली ऐसी सामग्री जिसे की देखा जा सकता है को दृश्य सामग्री कहते हैं। इसे निम्नलिखित दो उप वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

1. मुद्रित सामग्री; तथा
2. गैर मुद्रित सामाग्री

4.4.1 मुद्रित सामग्री

मुद्रित सामग्री से आशय शैक्षिक कार्यों में प्रयोग की जा सकने वाली प्रकाशित या छपी हुई सामग्री से है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सामग्री आती हैं:

1. **पाठ्यपुस्तक-** यह मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि । इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करने के लिए ज्ञान का संचय किया जाता है। पाठ्यपुस्तक से आशय किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए निर्मित पुस्तक से होता है। आशीष प्रकाशन द्वारा बी. एड्. पाठ्यक्रम के लिए प्रकाशित पुस्तक "सम्पूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा" में पाठ्यपुस्तक की हैरोलिकर द्वारा दी गई परिभाषा को उद्धृत किया गया है। हैरोलिकर ने पाठ्यपुस्तक को परिभाषित करते हुए कहा कि "पाठ्यपुस्तक ज्ञान, अनुभव, भावनाओं विचारों, तथा प्रवृतियों व मूल्यों के संचय का साधन है। "

   उसी पुस्तक में हॉलक्वेस्ट की परिभाषा को भी उद्धृत किया गया है। हॉलक्वेस्ट के अनुसार, पाठ्यपुस्तक "शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप मानते हैं।"

इस प्रकार पाठ्यपुस्तक किसी विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षिक क्रियाओं के निष्पादन हेतु ज्ञान, अनुभव, भावनाओं आदि के संचय का लिखित रूप है।

भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता को अधोलिखित रूप में उल्लेखित किया जा सकता है :

i. पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम को स्पष्ट करने के लिए अति उपयोगी है। इसकी सहायता से अध्यापक और छात्र दोनों को ये बात पता रहती है की संपूर्ण शिक्षण सत्र में उन्हें क्या पढ़ना है व क्या पढ़ाना है।
ii. कक्षाकक्ष में जाने से पहले की तैयारी करने में पाठ्य पुस्तक शिक्षक की सहायता करते हैं।
iii. कक्षा में पढ़ाई गई बात विद्यार्थी को तुरंत समझ में आ ही जाय यह बात आवश्यक नहीं है। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्यार्थी स्वअध्ययन कर विषय को समझ सकता है।
iv. पाठ्यपुस्तकों में उस विषय विशेष से संबंधित संपूर्ण सामग्री एक ही स्थान पर संचित रहती है जिससे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होती है।
v. विषय के पुनः अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तकें उपयोगी होती हैं।
vi. पठन योग्यता का विकास करने में पाठ्यपुस्तकें सहायक होती हैं तथा विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत भी विकसित होती है।
vii. अध्यापकों को छात्रों को गृहकार्य देने एवं छात्रों को गृह कार्य करने में पाठ्यपुस्तक से सहायता मिलती है।
viii. पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से छात्र लेखकों की विभिन्न शैलियों से परिचित होते हैं।
ix. विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएँ एवं उनका चयन

भाषा ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन-अध्यापन की आधारशिला है। अतः, भाषा शिक्षण के लिए पुस्तकों का चयन करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक की कुछ अपेक्षित विशेषताएँ होती हैं जिनका ध्यान पाठ्यपुस्तकों का चयन करते समय रखना पड़ता है। इन विशेषताओं को निन्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है:

a. **पुस्तक लेखक-** पाठ्यपुस्तक का लेखक अनुभवी एवं अपने विषय में निष्णात होना चाहिए। उसे शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए।
b. **पुस्तक की भाषा-** पाठ्यपुस्तक की भाषा छात्रों की आयु, उनकी मानसिक योग्यता एवं पुस्तक में संचित की जानेवाली अंतर्वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए।
c. **पाठ्यवस्तु का व्यवस्थापन-** पाठ्यपुस्तक में, पाठ्यवस्तु तार्किक क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। विभिन्न प्रकरण सरल से कठिन के क्रम में होने चाहिए तथा उनमें अंतर्संबंध भी होना चाहिए।

d. **पाठ्यपुस्तक की आंतरिक साजसज्जा-** आंतरिक साजसज्जा विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के प्रति आकर्षित करती है। पाठ्यपुस्तकों में यथास्थान चित्र, तालिका, ग्राफ आदि का समावेश किया जाना चाहिए जिससे पाठ्यवस्तु की व्याख्या और स्पष्ट हो सके।

e. **पुस्तक का मूल्य-** पाठ्यपुस्तकों का मूल्य बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।

f. **पाठ्यपुस्तक** के प्रारंभ में विषय सूची तथा अंत में अनुक्रमणिका का प्रयोग उसे और उपयोगी बनाता है।

g. **प्रत्येक** प्रकरण के अंत में अभ्यास प्रश्न तथा कुछ परियोजना कार्य दिए जाने चाहिए।

h. वास्तव में पाठ्यपुस्तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण-सामग्री है। अतः, इनका चयन बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। उपरोक्त विवेचन पाठ्यपुस्तक की अपेक्षित विशेषताओं का उल्लेख है। ये विशेषताएँ पाठ्यपुस्तक के चयन का आधार भी हैं। यदि इन आधारों का अनुगमन कर पाठ्यपुस्तक का चयन किया जाए तो उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

2. श्यामपट्ट- श्यामपट्ट प्रत्येक कक्षाकक्ष का एक अनिवार्य उपकरण है। हालाँकि वर्तमान परिदृश्य में इसका स्थान अनेक विद्यालयों में श्वेतपट्ट या अंतःक्रियात्मक श्वेतपट्ट ने ले लिया है। भाषा शिक्षक का श्यामपट्ट लेखन पर जितना अधिक स्वामित्व होता है वह उतना ही प्रभावशाली शिक्षक होता है। शिक्षक इसका प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ लिखने, कविता शिक्षण के समय तुलनात्मक कविता लिखने, रस, छंद, अलंकार आदि की व्याख्या करने में कर सकता है। श्यामपट्ट का यदि कुछ सावधानी के साथ प्रयोग किया जाय तो इसका प्रयोग और प्रभावी हो जाता है। श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

i. कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करके उस पर कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, अवधि आदि आवश्यक सूचनाओं को लिख देना चाहिए।

ii. श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय अध्यापक को इस प्रकार खड़े होना चाहिए कि विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखी हुई सामग्री को देखने में असुविधा न हो।

iii. अशुद्ध भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए।

iv. श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय सफेद एवं रंगीन चॉक का यथोचित प्रयोग करना चाहिए।

v. श्यामपट्ट के अत्यधिक प्रयोग से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में नीरसता आती है।

vi. श्यामपट्ट पर लिखित विषय सामग्री को स्पष्ट करने के लिए संकेतक का प्रयोग करना चाहिए।

vii. श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय शिक्षक को बोलने की गति का भी ध्यान रखना चाहिए। लिखने एवं बोलने की गति में तारतम्यता होनी चाहिए।

viii. कक्षा के बाहर निकलते समय अध्यापक को श्यामपट्ट साफ कर देना चाहिए।

3. **वस्तु/मॉडल/चित्र/रेखाचित्र-** भाषा एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों से संबंधित पाठ्यसामग्री संकलित होती है। भाषा के पाठ्यपुस्तकों में भी लगभग सभी विषयों से संबंधित लेख का संकलन होता है। इन लेखों को स्पष्ट ढंग से समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों के इतर भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों में वस्तु, मॉडल, रेखाचित्र, चित्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है। वस्तु से आशय सामग्री के वास्तविक रुप से है। यदि छोटे बच्चों को सब्जियों के नाम बताए जा रहे हैं तो कक्षा में विभिन्न सब्जियों को शिक्षण-सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मॉडल वस्तु के प्रतिमान या प्रतिरुप को कहते हैं। यदि ताजमहल पर आधारित कोई निबंध पढ़ाया जा रहा है तो ताजमहल के प्रतिरूप को कक्षाकक्ष में लाकर विद्यार्थियों को दिखाया जा सकता है। किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ाते समय उनके चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में इन वस्तुओं का प्रयोग कर बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित किया जा सकता है। इनके प्रयोग के माध्यम से बालक में लेखन क्षमता का भी विकास किया जा सकता है। सामग्रियों के प्रयोग में सावधानी रखकर इनको और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ये सावधानियाँ अधोलिखित हैं:

   i. प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु या मॉडल या रेखाचित्र का आकार बहुत महत्वपूर्ण है। इनका आकार न ज्यादा बड़ा और न ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। ये आकार में इतने बड़े होने चाहिए कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके एवं कक्षा के सभी विद्यार्थी उसे सरलतापूर्वक देख सकें।
   ii. कक्षा में इनको उचित स्थान पर रखना चाहिए और अध्यापन कार्य करते समय आवश्यकता पड़ने पर इन्हे छात्रों को दिखाना चाहिए।
   iii. यदि किसी चित्र या रेखाचित्र का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे कक्षा की दीवार पर इस प्रकार से टाँगना चाहिए कि सारे विद्यार्थी उसे आसानी से देख सकें।
   iv. मॉडल, चित्र, रेखाचित्र, आदि का प्रयोग समाप्त हो जाने पर इसे उचित स्थान पर रख देना चाहिए।
   v. उपकरण का प्रयोग करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण- सामग्री विषयवस्तु से संबंधित हो।

4. **पोस्टर, मानचित्र और चार्ट-** भाषा कक्षा में शिक्षक को भाषा का इतिहास या भौगोलिक स्थिति का अध्यापन करना पड़ता है। इस स्थिति में शिक्षक शिक्षण-सामग्री के रुप में मानचित्र का प्रयोग कर सकता है। प्राचीन शिक्षण संस्थाओं को पढ़ाते समय मानचित्र के द्वारा उनकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाया जा सकता है। भाषा परिवार या भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं को बताने के लिए चार्ट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इन सामग्रियों का उपयोग करते समय यदि कुछ सावधानियाँ बरती जाए तो इनका उपयोग और प्रभावशाली हो सकता है।

   i. यथासमय प्रयोग

ii. पोस्टर या चार्ट का निर्माण करते समय शिक्षक को तथ्य एवं चित्रों के समावेश पर ध्यान देना चाहिए। तथ्य एवं चित्र विषयवस्तु के अनुकूल होने चाहिए।

iii. सुस्पष्ट होना चाहिए ताकि पूरी कक्षा को दिखाई दे सके।

iv. भाषागत त्रुटि से बचना चाहिए।

5. **मैजिक लालटेन, चित्रदर्शक चित्र विस्तारक मूक चलचित्र -** मैजिक लालटेन एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से चित्रों, रेखाचित्रों, चार्ट आदि के स्लाइडों को बड़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। कम्प्युटर एवं प्रोजेक्टर के प्रचलन के कारण इसका प्रयोग लगभग समाप्त सा हो चुका है। चित्र विस्तारक सीधे चित्रों को बड़ा करके दिखाता है। सामान्यतः भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग कम होता है। अतः, चित्र विस्तारक का भी प्रयोग कम होता है। फिर भी इसका प्रयोग यथा समय करके भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। मूक चलचित्रों में पूरी फिल्म बिना आवाज के दिखाई जाती है। आवाज का काम बच्चे करते हैं जिससे उनके मौखिक भाषा का विकास होता है। उपरोक्त सारी सामग्री अपने स्वरुप में यांत्रिक है। अतः, कक्षाकक्ष में इनका प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। कक्षाकक्ष में इनका प्रयोग करते समय ध्यान रखने वाली बातें अधोलिखित हैं:

   i. कक्षाकक्ष में इनके प्रयोग से पहले इन्हें भली-भाँति जाँच लेना चाहिए तथा विद्यार्थियों के कक्षा में प्रवेश से पहले इन्हें सेट कर लेना चाहिए।

   ii. चित्र विस्तारक की सहायता से चित्रों के आकार को इतना ही बड़ा रखना चाहिए कि विद्यार्थी उन्हें सरलता से देख सकें।

   iii. इन यंत्रों का प्रयोग कर पाठ्यवस्तु को पढ़ाते समय विद्यार्थियों से बीच-बीच में प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि विद्यार्थी का ध्यान विषय वस्तु एवं यंत्र दोनों पर हैं या सिर्फ यंत्र पर है।

अभ्यास प्रश्न

1. श्यामपट्ट, चॉक आदि को शिक्षण-अधिगम सामग्री नहीं कहते हैं। (सत्य/असत्य)
2. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को भी शिक्षण-अधिगम सामग्री में शामिल किया जाता है। (सत्य/असत्य)
3. शिक्षण-अधिगम सामग्री के तीन प्रमुख वर्ग हैं। (सत्य/असत्य)
4. दृश्य शिक्षण-अधिगम सामग्री के तीन उपवर्ग हैं। (सत्य/असत्य)
5. पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण श्रव्य शिक्षण-अधिगम सामग्री है। (सत्य/असत्य)
6. हॉलक्वेस्ट के अनुसार पाठ्यपुस्तक की परिभाषित कीजिए।
7. शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रवेश करते ही श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं को सूचीबद्ध कीजिए।

4.5 श्रव्य उपकरण

इस श्रेणी में शामिल होनेवाली प्रमुख शिक्षण सामग्री ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप-रिकॉर्डर, रेडियो, आदि है। तकनिकी के विकास के साथ-साथ विभिन्न यंत्रों का विकास हुआ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से शिक्षण कार्य के लिए लाभप्रद हैं। कुछ प्रमुख यंत्रों का विवरण अधोलिखित है:

1. **ग्रामोफोन-** विभिन्न यंत्रों में सबसे प्राचीन ग्रामोफोन को माना जाता है। ग्रामोफोन का कार्य भी टेप-रिकॉर्डर के कार्य के समतुल्य था। टेपरिकार्डर के प्रचलन से ग्रामोफोन का प्रचलन समाप्त हो गया।
2. **लिंग्वाफोन-** यह इस क्षेत्र का दूसरा प्रमुख आविष्कार था। टेप-रिकॉर्डर के प्रचलन के कारण यह भी प्रचलन से बाहर हो गया। -
3. **टेप-रिकॉर्डर-** यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से आवाज को रिकॉर्ड करके बाद में सुना जा सकता है। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात तभी तक हमें याद रहती थी जब तक कि हमारा मस्तिष्क उसे याद रख पाता था। उस बात को दूबारा सुनने की भी व्यवस्था नहीं थी। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम जितनी बार चाहे और जब चाहे तब शिक्षण-सामग्री को सुन सकते थें। इसका स्थान पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एवं सीडी जैसे यंत्रों ने ले लिया है जो कंप्यूटर या सीडी प्लेयर की सहायता से चलाए जाते हैं। इन यंत्रों के प्रयोग द्वारा कविता, पाठ, नाटक आदि का शिक्षण सुगमता से किया जा सकता है। यह संवाद, उच्चारण एवं पठन कौशल में निपुणता में वृद्धि करता है एवं मौखिक अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास करता है। यह ग्रामोफोन एवं लिंग्वाफोन दोनों की तुलना में छोटा होता है तथा अधिक प्रभावी होता है। इसके माध्यम से सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आदि कौशलों का अभ्यास सरलता एवं प्रभाव पूर्ण ढंग से कराया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों के व्याख्यानों को रिकॉर्ड करके भावी प्रयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
4. **रेडियो-** रेडियो सर्वाधिक मशहूर साधन है। आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। इसके साथ-साथ स्ट्रेस, तारत्व, अनुतान आदि जैसे भाषाई पक्षों का भी ज्ञान होता है। इनका प्रयोग करते समय शिक्षक को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें निम्न्लिखित हैं:
   i. कक्षा में प्रयोग से पहले उपकरण की भली-भाँति जाँच कर लेनी चाहिए।
   ii. यंत्रों के प्रयोग से पहले विद्यार्थी को यंत्र के संचालन की विधि से अवगत कराना चाहिए।
   iii. यंत्रों का प्रयोग शैक्षिक महत्व के लिए किया जाना चाहिए ना कि मनोरंजन के लिए।
   iv. इन यंत्रों का प्रयोग करते समय कक्षाकक्ष का वातावरण शांत होना चाहिए ताकि विद्यार्थी सुनकर भली-भाँति समझ सकें।

4.6 दृश्य-श्रव्य उपकरण

1. **टेलीविजन/वीडियो/चलचित्र/नाटक -** दृश्य-श्रव्य सामग्री से आशय ऐसी सामग्रियों से है जिन्हें एक समय पर देखा और सुना दोनों किया जा सकता है। इस प्रकार की सामग्री हमारे शिक्षण-अधिगम कार्य को अधिक प्रभावी बना देती है क्योंकि इन सामग्रियों का उपयोग करते समय में हमारी दो ज्ञानेंद्रियाएँ एक साथ सक्रिय रहती है। दूरदर्शन पर पहले प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम दिखाए गए। बाद में 1960-61 ईसवीं में बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित किए गए। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित एक और अनेक के शिक्षण को लेकर बनाए गए एनिमेटेड मूवी जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर होता था वह सबको याद होगा। टेलीविजन पर विविध कार्यक्रमों को देखकर एवं सुनकर विद्यार्थी भाषा संबंधी बारीकियों यथा- शुद्ध उच्चारण, शब्दों का सप्रासंगिक प्रयोग, मौखिक अभिव्यक्ति के साथ आनन अभिव्यक्ति का तारतम्य आदि तथ्यों को भी सीखता है। धारावाहिक या ज्वलंत मुद्दों पर नाट्य मंचन को देखकर विद्यार्थी संवाद शैली में निपुणता हासिल करता है। चलचित्र या सिनेमा समाज में मनोरंजन के साधन के रूप में प्रचीन काल से ही प्रसिद्ध है। इसका शुभारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ लेकिन यह सिर्फ मनोरंजन का ही साधन नहीं है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न ऐतिहासिक फिल्मों, धार्मिक फिल्मों आदि को देखने से उस समय की भाषाई स्थिति का पता चलता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण के लिए टेलीविजन, चलचित्र, आदि उपयोगी साधन है। नाटक के मंचन का भी उपयोग भाषा शिक्षण में किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक में प्रदत्त नाटक का मंचन कर विद्यार्थी संवाद मैं उचित आरोह-अवरोह, अनुतान, तारत्व आदि कौशलों में दक्षता हासिल कर सकता है।
2. **भाषा प्रयोगशाला-** भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा कक्षाकक्ष है, जिसमें भाषा अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों को एक साथ संबद्ध कर अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है। सरल शब्दों में, हम भाषा प्रयोगशाला को भाषा शिक्षण केंद्र के रूप में समझ सकते हैं जिसमें विद्यार्थी को पढ़ने, लिखने, बोलने तथा सुनने के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम, भाषा प्रयोगशाला की स्थापना, 1966 में अमेरिका के शैक्षिक तकनिकी राष्ट्रीय परिषद के द्वारा की गई। कालांतर में विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में इसकी स्थापना की गई। भारतवर्ष के कुछ विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में भी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

प्रयोगशाला भाषा प्रयोगशाला मैं उपकरण तथा प्रक्रिया

भाषा प्रयोगशाला के तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये भाग निम्नलिखित हैं:

1. **श्रवण कोष्ठ -** श्रवण कोष्ठों की संख्या 16 से 20 होती है। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज तथा एक कुर्सी होती है जिस पर बैठकर छात्र कार्य करते हैं। इसके अलावा परामर्शदाता से बातचीत करने के लिए दूरभाव, ईयरफोन, स्विच तथा टेप-रिकॉर्डर होते हैं। उपरोक्त यंत्रों की सहायता से छात्र नियंत्रण कक्ष से

संपर्क स्थापित करता है। श्रवण कोष्ठ में छात्र को अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने तथा फिर उसे सुनने का प्रबंध रहता है। प्रत्येक कोष्ठ एक-दूसरे से 4 फीट ऊँची दीवारों के माध्यम से अलग किए गए रहते हैं ताकि छात्र बिना किसी व्यावधान के अपना कार्य कर सकें।

2. **परामर्शदाता कोष्ठ-** इस कोष्ठ में कई प्रकार के मास्टर टेप रखे रहते हैं तथा परामर्शदाता और छात्र के मध्य संबंध स्थापित करने की व्यवस्था बनाई गई रहती है। इस कोष्ठ में निम्नलिखित सामग्री होती है:
    a. छात्रों के लिए रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्विच्स
    b. छात्रों के आवाज को सुनने एवं उसमें सुधार लाने के लिए मॉनिटरिंग स्विच्स
    c. छात्रों के साथ द्विमार्गी संप्रेषण करने के लिए करने के लिए इंटरकॉम स्विच्स
    d. विशेषज्ञ टेप के साथ कार्य करने वाले छात्रों के लिए उद्घोषणा करने हेतु ग्रुप कॉल स्विच्स
    e. सभी छात्रों के लिए उद्घोषणा करने हेतु ऑल कॉल स्विच्स
3. **नियंत्रण कक्ष-** इस कक्ष में छात्रों को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के टेपरिकॉर्डर तथा उपकरण रखे गए होते हैं। परामर्शदाता मास्टर टेप का प्रयोग करता है। प्रत्येक कोष्ठ में उपलब्ध टेप में, आवाजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। छात्र अपने-अपने कोष्ठ में टेप को सुनते हैं तथा उस पर मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। ये अभिव्यक्तियाँ या अनुक्रियाएँ छात्र के कोष्ठ में रखे गए उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है। छात्र उस रिकॉर्ड का कई बार प्रयोग कर स्वयं यह जान लेता है कि उसके द्वारा की गई अभिव्यक्ति या अनुक्रिया संतुष्टिप्रद है या नहीं।

भाषा प्रयोगशाला के लाभ

इसके निम्नलिखित लाभ हैं:

a. छात्र स्व गति से अधिगम करता है।
b. इसमें त्वरित पृष्ठपोषण प्राप्त होने के कारण विद्यार्थी को उच्चस्तरीय अभिप्रेरणा मिलती है।
c. विषयवस्तु को बार-बार सुनने के कारण उच्चारण की शुद्धता का ज्ञान होता है।
d. विद्यार्थी अपनी गलतियों को स्व प्रयास से ठीक करना सीखता है।
e. प्रत्येक कोष्ठ एक-दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए छात्र को अन्य विद्यार्थियों की उपलब्धि की मौजूदगी से कोई संकोच नहीं होता है।

सीमाएँ

इसकी निम्नलिखित सीमाएँ हैं:

a. भाषा प्रयोगशाला सिर्फ श्रवण एवं वाचन कौशल के लिए ही उपयोगी है। पठन एवं लेखन कौशल में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
b. यह अत्यधिक व्यय साध्य विधि है।
c. इसमें छात्र सामूहिक कार्य से वंचित रह जाता है।

d. मौखिक अभिव्यक्ति के साथ-साथ आनन अभिव्यक्ति का उचित समायोजन वाचन कौशल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा प्रयोगशाला में छात्र आनन अभिव्यक्ति से वंचित रह जाता है।

4. कम्प्युटर एवं इंटरनेट

वर्तमान परिदृश्य में कंप्यूटर एवं इंटरनेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृश्य-श्रव्य सामग्री है। कंप्यूटर पर हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जो टेलीविजन या रेडियो या फिर टेप-रिकॉर्डर के माध्यम से भाषा शिक्षण के लिए संपन्न किया जाता है। पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड के माध्यम से हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर असंख्य बार सुन सकते हैं। अपनी गलती का पता कर उसका निवारण कर सकते हैं। इंटरनेट पर अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो भाषा सीखने में सहायता करते हैं। ऐसे कई ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं जो की भाषा सीखने में मदद करते हैं। यथा- केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के लिए सी डैक पूणे द्वारा तैयार किया गया लीला प्रवीण, लीला प्राज्ञ आदि सॉफ्टवेयर्स। यहाँ छात्र अपनी गति से सीखता है एवं बिना संकोच के अपनी गलतियों का निवारण करता है।

अभ्यास प्रश्न

8. चित्र या रेखाचित्र को कक्षा के दीवार पर इस प्रकार टाँगना चाहिए कि वह सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट दिखाई पड़े। (सत्य/असत्य)
9. मॉडल का प्रयोग करने के बाद उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। (सत्य/असत्य)
10. कक्षा में वास्तविक वस्तुओं का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग करते समय उसके आकार को ध्यान में रखना चाहिए। (सत्य/असत्य)
11. शिक्षण-अधिगम सामग्री विषयवस्तु से संबंधित होनी चाहिए।(सत्य/असत्य)
12. रेखाचित्र में अशुद्ध भाषा का प्रयोग ग्रहणीय है। (सत्य/असत्य)
13. मैजिक लालटेन किसे कहते हैं?
14. चित्र विस्तारक क्या है?
15. टेप-रिकॉर्डर का प्रयोग मुख्यतः किस भाषाई कौशल के शिक्षण हेतु उपयोगी है?
16. भाषा प्रयोगशाला किसे कहते हैं?
17. सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष एवं किस देश में हुई थी।
18. भाषा प्रयोगशाला में कोष्ठों की संख्या_____होती है।
19. परामर्शदाता कोष्ठ भाषा_____ का एक भाग है।
20. ऑल कॉल स्विच्स का प्रयोग_____उद्घोषणा करने के लिए किया जाता है।
21. भाषा प्रयोगशाला सिर्फ वाचन एवं_____कौशल के लिए उपयोगी है।

4.7 भाषा शिक्षण के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय ऐसे क्रिया-कलापों से है जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं फिर भी पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों तक प्रसारित करने एवं शिक्षण अधिगम-प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के सशक्त माध्यम हैं। ऐसे कियाकलाप छात्रों को विद्यालय में बाँधे रखते हैं तथा श्रेष्ठ नागरिक बनने में उनकी सहायता करते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं बल्कि इनके द्वारा शिक्षण कार्य भी संपन्न किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में तो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में आयोजित की जा सकने वाली मुख्य पाठ्य सहगामी क्रियाएँ निम्नलिखित हैं:

1. **वाद-विवाद-** वाद-विवाद से आशय किसी प्रत्यय या विचार के पक्ष एवं प्रतिपक्ष में तार्किक चर्चा से है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्वरूप का होता है। सर्वप्रथम किसी एक विषय का चयन किया जाता है जिस पर एक व्यक्ति उसके पक्ष में तो दूसरा विपक्ष में तर्क देता है। यदि इसका स्वरूप सामूहिक होता है तो एक समूह इस विषय के पक्ष में विचार प्रस्तुत करता है एवं दूसरा समूह विपक्ष में। इससे विद्यार्थी में तार्किक रूप से चिंतन करने एवं मौखिक अभिव्यक्ति करने की योग्यता का विकास होता है। वाद- विवाद का विषय यदि विद्यार्थी के रूचि के अनुकूल होता है तो विद्यार्थी खुद को इससे दूर नहीं रख पाता है। विद्यार्थी यदि स्वेच्छा से इन आयोजनों में भाग लेता है तो वह अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखता है।
2. **भाषण प्रतियोगिता-** भाषण से अर्थ किसी विषय के समग्र रूप को भाषाई अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने से है। भाषण के आयोजन द्वारा व्यक्ति को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के परिणाम-स्वरुप विद्यार्थी का वाचन कौशल समृद्ध होता है। इसके साथ ही श्रवण कौशल भी समृद्ध होता है। भाषाण प्रतियोगिता का आयोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषण का विषय समसामयिक एवं विद्यार्थी के मानसिक स्तर तथा रूचि के अनुकूल होना चाहिए। जटिल विद्वतपूर्ण विषय विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता से दूर रख सकते हैं। भाषाई कौशल में विकास के अतिरिक्त भाषण प्रतियोगिता से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर में भी विकास होता है। विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखने में सक्षम होते हैं।
3. **नाट्य मंचन-** नाटक प्रारंभ से ही समाज में मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है लेकिन मनोरंजन के साधन के साथ-साथ यह शिक्षण कार्य, विशेषतः भाषा शिक्षण कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे छात्र के वाचन कौशल में निखार आता है। छात्र संवाद शैली को समझता है। परिस्थिति के अनुसार स्वरों में कैसे आरोह-अवरोह का प्रयोग करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करता है। शब्दों के प्रासंगिक प्रयोग को सीखता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साथ-साथ आनन अभिव्यक्ति के समायोजन को सीखता है। इस प्रकार नाट्य मंचन के द्वारा एक साथ कई भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है।

4. **कविता का सस्वर वाचन-** कविता का सस्वर वाचन या काव्य पाठ छात्रों के वाचन कौशल को विकसित करता है। छात्र शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। वाचन में यति, गति, लय, विराम-चिन्ह, आदि के महत्व को सीखता है। आरोह, अवरोह, स्ट्रेस अनुतान आदि का ज्ञान भी प्राप्त होता है।
5. **समाचार पत्र पर आधारित कार्य-कलाप-** इस पर आधारित प्रमुख कार्य-कलाप समाचार-पत्र का वाचन है। इससे छात्रों के वाचन एवं पठन दोनों कौशलों में विकास होता है। वर्ग-पहेली समाचार-पत्र के आधार पर आयोजित की जाने वाली दूसरी प्रमुख गतिविधि या क्रिया-कलाप है जो छात्रों के शब्दकोष को विकसित करती है। समाचार- पत्रों में प्रकाशित आलेख को स्वयं के शब्दों में लिखने से विद्यार्थी के लेखन कौशल में भी विकास होता है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के व्याकरणिक संरचना की जानकारी एक स्थान पर ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार समाचार-पत्र आधारित क्रिया-कलाप भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
6. **अंत्याक्षरी-** यह एक प्रकार का खेल है जिसमें किसी शब्द के अंतिम अक्षर से शुरु होने वाले शब्द को बोलना होता है। यह खेल विद्यार्थियों के शब्दकोश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
7. **मंच संचालन-** विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंच- संचालन का दायित्व विद्यार्थियों को प्रदान किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी मंच संचालन की गरिमा को समझ सकेंगे। मंच संचालन की भाषा शैली से परिचित हो सकेंगे और उनका प्रयोग कर सकेंगे। मंच संचालन में उच्चारण की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः, छात्र उच्चारण की शुद्धता पर अधिक ध्यान दीजिए गे और उनका उच्चारण कौशल समृद्ध होगा।
8. **निबंध लेखन प्रतियोगिता-** निबंध लेखन प्रतियोगिता के आयोजन से विद्यार्थियों के लेखन क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इसके साथ ही विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का भी विकास होता है।
9. **विज्ञापन निर्माण-** विज्ञापन की अपनी एक अलग दुनिया है। इस की भाषा शैली भी अलग होती है। इस शैली पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। विज्ञापन निर्माण संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करके विद्यार्थियों को विज्ञापन की दुनिया में प्रवेश करने एवं उसे पूर्ण रूप से अपने आत्मसात करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इससे सिर्फ विद्यार्थियों के भाषाई कौशल का ही विकास नहीं होता है बल्कि उनके अंदर है व्यवसायिक दक्षता भी आती है जो उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी है। विद्यालय में होने वाले अन्य कार्यक्रमों के साथ विज्ञापन निर्माण संबंधी कार्यक्रम को जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त पाठ्य सहगामी क्रियाएँ भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत ही उपयोगी प्रमाणित होती हैं। इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के इतर भी कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन भाषा शिक्षण हेतु किया जा सकता है। यथा- संगोष्ठी का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, आशुभाषण का आयोजन आदि।

अभ्यास प्रश्न

22. पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं?
23. हिंदी भाषा शिक्षण अर्थ आयोजित की जा सकने वाली मुख्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए ?

4.8 सारांश

भाषा मनुष्य की ऐसी विशेषता है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग कर देती है। भाषा ऐसे तो जन्मजात है लेकिन उसका संवर्धन समाज के साथ अंतःकिया के फलस्वरूप होता है तथा उसमें परिपक्वता भी सामाजिक अंतक्रिया का ही परिणाम है। बंद कमरे में रहने वाला मनुष्य स्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि यदि एक मानव शिशु को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह मानवोचित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है। तात्पर्य यह है कि भाषा सामाजिक अंतर्क्रिया का परिणाम है और इसे सीखना पड़ता है। अर्थात भाषा का शिक्षण किया जाता है। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा सीखने के लिए तो आवश्यक रूप से शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि शिक्षण है तो शिक्षण-सामग्री एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ आवश्यक रुप से होंगी। प्रस्तुत इकाई में हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जा सकने वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इकाई के प्रारंभ में ही शिक्षण-अधिगम सामग्री के विविध रुप, जिसमें की दृश्य, श्रव्य, एवं दृश्य-श्रव्य शिक्षण अधिगम-सामग्री शामिल हैं का सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा प्रयोगशाला कम्प्युटर एवं इंटरनेट के हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग पर जो चर्चा प्रस्तुत की गई है वह निश्चय ही भाषा शिक्षण-अधिगम के कार्य में शामिल व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली है। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त की जा सकने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं की संक्षिप्त व्याख्या इकाई के अंतिम खंड में प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थी एवं शिक्षक इस व्याख्या का अपने शिक्षण-अधिगम व्यवहार में उपयोग कर उनका प्रभावी प्रयोग कर सकते हैं । इस प्रकार, यह इकाई भाषा शिक्षण-अधिगम के कार्य में शामिल शिक्षकों, विद्यार्थियों, एवं अन्य व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. असत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. सत्य
5. असत्य

6. हॉलक्वेस्ट के अनुसार, "पाठ्यपुस्तक शिक्षण-क्रियाओं एवं अभिप्रायों हेतु सुव्यस्थित चिंतन एवं ज्ञान की लिखित सामग्री है"।
7. शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रवेश करने के तुरंत बाद श्याम पट्ट पर लिखी जानेवाली मुख्य आवश्यक सूचनाएँ निम्नलिखित हैं:
    i. दिनांक
    ii. कक्षा या वर्ग
    iii. चक्र
    iv. अवधि
    v. विषय
    vi. प्रकरण
8. असत्य
9. असत्य
10. सत्य
11. सत्य
12. असत्य
13. मैजिक लालटेन एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से चित्रों, रेखाचित्रों, चार्ट आदि के स्लाइडों को बड़ा करके प्रस्तुत किया जाता है।
14. चित्र विस्तारक चित्रों को बड़ा करके दिखाता है।
15. वाचन एवं श्रवण कौशल
16. भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा कक्षाकक्षा है जिसमें भाषा अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों को एक साथ संबद्ध कर अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है।
17. सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला की स्थापना 1966 में अमेरिका के शैक्षिक तकनिकी राष्ट्रीय परिषद के द्वारा की गई थी।
18. 3
19. प्रयोगशाला
20. सभी विद्यार्थियों
21. श्रवण
22. प्रश्न संख्या 1 (अ) एवं 1 (ब) के लिए इकाई के खंड 3.7 को देखें।
23. प्रश्न संख्या 1 (अ) एवं 1 (ब) के लिए इकाई के खंड 3.7 को देखें।

4.10 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहायक पुस्तकें

1. अग्रवाल,पुरोषत्तम एवं कुमार, संजय. (2000). हिंदी नई चाल में ढलती: एक पुनर्विचार, देशकाल प्रकाशन, नई दिल्ली.
2. कुमार, कृषण (2004). बच्चे की भाषा और अध्यापक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली.
3. कौशिक, जयनारायण. (1987). हिंदी शिक्षण, हरियाणा साहित्य अकादमी , चंडीगढ़.
4. गोस्वामी, कृष्ण कुमार. (1990). साहित्य भाषा और साहित्य शिक्षण, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद
5. गोस्वामी, कृष्ण कुमार एवं शुक्ल, देवेंद्र. (1992). साहित्य शिक्षण, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान मद्रास
6. तिवारी, पुरोषत्तम. (1992). हिंदी शिक्षण, राजस्थान ग्रंथ अकादमी.
7. तिवारी, भोलानाथ, (1990). हिंदी भाषा शिक्षण, लिपि प्रकाशन, दिल्ली.
8. सम्पूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, आशीष प्रकाशन, पटना.

4.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षण-अधिगम सामग्री के कितने प्रमुख वर्ग हैं? उनके नाम लिखिए तथा प्रत्येक वर्ग से एक-एक उदाहरण दीजिए।
2. कक्षाकक्ष में पाठ्य पुस्तकों के उपयोग की चर्चा कीजिए।
3. एक शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय पाठ्यपुस्तक की किन-किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए?
4. श्यामपट का उपयोग करते समय शिक्षक द्वारा जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
5. कक्षाकक्ष में शिक्षण-अधिगम सामग्री के रुप में मॉडल, चार्ट, पोस्टर, रेखाचित्र आदि के उपयोग पर निबंध लिखिए।
6. भाषा प्रयोगशाला का उसकी विशेषताओं एवं सीमाओं के साथ वर्णन कीजिए।
7. हिंदी भाषा शिक्षण के लिए आयोजित की जा सकने वाली विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
8. अपने विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षण को ध्यान में रखते हुए एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए और उस प्रतियोगिता के आधार पर विद्यार्थियों के भाषाई कौशल में होने वाले लाभ को इंगित कीजिए।

इकाई 5- हिंदी भाषा शिक्षण में सूचना एवं तकनीकी का उपयोग

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि: संक्षिप्त परिचय
5.4 भाषा एवं कम्प्युटर
5.5 भाषा शिक्षण एवं कम्प्युटर
5.6 भाषा शिक्षण-अधिगम के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी उपकरण
5.7 इंटरनेट एवं भाषा शिक्षण
5.8 भाषा शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग के लाभ
5.9 भाषा शिक्षण-अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग की सीमाएँ
5.10 सूचना एवं संचार तकनीकी समेकित भाषा शिक्षण एवं अधिगम वातावरण का निर्माण करने हेतु आवश्यक शर्तें
5.11 सूचना एवं संचार तकनीकी के सहयोग से हिंदी साहित्य के शिक्षण को जीवंत बनाना
5.12 हिंदी साहित्य के शिक्षा में सूचना एवं संचार संबंधी तकनीकी साधनों के उपयोग की चुनौतियाँ
5.13 सारांश
5.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.15 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रंथ
5.16 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

वर्तमान समय सूचना एवं प्रौद्योगिकी का है। कम्प्युटर , इंटरनेट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी उपकरण यथा- मोबाइल, टैबलेट आदि का हमारे जीवन में इस प्रकार समावेश हो चुका है कि ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में सूचना एवं तकनीकी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जीवन के समस्त क्रियाकलापों में इसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में शिक्षण-अधिगम इससे अछूता नहीं है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में

भी इसका बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। विगत 20-25 वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग(वर्तमान में प्रौद्योगिकी विभाग) की इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आस्की कोड का मानकीकरण, जिस्ट तकनीक का विकास, हिंदी में वर्तनी शुद्धीकरण प्रोग्राम का विकास, मशीनी अनुवाद, अनुसार प्रौद्योगिकी का विकास इलेक्ट्रॉनिक कोशों का निर्माण, भारतीय भाषाओं में कारपोरा विकास आदि इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हैं। उपर्युक्त सारे कार्यों के मूल में भाषा निहित है। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों के लिए भाषा ज्ञान का होना आवश्यक है। भाषा का ज्ञान प्रदान करने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता है। प्रस्तुत इकाई भाषा शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग पर आधारित है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत इकाई का निर्माण सूचना एवं संचार तकनीकि के द्वारा भाषा-शिक्षण-अधिगम का ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया है।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि का संक्षिप्त परिचय दे सकेंगे।
2. भाषा एवं कम्प्युटर के पारस्परिक संबंध को समझ सकेंगे तथा इस क्षेत्र में हुए विभिन्न शोध कार्यों का वर्णन कर सकेंगे।
3. भाषा शिक्षण में कम्प्युटर के अनुप्रयोग का वर्णन कर सकेंगे।
4. भाषा शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी उपकरणों से परिचित हो सकेंगे।
5. भाषा शिक्षण में इंटरनेट की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।
6. भाषा शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग के लाभों को सूचीबद्ध कर सकेंगे।
7. भाषा शिक्षण-अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग की सीमाओं को उल्लिखित कर सकेंगे।
8. सूचना एवं संचार तकनीकी समेकित भाषा शिक्षण एवं अधिगम वातावरण के निर्माण की आवश्यक दशाओं से अप्रिचित हो सकेंगे।
9. हिंदी साहित्य के शिक्षण को जीवंत बनाने के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी के महत्व को प्रकाशित कर सकेंगे।
10. हिंदी साहित्य के शिक्षा में सूचना एवं संचार संबंधी तकनीकी साधनों के उपयोग की चुनौतियों का उल्लेख कर सकेंगे।

5.3 सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि: संक्षिप्त परिचय

सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि शब्द तीन अलग-अलग शब्दों 'सूचना', 'संप्रेषण' एवं 'तकनीकि' का सम्मिलित रुप है। इसका सामान्य अर्थ वैसी सारी तकनीकि, जिनका प्रयोग सूचनाओं के संप्रेषण को सरल एवं प्रभावकारी बनाने के लिए किया जाता है, के समुच्चय से है। मर्फी(2011) के अनुसार, यह पद 'सूचना तकनीकि' पद का विस्तृत रुप है। (एफ ओ एल डी ओ सी, 2008) के अनुसार, इसका उद्देश्य संप्रेषण को एकरुप बनाए रखने पर बल देना तथा टेलिकम्युनिकेशन्स, कम्प्युटर्स तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर्स, भंडारण एवं दृश्य-श्रव्य प्रणाली के समेकन पर बल देना है ताकि इस तकनीकि का उपयोगकर्ता सूचनाओं को प्राप्त कर सके, उसका उपयोग कर सके, उसे भंडारित कर सके तथा उसे प्रसारित कर सके। इस शब्द का प्रयोग कम्प्युटर नेटवर्क के साथ एकल तार या एकल लिंक प्रणाली की व्यवस्था से दृश्य-श्रव्य एवं टेलीफोन नेटवर्क की संबद्धता के लिए भी किया जाता है।

सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि कोई सर्वमान्य परिभाषा देना संभव नहीं है क्यों कि इसके संप्रत्यय, विधि एवं अनुप्रयोग में निरंतर प्रगति हो रहा है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इसमें वे सभी उत्पाद शामिल हो जाते हैं, जो कि भंडारण, पुनःप्राप्ति, सूचनाओं का प्रसारण एवं ग्रहण, डिजटिल रुप में विद्युतीय माध्यम से कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत कम्प्युटर, डिजिटल टेलिविजन, इमेल, रोबोट, आदि।

इस पद का प्रयोग शैक्षिक शोधकार्यों में सन 1980 से होता आ रहा है। इस पद का शब्द-संक्षेप, आईसीटी, डेनिस स्टेवेन के द्वारा युनाएटेड किंगडम सरकार के के एक प्रतिवेदन में किए जाने तथा इंगलैण्ड, वेल्स एवं उत्तरी आयरलैंड के सन 2000 में संशोधित हुए पाठ्यक्रम में प्रयोग किए जाने के बाद प्रसिद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि कार्य दल तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय के निर्माण के पश्चात इस पद का प्रसार पूरे विश्व में हो गया।

शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि पद का प्रयोग शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने, शिक्षा में समता लाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रदान करने, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करने के लिए तथा अधिक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार तकनीकि सर्वत्र उपस्थित है। लगभग 3 बिलियन लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट उपयोग करनेवाले प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 8 के पास स्मार्ट फोन है। विकासशील देशों में तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि सामाजिक जीवन का हिस्सा हो गया है। आज सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

5.4 भाषा एवं कम्प्युटर

भाषा के क्षेत्र में कम्प्युटर के प्रयोग की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कम्प्युटर एवं भाषा से संबंधित जितने भी कार्य हुए हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित हैं:

1. कार्पस निर्माण एवं प्रबंधन
2. पाठ संसाधन, मशीनी अनुवाद एवं संक्षिप्तीकरण आदि
3. शब्द आधारित सामग्री- शब्दकोश, शब्द जालक्रम (वर्ड नेट), अर्थ जालक्रम (सिमैंटिक नेट) आदि का विकास
4. वाक प्रौद्योगिकी
5. भाषा संबंधी सूचनात्मक सामग्री का विकास
6. शब्द संसाधक, ओ सीआर, श्रुतलेखन आदि उत्पादों का निर्माण
7. विषय आधारित शिक्षण कार्यक्रम

ये सारे कार्यक्रम विभिन्न कंप्यूटिंग एजेंसीयों द्वारा तैयार किए गए हैं।

5.5 भाषा शिक्षण एवं कम्प्युटर

भाषा के क्षेत्र में कम्प्युटर के प्रयोग से संबंधित उपरोक्त कार्य प्रत्यक्ष रुप से भाषा शिक्षण एवं परीक्षण से संबंधित नहीं है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में कम्प्युटर के अनुप्रयोग से संबंधित कार्य के क्षेत्र में वर्तमान में दो महत्वपूर्ण संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। प्रथम भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा द्वितीय केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।

केंद्रीय हिंदी संस्थान में अहिंदी भाषियों तथा विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का काम किया जाता है। संस्थान में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत भारत सरकार के अहिंदी भाषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए चल रहे प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कार्यक्रमों के लिए सी डैक, पुणे द्वारा सन 1995-96 में लीला प्रबोध, लीला प्रवीण तथा लीला प्राज्ञ नामक भाषा शिक्षण के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का विकास किया। संस्थान द्वारा इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण सामग्री के रूप में किया जाता है। ये एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स, सन 1980 में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण-सामग्री के रुप में विकसित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित थे।

आइ0आइ0टी0, कानपुर तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संयुक्त तत्वाधान में आज से लगभग 25- 26 वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद हेतु कार्पस निर्माण करना था। उस समय भाषा विश्लेषण के लिए नमूने के छोटे-छोटे कार्यक्रम बनाए गए। उनमें से एक कार्यक्रम था हिंदी में 'को' का प्रयोग। इस कार्यक्रम के तहत हिंदी भाषा में 'को' का प्रयोग किन-किन परिस्थितियों में किया जाता है, उनसे संबंधित सामग्री को एकत्र कर उसकी प्रोग्रामिंग की गई थी। प्रोग्रामिंग करने के बाद कम्प्युटर यह निर्णय लेने में सक्षम था कि दिया गया वाक्य सही है या गलत। इसके साथ ही कम्प्युटर यह भी बताता था कि अगर वाक्य गलत है तो उसमें क्या गलती है तथा इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रोग्राम के जाँच हेतु कम्प्युटर को निम्नलिखित दो वाक्य दिए गए:

- मैं किताब चाहिए
- राम जाना होगा `

कम्प्युटर ने इन दोनों वाक्यों को गलत कहा और वाक्यों के सही रूप हेतु निम्नलिखित वाक्य सुझाए:

- मुझे किताब चाहिए
- राम को जाना होगा

जब कम्प्युटर से पूछा गया कि हिंदी भाषा में किन-किन परिस्थितियों में 'को' का प्रयोग किया जाता है तब उसने सारी स्थितियों (वाक्य संरचनाओं) का वर्णन प्रस्तुत कर दिया। हालाँकि इन प्रोग्राम्स के निर्माण का उद्देश्य प्रत्यक्ष रुप से भाषा शिक्षण नहीं था लेकिन भाषा शिक्षण के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का बखूबी प्रयोग किया जा सकता था या किया जा सकता है।

भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए सुलभ भाषा प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया था लेकिन यह सभी प्रयोग उच्चारण शिक्षण तक ही सीमित थे।

हिंदी भाषा की संरचना को ध्यान में रखते हुए कम्प्युटर समर्थित भाषा शिक्षण संबंधी अनेक सामग्रियों का विकास किया जा सकता है उदाहरणार्थ कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है:

- देवनागरी लिपि शिक्षण (मानक लिपि)
- मानक वर्तनी शिक्षण
- मानक उच्चारण शिक्षण
- हिंदी भाषा संरचना का शिक्षण
- हिंदी संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण रुपावली
- हिंदी में अन्विति
- हिंदी में काल, पक्ष वृत्ति
- पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द
- उपसर्ग ,प्रत्यय एवं हिंदी में शब्द निर्माण प्रक्रिया
- संधि, समास एवं कारक
- एक शब्दों के बदले अनेक शब्द
- विराम चिन्ह
- हिंदी भाषा का विकास
- हिंदी साहित्य

- व्याकरण शोधक कार्यक्रम
- हिंदी भाषा मूल्यांकन परीक्षण आदि

अभ्यास प्रश्न

1. शैक्षिक तकनीकि शब्द का प्रयोग शैक्षिशोद्जक शोधकार्यों में _____से होता आ रहा है।
2. युनाइटेड किंगडम सरकार के एक प्रतिवेदन में _____द्वारा आई0सी0टी शब्द का प्रयोग किया गया।
3. केंद्रीय हिंदी संस्थान _____ में स्थित है।
4. लीला प्रवीण नामक भाषा शिक्षण सॉफ्टवेयर _____भाषा के शिक्षण के लिए बनाया गया था।
5. सी डैक का शब्द विस्तार _____ है।
6. मिलान करें

स्तंभ अ	**स्तंभ ब**
(अ) सी डैक	(1) मैसूर
(ब) हिंदी शिक्षण योजना	(2) मशीनी अनुवाद
(स) भारतीय भाषा संस्थान	(3) पुणे
(द) 'मंत्र राजभाषा'	(4) 1995-96
(य) लीला प्राज्ञ	(5) राजभाषा विभाग, भारत सरकार

5.6 भाषा शिक्षण-अधिगम के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी उपकरण

शिक्षण एवं अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग ने विद्यार्थियों को भाषा सीखने तथा अपने भाषा संबंधी कौशलों को प्रखर एवं तीक्ष्ण करने के लिए या यूँ कहिए कि उसे परिष्कृत करने के लिए पहले की तुलना में वर्तमान में अधिक अवसर एवं संसाधन प्रदान किए हैं। इसके प्रयोग ने भाषा अधिगम की विभिन्न विधियों एवं क्रियाकलापों को समृद्ध किया है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रुप से वाचन, श्रवण, लेखन एवं अंतः क्रिया के अवसर भी प्रदान किए हैं। वार्शायर एवं लिया (2011) के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी भाषा शिक्षण एवं अधिगम के लिए उपकरण, अधिगम के स्वतंत्र उपकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें की प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाया जा सकता है। इस प्रकार से यह विविध विविध प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण एवं संसाधन निम्नलिखित हैं:

1. **आंकड़ों को भंडारित करने वाले उपकरण-** इस प्रकार के उपकरणों में मुख्य रूप से सीडी रोम, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि आते हैं। इस प्रकार के उपकरण विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करते हैं।
2. **अंतः क्रियात्मक उपकरण -** इस प्रकार के उपकरण विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों से तथा शिक्षकों से प्रत्यक्ष कक्षाकक्ष की तरह अंतः क्रिया करने के लिए वातावरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के उपकरणों में निम्नलिखित उपकरणों को शामिल किया जाता है:

- अंतःक्रियात्मक व्हाइट बोर्ड (श्वेत पट्टी)- मानसी एवं ज्यूरिख 2013 के अनुसार इसका प्रयोग शिक्षण सामग्रियों एवं सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
- वॉइस चैट, विडीयो चैट, स्काइपी, विबर, व्हाट्सएप आदि- ये सारे अपने-अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसे वातावरण प्रदान करते हैं जिनकी सहायता से उनके मध्य उच्चस्तरीय अंतर्क्रिया संभव होती है। इन सारे सॉफ्टवेयर्स के उपयोगकर्ता शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों होते हैं। अतः, इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके शिक्षक एवं विद्यार्थी आपस में परस्पर उच्चस्तरीय मौखिक अंततर्क्रिया कर प्रभावी रूप से भाषा शिक्षण कर सकते हैं, अर्थात यह भाषा शिक्षण के प्रभावी उपकरण है।
- टेली कॉन्फ्रेंसिंग- इसके अंतर्गत ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा वेबिनार सम्मिलित होते हैं। यह उपकरण विद्यार्थी के वाचन, श्रवण वाक तथा लेखन कौशल को शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संपन्न आमने-सामने की अंतक्रिया के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। ईमेल- यह विद्यार्थियों को लेखन कौशल तथा संप्रेषण कौशल को बहुत आसान तरीके से विकसित करता है।
- प्रस्तुतीकरण उपकरण- इसके तहत एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह विद्यार्थियों को शब्दों की तालिका बनाकर प्रस्तुत करने, शब्दकोश बनाकर प्रस्तुत करने, व्याकरणिक अवयवों को प्रस्तुत करने, आदि में सहायता करता है।
- प्रक्षेपक उपकरण (प्रोजेक्टर)- इसके अंतर्गत ओवरहेड प्रोजेक्टर, एल सी डी, एवं स्लाइड प्रोजेक्टर को शामिल किया जाता है। शिक्षक इसका प्रयोग कक्षाकक्ष में ध्वनि एवं चित्रों के प्रस्तुतीकरण द्वारा विद्यार्थियों के ध्यान को कक्षा में बनासे रखने के लिए किया जाता है।
- सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी अन्य उपकरण- एक शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इ-बुक्स, जरनल्स, शब्दकोश, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, ऑनलाइन समाचार पत्र आदि।

3. **वर्ल्ड वाइड वेब**

5.7 इंटरनेट एवं भाषा शिक्षण

आज समस्त विश्व इंटरनेट क्रांति के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसमें इंटरनेट का प्रयोग नहीं हो रहा है। भाषा शिक्षण इन विविध पक्षों में से एक है। वर्तमान समय में इंटरनेट भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भाषा शिक्षण में इंटरनेट के प्रयोग से भाषा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ी है। आज अरबों की संख्या में लोग भाषा शिक्षण के लिए या भाषा अधिगम के लिए इंटरनेट का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं।

भाषा शिक्षण की विभिन्न शैलियाँ होती हैं यथा श्रवण एवं बातचीत, व्याकरण शैली, आदि। विद्यार्थी भी भिन्न भिन्न शैलियों की मदद से भाषा सीखना चाहते हैं। यथा- कुछ विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखे गए लेख का विश्लेषण करके भाषा सीखते हैं तो कुछ विद्यार्थी चित्र की सहायता से भाषा सीखते हैं। इंटरनेट की सहायता से किसी शैली का प्रयोग कर भाषा शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। प्रभावी भाषा शिक्षण-अधिगम के लिए कोई एक शैली पर्याप्त नहीं है अपितु विभिन्न शैलियों का यथोचित मिश्रण कर प्रयोग किया जाना चाहिए। इंटरनेट इस कार्य को अत्यंत सहज बना देता है। इंटरनेट आधारित विविध भाषा-शिक्षण उपकरण यथा भाषा अनुवाद, इंटरनेट पर शब्दकोश, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उच्चारण, ऑनलाइन परीक्षा, सहायक पुस्तकों की सूची, आदि भाषा अधिगम को और भी प्रभावी बना देते हैं। इन उपकरणों के निशुल्क उपलब्ध होने के कारण समस्त विद्यार्थियों तक इसकी पहुँच सरल है। इस क्षेत्र में भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनमें से कुछ प्रमुख प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है:

1. **मशीनी अनुवाद-** अनुप्रयुक्त कृत्रिम बुद्धि समूह (एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप) प्रगत संकलन विकास केंद्र(सी डैक), पुणे के द्वारा एक मशीन साधित अनुवाद प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम मंत्र राजभाषा है। यह प्रणाली राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। यह परियोजना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित थी। इस प्रोग्राम के स्टैंडएलोन, इंट्रानेट एवं इंटरनेट संस्करण को विकसित किया गया है।
2. सी डैक पुणे ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के के लिए हिंदी में श्रुतलेखन (डिक्टेशन) का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम श्रुतलेखन राजभाषा है। इस सॉफ्टवेयर का कार्य वाक को पाठ में बदलना है अर्थात यह सॉफ्टवेयर माइक्रोफोन में बोली गई ध्वनि को टेक्स्ट के रूप में बदलता है। इस सॉफ्टवेयर को स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं।

   सीडैक पुणे ने ही टंकण (टाइपिंग) सीखने के लिए 'लिप ऑफिस' नामक सॉफ्टवेयर का विकास किया है।
3. **लिप्यांतरण-** लिप्यांतरण से आशय किसी एक लिपि में लिखी गई बात का दूसरे लिपि में रूपांतरण है। इ-महाशब्दकोश इसका बेहतर उदाहरण है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा बनाया गया शब्दकोश भी बहुत उपयोगी है। कुछ प्रमुख शब्दकोशों का विवरण निम्नलिखित है:

- शब्दकोश- इस शब्दकोश का निर्माण मनीष सोनी द्वारा वर्ष 2003 में किया गया था। मनीष सोनी ने www.shabdakosh.com नामक एक वेबसाइट बनाया । इस शब्दकोश में प्रारंभ में 1500 शब्द थे । आज इस शब्दकोश में शब्दों की संख्या 100000 से भी अधिक हो गई है।
- google शब्दकोश- यह शब्दकोश google कंपनी द्वारा निर्मित है तथा अनुवादकों के लिए अधिक उपयोगी है। इस शब्दकोश में शब्द के अर्थ के साथ अनेक संबंधित पदबंध भी दिखते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको 'फेज' शब्द का अर्थ देखना है तो अर्थ के साथ आपको नेटवर्क कंट्रोल फेज, सपोर्ट कंट्रोल फेज आदि अनेक संबंधित पदबंध भी दिखेंगे।

भाषा शिक्षण एवं अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट है जो इस कार्य में सहायता करते हैं।

1. **mylanguage.org -** इस साइट के द्वारा अनेक भारतीय भाषाओं को सुगमता के साथ सीखा जा सकता है। इस साइट की एक खास बात है की यह विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं का शिक्षण प्रदान करता है अर्थात अधिगमकर्ता का भाषाई माध्यम कुछ भी हो उसे अन्य भाषा सीखने में होने वाली समस्या या तो समाप्त हो जाएगी या अल्प हो जाएगे। निम्नलिखित तालिका में इस वेबसाइट द्वारा विभिन्न भाषाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न भाषाओं के शिक्षण को अंकित किया गया है:

भाषा (अनुदेशन के माध्यम के रुप में)	**भाषा (सीखने के लिए उपलब्ध)**
अंग्रेजी माध्यम से	अंगिका, असमिया, अवधी, बघेलखंडी, बंगाली, भोजपुरी, विष्णुप्रिया मणिपुरी, बोडो, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, गुजराती, हरियाणवी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मारवाड़ी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, सिंहली, तमिल, तेलुगु, तुलु एवं उर्दू
असमी माध्यम से	गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, तमिल एवं तेलुगु
बांग्ला माध्यम से	गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, तमिल एवं तेलुगु
गुजराती माध्यम से	बंगाली, हिंदी, मलयालम, मराठी, तमिल एवं तेलुगू
हिंदी माध्यम से	बंगाली, गुजराती, मलयालम, उड़िया, तमिल एवं तेलुगू
कन्नड़ माध्यम से	बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, ओड़िया, तमिल एवं तेलुगू
मलयालम माध्यम से	बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल एवं तेलुगू
ओड़िया माध्यम से	बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल एवं तेलुगू
पंजाबी माध्यम से	बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल एवं तेलुगू

तमिल माध्यम से	बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया एवं तेलुगू
तेलुगु माध्यम से	बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया एवं तमिल

स्रोत: भाषा शिक्षण एवं इंटरनेट(टेक चंद)

2. Youtube- youtube/in में चीनी फॉर टॉट्स एवं किड्स हिंदी सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से अनेक भारतीय भाषाओं को तथा भारतीयेतर भाषाओं को हिंदी माध्यम से सीखा जा सकता है।
3. www.languagereef.com- यह वेबसाइट भारतीय भाषाओं एवं विश्व की अन्य भाषाओं को सीखने के लिए उपयोगी है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भाषा शिक्षण एवं अधिगम के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को लेकर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं लेकिन यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। अभी इस क्षेत्र में और प्रयास करने की आवश्यकता है। भाषा के शिक्षण एवं अधिगम के लिए और अधिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाने चाहिए ताकि सभी लोगों तक उनकी पहुँच हो सके एवं लोग सहजता के साथ भाषा का शिक्षण एवं अधिगम कर सकें। ये प्रयास सिर्फ सॉफ्टवेयर के विकास तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि इनके विकास का लोगों तक प्रसार भी होना चाहिए। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तथा आम जनता को भी इनके प्रयोग के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए ताकि वह आने वाली पीढ़ी को भाषा शिक्षण एवं अधिगम के लिए इंटरनेट के प्रयोग के प्रति जागरुक बना सके।

अभ्यास प्रश्न

7. सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि संबंधी सर्वाधिक प्रयुक्त जाने वाले उपकरणों के विभिन्न वर्गों के नाम लिखें।
8. हर वर्ग में आने वाले उपकरणों के दो-दो उदाहरण लिखें।
9. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग के लिए हिंदी में श्रुतलेखन का सॉफ्टवेयर किस संस्था ने तैयार किया था।
10. 'लिप्यांतरण' शब्द का क्या अर्थ है?
11. विभिन्न भरतीयों के माध्यम से विभिन्न भारतीयों भाषाओं को सीखने का वातावरण प्रदान करनेवाला वेबसाइट्स कौन है?

5.8 भाषा शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग के लाभ

जैसा कि मुलम्मा (2010) के द्वारा सुझाया गया है, सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी संसाधनों का प्रयोग कक्षाकक्ष में संपादित किए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। इसमें सामूहिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम को समर्थन देने का कार्य आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। विगत कुछ दशकों में तकनीकी के बढ़ते हुए प्रयोग ने भाषा शिक्षण एवं अधिगम की संभावनाओं में अनेक परिवर्तन किए हैं तथा सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी उपकरणों के प्रयोग ने विद्यार्थी तथा शिक्षक एवं विद्यार्थी तथा विद्यार्थी के मध्य अंतः क्रिया को बढ़ाया है। भाषा शिक्षण-अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी उपकरणों के प्रयोग के लाभ को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

1. इंटरनेट पढ़ाए जा रहे भाषा संबंधी नवीन एवं अधिकृत सामग्रियों के प्रयोग को विद्यार्थियों तक सहजता एवं तीव्रता से पहुंचाता है।
2. चैट रूम एवं आभासी वातावरण जैसे कि सेकंड लाइफ आदि विद्यार्थी को न सिर्फ भाषा के लिखित प्रयोग बल्कि बोलने एवं सही उच्चारण का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। यहां उसे गलती करने का कोई भय नहीं रहता है।
3. स्काइपी या अन्य ऑनलाइन चैट प्रोग्राम्स के माध्यमो का प्रयोग करके विद्यार्थी लिखने, पढ़ने, बोलने एवं सुनने तथा बातचीत में उचित प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं।
4. विद्यार्थी, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करने एवं आपसी सहयोग के द्वारा भाषा अधिगम संबंधी
5. संसाधनों के विकास जैसे कि विकी के निर्माण आदि के लिए अभिप्रेरित होते हैं।
6. सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली ढंग से भाषा सीखा सकता है।
7. सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी उपकरणों एवं उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण शिक्षक अपने विद्यार्थियों को भाषा अधिगम संबंधी निर्देशन, व्यक्तिगत रुप से, देने में सक्षम है।
8. इसकी सहायता से शिक्षक विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को कक्षाकक्ष में प्रयुक्त करने में शिक्षक को सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से आसानी होती है।

5.9 भाषा शिक्षण-अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग की सीमाएँ

भाषा शिक्षण एवं अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग की निम्नलिखित सीमाएँ हैं:

1. भारतीय परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट के अस्थिर कनेक्शन (संपर्क) के कारण विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाते हैं और सूचनाओं को ढूँढने या अधिगम के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने का पूर्ण प्रयास नहीं करते हैं।
2. आँकड़ों का नष्ट हो जाना विद्यार्थियों के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग की दूसरी सीमा है।
3. आँकड़ों के नष्ट हो जाने के कारण विशेषतः यदि गृह-कार्य एवं सत्रीय-कार्य को पूरा करते समय आँकड़े नष्ट हो जाते हैं तो विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाते हैं। बुराक (2000) ने अपने शोध कार्य के आधार पर यह बताया कि विद्यार्थी आंकड़ों के नष्ट हो जाने पर तनाव ग्रसित हो जाते हैं।
4. शिक्षकों की सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी जागरुकता, साक्षरता तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी उपकरणों के प्रयोग में शिक्षकों की कुशलता भी इसकी एक सीमा है। यदि शिक्षक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी उपकरणों के प्रयोग में कुशल नहीं है तो वह अपने विद्यार्थियों को इन उपकरणों के उपयोग के लिए अभिप्रेरित नहीं कर पाता है। इसके साथ ही साथ वह कक्षाकक्ष में इन उपकरणों का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाता है।

5.10 सूचना एवं संचार तकनीकी समेकित भाषा शिक्षण एवं अधिगम वातावरण का निर्माण करने हेतु आवश्यक शर्तें

इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्त्तें हैं:

1. एक शिक्षक को उन सॉफ्टवेयरों से परिचित होना चाहिए। शिक्षक जितना ही ज्यादा उन सॉफ्टवेयरों से परिचित होता है उतना ही प्रभावी अधिगम वातावरण का निर्माण विद्यार्थियों के लिए कर पाता है।
2. अधिगम के परिणाम में अंतर स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन करना।
3. मुख्य भाषा के विभिन्न तत्व यथा विषय विशिष्ट शब्दावली, भाषा की संरचना, व्याकरण तथा भाषा के प्रकार्य आदि की पहचान।
4. मुख्य भाषा को प्रस्तुत करने एवम उसका विस्तार करने के लिए पूरे प्रोग्राम का प्रयोग किया जाना चाहिए या कि प्रोग्राम के किसी चयनित भाग का इसका निर्णय करने के लिए विचार करना।
5. यह निश्चित करना कि क्या प्रोग्राम विद्यालय स्तर, भाषायी-विकास की अवस्था तथा सांस्कृतिक परिदृश्य एवं आयु के अनुकूल है या नहीं।

6. संबंधित सामग्री की तैयारी जिसमें दृश्य सामग्री को डाउनलोड करना वेबसाइट को बुकमार्क करना।
7. यह विचार करना कि नए भाषा का प्रयोग करने एवं संप्रत्य को समझने के लिए किस प्रकार से व्हाइट बोर्ड का पूरे कक्षा के साथ प्रयोग किया जा सकता है।
8. कक्षा के विद्यार्थियों की समूह गतिकी ग्रुप डायनेमिक्स का अध्ययन करना।

अभ्यास प्रश्न

12. भाषा शिक्षण अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग के लाभ को उल्लिखित करें।
13. भाषा शिक्षण-अधिगम में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग की सीमाओं का उल्लेख करें।
14. सूचना एवं संचार तकनीकी समेकित भाषा शिक्षण एवं अधिगम वातावरण का निर्माण करने हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें।

5.11 सूचना एवं संचार तकनीकी के सहयोग से हिंदी साहित्य के शिक्षण को जीवंत बनाना

हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं के शिक्षण के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। व्यवहारिक स्तर पर इन विभिन्न विधियों में स्पष्ट अंतर नहीं दिख पाता है। परिणाम स्वरुप कक्षाकक्ष में रोचकता उत्पन नहीं हो पाती है। अंग्रेजी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति विद्यार्थियों की रुचि में निरंतर ह्रास हो रहा है। इन परिस्थितियों में हिंदी साहित्य का अध्यापन करते समय यदि कक्षा कक्ष में जीवंतता नहीं होगी तो विद्यार्थी ऊबने लगेंगे। परंपरागत शिक्षण विधियों से अध्यापन कार्य करते समय शिक्षक जीवंतता लाने में असमर्थ होते हैं । कविता, नाटक एवं कहानी सबका शिक्षण एक जैसा ही प्रतीत होता है। कविता चाहे वीर रस की हो या श्रृंगार रस की मन में भाव एक ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे में सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी साधन शिक्षक को अवसर प्रदान करते हैं की इन उपकरणों का प्रयोग कर वह अपने अध्यापन कार्य में जीवंतता लाए। हिंदी साहित्य शिक्षण को अधिक आकर्षक एवं रोचक या यूँ कह लें की जीवंत बनाने के लिए ऑडियो-वीडियो उपकरण, सिनेमा की क्लिपिंग, नाटक का कोई दृश्य, नाटक रिहर्सल की रिकॉर्डिंग, वेब रिसोर्सेज, शब्दकोश, थिसॉरस, पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण, संबंधित लेखक पर बने वृत्तचित्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करें कि कैसे सूचना एवं संचार तकनीकी के सहयोग के परिणामस्वरुप हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं के शिक्षण को जीवंत बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम हम कथा साहित्य का उदाहरण लेते हैं।

1. **कथा साहित्य का शिक्षण-** यह बात सर्वविदित है कि हिंदी कथा साहित्य और हिंदी सिनेमा तथा टेलीविजन धारावाहिकों का बहुत करीबी रिश्ता है। हिंदी कथा साहित्य पर आधारित अनेक चलचित्रों तथा धारावाहिकों का निर्माण हुआ है। यथा- रविंद्र नाथ टैगोर के उपन्यास विनोदिनी पर आधारित चलचित्र चोखेरबाली, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता एवं चंद्रकांता संतति पर आधारित धारावाहिक चंद्रकांता आदि। कथा साहित्य का शिक्षण करते समय उस कथा साहित्य से संबंधित यदि कोई सिनेमा या धारावाहिक हो तो उसके अंश को दिखाकर कथा साहित्य के शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। कथा साहित्य के शिल्प, चरित्र, अंतर्वस्तु, कथन शैली आदि की जीवंत व्याख्या इन साधनों के उपयोग से की जा सकती है। हिंदी साहित्य की एक विधा का दूसरी विधा में रूपांतरण का प्रत्यक्ष अनुभव भी इन विद्यार्थियों को इन संसाधनों के प्रयोग से प्रदान किया जा सकता है।
2. **कविता शिक्षण-** कविता शिक्षण करते समय कवि का चित्र, उनके जन्म स्थान तथा कर्म स्थान के भोगोलिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिदृश्य को दिखाया जा सकता है जिससे विद्यार्थी को कवि की पृष्ठभूमि को समझने में सहायता मिलती है। कविता का अध्यापन करने के पूर्व यदि रचनाकार के जीवन स्थितियों से संबंधित उपलब्ध सामग्रियों को स्लाइड के माध्यम से दृश्य रूप में दिखा दिया जाए तो शिक्षण और भी जीवंत हो जाता है। कविता के केंद्रीय भाव से संबंधित चित्र दिखाकर भी विद्यार्थियों को उस भाव को समझने में सहायता की जा सकती है। यथा- यदि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित 'भिक्षुक' शीर्षक कविता या 'तोड़ती पत्थर' शीर्षक कविता का शिक्षण कर रहे हैं तो आप भिक्षुक का चित्र या चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती हुई स्त्री का चित्र दिखाकर अपने अध्यापन कार्य में जीवंतता ला सकते हैं और विद्यार्थियों को कविता के भावार्थ को समझने में सहायता कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों को संवेदनशील भी बना सकते हैं। कक्षाकक्ष में कविता के पाठ को प्रस्तुत कर, जिसमें की दृश्य-श्रव्य पाठ शामिल हैं, विद्यार्थियों को आसानी से आप अपने शिक्षण कार्य में सम्मिलित कर सकते हैं। कविता के शिल्प एवं भाषिक विशेषताओं को स्पष्ट करने में भी सहायता मिलती है। समान भाव एवं विरोधी भाव की कविताओं को भी प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है जिससे शिक्षण और भी जीवंत हो उठता है। कवि पर बने वृत्तचित्र को भी दिखाया जा सकता है जो शिक्षण कार्य को जीवंत बनाने में सहायता करती है।
3. **नाटक का शिक्षण-** कथा साहित्य एवं कविता के शिक्षण को जीवंत बनाने के लिए जिन संसाधनों के प्रयोग की बात ऊपर की गई है, उनके प्रयोग के साथ-साथ नाटक के किसी अंश का प्रस्तुतीकरण भी सार्थक प्रयास होता है। यदि अलग-अलग निर्देशकों द्वारा नाटक का निर्माण किया गया है तो उनका प्रस्तुतीकरण भी नाटक के शिक्षण को जीवंत बनाता है तथा नाटक के शिल्पगत बारीकियों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। इस प्रकार के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विद्यार्थियों में रंगकर्म अर्थात ध्वनि, प्रकाश, मंच- सज्जा, दृश्य-विधान आदि

संबंधी समझ को संपोषित किया जा सकता है एवं कालांतर में विद्यार्थी को स्वयं नाटक का निर्देशन करने एवं मंचन करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

5.12 हिंदी साहित्य के शिक्षा में सूचना एवं संचार संबंधी तकनीकी साधनों के उपयोग की चुनौतियाँ

सूचना एवं संचार संबंधित तकनीकी संसाधनों के उपयोग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शिक्षण के केंद्र में विषयवस्तु रहे न कि कम्प्युटर और सूचना एवं संचार तकनीकी संबंधी उपकरण। यदि केंद्र में विषयवस्तु के स्थन पर तकनीकी संसाधन स्थपित हो जाते हैं तो कक्षाकक्ष में अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

विद्यार्थी को भी तकनीकी साधनों के उपयोग में विशेषतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी संबंधी संसाधनों के प्रयोग में दक्ष होना चाहिए।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन संसाधनों की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक भारत में कोई ऐसा सरकारी विद्यालय नहीं है जो पूर्ण रुप से कंप्यूटरीकृत हो एवं उस में इंटरनेट सेवा की आबाध आपूर्ति हो रही हो।

अभ्यास प्रश्न

15. हिंदी सहित्य के शिक्षण को जीवंत बनाने के लिए आप क्या करेंगे?

5.13 सारांश

प्रस्तुत इकाई भाषा शिक्षण में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि के प्रयोग पर आधारित है। इकाई के प्रारंभ में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है जिसमें पाठकों को सूचना एवं संप्रेषण की एक समझ हो जाए। इकाई के अगले खंड में भाषा एवं कम्प्युटर के क्षेत्र में हुए कार्य का उल्लेख किया गया है। पाठकों को विषय से जोड़ने में यह खंड उपयोगी है। अगले कुछ खंडों में भाषा शिक्षण-अधिगम में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि संबंधी विभिन्न उपकरणों के प्रयोग की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसके उपयोग के लाभ एवं सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। हिंदी साहित्य के शिक्षण को जीवंत बनाने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि के प्रयोग की जो व्याख्या की गई है यह इस इकाई को और रुचिकर बनाती है। यह इकाई निश्चय ही शिक्षाशास्त्र के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी है।

5.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1980

2. डेनिस स्टेवेन
3. आगरा
4. हिंदी
5. सेंटर फॉर एडवांस कम्प्युटिंग
6. (अ) (iii)
   (ब) (v)
   (स) (i)
   (द) (ii)
   (य) (iv)
7. आँकड़ों को भंडारित करनेवाले उपकरण, अंतःक्रियात्मक उपकरण , वर्ल्ड वाइड वेब
8. आँकड़ों को भंडारित करनेवाले उपकरण - सीडी रोम, पेन ड्राइव
   अंतःक्रियात्मक उपकरण - अंतःक्रियत्मक बोर्ड , प्रोजेक्टर
   वर्ल्ड वाइड वेब - www.google.com, www.rajbhaashaa.gov
9. सी डैक
10. एक लिपी में लिखी गई बात का दूसरी लिपि में परिवर्तन
11. www.mylanguage.org
12. इसके उत्तर के लिए इस इकाई का खंड 5.8 देखें।
13. इसके उत्तर के लिए इस इकाई का खंड 5.9 देखें।
14. इसके उत्तर के लिए इस इकाई का खंड 5.10 देखें।
15. इसके उत्तर के लिए इस इकाई के खंड 5.11 एवं 5.12 देखें।

5.15 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रंथ

1. एफ0ओ0एल0डी0ओ0सी0 (2008). इंफॉरमेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी.
2. टेकचंद. (2013). भाषा शिक्षण एवं इंटरनेट सूचना युग में हिंदी शिक्षण एवं परीक्षण समस्याएँ एवं परिप्रेक्ष्य (एडिटेड – एम. बलकुमार) (पीपी. 167-170).
3. फवाज़ि, एफ. आइ. ऐण्ड ज़ुह्रिएह, एस. (2013). द युस ऑफ इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड बाइ प्रिसर्विस टिचर्स टु एनहैंस अरेबिक लैंग्वेज टिचिंग ऐण्ड लर्निंग, इ हाउ ऑनलाइन जर्नल.
4. बुलॉक, जे. (2000). इवैल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ उसिंग आईसीटी अपॉन स्टुडेंट मोटिवेशन ऐण्ड अटेनमेंट इन इंगलिश. रिट्राइव्ड फ्रॉम http://www.edu.cam.ac.uk/Tips/bullock.pdf.`
5. मुरे, जे.(2011). क्लाउड नेटवर्क आर्किटेक्चर एण्ड आईसीटी-मॉडर्न नेटवर्क आर्किटेक्चर आईटी नॉलेज एक्सचेंज टिच टारगेट, रेट्राइव्ड ऑन 8-18-13.

6. मुलम्मा, के.(2010). आईसीटी इन लैंग्वेज लर्निंग-बेनिफिट्स ऐण्ड मेथडोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस, ऑन्लाइन जर्नल इंटरनेशनल स्टडिज. 3(1).
7. वशौर, एम. ऐण्ड लिआव, एम. (2011). एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ऑटोनोमस लैंग्वेज लर्निंग. स्टडीज इन सेल्फ-एक्सेस लर्निंग जर्नल, 2(3), पीपी. 107-118

5.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. भाषा एवं कम्प्युटर को एक साथ संबद्ध करके जिन क्षेत्रों में कार्य हुए है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें।
2. भाषा शिक्षण को कम्प्युटर से संबंधित करने के लिए सी डैक, पुणे द्वारा अब तक जो प्रयास किए गए है, उनका वर्णन करें।
3. भाषा शिक्षण-अधिगम में प्रयुक्त किए जानेवाले सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि संबंधी उपकरणों का वर्णन करें।
4. भाषा शिक्षण-अधिगम में इंटरनेट के प्रयोग पर एक निबंध लिखें।
5. राजभाषा द्वारा विकसित मशीनी अनुवाद सॉफ्टवेयर 'मंत्र राजभाषा' का वर्णन करें।
6. इंटरनेट द्वारा भाषा का शिक्षण एवं अधिगम करते समय होनेवाली कठिनाइयों को अपने व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर वर्णित करें।
7. हिंदी नाट्य साहित्य का शिक्षण करते समय आप अपनी कक्षा को जीवंत बनाने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकि का किस प्रकार प्रयोग करेंगे?